

विधान सभा के पटल पर


दिनांक 27 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2014



विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I		
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यूज)		
बजट परिचय	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.1.2	1
निरन्तर बचत	1.1.3	2
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ	1.1.4	2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.1.5	3
लेखापरीक्षा आयोजना एवं संचालन	1.1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.7	3
लेखापरीक्षा पर सरकार की जवाबदेही की कमी	1.1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाई	1.1.9	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपे प्रस्तरों की समीक्षा का वर्ष वार विवरण	1.1.10	5
निष्पादन लेखापरीक्षा		
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1.2	6
ग्रामीण विकास विभाग		
इंदिरा आवास योजना	1.3	23
सिंचाई विभाग		
सिंचाई विभाग की कार्यपद्धति	1.4	40
अनुपालन लेखापरीक्षा		
गृह विभाग		
पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की अधिप्राप्ति	1.5	52
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये चयन प्रक्रिया	1.6	55
निष्फल व्यय	1.7	59
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
ट्रॉमा केन्द्र का असंचालित रहना	1.8	60
पेयजल विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन	1.9	61

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
लोक निर्माण विभाग		
ठेकेदार को अदेय लाभ	1.10	65
ग्रामीण विकास विभाग		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता	1.11	67
खेल एवं युवा कल्याण विभाग		
परिहार्य व्यय	1.12	71
तकनीकी शिक्षा विभाग		
तकनीकी शिक्षा विभाग में अवस्थापना सुविधायें	1.13	73
अध्याय-II राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ	2.1.1	79
कर राजस्व	2.1.2	79
करेतर राजस्व	2.1.3	80
बजट अनुमानों तथा वास्तविक में भिन्नता	2.1.4	81
राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत	2.1.5	82
कर राजस्व के संग्रह का विश्लेषण	2.1.6	82
राजस्व बकायों का विश्लेषण	2.1.7	83
करापंचन	2.1.8	83
कर वापसी मामलों का निस्तारण	2.1.9	84
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	2.1.10	84
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	2.1.11	85
लेखापरीक्षा आयोजना	2.1.12	86
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.13	86
इस रिपोर्ट के राजस्व अध्याय के विषय	2.1.14	86
अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया	2.2	87
कर एवं अर्थदण्ड का वसूल न होना	2.3	90
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग		
₹ 79.84 लाख के स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	2.4	90
अध्याय-III सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)		
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति	3.1.1	93
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.1.2	93

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश	3.1.3	94
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण	3.1.4	95
सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान	3.1.5	96
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) की कार्यकुशलता	3.1.6	96
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	3.1.7	97
अकार्यरत सा क्षे उ का समापन	3.1.8	98
वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ	3.1.9	98
आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.1.10	99
निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्र) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	3.1.11	99
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ	3.1.12	100
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों का प्रतिउत्तर	3.1.13	100
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	3.1.14	100
सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	3.1.15	101
निष्पादन लेखापरीक्षा		
उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड		
विद्युत वितरण कम्पनी का राजस्व संग्रह	3.2	102
अनुपालन लेखापरीक्षा		
कुमाँऊ मण्डल विकास निगम		
कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन	3.3	119
उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड		
उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध	3.4	126

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.2.1	रा ग्रा स्वा मि का संगठनात्मक ढाँचा	131
1.2.2	संस्थागत प्रसव	132
1.2.3	जनपद स्तर पर पदों की स्थिति	133
1.2.4	स्वा प्र सू प्र (टीकाकरण)	134
1.2.5	ए एन सी में असमानता	135
1.3.1	राज्य सरकार द्वारा अपने अंश का विलम्ब से जारी किया जाना	136
1.3.2	राज्य में इं आ यो आवासों की भौतिक स्थिति	137
1.3.3	इं आ यो लाभार्थियों का विवरण जो राज्य आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित थे	138
1.4.1	सिंचाई विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	140
1.4.2 (अ)	निधियों के स्रोत	141
1.4.2 (ब)	निधियों के उपयोग	142
1.5.1	वाहनों का विवरण	143
1.5.2	सीमावर्ती जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को उपलब्ध कराये गये वाहन और उपकरण (पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर)	144
1.6.1	लम्बित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की वर्ष वार स्थिति	146
1.7.1	भा चि प निरीक्षण के लिए नियुक्त किए गए संकाय सदस्यों का विवरण	147
3.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे	148
3.2	31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी	152
3.3	मार्च 2013 के अन्त में वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्धता को दर्शाती विवरणी	155
3.4	राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों में किया गया निवेश जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत हुए, को दर्शाती विवरणी	156
3.5	विभागानुसार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों का विवरण	158
3.6	2008-09 से 2012-13 के दौरान आवश्यक, खरीदी गई, विक्रय की गयी तथा कम्पनी की वितरण हानि की स्थिति	159
3.7	विद्युत शुल्क तथा अधिभार के देरी से भुगतान के बकाए वसूली का विवरण	160
3.8	उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यू आई ओवरड्रॉल, अल्प अवधिक ऊर्जा क्रय तथा पाँवर कट के द्वारा ऊर्जा की कमी को पूरा करने की स्थिति	162

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा में रखने के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।


इस प्रतिवेदन का *अध्याय-I* नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संपादित सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज) की व्यय लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का *अध्याय-II* सरकार के राजस्व क्षेत्र विभाग की राजस्व प्राप्ति की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संपादित की जाती है।

इस प्रतिवेदन का *अध्याय-III* सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है। सरकारी कम्पनियों के खातों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत और सांविधिक नियमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत सी ए जी के द्वारा संपादित की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (A) के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2012-13 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।



विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली और विद्युत वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) का राजस्व संग्रह पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आधिक्य/व्यर्थ/निरर्थक/निष्फल/परिहार्य/अनुत्पादक परिव्यय, ठेकेदार को अनुचित लाभ, निष्क्रिय निवेश, निधियों का व्यपवर्तन से सम्बन्धित ₹ 1134.14 करोड़ के 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- पी एस यूज)

निष्पादन लेखापरीक्षा

रा ग्रा स्वा मि के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- राज्य में निचले स्तर के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहचान हेतु वांछित घरेलू सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं कराए गये। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं, ब्लाक एवं ग्राम्य स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को संकलित किए बिना तैयार की गयी।
[प्रस्तर 1.2.6.1]
- वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 778.28 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष ₹ 115.77 करोड़ अव्ययित छोड़ते हुए ₹ 650.10 करोड़ का व्यय किया गया एवं ₹ 12.41 करोड़ भारत सरकार को वापस किए गये।
[प्रस्तर 1.2.7.1]
- विभाग ₹ 64.23 करोड़ के व्यय के बावजूद ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता उप समिति (ग्रा स्वा स्व उ स) से रा ग्रा स्वा मि के कार्यान्वयन हेतु नियोजन एवं अनुश्रवण में कोई योगदान लेने में असफल रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 30.44 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी ग्रा स्वा स्व उ स से प्राप्त नहीं किये गये।
[प्रस्तर 1.2.7.2]
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा लाभार्थियों को ₹ 2.98 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किया गया था।
[प्रस्तर 1.2.8.2 (iii)]
- अत्यधिक अधिप्राप्ति के कारण, ₹ 1.21 करोड़ की ड्रग किटें (ए एवं बी) ड्रग वेयर हाउस में कालातीत हो गयीं तथा ₹ 2.18 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरण नमूना परीक्षित (सा स्वा केन्द्रों/प्रा स्वा केन्द्रों पर निष्क्रिय पड़े हुए थे।
[प्रस्तर 1.2.9.1 एवं 1.2.9.2]
- एक सेवा प्रदाता (108-आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा) को ₹ 7.95 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान किया गया एवं उससे ₹ 3.20 करोड़ की परिचालन लागत की वसूली भी नहीं की गयी।
[प्रस्तर 1.2.9.4]

इन्दिरा आवास योजना (इं आ यो) जो कि एक केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना है, की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालन की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- इंडा यो के अंतर्गत 642 ऐसे व्यक्तियों को ₹ 2.49 करोड़ की सहायता वितरित की गयी जिनका चयन नियमों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से किया गया था।
[प्रस्तर 1.3.6.1]
- आवासीय भूखण्ड योजना राज्य में लागू नहीं की गई थी।
[प्रस्तर 1.3.6.6]
- वर्ष 2008-13 के दौरान भारी अवशेष राशि खर्च नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता में ₹ 39.19 करोड़ की कटौती की गई।
[प्रस्तर 1.3.7.1]
- इंडा यो निधियों से उपार्जित ₹ 53.97 लाख की ब्याज की धनराशि बिना लेखे-जोखे के रह गयी क्योंकि ये निधियाँ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अन्य योजनाओं के खातों के साथ रखी गयी थी।
[प्रस्तर 1.3.7.4]
- 38 बी पी एल-आई डी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.19 लाख का अनियमित लाभ प्रदान किया गया।
[प्रस्तर 1.3.8.2]
- प्रतीक्षा सूची में रैंकिंग की अनदेखी कर 73 लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति दी गई थी एवं राज्य आवासीय योजनाओं से पहले से ही लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को 45 आवासों का आवंटन किया गया था।
[प्रस्तर 1.3.6.1 एवं 1.3.8.5]
- इंडा यो के अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की जो सूचना भारत सरकार को प्रेषित की गई उसके आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि 6 से 80 प्रतिशत के अभिकरण की उपलब्धि की सूचना के सापेक्ष एक भी मामला लेखापरीक्षा में लाभान्वित नहीं पाया गया।
[प्रस्तर 1.3.8.8]

सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- 295 नहरों के न्यून उपयोग के फलस्वरूप 25,797 हेक्टेयर कम सींच प्राप्त हुई।
[प्रस्तर 1.4.6.2 (अ)]
- विभाग वर्ष 1983-84 से जल संस्थान एवं मेसर्स एच एम टी लिमिटेड से ₹ 16.39 करोड़ की अदत देयताओं के संग्रहण में विफल रहा।
[प्रस्तर 1.4.7.2]
- विभाग तराई भाबर क्षेत्र की नहरों की मरम्मत एवं रखरखाव में ₹ 2.15 करोड़ के व्यय के बाद भी जल कर लगाने में असमर्थ था।
[प्रस्तर 1.4.7.3]
- विभाग द्वारा ₹ 68.62 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निस्तारण नहीं किया जा सका।
[प्रस्तर 1.4.11.1]
- विभाग का आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र अपर्याप्त था।
[प्रस्तर 1.4.13.2]

अनुपालन लेखापरीक्षा

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की अधिप्राप्ति

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) का मुख्य उद्देश्य राज्य में परिवहन, संचार एवं हथियारों की भारी कमी के कारण अप्राप्त था। भारत-नेपाल सीमा के सुदृढीकरण का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि ₹ 2.13 करोड़ लागत के वाहन एवं उपकरण अधिकृत (सीमावर्ती) जिलों की वजाय अन्य जिलों को प्रदान किये गये। विभाग द्वारा एम पी एफ से एस एस पी/एस पी/डी एस पी के लिए ₹ 64.11 लाख कीमत की 14 कारें भी क्रय की गयीं।

[प्रस्तर 1.5]

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये चयन प्रक्रिया

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के यूपीएमटी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वास्तविकता के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी पायी गयी क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के 47 प्रतिशत प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया जाना अभी भी शेष था। फॉरेंसिक जॉच में विलम्ब के कारण मेडिकल कॉलेजों की 17 एमबीबीएस सीटें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये रिक्त रह गयी थी। ये मेडिकल कॉलेज, 24 अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद या त्रुटिपूर्ण मूलनिवास प्रमाणपत्रों के उपयोग के आधार पर या विपरीत फॉरेंसिक जॉच आख्या के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम छोड़ दिया था, प्रत्येक से ₹ 30 लाख क्षतिपूर्ति दावा करने में विफल रहे।

[प्रस्तर 1.6]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत राज्य कुल उपलब्ध निधि का केवल 38 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया और 2009-13 की अवधि में 34 प्रतिशत जरूरतमन्द बस्तियों को ही आच्छादित किया जा सका। जॉच में ₹ 6.04 करोड़ की निधि का व्यावर्तन, एन आर डी डब्ल्यू पी के आपदा राहत निधि घटक से ₹ 47.50 लाख के अनियमित व्यय तथा ठेकेदारों को ₹ 1.78 करोड़ की ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशियाँ प्रदान करने के मामले पाए गए।

[प्रस्तर 1.9]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता

पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि ₹ 802.37 करोड़ की लागत के कुल 291 सड़क निर्माण कार्यों में से मात्र 64 कार्य (22 प्रतिशत) ₹ 119.89 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए एवं मार्च 2013 तक ₹ 237.58 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 227 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। नमूना जॉच वाले पी आई यू में ₹ 4.16 करोड़ की धनराशि का व्यय अनियमित एवं 3.73 करोड़ रुपये दिशा-निर्देशों के विपरीत योजना पर भारित पाए गए। नौ ठेकेदारों के विरुद्ध ₹ 2.27 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की धनराशि इनकी बैंक गारन्टी कालातीत होने के बावजूद भी अभी तक वसूली हेतु लम्बित थी।

[प्रस्तर 1.11]

तकनीकी शिक्षा विभाग में अवस्थापना सुविधाएं

विभाग अवस्थापना सुविधाओं के लिए कल्पित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में असफल रहा। ₹ 227.02 करोड़ की पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के बाद भी यह केवल ₹ 110.79 करोड़ (49 प्रतिशत) व्यय कर सका। संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय पॉलीटेक्निकों में

59 प्रतिशत किराये के भवनों से परिचालित थे तथा कर्मचारी आवासीय भवनों के पूर्ण न होने के कारण सरकारी आवास से वंचित थे। 33 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 28 ट्रेड यन्त्रों/संयंत्रों के अभाव में चल रही थी जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन सी वी टी) से सम्बद्ध न होने के लिए मुख्य कारणों में से एक था।

[प्रस्तर 1.13]

राजस्व क्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया

वर्ष 2008-09 (₹ 501.43 करोड़) से वर्ष 2012-13 (₹ 2,563.17 करोड़) की अवधि के दौरान राजस्व बकाये में ₹ 2,061.74 करोड़ की वृद्धि हुई। ₹ 48.03 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण एक माह से आठ वर्ष तक के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.99 करोड़ के स्थगित मामलों में स्थगन खारिज नहीं करवाया गया, ₹ 35.48 करोड़ के एक पक्षीय मामलों का निपटान न किया जाना तथा ₹ 13.54 करोड़ के राजस्व बकाया का अधिनिर्धारण किया गया।

[प्रस्तर 2.2]

विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹ 79.84 लाख स्टाम्प शुल्क का अनारोपण।

[प्रस्तर 2.4]

आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)

निष्पादन समीक्षा

विद्युत वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) के राजस्व संग्रह की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा तय, निर्धारित ऊर्जा नुकसान सीमा के बाद भी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से ₹ 473.78 करोड़ की ऊर्जा लागत की वसूली नहीं की जा सकी थी।

[प्रस्तर 3.2.7.1]

- यू ई आर सी की बिजली आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार 'स्टॉप बिलिंग' मामलों का निस्तारण न किए जाने के कारण ₹ 196.07 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर - 3.2.7.2(i)(अ)]

- उचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग न करने के कारण कम्पनी को ₹ 3.88 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

[प्रस्तर 3.2.7.6]

- कम्पनी द्वारा 1,206 उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान के कारण ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत भार और ₹ 217.39 करोड़ के विलम्ब भुगतान अधिभार की राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।

[प्रस्तर 3.2.8.1(द)]

- 147 बड़े और भारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में ₹ 17.04 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।

[प्रस्तर 3.2.8.1(य)]

- वसूली प्रमाण पत्रों के उचित ढंग से अनुश्रवण न किए जाने के कारण 2,539 दोषी उपभोक्ताओं से ₹ 45.51 करोड़ की प्राप्ति नहीं की गई।

[प्रस्तर 3.2.8.1(ल)]

अनुपालन लेखापरीक्षा

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन


निगम राज्य के कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसकी सुविधाओं को उपयोग करने वाले पर्यटकों का प्रतिशत (5.29 प्रतिशत) नगण्य था। निगम के पास प्रचार के लिए कोई रणनीति नहीं थी। अपर्याप्त योजनाओं के कारण ही ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 2.12 करोड़ के व्यय से 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के) का निर्माण कराया जिसमें से ₹ 0.97 करोड़ से निर्मित 9 प सू के बेकार अवस्था में थे। इसके अलावा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के बिना ₹ 1.42 करोड़ की लागत से निर्मित एक पर्यटक विश्राम गृह बेकार अवस्था में था।

[प्रस्तर 3.3]

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

यू पी सी एल ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2793.45 एम यूज अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। अल्पकालीन ऊर्जा क्रय वर्ष 2009-10 में 138.92 एम यूज से आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1696.08 एम यूज हो गयी। यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक ओवरड्रॉल करता रहा जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड असंतुलित हुआ।

[प्रस्तर 3.4]



अध्याय-I

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-पी एस यूज)

1875

1876

1877

1878

1879

अध्याय 1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यूज)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 70 सरकारी विभाग एवं 41 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010-13 के दौरान राज्य सरकार के बजट आकलन और वास्तविक की स्थिति तालिका 1.1.1 में दी गयी है

तालिका 1.1.1

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	3,019.18	3,103.97	4,118.72	3,694.34	4,109.96	4,180.15	4,993.94	4,475.11	5,443.94	5,372.23
सामाजिक सेवाएं	3,570.98	3,391.83	4,900.94	4,980.28	5,358.43	5,169.49	6,447.89	6,019.65	6,856.51	6,095.84
आर्थिक सेवाएं	1,730.83	1,623.13	1,745.16	1,658.12	1,973.30	1,863.75	2,351.14	2,101.63	2,568.74	1,995.29
सहायता अनुदान एवं अशंदांन	342.53	274.77	396.29	324.73	555.00	407.68	532.72	378.80	847.92	496.86
योग (1)	8,663.52	8,393.70	11,161.11	10,657.47	11,996.69	11,621.07	14,325.69	12,975.19	15,717.11	13,960.22
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	2,802.25	2,016.34	1,956.92	1,646.74	2,005.09	1,854.84	3,094.58	2,316.94	3,653.48	3,542.09
कुल एवं वितरित अग्रिम	407.12	121.71	307.77	30.06	150.54	59.68	307.91	246.83	264.05	272.57
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	569.22	355.38	1,311.58	472.97	1,299.63	519.36	1,638.73	1,015.78	2,297.13	1,472.21
आकस्मिक निधि	25.00	32.05	34.00	71.42	10.00	536.71	35.00	69.07	40.00	32.07
लोक लेखा वितरण	10,194.09	13,476.62	10,963.47	12,321.83	11,665.36	17,608.20	12,662.52	19,832.00	12,872.30	20,961.24
अन्तिम रोकड़ शेष	-	242.96	-	538.91	-	1,299.41	-	1,085.18	-	1,945.54
योग (2)	13,997.68	16,245.06	14,573.74	15,081.83	15,130.62	21,808.20	17,738.74	24,565.80	19,126.96	28,225.72
महायोग (1+2)	22,661.20	24,638.76	25,734.85	25,739.30	27,127.31	33,429.27	32,064.43	37,540.99	34,844.07	42,185.94

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखा

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

₹ 34,844.07 करोड़ के बजट के कुल परिव्यय के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 42,105.99 करोड़ था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹ 10,532 करोड़ से ₹ 17,775 करोड़ बढ़ गया जबकि राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 में ₹ 8,394 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 13,960 करोड़ (66 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेतर राजस्व व्यय ₹ 6,220 करोड़ से ₹ 11,533 करोड़ (85 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय ₹ 2,016 करोड़ से ₹ 3,542 करोड़ (76 प्रतिशत) बढ़ गया।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय का 79 से 80 प्रतिशत राजस्व व्यय ने संघटित किया और पूँजीगत व्यय 19 से 20 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्ति 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

1.1.3 निरन्तर बचत

अन्तिम पाँच वर्षों के दौरान 19 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई जो कि तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.1.2

वर्ष 2008-13 के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्याय प्रशासन	16.29	28.57	29.91	28.05	50.90
2.	05-निर्वाचन	3.68	3.65	1.03	4.71	4.57
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	67.57	56.74	29.52	43.94	64.40
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	3,94.33	4,18.97	1,06.35	5,80.10	5,49.18
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,22.06	91.88	1,24.39	1,53.99	1,33.41
6.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	88.69	47.75	3,72.80	2,35.77	1,53.22
7.	15-कल्याण	93.53	80.43	83.72	1,97.45	1,91.96
8.	16-श्रम एवं रोजगार	35.29	5.61	12.08	12.39	36.45
9.	18-सहकारिता	7.72	1.83	4.87	10.30	6.03
10.	19-ग्राम्य विकास	45.13	70.21	78.22	92.71	1,33.00
11.	22-लोक निर्माण	51.18	28.64	34.94	35.43	56.84
12.	23-उद्योग	13.08	1.34	5.15	14.47	11.32
13.	24-परिवहन	11.56	5.62	2.52	1.37	5.90
14.	26-पर्यटन	2.31	2.85	2.92	30.66	30.05
15.	28-पशुपालन	7.38	8.49	15.53	4.48	9.04
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	45.12	51.24	8.78	72.43	20.60
2.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	14.57	7.80	60.20	1,66.31	1,22.03
3.	15-कल्याण	6.39	5.09	13.74	22.03	3.54
4.	23-उद्योग	5.41	9.55	11.54	13.35	23.69

स्रोत: विनियोग लेखें।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

1.1.4 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य के बजट के अनुसरण के बिना भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 1,568 करोड़ (31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य वित्त पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 में विवरण) अन्तरित किये। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित धनराशि की निगरानी के लिए राज्य में कोई भी एजेंसी नहीं है और कोई आँकड़े भी उपलब्ध नहीं है जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में मुख्य चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित एवं भारत सरकार द्वारा धनराशि दी गई है, पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

1.1.5 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.1.3
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेतर अनुदान	1,270	1,183	1,435	762	869
राज्य योजना के लिए अनुदान	1,906	2,334	2,253	2,840	3,040
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	08	11	21	10	8
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	200	217	356	462	540
योग	3,384	3,745	4,065	4,074	4,457
विगत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	11	11	9	00	9
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	39	39	35	30	28

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2008-09 में ₹ 3,384 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 4,457 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्रतिशत में 0.22 प्रतिशत और 11 प्रतिशत के बीच में वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत 28 प्रतिशत और 39 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.1.6 लेखापरीक्षा आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/लक्ष्यों आदि की क्रियाकलापों की नाजुकता/पेचीदगी, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आन्तरिक नियन्त्रण और हितसाधको और पिछली लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा मिडिया रिपोर्टों के जोखिम निर्धारण से आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता व सीमा निर्णीत होती है और वार्षिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त, लेखापरीक्षित इकाइयों के अध्यक्षों को एक माह के भीतर उत्तर प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो समायोजन कर लिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाई के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उठने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निरूपणों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित करने हेतु प्रक्रियान्वित किया जाता है एवं तत्पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत इन्हें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 216 आहरण और संवितरण अधिकारियों और 28 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी संचालित हुई।

1.1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही चयनित विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों की जानकारी दी है जिससे कि कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका केन्द्र, विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्यवाई करने और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करना था।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि छः सप्ताह के अन्दर प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तारों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया

गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ दे। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान को रखते हुए किया गया है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधान सभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि उनकी टिप्पणियों को इसमें शामिल किया जाये। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ सभा करने के लिए भी सूचित किया गया था। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तरों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर देने के लिए भी भेजा गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, तीन प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं और नौ प्रारूप प्रस्तरों पर प्रारूप प्रतिवेदनों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। लेकिन सिर्फ एक मामले में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है।

1.1.8 लेखापरीक्षा पर सरकार की जवाबदेही की कमी

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड विहित नियमों व क्रियाविधि के अनुसार लेन-देनो की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों के अनुरक्षण की पुष्टि हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ आदि पायी जाती हैं जो कि तुरन्त हल नहीं होती हैं इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत किया जाता है जिनकी एक प्रति उनके उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती है। कार्यालयाध्यक्षों एवं उनके उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति से एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन जिसमें लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रमुख सचिव (वित्त) को भेजा गया था के माध्यम से गंभीर अनियमितताओं को कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया गया है। मार्च 2013 के अन्त में, सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित 4,255 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 10,907 प्रस्तर समायोजनार्थ बकाया पड़े थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान, विशेष समिति की दो बैठके आयोजित हुई जिसमें किसी प्रस्तर का समायोजन नहीं हो पाया। विभागीय अधिकारी विहित समयाविधि के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाई करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामले पर गौर करें।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यचालन के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रकट करने वाले लेखापरीक्षा प्रस्तरों और समीक्षाओं पर अपनी ओर से कार्यवाई प्रारम्भ करना था चाहे लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षा के लिए इन्हें लिया जाए अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित विस्तृत नोट भी प्रस्तुत करने थे जिन्हें राज्य विधानसभा में तीन महीने के भीतर प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारात्मक कार्यवाई की गई अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया।

तथापि, 26 विभागों ने, जिनके द्वारा 'कृत कार्यवाई टिप्पणी' देय थी। राज्य के सृजन से मार्च 2013 तक की अवधि तक 93 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों की 'कृत कार्यवाई टिप्पणी' प्रस्तुत नहीं की थी जिसका विवरण तालिका 1.1.4 में है।

तालिका 1.1.4

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों पर ए टी एन प्राप्ति के सम्बन्ध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 दिसम्बर 2013 के ए टी एन	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	विभागीय टिप्पणियों की प्राप्ति की नियत विधि
सिविल/सामाजिक सामान्य और आर्थिक क्षेत्र गैर-पी एस यूज	2009-10	विविध विभाग	16	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	विविध विभाग	5	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	विविध विभाग	14	18.09.2013	17.12.2013
राज्य वित्त	2009-10	वित्त और विविध विभाग	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010.11	वित्त और विविध विभाग	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध विभाग	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
नैनीताल जिला	2011-12	विविध विभाग	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013

1.1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपे प्रस्तरों की समीक्षा का वर्ष वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी धनराशि सहित वर्ष वार विवरण तालिका 1.1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.1.5

वर्ष 2010-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपी समीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2010-11	6	1,158.47	23	343.56	06	07
2011-12	4	409.18	13	146.32	04	00

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 283.16 करोड़ धनराशि के तीन निष्पादन लेखापरीक्षा और ₹ 166.42 करोड़ धनराशि के नौ प्रस्तर प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, सिर्फ एक प्रस्तर का जबाव प्राप्त हुआ है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, सुलभ एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अप्रैल 2005 में पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा गा स्वा मि) की शुरुआत की। उत्तराखण्ड सहित 18 राज्यों में विशेष ध्यान था। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिया गया है:

मुख्यांश:

- राज्य में निचले स्तर के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहचान हेतु वांछित घरेलू सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं कराए गये। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं, ब्लॉक एवं ग्राम्य स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को संकलित किए बिना तैयार की गयी।
[प्रस्तर-1.2.6.1]
- वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 778.28 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष ₹ 115.77 करोड़ अव्ययित छोड़ते हुए ₹ 650.10 करोड़ का व्यय किया गया एवं ₹ 12.41 करोड़ भारत सरकार को वापस किए गये।
[प्रस्तर-1.2.7.1]
- विभाग ₹ 64.23 करोड़ के व्यय के बावजूद ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता उप समिति (गा स्वा स्व उ स) से रा गा स्वा मि के कार्यान्वयन हेतु नियोजन एवं अनुश्रवण में कोई योगदान लेने में असफल रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 30.44 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी गा स्वा स्व उ स से प्राप्त नहीं किये गये।
[प्रस्तर-1.2.7.2]
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा लाभार्थियों को ₹ 2.98 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किया गया था।
[प्रस्तर-1.2.8.2 (iii)]
- अत्यधिक अधिप्राप्ति के कारण, ₹ 1.21 करोड़ की ड्रग किटें (ए एवं बी) ड्रग वेयर हाउस में कालातीत हो गयीं तथा ₹ 2.18 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरण नमूना परीक्षित (सा स्वा केन्द्रों/प्रा स्वा केन्द्रों पर निष्क्रिय पड़े हुए थे।
[प्रस्तर-1.2.9.1 एवं 1.2.9.2]
- एक सेवा प्रदाता (108-आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा) को ₹ 7.95 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान किया गया एवं उससे ₹ 3.20 करोड़ की परिचालन लागत की वसूली भी नहीं की गयी।
[प्रस्तर-1.2.9.4]

1.2.1. प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आबादी के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सस्ती, सुलभ एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु 27 अक्टूबर 2005 को उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा गा स्वा मि) की शुरुआत की गयी। इसका उद्देश्य इसके घटकों¹ के माध्यम से नियोजन एवं अनुश्रवण में समुदायों को शामिल करना, जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं सकल प्रजनन दर को कम करने एवं संचारी व गैर संचारी व्याधियों को नियंत्रित करना था। रा गा स्वा मि का उद्देश्य विभिन्न मौजूदा एकल राष्ट्रीय व्याधि नियंत्रण कार्यक्रमों² (रा व्या नि का) के अभिसरण द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में वास्तुशिल्पीय सुधार करना था। मिशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर लोक व्यय को वर्ष 2005 के सकल घरेलू उत्पाद की दर 0.9 प्रतिशत से

¹ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर सी एच), रा गा स्वा मि अतिरिक्तांश, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (रा रो नि का)।

² राष्ट्रीय जल जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुछ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम एवं समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम।

बढ़ाकर मिशन अवधि (2005-2012) तक 2-3 प्रतिशत करने की परिकल्पना की थी। रा गा स्वा मि उत्तराखण्ड में कार्यान्वित अकेली केन्द्र सहायतित प्रमुख योजना है, राज्य सरकार द्वारा कोई दूसरी समानान्तर योजना प्रारम्भ नहीं की गयी है।

1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर, रा गा स्वा मि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य स्वास्थ्य मिशन (रा स्वा मि) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। मिशन के कार्यकलाप राज्य स्वास्थ्य समिति (रा स्वा स) द्वारा संचालक मण्डल एवं कार्यकारी समिति के माध्यम से किये जाते हैं। रा स्वा स के संचालक मण्डल का नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। रा स्वा स के कार्यकारी समिति का नेतृत्व प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (रा का प्र इ) मिशन निदेशक के नेतृत्व में रा स्वा स की सहायता करती है। जनपद स्तर पर, जनपद स्वास्थ्य मिशन (ज स्वा मि) सम्बन्धित जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एवं जनपद स्वास्थ्य समिति (ज स्वा स) सम्बन्धित जिलाधिकारी के नेतृत्व में रा गा स्वा मि के कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी है। ज स्वा स की कार्यकारी समिति का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ) द्वारा किया जाता है। राज्य में रा गा स्वा मि का सम्पूर्ण संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट-1.2.1** में दर्शाया गया है।

1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में यह आकलित करना था कि:

- ग्राम, खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तरों पर मिशन की नियोजन प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- निधियों की अवमुक्ति एवं उपयोग पर्याप्त एवं कारगर थी;
- मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य संकेतक एवं निर्धारित लक्ष्य समय से एवं दक्षता पूर्ण प्राप्त किये गये थे;
- औषधियों, उपकरणों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति लागत प्रभावी, दक्षतापूर्ण, समय से एवं अधिप्राप्ति में नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया था;
- विभिन्न स्तरों पर भौतिक एवं मानवीय अवस्थापना का क्षमता निर्माण एवं सुदृढीकरण पर्याप्त था तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू शि सं) तंत्र प्रभावी था; तथा
- स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना पद्धति एवं अनुश्रवण तंत्र कार्यशील एवं प्रभावी था।

1.2.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-09 से 2012-13 की अवधि को आच्छादित करते हुए अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के दौरान की गयी। राज्य के 13 जनपदों में से, पाँच जनपदों³ का चयन बिना प्रतिस्थापन के आनुपातिक निदर्शन (पी पी एस डब्ल्यू ओ आर) पद्धति से किया गया। प्रत्येक चयनित जनपद में, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामु स्वा के) एवं दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा स्वा के) का चयन विस्तृत जॉच/भौतिक सत्यापन हेतु किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्रत्येक चयनित सामु स्वा के एवं प्राथ स्वा के के दो उपकेन्द्रों (उ के) के अभिलेखों की भी समीक्षा की गयी। इन सामु स्वा के प्रा/स्वा के का चुनाव बिना प्रतिस्थापन के सामान्य रण्डम सेलेक्शन पद्धति से किया गया था। इसके अतिरिक्त, रा स्वा स, जि स्वा स एवं चयनित जनपद के जिला चिकित्सालय (पुरूष एवं महिला) तथा आयुर्वेद एवं होम्योपैथी निदेशालयों के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व, लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य क्षेत्र एवं क्रियाविधि पर अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राज्य में इस योजना के निष्पादन हेतु उत्तरदायी राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ 18 अप्रैल 2013 को सम्पादित प्रवेश गोष्ठी में चर्चा की गयी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर/प्रतिक्रिया के लिए शासन के पास भेजा गया (अक्टूबर 2013) और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के साथ 30 नवम्बर 2013 को बहिर्गमन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था किन्तु उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है। यद्यपि, विभाग की प्रतिक्रिया को उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

³ अल्मोडा, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी एवं उधम सिंह नगर।

1.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये थे:

- योजना पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी सम्बन्धित निर्देश;
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (रा का क्रि यो);
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (स ज्ञा);
- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (भा लो स्वा मा); तथा
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.2.6 नियोजन

रा गा स्वा मि के विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं कार्यान्वयन व्यवस्थाओं का उद्देश्य आवश्यकता आधारित एवं सामुदायिक स्वीकार्यता वाली जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ (जि स्वा का यो) सुनिश्चित करना था जो स्वास्थ्य क्षेत्र के उपायों का आधार बन सके। दिशानिर्देशों में कुटुम्ब सर्वेक्षण, सुविधा सर्वेक्षण, सम्पूर्ण मिशन अवधि (2005-12) के लिए पर्सपेक्टिव योजना बनाया जाना और वार्षिक कार्ययोजना बनाया जाना परिकल्पित था। अभिलेखों की संवीक्षा में नियोजन प्रक्रिया में कमियाँ पायी गयीं जिनकी चर्चा निम्न उप-प्रस्तारों में की गयी है:

1.2.6.1 कुटुम्ब सर्वेक्षण न किया जाना एवं परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए एकत्रित आँकड़ों का उपयोग न करना

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आकलन एवं अल्प सेवित तथा असेवित क्षेत्रों की पहचान हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति (रा स्वा स) द्वारा कुटुम्ब सर्वेक्षण नहीं किये गये।

आगे, राज्य स्वास्थ्य समिति (रा स्वा स) द्वारा राज्य के सभी जनपदों को आशाओं के माध्यम से मातृ एवं शिशु ट्रेकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए ₹ 68.22 लाख अवमुक्त किये, जिसमें से, ₹ 53.95 लाख व्यय हुए एवं ₹ 14.27 लाख ज स्वा स के पास अव्ययित थे। तथापि, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर किया गया ₹ 53.95 लाख का व्यय निष्फल रहा जैसा कि आशाओं द्वारा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से एकत्रित सूचना आउटसोर्स एजेंसियों को कम्प्यूटरीकृत संकलन के लिए हस्तगत कर दी गयी किन्तु जि स्वा स एवं रा स्वा स द्वारा इन आँकड़ों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नये साफ्टवेयर के कारण उक्त आँकड़ों का उपयोग नहीं किया जा सका।

आँकड़ों के उपयोग न किये जाने पर लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए मिशन निदेशक ने यह भी कहा (अगस्त 2013) कि तकनीकी मानवशक्ति के अभाव एवं राज्य के दुर्गम क्षेत्र के कारण, कुटुम्ब सर्वेक्षण नहीं कराये जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008) पर हुई लोक लेखा समिति की बैठक (अगस्त 2010) में विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि आशा के माध्यम से कुटुम्ब सर्वेक्षण करवाने हेतु आदेश जारी किये गये थे और यह ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (ग्रा स्वा एवं स्व स) के गठन के बाद किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2008-09 में सम्पूर्ण राज्य में ग्रा स्वा एवं स्व स का गठन किया जा चुका था लेकिन इनके गठन के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी कुटुम्ब सर्वेक्षण नहीं कराये गये। इस प्रकार, कुटुम्ब सर्वेक्षणों की अनुपस्थिति में वास्तविक स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताएं अनिर्धारित रही।

1.2.6.2 सुविधा सर्वेक्षण न किया जाना

भा लो स्वा मा के मानकों के अनुसार मौजूदा स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं के उन्नयन हेतु, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित अंतराल पर एक सुविधा सर्वेक्षण⁴ किया जाना था। रा स्वा स के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कोई भी सुविधा सर्वेक्षण नहीं किये गये।

⁴ विशेषज्ञ सेवाओं, मानवशक्ति, जाँच सुविधाओं, उपकरण एवं अन्य बुनियादी ढाँचे इत्यादि की आवश्यकता की पहचान के लिए सर्वेक्षण।

यह इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक द्वारा तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2013) किया गया और कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की कमी के कारण सुविधा सर्वेक्षण नहीं कराये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि भा लो स्वा मा के अनुसार सुविधा सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानीय कार्मिकों द्वारा भरे जा सकते थे इस हेतु विशेष कार्मिकों की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, सुविधा सर्वेक्षणों की अनुपस्थिति में वास्तविक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया जा सका।

1.2.6.3 पर्सपेक्टिव योजना तैयार न किया जाना

रा स्वा स एवं चयनित जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रा स्वा स एवं ज स्वा स द्वारा पूर्ण मिशन अवधि के लिए पर्सपेक्टिव योजनाएं तैयार नहीं की गयीं। यह इंगित किये जाने पर अपर निदेशक ने कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु पर्सपेक्टिव योजना तैयार की गयी थी। तथापि, अपर निदेशक का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें मिशन अवधि के लिए रा ग्रा स्वा मि के समस्त घटकों⁵ को सम्मिलित नहीं किया गया था।

1.2.6.4 वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुचित रूप से तैयार किया जाना

जहाँ तक सम्भव हो, जनपद स्वास्थ्य कार्य योजना (ज स्वा का यो) खण्ड एवं ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को एकत्रित एवं समेकित कर बनायी जानी चाहिए। चयनित जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 की ज स्वा का यो बिना खण्ड एवं ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के एकत्रीकरण के तैयार की गयी थी। ज स्वा का यो, बिना जनपद स्वास्थ्य मिशन (ज स्वा मि) की स्वीकृति के रा स्वा स को प्रस्तुत की गयी। यह भी देखा गया कि राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (रा का का यो), जो इन ज स्वा का यो पर आधारित थी, राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (रा का स स) को रा स्वा स की शासी निकाय की स्वीकृति के बिना भेज दी गयी।

यह प्रकरण गत निष्पादन लेखापरीक्षा में भी लिया (2008) गया था और इस प्रकरण पर लोक लेखा समिति में भी चर्चा (अक्टूबर 2010) की गयी थी जहाँ शासन द्वारा कहा गया था कि ज स्वा का यो वर्ष 2011-12 से ग्राम स्तर पर बनायी जा रही थी। यह इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक ने कहा (अगस्त 2013) कि राज्य के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह ग्रा स्वा स्व स से ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करा सके। आगे, मिशन निदेशक ने यह भी कहा कि रा का का यो, को, रा का स सू, को, रा स्वा स की कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात् अग्रेषित की गयी और इस पर भारत सरकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रा का का यो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शासी निकाय के बहुमुल्य सुझावों से वंचित रही।

1.2.7 वित्त पोषण पद्धति एवं वित्तीय प्रबन्धन

ग्यारहवीं योजना (2007-12) में केन्द्र और राज्य के बीच अंशदान 85:15 के अनुपात में होना था। वर्ष 2012-13 की अनुमोदित रा का का यो के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यांश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया। भारत सरकार से राज्य को निधियाँ दो अलग-अलग माध्यम से अर्थात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान और राज्य सरकार के अंशदान के रूप में प्राप्त की जाती है। मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को 0.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद से 2-3 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद तक बढ़ाया जाना था।

उत्तराखण्ड राज्य में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय लगभग एक समान रहा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.68 प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत के बीच बना रहा। राज्य द्वारा वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में राज्यांश के योगदान में ₹ 18.16 करोड़ की कमी रखते हुए राज्यांश का योगदान समय से नहीं किया गया। तथापि, यह वर्ष 2012-13 के राज्यांश के साथ अवमुक्त कर दिया गया।

1.2.7.1 वित्तीय स्थिति

भारत सरकार और राज्य सरकार से वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता और उसके सापेक्ष किये गये व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.2.1 में दिखायी गयी है:

⁵ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, रा ग्रा स्वा मि अतिरिक्तांश, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

तलिका - 1.2.1
निधियों की अवमुक्ति एवं किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रा शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय	भारत सरकार को वापस	अ शेष	अव्ययित शेष (प्रतिशत में)
		भारत सरकार	राज्य सरकार	अन्य प्राप्ति ⁶	कुल योग					
2008-09	93.18	67.53	13.85	4.65	86.03	179.21	101.93	3.96	73.32	41
2009-10	73.32	103.44	13.80	1.82	119.06	192.38	94.23	0.09	98.06	51
2010-11	98.06	99.52	21.80	1.94	123.26	221.32	148.31	6.92	66.09	30
2011-12	66.09	128.89	35.65	2.45	166.99	233.08	133.35	0.90	98.83	42
2012-13	98.83	125.38	56.86	7.52	189.76	288.59	172.28	0.54	115.77	40
योग		524.76	141.96	18.38	685.10		650.10	12.41		41

स्रोत: रा स्वा स द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (प्रा शेष -प्रारम्भिक अवशेष, अ शेष -अन्तिम अवशेष)

तालिका में यह देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों की अवधि में वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल उपलब्ध धनराशि का औसतन 41 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ा रहा। वर्ष 2012-13 के अन्त में ₹ 115.77 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त रही जो निर्धारित धनराशि का उपयोग करने में राज्य की क्षमता और बुनियादी ढाँचे में कमी को दर्शाता है। इसका स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में राज्य के स्वास्थ्य अवस्थापना का स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य स्तर पर बजट अनुमानों को तैयार करने में ज स्वा स एवं उप जिला स्वास्थ्य केन्द्रों से कोई योगदान न लिया जाना आवंटित निधि के पूर्ण उपयोग न किये जाने का एक प्रमुख कारण था।

धनराशि के उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में मिशन निदेशक (सितम्बर 2013) ने कहा कि कार्यक्रम कार्य योजना तैयार करते समय जि स्वा स द्वारा व्यय को अग्रिम रूप से प्रतिवेदित नहीं किया जाता और मदवार वार्षिक बजट भी जि स्वा स से प्राप्त नहीं होता। मिशन निदेशक का उत्तर स्वयं ही यह इंगित करता है कि कार्यक्रम कार्य योजना में बजट प्रावधान बिना जि स्वा स के इनपुट के किया जाता है।

1.2.7.2 ग्रा स्वा स्व उ स की अनुचित कार्य पद्धति

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उप समिति (ग्रा स्वा स्व उ स) के गठन की मंजूरी (फरवरी 2009) दी गयी। ज स्वा स द्वारा गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से ग्रा स्वा स्व उ स के सदस्यों (14) को योजना एवं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेतृत्व के साथ सुसज्जित करने के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा, सू शि सं, घरेलू सर्वेक्षण, स्वास्थ्य पंजिका बनाना, ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन करना आदि सहित विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन किया जाना था। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्रा स्वा स्व उ स को अनटाइड निधि ₹ 10,000 प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया जाना था। अनटाइड निधि की धनराशि बैंक खाते में रखी जाएगी जो ए एन एम/सम्बद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा ग्रा स्वा स्व उ स के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि राज्य में वर्ष 2008-09 में कुल 15,411 ग्रा स्वा स्व उ स का गठन किया गया और वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान ग्रा स्वा स्व उ स को अनटाइड निधि के रूप में ₹ 61.72 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी। आगे, राज्य में राज्य एवं जनपद आशा संसाधन केन्द्रों द्वारा ग्रा स्वा स्व उ स के सदस्यों को प्रशिक्षण पर ₹ 2.51 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। रा स्वा स तथा नमूना चयनित जनपदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ए एन एम के साथ अपेक्षित संयुक्त बैंक खाता किसी भी ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा नहीं खोला गया और धनराशि सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में रखी गयी थी। आगे, किसी भी ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा न तो निर्धारित घरेलू सर्वेक्षण किया गया और न तो ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की गयी। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों की योजना एवं निगरानी में किसी भी ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा कोई अतिरिक्त योगदान प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹ 64.23 करोड़ के व्यय के बावजूद विभाग रा ग्रा स्वा मि के कार्यान्वयन हेतु नियोजन एवं अनुश्रवण में

⁶ इसमें प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर लिए गये कर्ज सम्मिलित है।

ग्रा स्वा स्व उ स से कोई योगदान लेने में असफल रहा। आगे, नौ जनपदों⁷ के ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा धनराशि ₹ 30.44 करोड़ का व्यय विवरण (व्य वि) तथा उपभोग प्रमाणपत्र (उ प्र) भी प्रस्तुत नहीं किया गया। रा स्वा स शेष चार जनपदों के ग्रा स्वा स्व उ स द्वारा व्य वि एवं उ प्र उपलब्ध कराने सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा।

इस ओर इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2013) कि ग्रा स्वा स्व उ स ने स्वास्थ्य योजना एवं निगरानी में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभायी। मिशन निदेशक ने आगे सूचित किया कि वर्ष 2013-14 से सभी जनपदों को अनटाइड निधि रोके जाने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु भारत सरकार ने कहा कि ग्रा स्वा स्व उ स को अनटाइड निधि अवमुक्त किया जाना अनिवार्य है, अतः नाममात्र की राशि (₹ 500 प्रति ग्रा स्वा स्व उ स) अवमुक्त की जाएगी।

1.2.7.3 निधियों का व्ययवर्तन

रा ग्रा स्वा मि दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुमोदित घटकों/गतिविधियों के बीच आवंटन में कोई बदलाव नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि रा स्वा स द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में ₹ 3.28 करोड़ का व्यय भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना एक गतिविधि से दूसरे में निधियों का व्ययवर्तन करते हुए किया गया।

1.2.7.4 गैर सरकारी संगठनों को मानकों से अधिक अनुदान

रा ग्रा स्वा मि गतिविधियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार, राज्य एवं जनपद स्तर पर अनुमोदित वार्षिक स्वास्थ्य कार्य योजना के अनुसार स्वास्थ्य गतिविधियों जैसे सचल चिकित्सा वाहनों (स चि वा) के संचालन, जनपद आशा संसाधन केन्द्र इत्यादि हेतु गैर सरकारी संगठनों को कुल उपलब्ध धनराशि का पाँच प्रतिशत निर्गत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा ग्रा स्वा मि के दिशानिर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को ₹ 34.16 करोड़ की धनराशि निर्धारित मानको से अधिक निर्गत की गयी। अनुदान तीन से सात प्रतिशत (₹ 4.58 से ₹ 8.14 करोड़) तक अधिक जारी किया गया था। यहाँ तक कि, गैर सरकारी संगठनों के पास वर्ष 2012-13 के लिए कुल अवमुक्त निधि ₹ 17.97 करोड़ में से 21 प्रतिशत (₹ 3.82 करोड़) तक अव्ययित पड़ा रहा।

इस ओर इंगित किये जाने पर मिशन निदेशक ने (अगस्त 2013) उत्तर दिया कि गै स सं को अनुमोदित रा का का यो के अनुसार अनुदान निर्गत किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रा का का यो में गै स सं को निर्धारित मानदण्डों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया गया था।

1.2.7.5 अनटाइड निधि से अमान्य व्यय

नमूना चयनित सा स्वा के/प्रा स्वा के के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सा स्वा के/प्रा स्वा के वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल अवमुक्त अनटाइड निधि की धनराशि ₹ 32.64 लाख से ₹ 25.98 लाख (80 प्रतिशत) की धनराशि का व्यय अमान्य मदों पर जैसे कार्यालय के लेखन सामग्री एवं उपकरण की खरीद, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मचारियों की सम्बद्धता, मानदेय/प्रोत्साहन/किसी प्रकार के मजदूरी का भुगतान, दवाओं की खरीद, उपभोग्य वस्तुओं एवं फर्नीचर, अखबार/जर्नल/पत्रिका में विज्ञापन के लिए भुगतान आदि पर किया गया। इस ओर इंगित किये जाने पर मिशन निदेशक ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि सा स्वा के तथा प्रा स्वा के को अनटाइड निधि से केवल स्वीकार्य मदों पर व्यय किये जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाएंगे।

1.2.8 स्वास्थ्य संकेतक एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत शिशु मृत्यु दर (शि मृ द), मातृ मृत्यु दर (मा मृ द), कुल प्रजनन दर (कु प्र द), रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न स्थानिक रोगों के रोगमुक्ति दर

⁷ पौड़ी-₹ 12.45 करोड़, चमोली-₹ 4.53 करोड़, अल्मोडा-₹ 3.11 करोड़, हरिद्वार-₹ 1.80 करोड़, उधम सिंह नगर-₹ 1.42 करोड़, नैनीताल-₹ 1.80 करोड़, टिहरी-₹ 3.83 करोड़, उत्तरकाशी-₹ 1.14 करोड़ एवं बागेश्वर-₹ 0.36 करोड़।

को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किये। राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यक्रम वार उपलब्धि स्तर की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी है:

1.2.8.1 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (प्र एवं बा स्वा का) रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य मा मृ द, शि मृ द एवं कु प्र द को कम करने और जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन आदि को बढ़ावा देना है। नमूना चयनित जनपदों सहित राज्य में मा मृ द, शि मृ द, एवं कु प्र द के निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि को नीचे तालिका 1.2.2 में दिखाया गया है।

तालिका-1.2.2

मा मृ द, शि मृ द, कु प्र द के लक्ष्यों की प्राप्ति

विवरण	2012 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य						
		देश	राज्य	चयनित जनपद				
				पौड़ी	चमोली	अल्मोडा	हरिद्वार	उधमसिंहनगर
शि मृ द	30/1000 जीवित जन्म	50	43 (वा स्वा स 2011)	43 (वा स्वा स 2011)	27 (वा स्वा स 2011)	20 (वा स्वा स 2011)	72 (वा स्वा स 2011)	37 (वा स्वा स 2011)
मा मृ द ⁸	100/100000 जीवित जन्म	212	162 (वा स्वा स 2012)	155 (वा स्वा स 2012)	155 (वा स्वा स 2012)	181 (वा स्वा स 2012)	155 (वा स्वा स 2012)	181 (वा स्वा स 2012)
कु प्र द	2.1	2.7	2.3 (वा स्वा स 2011)	2.4 (वा स्वा स 2011)	2.0 (वा स्वा स 2011)	2.0 (वा स्वा स 2011)	3.1 (वा स्वा स 2011)	2.4 (वा स्वा स 2011)

स्रोत: भारत सरकार द्वारा किये गये वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011 एवं 2012

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर की तुलना में शि मृ द, मा मृ द एवं कु प्र द के सन्दर्भ में राज्य के संकेतक बेहतर है, फिर भी राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना अभी बाकी है। नमूना चयनित जनपदों में, हरिद्वार जनपद में शि मृ द एवं कु प्र द के आँकड़े और अल्मोडा एवं उधम सिंह नगर में मा मृ द के आँकड़े निर्धारित लक्ष्यों से काफी दूर है।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्य को स्वीकारते हुए (अगस्त 2013) उत्तर दिया कि हरिद्वार और पौड़ी जनपदों को उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में रखा गया है और राज्य इन जनपदों में सुधार के लिए और अधिक प्रयास कर रहा है।

1.2.8.2 जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन

जननी सुरक्षा योजना (ज सु यो), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। नमूना चयनित जनपदों के साथ ही रा स्वा स के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयीं:

(i) गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल

सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के लिए, समस्त पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को कम से कम तीन प्रसव पूर्व देखभाल (ए एन सी) जाँच, आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) की 100 दिनों की खुराक और टिटनेस टाक्सोइड (टीटी) की दो खुराक प्रदान की जानी थी। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं को एएनसी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जाँच पर आईएफए टेबलेट के वितरण⁹ को जोड़ा गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रदान की गयी एएनसी का विवरण तालिका 1.2.3 में दर्शाया गया है:

⁸ राज्य स्तर के सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में राज्य द्वारा भारत सरकार द्वारा किये गये वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का अनुसरण किया गया। तालिका-2 में उल्लिखित मा मृ द के आँकड़े गढ़वाल (चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी) तथा कुमायूँ (अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर) मण्डलों से सम्बन्धित है। क्योंकि जनपदवार आँकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

⁹ प्रथम एएनसी-30 आईएफए टेबलेट, द्वितीय एएनसी-30 आईएफए टेबलेट एवं तृतीय एएनसी-40 आईएफए टेबलेट।

तालिका-1.2.3

पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करायी गयी ए एन सी का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पंजीकृत गर्भवती महिला	2,43,301	2,26,481	2,03,131	2,24,167	1,95,699
प्रदान की गयी तीन ए एन सी	1,78,273 (73%)	1,70,389 (75%)	1,52,838 (75%)	1,67,585 (75%)	1,39,410 (71%)
प्रदान की गयी टीटी की दो खुराक	2,09,578 (86%)	1,94,789 (86%)	1,79,278 (88%)	1,89,984 (85%)	1,58,528 (81%)
प्रदान की गयी आई एफ ए की 100 दिनों की खुराक	69,158 (28%)	2,05,734 (91%)	179,231 (88%)	1,01,732 (45%)	1,08,985 (56%)

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से निकाली गयी सूचना

इस प्रकार, गर्भवती महिलाओं को तीन एएनसी प्रदान करने में 29 प्रतिशत तक की कमी थी। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान टिटनेस टाक्सोइड (टी टी) की दो खुराक के वितरण में 19 प्रतिशत तक की कमी थी जबकि आई एफ ए टैबलेट प्रदान करने में 72 प्रतिशत तक की कमी पायी गयी।

रा स्वा स द्वारा उपलब्ध कराये गये एएनसी ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि तीन एएनसी प्रदान की गयी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या की तुलना में 100 आई एफ ए टैबलेट प्रदान की गयी महिलाओं की संख्या में व्यापक स्तर पर विसंगतियाँ पायी गयी। वर्ष 2008-09, 2011-12 एवं 2012-13 में 71 से 75 प्रतिशत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को तीन एएनसी प्रदान की गयी जबकि आई एफ ए टैबलेट केवल 28 से 56 प्रतिशत महिलाओं को ही प्रदान किया गया। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 88 से 91 प्रतिशत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 100 आई एफ ए टैबलेट प्रदान किया गया जबकि केवल 75 प्रतिशत महिलाओं को ही तीन एएनसी प्रदान किया गया। ऑकड़ों के दो सेट के बीच अन्तर अर्थात् तीन एएनसी से सम्बन्धित ऑकड़ें एवं पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रदान सौ आई एफ ए टैबलेट सम्बन्धी ऑकड़ों के गलत सूचना प्रेषण की ओर संकेत करता है जैसाकि ए एन सी के दौरान आवश्यक आई एफ ए खुराक का वितरण किया गया। उत्तर में, अपर निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि सभी गर्भवती महिलाओं को आई एफ ए टैबलेट उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

(ii) संस्थागत प्रसव

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम के अन्तर्गत ज सु यो योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मा मृ द और शि मृ द को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। राज्य में वर्ष 2009-13 के दौरान कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष हुये संस्थागत प्रसवों का विवरण नीचे तालिका 1.2.4 में दिया गया है:

तालिका - 1.2.4

संस्थागत प्रसवों का विवरण

वर्ष	कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	प्रसवों की संख्या	
		संस्थागत प्रसव	घरेलू प्रसव
2008-09	2,43,301	71,285 (29%)	उपलब्ध नहीं
2009-10	2,26,481	74,731 (33%)	4,729 (2%)
2010-11	2,03,131	75,625 (37%)	4,543 (2%)
2011-12	2,24,167	80,562 (36%)	7,375 (3%)
2012-13	1,95,699	83,797 (43%)	5,564 (3%)
कुल योग	10,92,779	3,86,000 (35%)	22,211 (2%)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

राज्य में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल 10.93 लाख पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष केवल संस्थागत प्रसव के 3.86 लाख (35 प्रतिशत) एवं घरेलू प्रसव के 0.22 लाख (दो प्रतिशत) के ऑकड़े विभाग के पास उपलब्ध थे। राज्य में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष संस्थागत प्रसव 29 से 43 प्रतिशत तक थे। नमूना परीक्षित जनपदों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संस्थागत प्रसवों में हरिद्वार में 86 प्रतिशत, पौड़ी में 63 प्रतिशत, चमोली में 74 प्रतिशत, अल्मोडा में 58 प्रतिशत एवं उधम सिंह नगर में 71 प्रतिशत तक की कमी थी (परिशिष्ट-1.2.2)। रा स्वा स एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकारी के पास शेष 6.85 लाख पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के प्रसव की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान रा स्वा स द्वारा घरेलू प्रसव से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी सूचना (तालिका 1.2.4) और नमूना चयनित जि स्वा स द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (परिशिष्ट-1.2.2) की तुलना करने पर यह पाया गया कि घरेलू प्रसव की संख्या में 1.31 लाख का अन्तर था जैसा कि नमूना चयनित जनपदों ने 1.53 लाख दिखाया तथा रा स्वा स ने 0.22 लाख दर्शाया। घरेलू प्रसव के आँकड़ों में भारी अंतर को देखने और मिलान की आवश्यकता है।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर (अगस्त 2013) दिया कि संस्थागत प्रसव में बढोत्तरी हुई है किन्तु इसमें ओर सुधार किया जाएगा। आगे यह भी आश्वासन दिया गया कि कार्यशील प्रसव केन्द्रों की पहचान कर उन्हें सुदृढ किया जा रहा था ओर संस्थागत प्रसवों को प्रोत्साहित करने हेतु सू शि सं प्रक्रियाधीन है।

(iii) ज सु यो लाभार्थियों को नकद सहायता

ज सु यो दिशा-निर्देशों के अनुसार, ज सु यो कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरे जाने चाहिए एवं पूर्ण ज सु यो कार्ड प्रसव की सम्भावित तिथि से दो सप्ताह पूर्व अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रस्तुत करना चाहिए। प्रसवोपरान्त व्यय हेतु ₹ 1,400 की नकद धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एवं ₹ 1,000 धनराशि शहरी क्षेत्रों हेतु ग्राह्य होगी जिसका भुगतान प्रसव के समय किया जाएगा। आगे, ऐसे सभी भुगतान जो लाभार्थियों को प्रसव की तिथि से सात दिन के पश्चात किये गये हो, अवैध माने जाएंगे।

पांच नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 31.33 करोड़ की धनराशि ज सु यो लाभार्थियों को दिशा निर्देशों का पालन किये बिना भुगतान किया गया, जैसा कि, सभी प्रकरणों में ज सु यो कार्ड जो प्रसव या उसके बाद की तिथि भरे गये थे, सूक्ष्म जन्म योजना किसी भी लाभार्थी के लिए नहीं बनाया गया; ओर लाभार्थियों से पहचान पत्र नहीं प्राप्त किये गये थे। आगे, उपरोक्त पांच जनपदों के चयनित सा स्वा के एवं प्रा स्वा के पर, कुल 60,758 लाभार्थियों में से 22,873 लाभार्थियों (38 प्रतिशत) को धनराशि ₹ 2.98 करोड़ का भुगतान प्रसव के सात या उससे अधिक दिनों के उपरान्त किया गया ओर विलम्ब 20 माह तक का रहा। अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित ज सु यो कार्ड जो लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक थे एवं लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से मुक्त होने के समय नकद सहायता प्राप्त करने में सहायक होते, का आशा/ए एन एम द्वारा समय से न भरा जाना भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण था।

इस ओर इंगित किये जाने पर मिशन निदेशक ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि जनपदों से दिशा निर्देशों का पालन न किये जाने के औचित्य के सम्बन्ध में पूछा जाएगा।

1.2.8.3 परिवार नियोजन

परिवार नियोजन में कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए टर्मिनल विधि और दम्पति संरक्षण अनुपात को बढावा देने के लिए अन्तराल विधि शामिल है।

(i) टर्मिनल विधि

परिवार नियोजन की टर्मिनल विधि में पुरुषों के लिए नसबन्दी ओर महिलाओं के बन्ध्याकरण/लेप्रोस्कोपी शामिल है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बन्ध्याकरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में 23 से 43 प्रतिशत तक की कमी थी। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पुरुष नसबन्दी कुल बन्ध्याकरण का केवल सात प्रतिशत थी।

(ii) अन्तराल विधि

उत्पादकता नियमित करने एवं दम्पति संरक्षण अनुपात बढाने के लिए मुखीय गोली, काण्डोम एवं इन्ट्रा यूटीराइन डिवाइस (आईयूडी) प्रविष्टि परिवार नियोजन की तीन प्रचलित अंतराल विधियों है। मुखीय गोली, आईयूडी प्रविष्टि एवं काण्डोम वितरण के लक्ष्य क्रमशः पचास, 21 एवं 42 प्रतिशत तक अप्राप्त रहे।

लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण मानव संसाधन, सेवा प्रदाताओं की कमी एवं पहुँच हेतु अनुचित मार्ग संयोजकता थे। इस ओर इंगित किये जाने पर, संयुक्त निदेशक ने कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जागरूकता बढाई जाएगी।

1.2.8.4 संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का मुख्य उद्देश्य कम से कम 70 प्रतिशत नये स्मीयर पोजिटिव प्रकरणों का पता लगाना और इस तरह के मामलों में से डायरेक्ट आबसवर्ड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स (डाट्स) के माध्यम से कम से कम 85 प्रतिशत उपचार दर सुनिश्चित करना था।

रा गा स्वा मि के अन्तर्गत, सा स्वा के एवं प्रा स्वा के पर पूर्ण रूप से क्षयरोग का पता लगाने एवं उपचार हेतु सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना था। राज्य में 59 सा स्वा के एवं 254 प्रा स्वा के में से, 53 सा स्वा के (90 प्रतिशत) एवं 54 प्रा स्वा के (21 प्रतिशत) पर डाट्स योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला सुविधा प्रदान की जा रही थी। राज्य स्तर पर, प्रति लाख प्रति वर्ष अनुमानित 95 बलगम सकारात्मक मामलों में से 70 प्रतिशत का पता लगाने के लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान पता लगाने की दर केवल 57 से 59 प्रतिशत थी। वर्ष 2008-12 के मध्य उपचार दर 80 से 83 प्रतिशत के बीच बना रहा। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि राज्य में चिकित्सक एवं प्रयोगशाला विशेषज्ञ की काफी कमी है जिसके कारण माइक्रोस्कोपी केन्द्रों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

1.2.8.5 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (रा वे ज रो नि का) का उद्देश्य सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों में मृत्युदर एवं रुग्णता को कम करके वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, काला अजार, डेंगू एवं जापानी इंसिफेलाइटिस पर नियंत्रण करना था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य में डेंगू के कारण 26 मृत्यु हुईं; उनमें से 13 प्रकरण अकेले देहरादून जनपद से सम्बन्धित थे जबकि राज्य में एक मृत्यु मलेरिया के कारण हुई।

आगे, रा वे ज रो नि का ने निगरानी के अन्तर्गत लक्षित जनसंख्या का 10 प्रतिशत वार्षिक रक्त परीक्षण दर (वा र प द) प्राप्त करना निर्धारित किया। जाँच हेतु वांछित लैब टेकनिशियन और बहुदेशीय कर्मियों की कमी के कारण राज्य में वा र प द की लक्ष्य प्राप्ति दर काफी कम थी और वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रमशः 2.52, 2.20, 2.24, 2.43 एवं 2.64 पर स्थिर रही।

1.2.8.6 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम

राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों जैसे मोतियाबिन्द शल्यक्रिया, रिफ्रेक्टिव एरर पाये गये बच्चों के लिए निःशुल्क चशमों का वितरण, स्कूल नेत्र परीक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से अन्धता मामलों के प्रसार को कम करना था।

(i) मोतियाबिन्द शल्यक्रियाएँ

राज्य ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मोतियाबिन्द शल्यक्रिया के निर्धारित लक्ष्य का 92 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्राप्त किया। मोतियाबिन्द शल्यक्रिया राजकीय चिकित्सालयों, गै स सं एवं निजी चिकित्सकों द्वारा समान रूप से बराबर-बराबर किया जाना था, परन्तु यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान राजकीय चिकित्सालयों द्वारा केवल 27 से 30 प्रतिशत मोतियाबिन्द शल्यक्रिया की गयी जबकि गै स सं एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा उक्त अवधि में 70 से 73 प्रतिशत मोतियाबिन्द शल्यक्रिया की गयी। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि राजकीय चिकित्सालय में नेत्र शल्य चिकित्सकों की अपर्याप्त पदस्थापना के कारण, कम शल्यक्रियाएँ की गयी।

(ii) निःशुल्क चशमों का वितरण

कार्यक्रम में छात्रों को रिफ्रेक्टिव एरर की जाँच और रिफ्रेक्टिव एरर पाये जाने वाले गरीब छात्रों को निःशुल्क चशमों का वितरण परिकल्पित था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रिफ्रेक्टिव एरर पाये गये कुल 31,314 छात्रों में 71 प्रतिशत छात्रों को छोड़ते हुए केवल 9,070 छात्रों को चशमों का वितरण किया गया। जबकि नमूना परीक्षित जनपदों में, उक्त अवधि के दौरान 44 से 80 प्रतिशत पात्र छात्र निः शुल्क चशमों से वंचित रहे।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने, तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2013) कि निःशुल्क चशमों के वितरण के लिए लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये थे तथा गरीब छात्रों को वरीयता दी गयी।

1.2.8.7 राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (रा कु नि का) का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना था। इसका उद्देश्य प्रति दस हजार में एक से कम तक कुष्ठ रोग प्रसार दर को भी सुनिश्चित करना था। राज्य में कुष्ठ रोग प्रसार दर वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः 0.45, 0.38, 0.30, 0.28 एवं 0.25 थी जो निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत थी।

1.2.9 औषधियों, उपकरणों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति

राज्य में सभी अधिप्राप्तियाँ, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 से शासित हैं, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के विस्तृत प्रावधान उल्लिखित किये गये हैं। राज्य में रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत आच्छादित अवधि के दौरान ₹ 19.47 करोड़, ₹ 16.39 करोड़ और ₹ 67.50 करोड़ क्रमशः औषधियों, उपकरणों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति पर व्यय हुए। वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति में पायी गयी प्रमुख अनियमितताओं की निम्नलिखित प्रस्तारों में चर्चा की गयी है:

1.2.9.1 अत्यधिक अधिप्राप्ति तथा औषधि किटों का कालातीत होना

भारत सरकार ने रा ग्रा स्वा मि योजना में आर सी एच-II के अन्तर्गत चिन्हित औषधियों, किटों एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु ₹ 11.40 करोड़ की धनराशि (अप्रैल 2008) रा स्वा स को अवमुक्त की। पाँच केन्द्रीय लोक क्षेत्रीय संस्थानों¹⁰ से प्राप्त दरों के आधार पर, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (म नि चि स्वा एवं प क) ने क्रमशः ₹ 32,105, ₹ 3,822 और ₹ 3,007 की दर पर किट-ए (2,500 किट), किट-बी (2,050 किट) तथा आशा किट (10,000 किट) की आपूर्ति हेतु हिन्दुस्तान एन्टी बायोटेक्स लिमिटेड (एच ए एल) को आपूर्ति आदेश जारी (दिसम्बर 2008) किया, तथापि, किसी निविदा प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। सभी 13 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं संयुक्त निदेशक (आर सी एच) म नि चि स्वा एवं प क देहरादून को परेषिती (कनसाइनी) बनाया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 726 किट-ए एवं 276 किट-बी के लिए संयुक्त निदेशक (आर सी एच) म नि चि स्वा एवं प क, देहरादून को परेषिती (कनसाइनी) बनाया गया था परन्तु, ड्रगवेयर हाउस देहरादून में स्थान की अनुपलब्धता के कारण इन किटों की आपूर्ति ड्रगवेयर हाउस रुडकी में (फरवरी 2009) की गयी। इसमें से, 364 किट-ए तथा 146 किट-बी तीन मु चि अधि¹¹ को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष ₹ 1.21 करोड़ लागत की 362 किट-ए तथा 130 किट-बी ड्रग वेयर हाउस, रुडकी में कालातीत हो गयी।

आगे, यह पाया गया कि भारत सरकार ने किट-ए की सामग्री एवं मात्रा अनुमोदित की जिसमें ओ आर एस 300 पैकेटस, बड़ी आई एफ ए टेबलेट 15,000 एवं आई एफ ए सीरप की 400 बोतल सम्मिलित थीं, किन्तु विभाग ने बढ़ाकर (दिसम्बर 2008) ओ आर एस, बड़ी आई एफ ए टेबलेट एवं आई एफ ए सीरप की मात्रा क्रमशः 300 से 1,000, 15,000 से 20,000 एवं 400 से 1,000 कर दी। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि अत्यधिक आपूर्ति के कारण नौ नमूना चयनित उपकेन्द्रों पर बड़ी आई एफ ए की 1,00,150 टेबलेट कालातीत अवधि के बाद की पायी गयीं।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) एवं कहा कि मु चि अधि से मांग पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे एवं किट-ए की सामग्रियां राज्य स्तर पर बिना भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये बढ़ायी गयी थीं। इस प्रकार, औषधि की आवश्यकता के निर्धारण में कमी एवं क्रय की गयी औषधि किटों के उपयोग में उपेक्षा के कारण न केवल ₹ 1.21 करोड़ मूल्य की औषधियां कालातीत हो गयी बल्कि जरूरत मंद लोग उन औषधियों से वंचित रहे।

1.2.9.2 उपकरणों का अनुपयोगित रहना

नमूना चयनित जि चि/सा स्वा के/प्रा स्वा के के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ₹ 2.18 करोड़ मूल्य के 142 चिकित्सकीय उपकरण जैसे एक्सरे मशीन, बेबी वार्मर, बॉयल उपकरण, रेडियन्ट हीट वार्मर, आटो क्लेव इत्यादि मार्च 2006 से जुलाई 2012 की अवधि से स्थापना/प्राविधिक/यंत्रचालकों के अभाव में निष्क्रिय पड़े हुए थे।

¹⁰ 1. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 2. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटेक्स लिमिटेड, 3. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 4. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एवं 5. कर्नाटका एण्टीबायोटेक एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

¹¹ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पौड़ी।

यह इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को आपूर्तित उपकरणों का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

1.2.9.3 पंडित दीन दयाल उपाध्याय आरोग्य रथ का संचालन (दी द उ आ र)

रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय आरोग्य रथ (दी द उ आ र) की शुरुआत राज्य के प्रत्येक जिले को एक चिकित्सा वाहन प्रदान करके की गई थी। इसके अतिरिक्त, इसी उद्देश्य से टिहरी तथा चमोली जनपदों में रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत सेहत की सवारी भी प्रारंभ की गई थी। आरोग्य रथ के परिचालन हेतु सोसाईटी ऑफ पीपल फॉर डेवलपमेन्ट (एस पी डी) से पाँच जनपदों¹² के लिये, मै. राजभा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (आर एम पी एल) से सात जनपदों¹³ के लिए तथा मै. जी वी के-108 के साथ पिथौरागढ़ जनपद के लिये समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) किया गया। सेहत की सवारी के परिचालन के लिये हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एच एल एफ पी पी टी) के साथ स ज्ञा किया गया। स ज्ञा के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रचालक को माह में कम से कम 22 दिन वाहन को पूर्व निर्धारित मार्ग योजना के अनुसार परिचालित करना था, जिसका उल्लंघन करने पर भुगतान के समय अर्थदण्ड¹⁴ अधिरोपित किया जाना था।

रा स्वा स के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन निजी साझेदारों को जून 2011 से मई 2012 तथा अगस्त 2012 से जुलाई 2013 के मध्य राज्य में कुल 3,848 तथा 3,938 शिविर क्रमशः आयोजित करने थे, किन्तु केवल 3,357 तथा 2,631 शिविर¹⁵ आयोजित किये गये। स ज्ञा के प्रावधानों के अनुसार कम संख्या में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के कारण ₹ 1.08 करोड़ की राशि परिनिर्धारित क्षति के रूप में सेवा प्रदाताओं से वसूल की जानी थी लेकिन केवल ₹ 1.58 लाख और ₹ 1.32 लाख आर एम पी एल से टिहरी में और उधमसिंह नगर में क्रमशः कटौती की गई। इस प्रकार ₹ 1.05 करोड़¹⁶ की राशि इन सेवा प्रदाताओं से वसूली हेतु बकाया थी। यह इंगित किये जाने पर अपर निदेशक (आर सी एच) ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि बकाया राशि की वसूली सेवा प्रदाताओं से की जायेगी।

1.2.9.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के लिये सेवा प्रदाता का मनमाना चयन

उत्तराखण्ड सरकार ने 108-आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा (आ प्र से) राज्य में प्रारंभ (मार्च 2008) की। इस उद्देश्य हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार और आपातकालीन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आ प्र अ सं) सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश के मध्य स ज्ञा हस्ताक्षरित (मार्च 2008) किया गया। आ प्र अ सं को राज्य की समस्त जनसंख्या को दस वर्ष के लिये चिकित्सा, पुलिस और अग्निकांड के संदर्भ में आ प्र से प्रदान करनी थी। इसी प्रकार, एक अन्य सामानांतर स ज्ञा, आ प्र अ सं के साथ (अक्टूबर 2011) एक वर्ष के लिये हस्ताक्षरित किया गया जो कि शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत/उपचार पा रही, माताओं एवं नवजात शिशुओं (30 दिन से कम आयु के) को ड्राप बैक सुविधा प्रदान करने के लिये थी जो कि आगे एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना था। आगे, इस अनुबंध की वैधता को पूर्ववर्ती आ प्र से दे रही आ प्र अ सं के साथ हुए राज्य सरकार के स ज्ञा दिनांक 08 मार्च 2008 के साथ जोड़ दिया (सितम्बर 2012) गया। 108-आ प्र से राज्य सरकार और रा ग्रा स्वा मि बजट से वित्त पोषित थी, जबकि डी वी एफ, रा ग्रा स्वा मि से वित्त पोषित थी। दोनों ही कार्य नामांकन आधार पर अर्थात् निविदा प्रक्रिया को अपनाये बिना आ प्र अ सं को सौंपे गये। यह इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि सेवा प्रदाता का चयन शासन स्तर पर किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा सेवा प्रदाता से उसको सौंपी गयी ₹ 20.08 करोड़ मूल्य की सम्पत्तियों (वाहन एवं अन्य परिसम्पत्तियों) के सापेक्ष कोई बैंक प्रत्याभूति एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया जैसा कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों में अपेक्षित था। उपरोक्त के अतिरिक्त, आ प्र से के अनुबंध प्रबंधन में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:

¹² देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर एवं चम्पावत।

¹³ अल्मोडा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी।

¹⁴ शिविर आयोजित नहीं करने पर ₹ 6,000 प्रति दिन की दर से, एमबीबीएस चिकित्सक की अनुपस्थिति पर ₹ 2,000 प्रतिदिन की दर से एवं प्रत्येक पैराचिकित्सा कार्मिक की अनुपस्थिति पर ₹ 500 प्रतिदिन की दर से।

¹⁵ एस पी डी-2,303 शिविर, आर एम पी एल-2,384 शिविर, जी वी के 108-420 शिविर तथा एच एल एफ पी पी टी-881 शिविर।

¹⁶ एस पी डी - ₹ 20.22 लाख, आर एम पी एल - ₹ 73.18 लाख, जी वी के - ₹ 6.48 लाख तथा एच एल एफ पी पी टी - ₹ 5.10 लाख।

(अ) परिचालन लागत की वसूली न हो पाना

आ प्र अ सं के साथ किये गये स ज की धारा 7 (स) (i) के अनुसार फर्म को आ प्र से के वार्षिक परिचालन व्यय का पाँच प्रतिशत वहन करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में आ प्र अ सं का परिचालन व्यय ₹ 73.84 करोड़ था, जिसके सापेक्ष आ प्र अ सं को ₹ 99.74 करोड़ की अनुदान सहायता अग्रिम के रूप में दी गई थी। आगे, आ प्र अ सं को पाँच प्रतिशत वार्षिक परिचालन व्यय के रूप में ₹ 3.69 करोड़ वहन करने थे, जिसके सापेक्ष उसके द्वारा वर्ष 2008-09 में केवल ₹ 0.49 करोड़ की राशि वहन की गई, इस प्रकार लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2013) तक ₹ 3.20 करोड़ की राशि असमायोजित थी। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि स ज की निबन्धन एवं शर्तों में पुनरीक्षण हेतु शासन को पत्र भेजा गया था एवं स ज में पुनरीक्षण शासन स्तर पर होना था। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग अनुबंध शर्त के अनुसार आ प्र अ सं से बकाया राशि वसूल करने में असफल रहा और आ प्र अ सं को ₹ 3.20 करोड़ का अनुचित लाभ भी दिया गया।

(ब) सेवा प्रदाता को अनुचित भुगतान

जैसा कि उपरोक्त में चर्चा की गई है, विभाग ने आ प्र अ सं के साथ दो अलग स ज निष्पादित किये, एक चिकित्सा, अग्निकाण्ड तथा पुलिस के सन्दर्भ में आकस्मिक प्रतिक्रिया सेवाएं (आ प्र से) प्रदान करने के लिये, और दूसरा माताओं एवं नवजात शिशुओं को ड्राप बैंक सुविधा (ड्रा बै स) प्रदान करने के लिये। स ज के अनुसार, दोनों ही अनुबंधों में केवल वास्तविक परिचालन लागत पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति सहित, सेवा प्रदाता को की जानी थी। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 में ₹ 7.95 करोड़ का अलग से भुगतान ₹ 1,000 की दर से 79,505 गर्भवती माताओं को उनके घरों से लाने और स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव हेतु छोड़ने हेतु आ प्र अ सं को किया गया जबकि यह प्रकरण आ प्र से में आच्छादित थे। यह स ज के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन था क्योंकि दोनों स ज में ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

यह इंगित करने पर, अपर निदेशक (आर सी एच) ने यह तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि गर्भवती महिलाओं को लाना आ प्र से का भाग था और स ज में ₹ 1,000 प्रति प्रकरण की दर से भुगतान करने का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, तथ्यों को देखते हुए, आ प्र अ सं को ₹ 7.95 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया।

1.2.10 स्वास्थ्य संरचना

रा गा स्वा मि के अधिदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु नई संरचना/भवनों का निर्माण तथा भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (भा लो स्वा मा) के अनुसार विद्यमान केन्द्रों, स्वास्थ्य सेवा तंत्र की सुगमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य सम्मिलित है। कार्यक्रम के मानकों के अनुसार, पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड के लिए 3,000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र, 20,000 की जनसंख्या के लिए एक प्रा स्वा के तथा 80,000 की जनसंख्या के लिए एक सा स्वा के होना चाहिए। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, 88 सा स्वा के, 351 प्रा स्वा के और 2,343 उपकेन्द्र होने चाहिए जिसके विरुद्ध राज्य में 31 मार्च 2013 तक मात्र 59 सा स्वा के, 254 प्रा स्वा के तथा 1848 उपकेन्द्र स्थापित किये गये। संरचना सुविधाओं में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी है:

1.2.10.1 स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य संरचना

भा लो स्वा मा के मानकों के अनुसार मूलभूत सुविधायें जैसे विद्युत संयोजन, पुरुष एवं महिला मरीजों हेतु अलग वार्ड, पुरुषों एवं महिलाओं हेतु पृथक प्रसाधन कक्ष, मरीजों हेतु प्रतीक्षालय, जलापूर्ति प्रबन्ध एवं जल संग्रहण प्रबन्ध स्वास्थ्य केन्द्रों के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होने चाहिये। नमूना चयनित सा स्वा के, प्रा स्वा के तथा उ के के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में, 38 प्रतिशत उ के और 10 प्रतिशत प्रा स्वा के में जल आपूर्ति हेतु प्रावधान नहीं था, 73 प्रतिशत उ के और 20 प्रतिशत प्रा स्वा के में 24x7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल भण्डारण की सुविधा नहीं थी और 50 प्रतिशत उ के में विद्युत संयोजन नहीं था। सा स्वा के तथा प्रा स्वा के में 24x7 आकस्मिक सुविधायें प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा उसके समीप आवासीय सुविधायें होना आवश्यक है। यह देखा गया कि 30 प्रतिशत प्रा स्वा के में आवासीय सुविधायें नहीं थी।

यह इंगित किये जाने पर विभाग ने आश्वस्त किया (अगस्त 2013) कि इन मुद्दों पर मु चि अ के साथ मासिक बैठकों में चर्चा की जायेगी और राज्य के प्राधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जनपदों के उ के, प्रा स्वा के तथा सा स्वा के में उक्त सुविधाओं की उपलब्धता का व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण करेंगे।

1.2.10.2 निदानसूचक सेवायें

मिशन द्वारा प्रा स्वा के एवं सा स्वा के में आवश्यक प्रयोगशाला सेवायें प्रावधानित हैं। प्रा स्वा के पर इन सुविधाओं में नियमित मूत्र, मल एवं रक्त परीक्षण के लिये प्रयोगशाला सेवायें, रक्त समूहीकरण, ब्लीडिंग अवधि, थक्काकरण अवधि, यौन संचारित रोगों का परीक्षण, क्षय रोग के लिए बलगम परीक्षण, मलेरिया परजीवी जांच के लिये रक्त स्मीयर परीक्षण और गर्भावस्था/मलेरिया के तीव्र गति परीक्षण शामिल होनी चाहिए। दस लेखा परीक्षित प्रा स्वा के में से 06 प्रा स्वा के¹⁷ (60 प्रतिशत) में प्रयोगशाला सेवाओं की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सा स्वा के में अतिरिक्त प्रयोगशाला सेवाओं जैसे क्षयरोग के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र परीक्षण सुविधायें, मलेरिया, डेंगू, कुष्ठ रोग इत्यादि के जटिल मामलों में निदानसूचक सेवाओं का होना आवश्यक है। दस लेखा परीक्षित सा स्वा के में से, केवल एक सामु स्वा के द्वाराहाट, अल्मोड़ा में पु रा क्ष नि का तथा अन्य सुविधायें नहीं थी। यह इंगित किये जाने पर, अपर निदेशक ने कहा कि चिकित्सकों एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों की कमी के कारण यह सुविधायें उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, इन सेवाओं की अनुपस्थिति में नियमित चिकित्सकीय परीक्षण जैसे- मूत्र, मल एवं रक्त जांच इत्यादि नहीं किये जा रहे थे।

1.2.10.3 शल्य कक्ष

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा स्वा के), जो द्वितीय स्तरीय स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या के लिये परामर्श के साथ-साथ विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये थे। भा लो स्वा मा के मानकों के अनुसार सा स्वा के पर शल्य कक्ष को पूर्णतया कार्यशील रखने के लिये 14 मुख्य उपकरण होने चाहिए। सा स्वा के के भौतिक निरीक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 परीक्षित सा स्वा के में से चार सा स्वा के में शल्य कक्ष नहीं थे, जबकि छह सा स्वा के (थराली, भिकियासेन, घण्डियाल, भगवानपुर, किच्छा तथा बाजपुर) में कार्यशील शल्य कक्ष थे किन्तु वह अपर्याप्त आवश्यक उपकरणों के साथ चल रहे थे। छः कार्यशील शल्य कक्षों में वैन्टीलेटर, ई एम ओ मशीन और डैफ़ीब्रिलेटर उपलब्ध नहीं थे। एक सा स्वा के में बाँयल उपकरण और दो सा स्वा के में वर्टिकल हाई प्रेशर स्टरलाइजर थे, किन्तु वो अकार्यशील थे।

यह पूछे जाने पर, नमूना परीक्षित जनपदों के मु चि अ ने कहा कि निश्चितकों तथा शल्यचिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण बड़े आपरेशन नहीं किये जा रहे थे।

1.2.10.4 सुविधाओं का निर्माण

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान, 70 कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 27.67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आयोजित 70 निर्माण कार्यों में से, ₹ 21.01 करोड़ की लागत से 60 कार्य पूर्ण कर लिए गये एवं शेष 10 कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

चयनित सामु स्वा केन्द्रों/प्राथ स्वा केन्द्रों/5 केन्द्रों पर निर्मित भवनों के भौतिक सर्वेक्षण से यह उद्धटित हुआ कि ₹ 2.03 करोड़ की लागत से निर्मित निम्नलिखित दो भवन अनुपयोगी पड़े थे:

(i) चमोली जनपद में ए एन एम प्रशिक्षण केन्द्र (ए एन एम प्र के) का भवन निर्माण ₹ 1.95 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया (मई 2011) एवं विभाग को हस्तगत (जुलाई 2011) किया गया। भवन इसके निर्माण के पूर्ण होने के दो वर्ष से अधिक से अनुपयोगी पड़ा हुआ था। आगे यह भी देखा गया कि सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (सा न प्र के) का पुराना भवन, जो कि अच्छी स्थिति में था, भी वर्ष 1990 से अनुपयोगी पड़ा हुआ था।

(ii) भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2013) में लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया गया कि उपकेन्द्र खंजरपुर (हरिद्वार) का भवन जो ₹ 8.40 लाख की लागत से निर्मित हुआ एवं विभाग को हस्तगत होने के उपरान्त (मार्च 2012), अनुपयोगी पड़ा था एवं उ के एक निजी आवास से चल रहा था।

इस ओर इंगित करने पर, विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि प्रकरण की जांच करवायी जायेगी एवं ए एन एम प्र के के शीघ्र संचालन के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपकेन्द्र खंजरपुर के अक्रियाशील होने के सम्बन्ध में मु चि अधि हरिद्वार द्वारा यह आश्वासन दिया गया (जुलाई 2013) कि उपकेन्द्र को क्रियाशील करने के प्रयास किये जाएंगे।

¹⁷ प्रा स्वा के: मालसी (चमोली), किमसार एवं खिरसू (पौड़ी), मानकपुर (हरिद्वार), मासी (अल्मोड़ा) एवं मोहनपुर (उधम सिंह नगर)।

1.2.10.5 जोखिमपूर्ण जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (जै चि अ) का प्रबंधन

जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 ने यह प्रावधानित किया कि ऐसी संस्थाएँ जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का सम्पूर्ण अपशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पृथकीकृत, परिवहित, परिष्कृत तथा निस्तारित किए जाए।

चयनित जनपदों के आठ जि चि (पुरुष एवं महिला), 10 सामु स्वा के, 10 प्रा स्वा के एवं 40 उ के के संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि एक प्रा स्वा के एवं 22 उ के में कोई जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कुछ रोचक तथ्य जैसे, जिला चिकित्सालय पौड़ी में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (जै चि अ) का खुले में जलाया जाना, सा स्वा के द्वाराहाट अल्मोड़ा में जै चि अ और औषधियों का खुले में फेंका जाना और प्रा स्वा के केलाखेडा, उधम सिंह नगर के अन्तर्गत उ के बरहैनी में कालातीत औषधियों का खुले में जलाया जाना भी पाया गया।

यह इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि जनपदों एवं सम्बन्धित कार्मिकों को जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु बार-बार निर्देश जारी किये गये थे। विभाग ने आगे यह आश्चस्त किया कि पुनः सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.2.11 मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना, शिक्षा एवं संवाद

1.2.11.1 कार्मिकों की अपर्याप्त तैनाती

रा गा स्वा मि का राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा एवं अन्य मानव शक्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, प्रत्येक संवर्ग में कार्मिकों की कमी थी, जो कि वर्ग-I, वर्ग-II एवं तकनीशियन संवर्गों में क्रमशः 765, 812 एवं 946 तक थी। इसी प्रकार से, चयनित जनपदों में, यह देखा गया कि प्रत्येक संवर्ग में कार्मिकों की कमी थी (परिशिष्ट-1.2.3) जो कि वर्ग-I, वर्ग-II एवं तकनीशियन संवर्ग में क्रमशः 48 (38 प्रतिशत), 514 (58 प्रतिशत), 530 (24 प्रतिशत) थी। इनमें से, शल्यचिकित्सक, फीजिशियन, पैथोलॉजिस्ट एवं निश्चेतको के क्रमशः 28, 24, 16 एवं 24 की रिक्तियाँ थी। आगे, चयनित जनपदों/सामु स्वा के/प्रा स्वा के पर यह भी पाया गया कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद, आयुर्वेद संविदा कार्मिकों को वेतन का भुगतान निदेशालय स्तर पर दो से पाँच माह की देरी से किया जा रहा था।

यह इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि जनपदों से संविदा कर्मियों की उपस्थिति देर से प्राप्त होने के कारण वेतन का भुगतान विलम्ब से हुआ।

1.2.11.2 कार्मिकों का असमान वितरण

अत्यधिक कमी के बावजूद, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कार्मिकों को समान रूप से तैनात नहीं किया गया था। चयनित पर्वतीय जनपदों (अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली) में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच दुर्लभ एवं मुश्किल है, वर्ग-I एवं वर्ग-II की क्रमशः 43 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुये थे जबकि चयनित मैदानी जनपदों (हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर) में रिक्तियाँ क्रमशः 31 एवं 44 प्रतिशत थीं। इसी तरह से तकनीशियनों/एल एच वी/फार्मासिस्टों के 33 प्रतिशत पद पहाड़ी जनपदों में रिक्त पड़े हुये थे जबकि मैदानी जनपदों में रिक्तियाँ आठ प्रतिशत थीं। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि नई स्थानान्तरण नीति प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार, कार्मिकों की कमी एवं असमान वितरण के कारण स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त रहीं जैसा कि प्रस्तर 1.2.10.2 एवं 1.2.10.3 में वर्णित है।

1.2.11.3 चिकित्सकीय, पैरा चिकित्सकीय एवं अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण

रा गा स्वा मि के ढांचे के अनुसार, सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं/समुदायों सहित क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु एक व्यापक योजना एवं नीति आवश्यक थी। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए लक्षित 7,893 प्रतिभागियों में से 6,776 (86 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया।

1.2.11.4 सूचना, शिक्षा एवं संवाद

रा ग्रा स्वा मि के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संवाद (सू शि सं) की योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, महिलाओं एवं बच्चों में स्वास्थ्य के निवारक पहलुओं और गुणवत् स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता एवं अभिगम सम्बन्धी सूचना प्रसारित करना था। मिशन राज्य में सू शि सं गतिविधियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए सू शि सं ब्यूरो की स्थापना की परिकल्पना करता है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सू शि सं ब्यूरो राज्य स्तर पर स्थापित नहीं किया गया है। जनपद सू शि सं शाखाएं जनपद स्तर पर भी स्थापित नहीं की गयी थी।

यह प्रकरण गत निष्पादन लेखापरीक्षा (2008) में भी उठाया गया था एवं इस मामले पर लोक लेखा समिति (लो ले स) में भी चर्चा की गयी थी जहाँ शासन ने, जवाब में, कहा (अक्टूबर 2010) कि राज्य, जनपद एवं खण्ड स्तरों पर सू शि सं के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए सेवा नियमावली गठित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (मई 2013) कि राज्य में सू शि सं ब्यूरो के स्थान पर सू शि सं प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा समापन तक सू शि सं प्रकोष्ठ में कोई कार्मिक पदस्थ नहीं था। इस प्रकार, यह अक्रियाशील था।

1.2.12 स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली तथा अनुश्रवण तंत्र

स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली (स्वा प्र सू प्र) योजना को सक्षम एवं प्रभावी संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। केन्द्रीकृत आंकड़े अनुश्रवण, मुल्यांकन एवं योजना के सभी पहलुओं को निर्देशित करने हेतु आवश्यक प्रबन्धन इनपुट प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2.12.1 स्वा प्र सू प्र वेबसाइट पर अपलोड किये गए आंकड़ों एवं मा प्र प्र के माध्यम से प्रेषित आंकड़ों में असमानता

स्वा प्र सू प्र मुख्यतः कार्यान्वयन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर खण्ड स्तरीय कार्मिकों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से की गयी प्रविष्टियों पर आधारित थी, वेबसाइट में अपलोड किये गये डाटा की जाँच सूचना प्रवाह की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी। राज्य के टीकाकरण तथा परिवार नियोजन के आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण (परिशिष्ट-1.2.4) ने दर्शाया है कि स्वा प्र सू प्र वेबसाइट पर अपलोड किये गये आंकड़ों तथा मा प्र प्र द्वारा प्रेषित आंकड़ों में असमानता थी। यह एक गम्भीर विषय है और स्वा प्र सू प्र आंकड़ों की विश्वसनीयता को खतरे में डालता है, जो कि भारत सरकार द्वारा उपलब्धियाँ दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है तथा बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा भी इस पर विश्वास किया जाता है।

इस ओर इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक ने कहा (अगस्त 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी अनियमितताएं रा स्वा स द्वारा भी देखी गयी थी तथा इसके सुधारात्मक उपायों के रूप में समीक्षा/समय पर जाँच/सत्यापन किये जा रहे थे।

1.2.12.2 स्वा प्र सू प्र द्वारा प्रतिवेदित ए एन सी पंजीकरण तथा उपकेन्द्रों के वास्तविक अभिलेखों के मध्य असमानता

चयनित जनपदों के 40 उपकेन्द्रों की वर्ष 2012-13 के लिये ए एन सी पंजीकरण के आंकड़ों की जाँच की गयी तथा यह पाया गया था कि ए एन सी पंजीकरण के आधारभूत अभिलेखों तथा स्वा प्र सू प्र में अपलोड किये गये आंकड़ों में भिन्नता थी (परिशिष्ट-1.2.5)। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि ए एन एम हमेशा मा प्र प्र में दर्शाये गये वास्तविक निष्पादन के सापेक्ष अधिक उपलब्धियाँ दर्शाना पसन्द करती है। विभाग का उत्तर यह दर्शाता है कि ए एन एम द्वारा दिये गये आंकड़ों को वेबसाइट पर अपलोड करने से पूर्व जाँच नहीं की गयी थी।

1.2.12.3 जिला स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजना समिति के गठन में विलम्ब

रा ग्रा स्वा मि के ढांचे के अनुसार, जनपद स्तर पर नियमित समुदाय आधारित गतिविधियों का अनुश्रवण तथा एकीकृत योजना जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य निर्धारक तत्व जैसे पीने का पानी, स्वच्छता आदि सम्बन्धित इनपुट को सरल बनाने के लिए अनुश्रवण एवं आयोजना समिति का गठन रा ग्रा स्वा मि कार्यान्वयन के प्रारम्भ (2005) में किया जाना था। मानकों के अनुसार, अनुश्रवण एवं आयोजना समितियों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जानी थी। नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन समितियों का गठन छह से सात वर्षों के विलम्ब से किया गया था। यह भी पाया गया कि पौड़ी, अल्मोडा, हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर जनपदों में कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी जबकि जनपद चमोली में दो बैठकें आयोजित की गयी थी लेकिन उन बैठकों का कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को

उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तर में, अपर निर्देशक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इन समितियों की बैठक आयोजित करने में राज्य स्तर पर प्रयास किया जाएगा एवं बैठकों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्रकार, समितियों के गठन में देरी और अपेक्षित बैठकों का आयोजन न किए जाने से गतिविधियों के सामुदायिक आधारित अनुश्रवण एवं एकीकृत आयोजना हेतु सुसंगत इनपुट को सुगम बनाना प्रभावित हुआ।

1.2.12.4 उपकेन्द्रों का अपर्याप्त अनुश्रवण

भा लो स्वा मा के अनुसार सा स्वा के/प्रा स्वा के के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा माह में एक बार उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया जाना था। नमूना परीक्षित उपकेन्द्रों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपकेन्द्रों के निरीक्षण में 91 से 98 प्रतिशत तक की कमी थी। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि चिकित्सा अधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण यह नहीं किया जा सका एवं उनको प्रशासनिक, चिकित्सकीय एवं अन्य कार्य भी सम्पन्न करने होते हैं।

1.2.12.5 नागरिक चार्टर प्रदर्शित न किया जाना तथा अपर्याप्त जन सुनवाईयाँ संवाद

चयनित जनपदों के, भौतिक रूप से सत्यापित किये गये स्वास्थ्य केन्द्रों में से 30 (44 प्रतिशत) पर नागरिक चार्टर प्रदर्शित नहीं पाये गये। इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि मु चि अ से इन कमियों के सम्बन्ध में पूछताछ की जाएगी और तदुसार कार्यवाही की जाएगी। आगे, रा ग्रा स्वा मि रूपरेखा यह भी निर्धारित करती है कि जन-सुनवाईयाँ या जनसंवाद आयोजित किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008-11 में, कोई जन सुनवाई एवं जनसंवाद आयोजित नहीं किये गये। तथापि, उपकेन्द्र स्तर पर 1,474, प्रा स्वा के स्तर पर 223 एवं जनपद स्तर पर 11 जन सुनवाई वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि में आयोजित की गयी।

निष्कर्ष

राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझने एवं चिन्हित करने के लिए कुटुम्ब एवं सुविधा सर्वेक्षण किए बिना कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लिए जि स्वा का यो खण्ड एवं ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना को सम्मिलित किये बिना तैयार की गयी और रा का क्रि यो को रा का स स के पास रा स्वा स के शासी निकाय के अनुमोदन के बिना प्रेषित किया गया। विगत पाँच वर्षों की अवधि में, धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुपयोगित रही। गर्भवती महिलाओं को तीन ए एन सी प्रदान करने में कमी पायी गयी और पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सन्दर्भ में संस्थागत प्रसव में कमी थी। ज सु यो लाभार्थियों को बिना दिशा निर्देशों का पालन किये भुगतान किया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटारा दिशानिर्देशों के मानकों एवं प्रावधानों का पालन किये बिना किया जा रहा था। वर्ग-1 एवं वर्ग-II में क्रमशः पद रिक्त पड़े थे और महत्वपूर्ण पदों जैसे शल्यचिकित्सक, चिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट एवं एनस्थिसिस्ट के पदों में भारी कमी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य रथ पर्याप्त अनुश्रवण के बिना कार्यशील थे। अनिवार्य शिविरों का आयोजन भी नहीं किया गया। आ प्र अ सं का चयन बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये किया गया। आ प्र अ सं से पाँच प्रतिशत परिचालन व्यय की वसूली भी नहीं की गई थी और उसे अदेय भुगतान किया गया। स्वा प्र सू प्र वेबसाइट में अपलोड किये गये ऑकड़ों और मा प्र प्र के माध्यम से प्रतिवेदित ऑकड़ों में असमानता थी। राज्य एवं जनपद स्तरीय अनुश्रवण एवं आयोजना समितियों का गठन छह से सात वर्ष के विलम्ब से किया गया।

अनुशंसाएं

शासन यह सुनिश्चित करने हेतु विचार करे:

- कुटुम्ब सर्वेक्षण, सुविधा सर्वेक्षण पूर्ण करने और ग्राम एवं खण्ड स्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य कार्य योजना बनाए जाने के सन्दर्भ में रा ग्रा स्वा मि के दिशा निर्देशों का अनुपालन;
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा;
- भा लो स्वा मा के मानकों के अनुसार ग्रामीण जनता को गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त अवस्थापना एवं आवश्यक संख्या में चिकित्सक और अन्य पैरा चिकित्सकीय कार्मिक प्रदान करना; तथा
- जनपद स्तर पर सू शि सं शाखा एवं राज्य स्तर पर सू शि सं ब्यूरो की स्थापना तथा इसे शीघ्र क्रियाशील करना।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष शासन को अक्टूबर 2013 में संदर्भित किये गये। उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2013)।

ग्रामीण विकास विभाग

1.3 इंदिरा आवास योजना

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों (अ जा)/अनुसूचित जनजातियों (अ ज जा) के सदस्यों एवं मुक्त करवाये गये बंधुवा मजदूरों के आवासों के निर्माण हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा भू रो गा का) की निधि का एक हिस्सा निर्धारित किया (जून 1985)। परिणामस्वरूप, इंदिरा आवास योजना (इं आ यो) वर्ष 1985-86 में ग्रा भू रो गा का की एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात्, अप्रैल 1989 से इं आ यो जवाहर रोजगार योजना (ज रो यो) की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। जनवरी 1996 से इं आ यो को ज रो यो से पृथक कर दिया गया एवं इसे एक स्वतंत्र योजना बना दी गयी। इं आ यो का मुख्य उद्देश्य अ जा/अ ज जा, मुक्त करवाये गये बंधुवा मजदूरों, अल्पसंख्यकों एवं अन्य गैर अ जा/अ ज जा के गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर उन्हें आवासीय इकाई के निर्माण/उच्चीकरण में सहायता प्रदान करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

मुख्य निष्कर्ष:

- इं आ यो के अंतर्गत 642 ऐसे व्यक्तियों को ₹ 2.49 करोड़ की सहायता वितरित की गयी जिनका चयन नियमों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से किया गया था।
[प्रस्तर 1.3.6.1]
- आवासीय भूखण्ड योजना राज्य में लागू नहीं की गई थी।
[प्रस्तर 1.3.6.6]
- वर्ष 2008-13 के दौरान भारी अवशेष राशि खर्च नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता में ₹ 39.19 करोड़ की कटौती की गई।
[प्रस्तर 1.3.7.1]
- इं आ यो निधियों से उपार्जित ₹ 53.97 लाख की ब्याज की धनराशि बिना लेखे-जोखे के रह गयी क्योंकि ये निधियाँ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अन्य योजनाओं के खातों के साथ रखी गयी थी।
[प्रस्तर 1.3.7.4]
- 38 बी पी एल-आई डी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.19 लाख का अनियमित लाभ प्रदान किया गया।
[प्रस्तर 1.3.8.2]
- प्रतीक्षा सूची में रैंकिंग की अनदेखी कर 73 लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति दी गई थी एवं राज्य आवासीय योजनाओं से पहले से ही लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को 45 आवासों का आवंटन किया गया था।
[प्रस्तर 1.3.6.1 एवं 1.3.8.5]
- इं आ यो के अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की जो सूचना भारत सरकार को प्रेषित की गई उसके आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि 6 से 80 प्रतिशत के अभिकरण की उपलब्धि की सूचना के सापेक्ष एक भी मामला लेखापरीक्षा में लाभान्वित नहीं पाया गया।
[प्रस्तर 1.3.8.8]

1.3.1 प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत साझेदारी के आधार पर क्रियान्वित, भारत सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण आवासीय योजना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण बी पी एल गृहस्वामियों को आवासीय इकाईयों के निर्माण और मौजूदा बेकार कच्चे आवासों के उन्नयन में वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करना है। वर्ष 1999-2000 के बाद से, इं आ यो में सुधार के लिए कई पहलों की गई हैं जैसे-गरीबों के लिए सब्सिडी के साथ ऋण उपलब्ध करवाना और जिन ग्रामीण बी पी एल परिवारों के पास न तो कृषि भूमि है और न ही कोई आवास

स्थल हैं, उनको आवासीय भूखण्ड उपलब्ध करवाना। केन्द्रीय सहायता सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि ग्रा वि अ) को अवमुक्त की जाती है जो चयनित लाभार्थियों को सहायता अवमुक्त करते हैं।

1.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य का ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा वि वि) राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु नोडल विभाग है। विभाग के मुखिया सचिव होते हैं जिन्हें विभाग के मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक, जि ग्रा वि अ, अपर आयुक्त, तीन उपायुक्त एवं तीन सहायक आयुक्त सहायता प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर निधियों के प्रबन्धन के लिये जि ग्रा वि अ के परियोजना निदेशक (प नि) उत्तरदायी होते हैं, विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी (ख वि अ) ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) के ग्राम विकास अधिकारियों (ग्रा वि अ) की सहायता से कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रा पं स्तर पर लाभार्थियों की पहचान एवं क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

1.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- लाभार्थियों की पहचान एवं चयन के लिए नियोजन की प्रक्रिया दक्ष थी;
- इं आ यो के अन्तर्गत निधियों का आवंटन और अवमुक्ति पर्याप्त थी;
- भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था;
- पूर्णतः क्रियाशील आवासीय इकाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इं आ यो का अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण किया गया था; और
- कार्यक्रम के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपलब्ध तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.3.4 कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के लिए, मई से सितम्बर 2013 के मध्य सम्पादित की गई। इस प्रयोजन हेतु निदेशालय में 13 जिलों¹⁸ के पाँच जि ग्रा वि अ¹⁹ एवं इन चयनित जि ग्रा वि अ के 10 विकास खण्डों²⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। चार जि ग्रा वि अ²¹ का चयन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के द्वारा प्रोबैबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विट् रिप्लेसमेंट (पी पी एस डब्ल्यू आर) पद्धति से किया गया जबकि जि ग्रा वि अ, देहरादून का चयन राजधानी जिला होने के कारण किया गया। पाँच जि ग्रा वि अ के अन्तर्गत 10 विकास खण्डों का चयन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विट् आउट रिप्लेसमेंट (एस आर एस डब्ल्यू ओ आर) पद्धति से किया गया। जिलों एवं विकास खण्डों का चयन क्रमशः विगत तीन वर्षों के संचयी व्यय एवं निर्मित किए गए आवासों की संख्या पर आधारित था।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 10 विकास खण्डों की 100 ग्रा पं के 1,149 इं आ यो आवासों²² का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। सचिव, ग्रा वि वि, उपायुक्त एवं संयुक्त निदेशक (जि ग्रा वि अ) के साथ प्रवेश गोष्ठी 2 मई 2013 को आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, कार्य क्षेत्र एवं पद्धति पर विचार विमर्श हुआ एवं जिस पर सहमति भी बनी। सचिव, ग्रा वि वि, उत्तराखण्ड शासन के साथ 29 नवम्बर 2013 को समापन गोष्ठी में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई एवं उनके उत्तर यथोचित स्थानों पर शामिल कर लिये गये।

1.3.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न स्रोतों से प्राप्त मापदण्डों के सापेक्ष परखे गये:

- ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा वि मं), भारत सरकार द्वारा जारी किये गये इं आ यो के दिशा निर्देश;

¹⁸ देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग।

¹⁹ देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर।

²⁰ रायपुर, सहसपुर, नारसन, रुड़की, देवप्रयाग, जौनपुर, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और जसपुर।

²¹ हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर।

²² देहरादून-240, टिहरी गढ़वाल-168, हरिद्वार-241, नैनीताल-246 एवं ऊधम सिंह नगर-254।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य;
- बी पी एल सर्वे सूची-2002, चयनित जिलों की इंडा यो की स्थायी प्रतीक्षा सूची; एवं
- राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्र और विभागीय आदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.3.6 नियोजन और लाभार्थियों का चयन

1.3.6.1 इंडा यो के लाभार्थियों का अनियमित चयन

इंडा यो के दिशा-निर्देशों में निर्देशित है कि बी पी एल लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा सूची में उनके वरीयता क्रम (निम्न से उच्च तक) के अनुसार सहायता दी जानी चाहिए। चार नमूना जाँच वाले जिलों²³ (ऊधमसिंह नगर²⁴ को छोड़कर) की भुगतान सूची एवं इंडा यो की प्रतीक्षा सूची जो बी पी एल सर्वेक्षण 2002 के आधार पर बनायी गयी थी, की जाँच में पाया गया कि 642 अनियमित रूप से चयनित लाभार्थियों को ₹ 249.43 लाख की इंडा यो सहायता प्रदान की गयी थी जैसा तालिका 1.3.1 में विवरण दिया गया।

तालिका: 1.3.1
अनियमित रूप से चयनित इंडा यो के लाभार्थियों का विवरण

जिलों के नाम	बी पी एल सर्वेक्षण में बी पी एल आई डी नहीं पायी गई	लाभार्थी की श्रेणी में परिवर्तन		लाभार्थियों के नाम के साथ बी पी एल आई डी का मेल नहीं पाया गया	स्थायी प्रतीक्षा सूचियों में लाभार्थियों का नहीं पाया जाना	लाभार्थियों के स्कोर में परिवर्तन		लाभार्थियों के अनियमित चयन की संख्या	अनियमित रूप से चयनित लाभार्थियों को प्रदान की गयी सहायता (₹ लाख में)
		सामान्य से अ जा/अ ज जा	अ जा/अ ज जा से सामान्य			स्कोर में कमी के मामले	स्कोर में वृद्धि के मामले		
देहरादून	7	13	15	42	0	15	12	104	39.50
हरिद्वार	0	6	4	26	156	0	0	192	72.93
नैनीताल	16	10	7	66	0	23	20	142	64.16
टिहरी	6	102	17	55	0	19	05	204	72.84
योग	29	131	43	189	156	57	37	642	249.43

स्रोत: चार चयनित जनपदों के जि ग्रा वि अ द्वारा उपलब्ध करवायी गयी भुगतान सूचियों, इंडा यो की प्रतीक्षा सूचियों एवं बी पी एल सर्वेक्षण 2002

उपरोक्त विवरणों से यह देखा जा सकता है कि:

- 29 ऐसे लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया जिनकी बी पी एल-आई डी, बी पी एल सर्वेक्षण सूची में नहीं पाई गई।
- 174 मामलों में श्रेणी सामान्य से अ जा/अ ज जा एवं अ जा/अ ज जा से सामान्य में बदली गयी थी।
- 189 मामलों में बी पी एल-आई डी, लाभार्थियों के नाम के साथ मेल नहीं कर रही थी।
- हरिद्वार जिले में 156 लाभार्थी स्थायी इंडा यो प्रतीक्षा सूचियों में नहीं पाए गए जो कि चयन का मुख्य आधार था।
- 57 मामलों में लाभार्थियों के कट ऑफ स्कोर कम पाये गये और 37 मामलों में इनमें वृद्धि की गयी थी।

उपरोक्त के अलावा, यह भी देखा गया कि वर्ष 2008-13 के दौरान कम अंक वालों की अनदेखी कर उच्च अंक वाले 73 लाभार्थियों²⁵ को इंडा यो के अन्तर्गत सहायता के लिए चयनित किया गया था।

उपरोक्त मामलों से इंगित होता है कि इंडा यो के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों का पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के चयन में मनमाना दृष्टिकोण अपनाया गया था।

²³ टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून।

²⁴ जि ग्रा वि अ ऊधम सिंह नगर में इंडा यो के किसी भी मूल अभिलेख जैसे कि इंडा यो की, स्थायी प्रतीक्षा सूची, अ जा/अ ज जा एवं गैर अ जा/अ ज जा की पृथक सूची इत्यादि में बी पी एल परिवार की आई डी उल्लेखित नहीं थी। इंडा यो के लाभार्थियों की बी पी एल-आई डी की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा लाभार्थियों की विश्वसनीयता का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

²⁵ सहसपुर विकास खण्ड में कुल 1187 लाभार्थियों में से 42 एवं रायपुर विकास खण्ड में कुल 540 लाभार्थियों में से 31।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2013) में, सचिव, ग्रा वि वि ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

1.3.6.2 वार्षिक कार्ययोजनाओं का न बनाया जाना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के उपबन्ध 4.2 बी (viii) के अनुसार, प्रत्येक जनपद/विकास खण्ड के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये जिसमें इं आ यो के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के विकास खण्डवार/पंचायतवार लक्ष्य एवं अ जा/अ ज जा अल्पसंख्यकों एवं गैर अ जा/अ ज जा श्रेणियों के लाभार्थियों को निर्धारित प्रतिशत में आच्छादित करने के लक्ष्य शामिल होते। वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिये वार्षिक लक्ष्यों (भौतिक एवं वित्तीय) को मासिक लक्ष्यों में विभाजित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु समयावधि, पर्यवेक्षण हेतु सारणी, भौतिक सत्यापन एवं पूर्व के वर्षों में आवंटित आवासों के निरीक्षण आदि को भी नियोजित किया जाना था एवं वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि किसी भी नमूना चयनित जि ग्रा वि अ द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी। अपितु प्रत्येक विकास खण्ड के लिये मात्र वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य विगत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु बिना किसी समयावधि के निर्धारित किये गये थे। वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। यहाँ तक कि भौतिक सत्यापन अथवा पर्यवेक्षण के लिए अनुसूची एवं आवासों के निरीक्षण को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार, इं आ यो कार्यक्रम तदर्थ रूप में लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इं आ यो के आवासों के निर्माण एवं पूर्ण किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

1.3.6.3 समूह उपागम से लाभार्थियों की पहचान न किया जाना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.1 में प्रावधान है कि जि ग्रा वि अ/जि पं, तय किये गये आवंटन और लक्ष्यों के आधार पर, एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित/उन्नत किये जाने वाले आवासों की संख्या पंचायत-वार निर्धारित करेंगे और समूह उपागम का अनुसरण करना होगा जिससे अच्छे पर्यवेक्षण, योजनाओं का अभिसरण एवं खरीदारियों में मितव्ययिता को सुगम बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक जिले/विकास खण्ड के सभी गांवों को तीन समूहों में विभाजित किया जाना था एवं प्रत्येक समूह को प्रतिवर्ष निधियाँ उपलब्ध कराई जानी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि किसी भी नमूना चयनित जनपद में जिला/विकास खण्ड में ग्रामों को तीन समूहों में विभाजित नहीं किया गया था और इं आ यो की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा द्वारा जि ग्रा वि अ को अनुमोदित/प्रस्तुत नहीं की गई थी। यह इंगित करता है कि लाभार्थियों की पहचान में जमीनी स्तर की सहभागिता विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

1.3.6.4 आवासीय कमी का निर्धारण न किया जाना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों के लिये लक्ष्य सम्बन्धित विकास खण्डों/पंचायतों में 75 प्रतिशत भारिता आवासीय कमी वाले क्षेत्रों एवं 25 प्रतिशत भारिता ग्रामीण अ जा/अ ज जा जनसंख्या को दिया जाना चाहिये था। उसी के आधार पर जि ग्रा वि अ द्वारा विकास खण्डों को कार्यक्रम को लागू करने हेतु निधियाँ अन्तर्गत की जानी थी। लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ कि आवासीय कमी से सम्बन्धित कोई भी ऑकड़ें विभाग के किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। जि ग्रा वि अ द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों को निधियों का आवंटन, अ जा/अ ज जा जनसंख्या के बजाय कट ऑफ स्कोर²⁶ के आधार पर किया गया था जो योजना के मानकों का उल्लंघन था। इस प्रकार, जि ग्रा वि अ द्वारा विकास खण्ड या पंचायतों में आवासों की वास्तविक आवश्यकता नहीं आंकी जा सकी थी।

सचिव, ग्रा वि वि द्वारा समापन गोष्ठी (नवम्बर 2013) में तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाएंगे।

26 कट ऑफ स्कोर योजना आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण जो 13 मानदण्डों जैसे भूमि का क्षेत्रफल, आवासों का प्रकार, आश्रितों की संख्या, खाद्य सुरक्षा, शौचालय, उपभोग वस्तुओं, साक्षरता, रोजगार की स्थिति, इत्यादि पर आधारित था। प्रत्येक मानदण्ड के लिए ग्रामीण परिवारों को 0 से 4 तक स्कोर दिया गया था। अधिकतम स्कोर 52 है। उत्तराखण्ड में, एक बी पी एल परिवार की पहचान करने के लिए कट ऑफ स्कोर 23 है।

1.3.6.5 आवासों की विस्तृत सूची न रखना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों का प्रस्तर 5.9 प्रावधान करता है कि कार्यान्वयन अभिकरणों को इं आ यो के तहत निर्मित/उन्नयन किये गए आवासों, जिसमें आवासीय इकाई के निर्माण शुरू होने एवं पूर्ण होने की तिथि, गाँव का नाम और विकास खण्ड जिसमें आवास स्थित है, लाभार्थियों के व्यवसाय और श्रेणी एवं अन्य प्रासंगिक विवरण की एक पूरी सूची रखनी होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इं आ यो के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर और देहरादून के जि ग्रा वि अ द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था क्योंकि इन जि ग्रा वि अ द्वारा वर्ष 2008-10 के दौरान मंजूर/तैयार आवासों की उपलब्ध सूची को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था। यह इंगित करने पर संबंधित जि ग्रा वि अ के परियोजना निदेशकों ने जवाब दिया कि इं आ यो के आवासों की पूरी सूची तैयार करने हेतु सभी सम्बन्धित ख वि अ को निर्देश दिया जाएगा।

1.3.6.6 आवासीय भूखण्ड योजना का क्रियान्वयन न किया जाना

भारत सरकार ने इं आ यो के तहत आवास निर्माण के लिए स्थायी इं आ यो प्रतीक्षा सूची में पहले से दर्ज ग्रामीण भूमिहीन बी पी एल परिवारों को भूमि के आवंटन के लिए आवासीय भूखण्ड योजना प्रारम्भ (अगस्त 2009) की थी। इस योजना को इं आ यो के हिस्से के रूप में लागू किया जाना था और भूमि की लागत 50:50 (₹ 10,000 प्रत्येक) के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान, चार जिलों²⁷ में यह देखा गया कि वहाँ 12,505²⁸ भूमिहीन बी पी एल परिवार ऐसे थे जो इं आ यो की स्थायी प्रतीक्षासूची में थे। इसके लिए ₹ 61.87 करोड़²⁹ धनराशि के प्रस्ताव वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान सम्बन्धित जि ग्रा वि अ द्वारा आयुक्त, ग्रा वि वि को भेजे गए। भूमिहीन बी पी एल परिवारों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद, इसमें से केवल नौ जिलों के 5,229 भूमिहीन लाभार्थियों को आवंटित करने वाला प्रति लाभार्थी 50 वर्ग मीटर भूमि क्रय का ₹ 23.46 करोड़ का एक प्रस्ताव आयुक्त, ग्रा वि वि द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया (मार्च 2012) लेकिन यह भी आज तक भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया (सितम्बर 2013)।

समापन गोष्ठी में, सचिव, ग्रा वि वि ने कहा (नवम्बर 2013) कि आवासीय भूखण्ड योजना के तहत प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रपिठ नहीं किया जा सका क्योंकि इसके वित्तीय पहलुओं सहित अन्य तौर तरीके राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाने अभी बाकी थे।

1.3.7 वित्तीय प्रबन्धन

1.3.7.1 वित्तपोषण का तरीका

इं आ यो के अन्तर्गत निधियाँ सीधे जि ग्रा वि अ को दो किशतों में अवमुक्त की जाती हैं। एक विशेष जिले के लिए कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अवमुक्त किया जाता है। इं आ यो के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि³⁰ के अत्यधिक अग्रसारण, राज्यांश की कम अवमुक्ति, अप्रयुक्त अवशेष और उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने जैसी अनियमितताओं की स्थिति में केन्द्रीय सहायता की द्वितीय किशत की अवमुक्ति में धन की कटौती की जा सकती है। आगे, इं आ यो निधियों को एकल बचत खाते में रखा जाना चाहिये और अर्जित ब्याज इं आ यो के संसाधनों का ही भाग माना जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों इं आ यो निधियों का अन्य उद्देश्य/योजना के लिए उपयोग को प्रतिबन्धित करती हैं। राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2008-13 के दौरान योजना की वित्तीय स्थिति क्रमशः तालिका 1.3.2 (अ) और तालिका 1.3.2 (ब) में दी गयी है:

²⁷ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर (टिहरी जिले में कोई भूमिहीन लाभार्थी उपलब्ध नहीं थे)।

²⁸ देहरादून: 339, हरिद्वार: 146, नैनीताल: 4573 एवं उधमसिंह नगर: 7447।

²⁹ देहरादून: ₹ 3.61 करोड़, हरिद्वार: ₹ 1.17 करोड़, नैनीताल: ₹ 1.24 करोड़ एवं उधमसिंह नगर: ₹ 55.85 करोड़।

³⁰ जिले का प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष उपलब्ध धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर, प्रारम्भिक शेष इस सीमा से अधिक है तो आधिक्य का केन्द्रीय हिस्सा द्वितीय किशत के अवमुक्त के समय अनुपातानुसार कटौती की जायेगी।

तालिका - 1.3.2 (अ)
राज्य स्तर पर योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन			निधियों की अवमुक्ति			विविध प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अप्रयुक्त अवशेष (कुल उपलब्ध धनराशि का प्रतिशत कोष्ठक में)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग				
2008-09	8.98	47.97	15.99	63.96	48.88	15.99	64.87	0.72	74.57	40.93	33.64 (45)
2009-10	29.91	64.90	21.63	86.53	50.39	13.38	63.77	4.52	98.20	78.28	19.92 (20)
2010-11	19.92	57.68	19.22	76.90	51.83	20.08	71.91	1.55	93.38	80.62	12.76 (14)
2011-12	12.76	56.34	18.78	75.12	58.21	19.63	77.84	0.65	91.25	76.38	14.87 (16)
2012-13	14.87	64.62	22.26	86.88	43.01	14.18	57.19	1.17	73.23	60.21	13.02 (18)
योग		291.51	97.88	389.39	252.32	83.26	335.58	8.61		336.42	

स्रोत: आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े।

तालिका - 1.3.2 (ब)
चयनित जिलों में योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	सामान्य आवंटन		केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्ति		केन्द्र सरकार द्वारा कुल अवमुक्ति	राज्य सरकार द्वारा कुल अवमुक्ति	विविध प्राप्तियाँ ³¹	कुल उपलब्ध निधियाँ (क उ नि)	व्यय	अन्त शेष (कु उ नि का प्रतिशत)	मासिक प्रगति विवरण के अनुसार व्यय
		केन्द्रांश	राज्यांश	सामान्य परिव्यय के सापेक्ष	अतिरिक्त हिस्सा							
2008-09	9.21	25.23	8.41	23.22	12.99	36.21	12.67	1.67	59.76	30.95	28.81 (48)	28.62
2009-10	28.81	37.97	12.66	28.83	9.10	37.93	10.77	2.80	80.31	59.96	20.35 (25)	56.76
2010-11	20.35	43.40	14.47	37.65	00	37.65	15.33	2.39	75.72	58.14	17.58 (23)	59.68
2011-12	17.58	42.40	14.13	42.14	0.58	42.72	14.45	1.40	76.15	62.03	14.12 (19)	55.11
2012-13	14.12	46.98	15.66	26.38	1.58	27.96	9.52	11.02	62.62	52.45	10.17 (16)	41.07
योग		195.98	65.33	158.22	24.25	182.47	62.74³²	19.28		263.53		

स्रोत: चयनित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।

उपरोक्त तालिका में आँकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि:

- वर्ष 2008-13 के दौरान बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त अवशेष थे, जो राज्य स्तर पर कुल उपलब्ध निधियों के 14 से 45 प्रतिशत के बीच थे और चयनित जिलों में 16 से 48 प्रतिशत के बीच थे। साथ ही, राज्यांश के कम अवमुक्त किए जाने और द्वितीय किशत निर्गत किये जाने के लिए प्रस्ताव न भेजे जाने/विलम्ब से भेजे जाने के कारण राज्य स्तर पर ₹ 39.19 करोड़ की केन्द्रांश की कटौती हुई जिसमें ₹ 37.76 करोड़ अकेले नमूना परीक्षित जिलों से सम्बन्धित थे।
- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग और जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में बनाये गये आँकड़े बेमेल थे। आयुक्त, ग्रा वि वि के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 में सभी 13 जिलों का प्रारम्भिक शेष ₹ 8.98 करोड़ था जबकि अकेले पाँच चयनित जिलों में 1 अप्रैल 2008 को प्रारम्भिक शेष ₹ 9.21 करोड़ था। इस तरह, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य एवं जनपद, दोनों स्तरों पर रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी।
- तालिका 1.3.2 (अ) दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 के अन्तिम अवशेष और वर्ष 2009-10 के प्रारम्भिक अवशेष में ₹ 3.73 करोड़³³ का अन्तर था। इस तरह की विभिन्नता के कारण लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके क्योंकि सभी तेरह जिलों के सहायक आँकड़े आयुक्त स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर चयनित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा स्पष्ट किया गया कि आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को भेजे गये भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के आँकड़े वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे बल्कि सम्बन्धित विकास खण्डों द्वारा

³¹ विकास खण्ड/लाभार्थियों से वापस प्राप्त धनराशि, अन्य जिलों से व्ययवर्तित और अर्जित व्याज।

³² कुल निर्गत राज्यांश का आवश्यक 25 प्रतिशत हिस्सा (₹ 60.82 करोड़) ₹ 1.92 करोड़ से अधिक था।

³³ ₹ 33.64 करोड़-₹ 29.91 करोड़ = ₹ 3.73 करोड़।

कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/उपयोगिता प्रमाणपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लाभार्थियों को जारी धनराशि पर आधारित थे।

- इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इं आ यो के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का राज्यांश केन्द्रांश के स्वीकृत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर अवमुक्त करना था। हालांकि, लेखापरीक्षा में आच्छादित पाँच नमूना चयनित जिलों में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा इं आ यो की निधियों का अपना हिस्सा 02 से 266 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया (परिशिष्ट 1.3.1)।

उपरोक्त के अलावा, अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-13 का उपयोगिता प्रमाणपत्र नैनीताल जिले के अलावा अन्य किसी भी चयनित जिले द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजा गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-12 के लिए भारत सरकार को भेजे गये उपयोगिता प्रमाणपत्र या तो बढ़ा कर दिखाये गये या बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.3.3 में दिखाया गया है:

तालिका - 1.3.3
बढ़े/बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

जिले का नाम	वर्ष 2008-12 के दौरान व्यय	भारत सरकार को भेजे उपयोगिता प्रमाणपत्र	बढ़े/बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र
ऊधम सिंह नगर	85.98	87.28	1.30/बढ़े
कुल बढ़ाकर बताये गये आँकड़े			1.30
नैनीताल	27.06	26.84	0.22
हरिद्वार	51.78	48.75	3.03
देहरादून	26.31	24.85	1.46
कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र			4.71

स्रोत: चयनित जिलों के जि ग्रा वि अ।

साथ ही, जि ग्रा वि अ, टिहरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008-12 के दौरान जि ग्रा वि अ ने अपने सभी 09 विकास खण्डों द्वारा शून्य अन्तिम अवशेष के साथ 100 प्रतिशत उपयोग किया जाना भारत सरकार को सूचित किया जबकि विकास खण्ड स्तर पर 31 मार्च 2012 को ₹ 0.22 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे। इसी तरह, देहरादून और हरिद्वार जनपद में सम्बन्धित विकास खण्डों द्वारा धनराशि बिना खर्च किए ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गये।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2013) में सचिव द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया।

1.3.7.2 लाभार्थियों को इं आ यो सहायता राशि का कम दिया जाना

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण के लिए इकाई लागत दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹ 45,000 तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹ 48,500 थी। हालांकि, अभिलेखों की जाँच तथा देहरादून के चयनित विकास खण्डों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि सहसपुर विकास खण्ड के 16 लाभार्थियों और रायपुर विकास खण्ड के 27 लाभार्थियों (जिनको वर्ष 2010-11 के दौरान आवास स्वीकृत किये गये थे) को क्रमशः ₹ 35,000 और ₹ 38,500 सहायता राशि प्रदान की गयी जबकि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मानदण्डों के अनुसार क्रमशः ₹ 45,000 और ₹ 48,500 प्रदान की जानी थी।

परियोजना निदेशक द्वारा यह उत्तर दिया गया कि इकाई लागत के सम्बन्ध में सरकारी आदेश जि ग्रा वि अ में विलम्ब से प्राप्त होने के कारण लाभार्थियों को इं आ यो आवास की इकाई लागत संशोधित दरों से अवमुक्त नहीं की जा सकी। सम्बन्धित परियोजना निदेशक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस तरह की घटनायें अन्य किसी चयनित जनपद में नहीं पायी गयी।

इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित बी पी एल लाभार्थियों को सहायता राशि इकाई लागत से कम दिए जाने के कारण ऊपर उल्लिखित 43 आवासों³⁴ में से दो आवास परित्यागित पाये गये।

³⁴ सहसपुर विकास खण्ड के 16 आवास + रायपुर विकासखण्ड के 27 आवास।

1.3.7.3 इं आ यो के निधियों का व्ययवर्तन

चार जि ग्रा वि अ (हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इं आ यो निधियों का ₹ 1.74 करोड़ व्यय के अन्य मदों जैसे- आकस्मिक व्यय, कार्यालय व्यय और स्थापना में व्ययवर्तित किया गया जिसमें से ₹ 0.37 करोड़ लेखापरीक्षा की तिथि तक असमायोजित थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जि ग्रा वि अ द्वारा कहा गया कि धनराशि जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन से अन्य योजनाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए अस्थाई रूप से व्ययवर्तित की गयी क्योंकि इन योजनाओं में निधियाँ उपलब्ध नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस तरह की कार्यवाही से न केवल लाभार्थियों को समय से सहायता राशि नहीं दी जा सकी बल्कि दिशा-निर्देशों के उपबन्ध 4.9, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इं आ यो के अन्तर्गत खाते से धनराशि का आहरण खर्च करते समय किया जाना चाहिए, के उल्लंघन से योजना के उद्देश्यों की हानि हुई।

1.3.7.4 इं आ यो निधियों का गैर इं आ यो खातों में रखे जाने के कारण ब्याज का लेखांकन न होना

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इं आ यो निधियों का पृथक खाता होना चाहिए और इं आ यो निधियों के जमा पर अर्जित ब्याज को इन्दिरा आवास योजना संसाधनों का ही भाग माना जाना चाहिए जो निर्मित आवासों पर इं आ यो का लोको लगाने के लिए होने वाले खर्च के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रांश सीधे जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के मुख्य बैंक खातों में जारी किये जाने थे जो सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए खोले गए थे न कि विशेष रूप से इन्दिरा आवास योजना के लिए खोले गए थे। पाँच नमूना परीक्षित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्य बैंक खाते में जमा केन्द्रांश ₹ 146.81 करोड़ इन्दिरा आवास योजना बैंक खाते में अर्जित ब्याज के बिना 10 से 349 दिनों के बाद स्थानान्तरित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा देय ब्याज दर (4 प्रतिशत वार्षिक) के आधार पर की गई गणना के अनुसार ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 53.97 लाख इं आ यो खाते में जमा नहीं किया गया और मुख्य खाते में अलेखांकित था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर चयनित जि ग्रा वि अ द्वारा आश्वासन दिया गया कि अर्जित ब्याज को इन्दिरा आवास योजना खाते में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा।

आगे, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित सभी पाँच जिलों में अलग-अलग बैंकों में कई बचत खाते (दो से 11 के बीच) खोले गये। इसके अतिरिक्त, जि ग्रा वि अ, हरिद्वार और टिहरी जनपद के देवप्रयाग विकास खण्ड में योजना की धनराशि चालू खाते में रखी गयी जिससे इं आ यो निधियों पर अर्जित ब्याज की हानि हुई।

1.3.7.5 प्रतिपूर्ति का दावा न किया जाना

इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के खण्ड 4.4.1 के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थिति जैसे आग, दंगे आदि के पीड़ितों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के क्रम में उनके क्षतिग्रस्त इं आ यो के आवासों को तुरन्त पुनर्निर्माण के लिए अपने उपलब्ध संसाधन या जिले के इं आ यो के आवंटन से खर्च के लिए जिलाधिकारी अधिकृत हैं। जि ग्रा वि अ द्वारा इस तरह किए गये व्यय के केन्द्रीय हिस्से की भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी। जि ग्रा वि अ द्वारा इस प्रतिपूर्ति के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि तीन जिलों (ऊधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल) में प्राकृतिक आपदाओं के 32 पीड़ितों³⁵ को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए जिले के इं आ यो आवंटन में से ₹ 12.45 लाख³⁶ खर्च किया गया था। इसमें से ₹ 9.34 लाख भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रतिपूर्ति किया जाना था क्योंकि जि ग्रा वि अ द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षा की तिथि (सितम्बर 2013) तक प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि सम्बन्धित विकास खण्डों द्वारा जि ग्रा वि अ को उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। समापन सम्मेलन (नवम्बर 2013) में आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मामले की जाँच का आश्वासन दिया गया।

³⁵ ऊधमसिंह नगर में 22 पीड़ित/ ₹ 35,000, टिहरी गढ़वाल में 09 पीड़ित/ ₹ 48,500 और नैनीताल में 01 पीड़ित/ ₹ 38,000।

³⁶ ₹ 7.70 लाख/2008-09: ऊधमसिंह नगर, ₹ 4.37 लाख/2010-11: टिहरी गढ़वाल और ₹ 0.38 लाख/2008-09: नैनीताल।

1.3.8 लक्ष्य और प्राप्ति

1.3.8.1 इं आ यो आवासों की भौतिक प्रगति

इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के खण्ड 1.6 के अनुसार, योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा किया जाना था और इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं अपनी भूमि पर किया जाना था। प्रत्येक आवासीय इकाई के निर्माण के लिए, वित्तीय सहायता मानदण्डों के अनुसार सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जानी थी। इं आ यो के दिशा-निर्देशों के खण्ड 2.1 के अनुसार, सभी जिलों के लिए इं आ यो के आवासों के निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना था। तदुसार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए पंचायतवार आवासों के निर्माण की संख्या का निर्धारण किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2008-13 के दौरान 83,215 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 80,155 (96 प्रतिशत) आवास स्वीकृत किये गये थे और 76,548 (95 प्रतिशत) आवास, अप्रैल 2008 के पूर्व स्वीकृत आवासों को शामिल करते हुए, का निर्माण पूर्ण किया गया था (परिशिष्ट- 1.3.2)।

वर्ष 2008-13 के दौरान पाँच चयनित जिलों में आवासों के निर्माण के लक्ष्य की वर्ष वार स्थिति, प्रदत्त सहायता और पूर्ण आवासों का विवरण तालिका 1.3.4 में दिया गया है।

तालिका - 1.3.4

नमूना परीक्षित जिलों में इं आ यो आवासों की भौतिक प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	लाभार्थियों की संख्या जिनको आवास स्वीकृत किए गये	पूर्ण किये जाने वाले आवासों की संख्या	मासिक प्रगति विवरण में दिखाये गए पूर्ण आवास	कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1 अप्रैल 2008 को अपूर्ण आवास						3,084*
2008-09	8,738	8,007	11,091	7,808	4,426	6,665
2009-10	22,642	16,554	23,219	14,873	7,839	15,380
2010-11	11,932	12,209	27,589	11,695	5,834	21,755
2011-12	11,657	12,488	34,243	11,422	6,266	27,977
2012-13	13,370	9,685	37,662	9,508	2,844	34,818
कुल	68,339	58,943 (86)		55,306 (94)	27,209 (44) ³⁷	

स्रोत: चयनित जि या वि अ द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े नैनीताल: 384 आवास, हरिद्वार: 2046 और देहरादून: 654

(कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

उपरोक्त विवरण से देखा जा सकता है कि, नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2008-13 के दौरान लक्ष्य के 86 प्रतिशत आवासों को ही लाभार्थियों द्वारा निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था, जबकि विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार 2008-13 के दौरान 86 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत आवासों के केवल 44 प्रतिशत आवास ही, वर्ष 2008-09 के पूर्व के स्वीकृत आवासों को शामिल करते हुए, वास्तव में पूर्ण थे जबकि मासिक प्रगति विवरण में 94 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति दिखायी जा रही थी।

1.3.8.2 एकल बी पी एल आई डी के सापेक्ष कई लाभार्थियों को अवमुक्त निधियाँ

योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी, किए गए भुगतान के सापेक्ष बी पी एल-आई डी की प्रमाणिकता जाँच करने के लिए पूरी तरह जिम्मेवार थे। देहरादून जिले के दो चयनित विकास खण्डों (सहसपुर और रायपुर) के अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि वर्ष 2008-13 के दौरान दोनों विकास खण्डों में 38 बी पी एल-आई डी³⁸ के सापेक्ष 77 लाभार्थियों³⁹ को इकाई सहायता

³⁷ $27,209 \times 100 \div 62,027$ [3,084 (1 अप्रैल 2008 से पूर्व के अपूर्ण आवास) + 58,943 (लाभार्थियों की संख्या जिनको आवास स्वीकृत किए गये)] ।

³⁸ सहसपुर के 28 एवं रायपुर के 10 ।

³⁹ सहसपुर में 57 व्यक्ति एवं रायपुर में 20 व्यक्ति।

प्रदान की गई (सहसपुर के एक मामले को छोड़कर जहाँ एक बी पी एल-आई डी के सापेक्ष तीन लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान की गई)। इस प्रकार से 38 बी पी एल-आई डी⁴⁰ के सापेक्ष ₹ 14.19⁴¹ लाख की वित्तीय सहायता की अधिक स्वीकृति एवं अवमुक्त किया जाना अनियमित था जो इन दो विकास खण्डों के जिम्मेदार प्राधिकारियों (खण्ड विकास अधिकारियों) की लापरवाही का परिणाम था।

आगे, जनपद टिहरी के देवप्रयाग विकास खण्ड की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹ 35,000 की प्रथम किश्त एक लाभार्थी को दो बार अवमुक्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35,000 का दो बार भुगतान किया गया। यह इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित ख वि अ ने उत्तर में अवगत कराया गया था कि सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा तथ्यों के सत्यापन के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

1.3.8.3 इं आ यो के आवासों का महिला सदस्यों के नाम पर आवंटन न किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आवास इकाईयों का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाना था। वैकल्पिक रूप से परिवार में महिला सदस्य के उपलब्ध/जीवित न होने की दशा में इसे पुरुष सदस्य को आवंटित किया जा सकता था। 1,149 इं आ यो आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने दर्शाया की इनमें से 947 (82 प्रतिशत) आवास महिला सदस्यों के नाम पर आवंटित थे एवं शेष 202 आवास पुरुष सदस्यों को आवंटित थे। इन 202 आवासों में से, जिन्हें पुरुष सदस्यों को आवंटन किया गया, 117 परिवारों में एक व्यस्क महिला सदस्य उपलब्ध थी। इस प्रकार, पुरुष सदस्यों के नाम पर इन 117 आवासों का आवंटन अनियमित था।

1.3.8.4 अ जा/अ ज जा के बी पी एल परिवारों को आवासों के आवंटन के लिए निर्धारित सीमा का पालन न किया जाना

जैसा कि दिशा-निर्देश में प्रावधानित है, विस्तृत इं आ यो सूची से अ जा/अ ज जा बी पी एल परिवारों की उनके वरीयता के क्रम में एक पृथक सूची निकाली जानी चाहिये ताकि 60 प्रतिशत आवासों का आवंटन उन्हें किया जा सके। तदुसार, किसी भी समय, दो इं आ यो प्रतीक्षा सूचियाँ, एक अ जा/अ ज जा परिवारों के लिए एवं एक अन्य गैर अ जा/अ ज जा परिवारों के लिए होनी चाहिए।

पाँच नमूना परीक्षित जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि केवल दो जिलों⁴² में अ जा/अ ज जा एवं गैर अ जा/अ ज जा की दो अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थीं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर एवं चयनित जिलों में यह भी पाया गया कि स्वीकृत आवासों के सापेक्ष अ जा/अ ज जा के लाभार्थियों को आवासों का आवंटन क्रमशः 38.43 प्रतिशत और 34.19 प्रतिशत था जो निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) से काफी नीचे था। वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य एवं पाँच चयनित जिलों में अ जा/अ ज जा को इं आ यो के आवासों के आवंटन की स्थिति तालिका 1.3.5 में दी गई है।

तालिका - 1.3.5

अ जा/अ ज जा को इं आ यो के आवासों के आवंटन की स्थिति

स्वीकृति का वर्ष	राज्य स्तर		चयनित जिले	
	राज्य में वर्षवार स्वीकृत आवास	अ जा/अ ज जा लाभार्थियों को आवंटित आवासों की संख्या	पाँच चयनित जिलों में वर्षवार स्वीकृत आवास	पाँच चयनित जिलों में अ जा/अ ज जा लाभार्थियों को आवंटित आवासों की संख्या
2008-09	11,067	6,548 (59.17%)	8,007	4,607 (57.54%)
2009-10	22,326	8,858 (39.68%)	16,554	5,889 (35.57%)
2010-11	16,827	5,877 (34.93%)	12,209	3,521 (28.84%)
2011-12	16,048	5,046 (31.44%)	12,488	3,001 (24.03%)
2012-13	13,887	4,476 (32.23%)	9,685	3,135 (32.37%)
योग	80,155	30,805 (38.43%)	58,943	20,153 (34.19%)

स्रोत: आयुक्त, शा वि वि, चयनित जि शा वि अ

⁴⁰ सहसपुर: 28, रायपुर: 10।

⁴¹ सहसपुर: ₹ 10.57 लाख एवं रायपुर: ₹ 3.62 लाख।

⁴² नैनीताल और ऊधमसिंह नगर।

संबंधित परियोजना निदेशकों द्वारा यह कहा गया कि अ जा/अ ज जा लाभार्थियों को आवासों का आवंटन उनके जिलों में अ जा/अ ज जा श्रेणी के लाभार्थियों की उपलब्धता पर आधारित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह देखा गया कि लक्ष्यों की पूर्ति न होने के बावजूद बाद के वर्षों में अ जा/अ ज जा लाभार्थियों को नये आवंटन किए गए। इस प्रकार से, स्थायी प्रतीक्षासूची में मौजूदगी के बावजूद अ जा/अ ज जा को आवासों का आवंटन नहीं किया गया।

1.3.8.5 राज्य की आवासीय योजनाओं में पहले से लाभान्वित लाभार्थियों एवं उन्हें, जिनके पास बी पी एल सर्वे 2002 के अनुसार पक्के आवास थे, को आवासों का आवंटन

दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवासविहीन या कच्चे आवासों वाले ग्रामीण बी पी एल लाभार्थियों को पक्के आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान किया जाना था। तदुसार, उन लाभार्थियों को जो पहले से ही अन्य योजनाओं द्वारा पक्के आवासों के निर्माण हेतु लाभान्वित हो चुके हों, को सहायता प्रदान नहीं की जानी थी।

- वर्ष 2008-13 के दौरान पाँच नमूना परीक्षित जिलों में से तीन जिलों⁴³ की जाँच में, यह देखा गया कि, 45 इं आ यो आवासों⁴⁴ का आवंटन उन लाभार्थियों को किया गया जो कि पहले से ही राज्य की आवासीय योजनाओं जैसे दीन दयाल उपाध्याय एवं अटल आवास योजना के द्वारा लाभान्वित हो चुके थे (परिशिष्ट-1.3.3)। लाभार्थियों के इस गलत चयन ने अन्य जरूरतमंद परिवारों को इं आ यो आवासों से वंचित किया। समापन गोष्ठी में, सचिव, ग्रा वि वि ने लेखापरीक्षा निरीक्षण में उल्लिखित तथ्यों को स्वीकार किया और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
- यह भी देखा गया कि हरिद्वार जनपद के दो चयनित विकास खण्डों (रूडकी और नारसन) में पक्के आवास वाले लाभार्थियों के नाम इं आ यो प्रतीक्षासूची में शामिल थे। उपरोक्त में से 10 लाभार्थियों⁴⁵ को वर्ष 2011-13 के दौरान ₹ 4.41 लाख भुगतान किया गया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2013) में सचिव, ग्रा वि वि ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

1.3.8.6 इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को ऋण सुविधा का अभाव

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.3 के अनुसार लाभार्थी, इस योजना के तहत प्रदान की गयी सहायता के अलावा, 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की विभेदक दर योजना के तहत ₹ 20,000 प्रति आवास इकाई का ऋण ले सकता था। इच्छुक लाभार्थियों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना संबंधित राज्य सरकार/जि ग्रा वि अ की जिम्मेदारी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान किसी भी लाभार्थी को आवास ऋण नहीं दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 1,149 इं आ यो आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन किये गये जिसमें यह देखा गया कि लाभार्थियों को ऐसी किसी सुविधा के बारे में पता भी नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, संबंधित जि ग्रा वि अ के परियोजना निदेशकों ने कहा कि जरूरतमंद लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि किसी भी लाभार्थी द्वारा उपरोक्त के लिए आवेदन नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुविधा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का अभाव था जो योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा प्रचारित किया जाना था।

1.3.8.7 खराब गुणवत्ता के आवास

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.2.1 के अनुसार, प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि इंदिरा आवास योजना के तहत स्थायी दीवारों और स्थायी छत के साथ पक्के आवास निर्मित किये जाएं। संयुक्त भौतिक सत्यापन के

⁴³ नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून।

⁴⁴ नैनीताल: 08, हरिद्वार:13 और देहरादून: 24 ।

⁴⁵ रूडकी के 08 मामले और नारसन के 02 मामले।

दौरान, यह देखा गया कि 47 प्रतिशत⁴⁶ आवास बिना स्थाई दीवारों और छतों के थे और आवासों की दीवारों पर बाहर से प्लास्टर नहीं थे। कुछ आवास बिना दरवाजे/खिड़कियों के भी थे।

1.3.8.8 आमेलन के आँकड़ों की गलत सूचना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.11 के अनुसार, जि ग्रा वि अ प्रत्येक इं आ यो आवास में (फरवरी 2009 से आगे) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों/ योजनाओं जैसे सेनेटरी शौचालयों के निर्माण हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, निःशुल्क बिजली संयोजन उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई), पीने के पानी की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एन आर डब्ल्यू एस पी) आदि जिनका इं आ यो के साथ आमेलन किया जा सकता था, की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करेगा एवं इन योजनाओं का लाभ इं आ यो लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगा।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, जि ग्रा वि अ की नमूना जाँच में यह देखा गया कि आमेलन के उद्देश्य हेतु एक भी पत्रावली नहीं खोली गई थी। चयनित जि ग्रा वि अ के परियोजना निदेशकों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इं आ यो के साथ आमेलन किये जा सकने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं की पहचान हेतु उनके द्वारा अन्य विभागों के साथ न तो समन्वय किया गया और न ही उनके पास इस के लिए कोई दस्तावेज थे। बावजूद इसके, विभाग अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से वर्ष 2008-13 के दौरान अन्य प्रमुख योजनाओं के साथ आमेलन की स्थिति नियमित रूप से भारत सरकार को प्रतिवेदित कर रहा था जैसा तालिका 1.3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका - 1.3.6

मासिक प्रगति प्रतिवेदन में आमेलन की स्थिति

राज्य स्तर पर							
2008-13 के दौरान पूर्ण आवासों की संख्या	स्वच्छता शौचालय का निर्माण	निर्धूम चूल्हे	आर जी जी वी वाई के तहत उठाया गया लाभ	जन श्री आम आदमी बीमा के तहत नामांकित	स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नामांकित	स्वयं सहायता समूह के तहत सदस्यता	मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड
76781	61,632	48,163	4,460	28,034	9,765	12,060	32,167
प्रतिशत	80.27	62.73	5.81	36.51	12.72	15.71	41.89
चयनित पाँच जिलों पर							
55521	44,465	35,954	3,659	22,676	9,490	10,721	22,954
प्रतिशत	80.09	64.76	6.59	40.84	17.09	19.31	41.34

स्रोत: राज्य स्तर की एम पी आर और पाँच चयनित जिले।

समापन गोष्ठी में, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा स्पष्ट किया गया कि इंदिरा आवास योजना के साथ अन्य प्रमुख योजनाओं का आमेलन वर्ष 2012-13 तक राज्य में अस्तित्व में नहीं था लेकिन इस संबंध में वर्ष 2013-14 से आवश्यक प्रयास आरम्भ किया गया है।

1.3.8.9 इं आ यो बोर्ड और लोगो का प्रदर्शन न किया जाना

इं आ यो के दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.10 के अनुसार, आवास इकाईयों के पूर्ण होने पर, संबंधित जि ग्रा वि अ को सुनिश्चित करना था कि उन पर भारत सरकार के ग्रामीण आवास के लोगो जिसमें निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम, आदि लगाए जाने थे। इस योजना के तहत उपलब्ध निधियों से अर्जित ब्याज से इस खाते पर होने वाला खर्च वहन किया जाना था।

तुलन पत्र की जाँच में पाया गया कि पाँच चयनित जिलों में से केवल ऊधमसिंह नगर में, इस प्रयोजन के लिए जि ग्रा वि अ द्वारा अपने विकास खण्डों के लिए ₹ 2.41 लाख⁴⁷ अवमुक्त किए गए थे। हालांकि, जि ग्रा वि अ द्वारा यह आश्वासन नहीं दिया जा सका कि क्या यह निधि इं आ यो बोर्ड और लोगो को लगवाने में उपयोग की गयी या नहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि (मई 2013) तक विकास खण्ड द्वारा जि ग्रा वि अ को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया था। उत्तर में, सभी जि ग्रा वि अ द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में योजना की निधि से अर्जित ब्याज का उपयोग निर्मित आवासों में लोगो लगवाने हेतु किया जाएगा।

⁴⁶ 1,149 भौतिक सत्यापन इं आ यो आवासों में से 537 आवास (47 प्रतिशत)।

⁴⁷ 2008-09 में ₹ 0.52 लाख, 2009-10 में ₹ 0.43 लाख और 2011-12 में ₹ 1.45 लाख।

1.3.9 मानव संसाधन प्रबंधन

1.3.9.1 कार्यभार मूल्यांकन

इं आ यो के क्रियान्वयन की सफलता महत्वपूर्ण रूप से लाभार्थियों की उचित पहचान एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी पर निर्भर है। यह ग्राम पंचायत के संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (ग्रा वि अ) की जिम्मेदारी है। सभी नमूना जाँच वाले विकास खण्डों की ग्राम पंचायत में 56 से 93 प्रतिशत तक ग्राम विकास अधिकारियों की भारी कमी थी जैसा तालिका 1.3.7 में दिया गया है:

तालिका - 1.3.7
ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्यभार

क्र.सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित विकास खण्डों के नाम	चयनित विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारियों ⁴⁸ की आवश्यक संख्या	चयनित विकास खण्डों की ग्राम पंचायत में उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी की वास्तविक संख्या (प्रतिशत में)	कमी (प्रतिशत में)
1.	देहरादून	रायपुर	55	18	37 (67)
		सहसपुर	55	17	38 (69)
2.	हरिद्वार	रूडकी	59	26	33 (56)
		नारसन	59	26	33 (56)
3.	टिहरी	देवप्रयाग	111	13	98 (88)
		जौनपुर	128	12	116 (91)
4.	उधम सिंह नगर	रूद्रपुर	45	7	38 (84)
		जसपुर	43	3	40 (93)
5.	नैनीताल	रामनगर	53	5	48 (91)
		हल्द्वानी	69	8	61 (88)
योग			677	135 (20)	542 (80)

स्रोत: जि ग्रा वि अ से एकत्र सूचना।

समापन गोष्ठी में सचिव, ग्रा वि वि द्वारा तथ्यों की पुष्टि (नवम्बर 2013) की गई एवं इस मामले पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया।

1.3.9.2 आवास प्रौद्योगिकियों पर अधिकारियों को प्रशिक्षण की कमी

दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर इं आ यो योजना पर काम कर रहे अधिकारियों को विभिन्न आपदा प्रतिरोधी विशेषताओं पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एवं उन्हें क्षेत्र भ्रमण में यह सुनिश्चित करना चाहिए की इन विशेषताओं को अपनाया जा रहा है। हालांकि, यह देखा गया कि लाभार्थियों की सहायता हेतु किसी भी जिला और विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों एवं आपदारोधी निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

1.3.10 अनुश्रवण तंत्र

राज्य स्तरीय सतर्कता निगरानी समिति (एस एल वी एम सी) और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति (डी एल वी एम सी) द्वारा सभी स्तरों पर पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भौतिक सत्यापन निगरानी में पाई गई कमियों, शिकायत निवारण और निगरानी में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

1.3.10.1 राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का अप्रभावी अनुश्रवण

निगरानी एवं सतर्कता समिति (वी एम सी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर पर 2008-13 के दौरान 20 बैठकों (एक वर्ष में चार बैठकें) का आयोजन होना था। हालांकि, राज्य स्तर पर केवल तीन बैठकें की गईं एवं नमूना

⁴⁸ मानकों के अनुसार प्रति ग्राम पंचायत पर एक ग्राम विकास अधिकारी।

चयनित जिलों में वर्ष 2008-13 के दौरान तीन से चार बैठकें की गईं जिनमें केवल वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई।

1.3.10.2 राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण/भौतिक सत्यापन

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2008-13 के दौरान, निदेशालय स्तर पर दो प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष किये गए निरीक्षणों का प्रतिशत 0.05 से 0.08 था। जिलों में निर्धारित 20 प्रतिशत के सापेक्ष वास्तविक निरीक्षण 5.20 और 11.99 प्रतिशत के बीच और विकास खण्डों में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के विपरीत यह बहुत खराब और इतना कम कि 2 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, खराब अनुश्रवण का योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसे पाँच चयनित जिलों⁴⁹ की खराब भौतिक उपलब्धता से आँका जा सकता है क्योंकि वर्ष 2008-13 के दौरान कुल स्वीकृत आवासों के सापेक्ष केवल 42 प्रतिशत आवास पूर्ण थे। परियोजना निदेशकों, जि ग्रा वि अ द्वारा राज्य स्तरीय बैठकों के व्यस्त कार्यक्रम एवं विकास खण्ड स्तर पर कर्मचारियों की कमी को कम संख्या में निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

1.3.10.3 कमजोर शिकायत निवारण तंत्र

चयनित जिलों में संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2008-13 के दौरान चयनित जि ग्रा वि अ में 823 शिकायतें⁵⁰ प्राप्त हुईं, जिन्हें उचित कार्यवाही हेतु विकास खण्ड स्तर पर अग्रेषित किया गया। उपरोक्त में से संबंधित विकास खण्डों से केवल 78 मामलों⁵¹ में जि ग्रा वि अ को सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 34 मामलों⁵² का निपटारा किया गया। शेष शिकायतों पर की गई कार्यवाही जि ग्रा वि अ के पास उपलब्ध नहीं थी। जवाब में संबंधित परियोजना निदेशकों द्वारा कहा गया कि शेष शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने और उचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाएंगे।

1.3.10.4 निगरानी प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी न होना

जैसा इं आ यो के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 5.8 के तहत आवश्यक था, यह पाया गया कि चयनित जिलों के जि ग्रा वि अ द्वारा योजना के पर्यवेक्षण की निगरानी के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे, जिसके कारण सामुदायिक निगरानी और पारदर्शिता की कमी पाई गयी। हालांकि परियोजना निदेशक, जि ग्रा वि अ (देहरादून, हरिद्वार) द्वारा कहा गया कि जागरूकता की कमी के कारण गैर सरकारी संगठनों की पहचान नहीं हो सकी।

1.3.10.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

इं आ यो दिशा-निर्देशों का प्रस्तर 6.3.5 उपबन्ध करता है कि योजना को सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। आगे, दिशा-निर्देशों का प्रस्तर 8.3 उपबन्ध करता है कि सामाजिक लेखापरीक्षा एक निरंतर एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सार्वजनिक सर्तकता एवं योजना के क्रियान्वयन का सत्यापन शामिल है। मौलिक उद्देश्य यह है कि क्रियान्वयन में सार्वजनिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना एवं इसकी उपलब्धि के लिए प्रभावी साधन प्रदान करना। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली का किसी भी नमूना जाँच वाले जिले में अनुसरण नहीं हो रहा था।

समापन गोष्ठी में, सचिव, जि ग्रा वि अ ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2013) एवं आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा।

1.3.11 लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभाव आकलन

ग्रामीण जनसंख्या पर योजना के प्रभाव के आकलन के लिए एवं इं आ यो आवासों की मौजूदगी एवं गुणवत्ता के भौतिक निरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर पाँच चयनित जिलों के 10

⁴⁹ टिहरी: 48 प्रतिशत, उधमसिंह नगर: 45 प्रतिशत, नैनीताल: 66 प्रतिशत, हरिद्वार: 38 प्रतिशत और देहरादून: 10 प्रतिशत।

⁵⁰ टिहरी: 55, उधमसिंह नगर: 179, नैनीताल: 230, हरिद्वार: 308 और देहरादून: 51।

⁵¹ टिहरी: 04, उधमसिंह नगर: 11, नैनीताल: 18, हरिद्वार: 40 और देहरादून: 05।

⁵² टिहरी: 02, उधमसिंह नगर: 03, नैनीताल: 04, हरिद्वार: 20 और देहरादून: 05।

नमूना जाँच विकास खण्डों के 115 गाँवों के 1,149 लाभार्थियों⁵³ से संवाद किया। अ जा/अ ज जा-बी पी एल परिवारों का कवरेज, निर्माण की श्रेणी, लाभार्थियों द्वारा समस्याओं का सामना एवं इं आ यो आवासों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मापदण्डों पर लाभार्थियों से साक्षात्कार एवं इं आ यो आवासों के भौतिक निरीक्षण से प्राप्त जवाब तालिका 1.3.8 में दिये गए हैं।

तालिका - 1.3.8
लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

(नमूने का आकार: 1,149)

क्रम संख्या	विवरण	संख्या में	प्रतिशत	
1.	अ जा/अ ज जा-बी पी एल परिवारों की कवरेज	अ जा/अ ज जा	376	33
		अन्य	773	67
2.	जिसके नाम आवास का आवंटन	महिला	945	82
		पुरुष	204	18
3.	श्रेणी जिसके तहत अनुदान स्वीकृत	नव निर्माण	1,149	100
		अपग्रेडेशन	0	0
4.	निर्माण की स्थिति	पूर्ण	982	85
		जारी /छोड़े गए	167	15
5.	हाउस लोगो प्रदर्शित करता है	हाँ	182	16
		नहीं	967	84
6.	विभेदक ब्याज दर वाला ऋण/उधार सह सब्सिडी के बारे में जागरूकता	हाँ	118	10
		नहीं	1,029	90
		नहीं पूछा	2	0
7.	इंदिरा आवास योजना आवास की स्वीकृति में समस्याएं	हाँ	97	8
		नहीं	884	77
		नहीं पूछा	168	15
8.	इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के बारे में जागरूकता	हाँ	956	83
		नहीं	25	2
		नहीं पूछा	168	15
9.	प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता सूची के अनुसार किए गए आवंटन	हाँ	956	83
		नहीं	25	2
		नहीं पूछा	168	15
10.	अभिनव सामग्री, कम लागत सामग्री आदि पर सरकारी/गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदान की विशेषज्ञता/जानकारी	हाँ	0	0
		नहीं	1,149	100
11.	आवास के निर्माण में पूर्ण स्वतंत्रता	हाँ	1,149	100
		नहीं	0	0
12.	इंदिरा आवास योजना के आवास में उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार			
		क. रसोईघर	हाँ	718
		नहीं	431	38
		ख. निर्धूम चूल्हा	हाँ	0
		नहीं	1,149	100
		ग. रोशनदान	हाँ	1,029
		नहीं	120	10
		घ. स्वच्छता सुविधाएँ	हाँ	883
		नहीं	266	23

⁵³ सिस्टेमेटिक रैंडम सैमपलिंग के आधार पर नमूना लाभार्थी।

	ड जल-निकासी की सुविधा	हाँ	662	58
		नहीं	487	42
	च. बिजली की आपूर्ति	हाँ	1,020	89
		नहीं	129	11
13.	किसी सरकारी योजना से समर्थन जैसे			
	क. संपूर्ण स्वच्छता अभियान	हाँ	1	0
		नहीं	1,148	100
	ख. राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	हाँ	0	0
		नहीं	1,149	100
	ग. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	हाँ	3	0
		नहीं	1,145	100
		कोई जवाब नहीं	1	0
	घ. भारतीय जीवन बीमा निगम का जनश्री बीमा या आम आदमी बीमा	हाँ	0	0
		नहीं	1,149	100
14.	राज्य सरकार के विनिर्देश अनुसार घर के डिजाइन			
		हाँ	0	0
		नहीं	1,149	100

स्रोत: लेखापरीक्षा दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर लाभार्थियों के जवाब।

उपरोक्त तालिका का लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि:

- पाँच चयनित जिलों के 10 चयनित विकास खण्डों के 1,149 आवासों के भौतिक निरीक्षण किए गए आवासों में से 967 आवास (84 प्रतिशत) इंड आ यो बोर्ड एवं लोगो नहीं दर्शाते थे जबकि केवल 182 आवास (15.84 प्रतिशत) ऐसे थे जो इन आवासों के इंड आ यो के तहत स्वीकृति की सूचना दर्शाते थे। इसके अलावा, इनमें से किसी भी इंड आ यो आवास पर उचित लोगो लगा होना नहीं पाया गया।
- नमूना जाँच वाले जिलों में भौतिक निरीक्षण वाले 47 प्रतिशत इंड आ यो आवास बगैर पक्की दीवारों, छत एवं बाहरी प्लास्टर के थे।
- सभी मामलों (1,149 आवासों) में लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली सहायता के अलावा आवास ऋण सुविधा की जानकारी नहीं थी।
- कुल भौतिक निरीक्षण किये गए आवासों में से 165 इंड आ यो आवास अपूर्ण पाए गए।
- अभिनव सामग्री पर विशेषज्ञता/सूचना, कम लागत सामग्री एवं आवास के डिजाइन, इत्यादि न तो सरकार द्वारा प्रदान करवाया गया एवं न ही कोई गैर सरकारी संगठन इंड आ यो आवासों के निर्माण में सहायता के लिए जोड़ा गया।
- इंड आ यो आवासों में अनुपलब्ध सुविधाओं जैसे रसोई, निर्धूम चूल्हे, रोशनदान, स्वच्छता एवं जल निकासी सुविधा एवं बिजली आपूर्ति का प्रतिशत शून्य से 90 प्रतिशत के बीच रहा।
- कोई भी लाभार्थी ऐसा नहीं पाया गया जिसे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के जनश्री बीमा या आम आदमी बीमा के तहत सहायता मिली हो।
- इंड आ यो आवासों के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट एवं मानक डिजाइन विभाग द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराया पाया गया।
- आवास 117 पुरुष सदस्यों (10 प्रतिशत) को आवंटित किये गए, इस तथ्य के बावजूद कि व्यस्क महिला सदस्य इंड आ यो आवास में निवास कर रही थीं।

समापन गोष्ठी में, सचिव, ग्रा वि वि ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों को स्वीकारा (नवम्बर 2013) एवं मामले को देखे जाने का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

योजना के लाभ अपात्र व्यक्तियों को दिये गए। अ जा/अ ज जा बी पी एल परिवारों को आवंटन का प्रतिशत निर्धारित मानदण्डों से अत्यधिक नीचे रहा। वार्षिक योजनाएं एवं मासिक लक्ष्य तैयार/निर्धारित नहीं किये गए। राज्य सरकार आवास भूखण्ड योजना के क्रियान्वयन में असफल रही। वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था जैसा कि केन्द्रांश में कटौती पर टिप्पणियों, धनराशि की अवमुक्ति में देरी, योजना निधियों का व्ययावर्तन एवं योजना की धनराशि में ब्याज की हानि में देखा जा सकता है। इं आ यो का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ आमेलन सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए। निगरानी प्रणाली कमजोर थी क्योंकि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सर्तकता निगरानी समिति की बैठकें बुलाई नहीं गईं। शिकायत निवारण तंत्र काफी कमजोर था। योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कार्यभार का आकलन उचित तरीके से नहीं किया गया एवं किसी भी जिला एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को लागत प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल आवास तकनीक अपनाने में प्रशिक्षित नहीं किया गया।

अनुशंसाएँ

राज्य सरकार चाहे तो सुनिश्चित कर सकती है कि:

- पात्र व्यक्तियों को योजना के लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये;
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया जाये ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की अवमुक्ति में देरी, निधियों का व्ययावर्तन, भारत सरकार से निधियों में कटौती से बचा जा सके;
- पूर्णतः कार्यात्मक आवास इकाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर अन्य योजनाओं के साथ इं आ यो की गतिविधियों के आमेलन को प्राथमिकता दी जाए; एवं
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाया जाए और दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली का पालन किया जाये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अक्टूबर 2013 में सरकार को भेजे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

सिंचाई विभाग

1.4 सिंचाई विभाग की कार्यपद्धति

सिंचाई विभाग, सिंचाई द्वारा कृषि उत्पादन में तेजी लाने हेतु राज्य के जल संसाधनों के उपयोग और बाढ़/भू-कटाव के विनाशकारी प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु उत्तरदायी है। कुछ मुख्य अभ्युक्तियाँ नीचे दी गई हैं:

मुख्यांश:

- 295 नहरों के न्यून उपयोग के फलस्वरूप 25,797 हेक्टेयर कम सींच प्राप्त हुई। [प्रस्तर 1.4.6.2 (अ)]
- विभाग वर्ष 1983-84 से जल संस्थान एवं मेसर्स एच एम टी लिमिटेड से ₹ 16.39 करोड़ की अदत देयताओं के संग्रहण में विफल रहा। [प्रस्तर 1.4.7.2]
- विभाग तराई भाबर क्षेत्र की नहरों की मरम्मत एवं रखरखाव में ₹ 2.15 करोड़ के व्यय के बाद भी जल कर लगाने में असमर्थ था। [प्रस्तर 1.4.7.3]
- विभाग द्वारा ₹ 68.62 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निस्तारण नहीं किया जा सका। [प्रस्तर 1.4.11.1]
- विभाग का आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र अपर्याप्त था। [प्रस्तर 1.4.13.2]

1.4.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिले हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 56.73 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 7.26 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है (वर्ष 2010-11)। कुल कृषि योग्य भूमि में से 64.18 प्रतिशत भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में है तथा शेष 35.82 प्रतिशत भूमि मैदानी क्षेत्रों में है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का क्रमशः 25.49 प्रतिशत और 74.51 प्रतिशत है।

विभाग, सिंचाई के उद्देश्य के लिए 2,735 नहरों, 1,248 नलकूपों और 166 लघु डालों का रखरखाव करता है और कुल 8,528 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 6455 पदस्थापित पदों, जो कि 76 प्रतिशत है, के साथ कार्य कर रहा है (31 मार्च 2013 के अनुसार)। वर्तमान में, वर्ग⁵⁴ क और ख में क्रमशः 79 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत अधिकारी पदस्थापित थे जबकि वर्ग ग एवं घ में क्रमशः 71 प्रतिशत एवं 84 प्रतिशत कर्मचारी पदस्थापित थे।

1.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं। वह, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), जो विभागाध्यक्ष भी हैं, की सहायता से कार्य करते हैं। विभागाध्यक्ष नीतियाँ बनाने एवं राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने एवं उनके अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। वह पाँच मुख्य अभियन्ता (स्तर-II), 28 अधीक्षण अभियन्ता और 97 अधिशासी अभियन्ताओं की सहायता से कार्य करते हैं। संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट- 1.4.1 में दिया गया है।

1.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सिंचाई विभाग के क्रियाकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था कि क्या:

⁵⁴ वर्ग क - मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, शोध अधिकारी और वित्त नियंत्रक; वर्ग ख - सहायक अभियन्ता, सहायक शोध अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और उप राजस्व अधिकारी; वर्ग ग - कनिष्ठ अभियन्ता, फोरमैन, मानचित्रकार, प्रशासनिक एवं वित्त कार्मिक; एवं वर्ग घ - में सभी अन्य कर्मचारी।

- नियोजन दक्ष था और कार्यक्रम प्रबन्धन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबन्धन पर्याप्त एवं दक्ष था;
- भण्डार एवं स्टॉक प्रबन्धन दक्ष था;
- मानव संसाधन प्रबन्धन पर्याप्त एवं दक्ष था; और
- आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में थे और प्रभावी थे।

1.4.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष का कार्यालय, पाँच मुख्य अभियन्ता (स्तर -II) में से चार⁵⁵, पाँच⁵⁶ मण्डल (15 में से) और 57 खण्डों में से 15 खण्डों⁵⁷ के वर्ष 2008-13 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच, मई-2013 से अगस्त 2013 के दौरान की गई थी। मण्डलों और खण्डों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्सनल टु साईज विद रिप्लेसमेण्ट (पी पी एस डब्ल्यू आर) सैंपलिंग विधि द्वारा किया गया।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि पर चर्चा के लिए सचिव, सिंचाई विभाग के साथ प्रवेश गोष्ठी 07 मई 2013 में सम्पन्न हुई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव के साथ निकास गोष्ठी 29 नवम्बर 2013 को सम्पन्न हुई थी तथा उनके कथनों को उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

1.4.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभाग के क्रियाकलापों का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- शासनादेश, विभागीय नियम और सिंचाई नियम संग्रह के प्रावधान;
- प्रत्येक सिंचाई परियोजना/योजना हेतु नियत मानक और निर्धारित सीच लक्ष्य;
- भारत सरकार और नाबाई द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से सम्बन्धित मानक और स्वीकृति आदेशों के प्रावधान; और
- राज्य वित्तीय नियम/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधान।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

1.4.6 नियोजन

दक्ष एवं प्रभावी ढंग से सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने हेतु विभाग को नियोजित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा विभाग में अप्रभावी नियोजन के प्रकरण पाए गए, जिन्हें अग्रिम प्रस्तारों में उल्लेखित किया गया है।

1.4.6.1 सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में प्रबन्धन का अप्रभावी रहना

उच्चतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए असिंचित कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु सिंचाई विभाग को एक मजबूत प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। राज्य के सिंचाई के विवरण तालिका 1.4.1. में दिए गए हैं।

⁵⁵ मुख्य अभियन्ता (गडवाल), देहरादून; मुख्य अभियन्ता (कुमाऊँ), हल्द्वानी; मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) रुड़की एवं मुख्य अभियन्ता (पशिक्षण), कालागढ़।

⁵⁶ अल्मोड़ा, देहरादून (2), हल्द्वानी एवं नैनीताल।

⁵⁷ अल्मोड़ा, दुगड़डा, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, नैनीताल, नई दिल्ली, नरेन्द्रनगर, पुरोला, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के सिंचाई खण्ड तथा देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर एवं रुड़की के नलकूप खण्ड।

तालिका - 1.4.1
राज्य के सिंचाई विवरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

वर्ष	निबल बोया गया क्षेत्रफल/पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट की दर (प्रतिशत में)	निबल सिंचित क्षेत्र		निबल राज्य आय में निबल कृषि एवं अन्य से आय का प्रतिशत
		क्षेत्र	शुद्ध कृषि क्षेत्र के सापेक्ष निबल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	
2006-07	7,65,150	3,45,020	45.09	18.99
2007-08	7,55,035 (-1.32%)	3,40,925	45.15	15.92
2008-09	7,53,711 (-0.17%)	3,40,129	45.12	15.33
2009-10	7,41,099 (-1.67%)	3,38,493	45.67	14.70
2010-11 ⁵⁸	7,26,537 (-1.96%)	3,36,136	46.26	13.60

स्रोत :- सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित आँकड़े।

वर्ष 2006-11 के दौरान निबल बोये गए क्षेत्र एवं निबल सिंचित क्षेत्र 7.65 लाख हेक्टेयर एवं 3.45 लाख हेक्टेयर में क्रमशः 5.05 प्रतिशत एवं 2.57 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि आई यद्यपि वर्ष 2006-11 की अवधि में नहरों की संख्या 2,323 से 2,648 (14 प्रतिशत), नलकूपों की संख्या 782 से 1,051 (34 प्रतिशत), लघु डालों की संख्या 98 से 139 (42 प्रतिशत) और कृषि योग्य भूमि में 2,877 से 3,256 हेक्टेयर (13 प्रतिशत) की प्रभावकारी वृद्धि हुई थी। निबल बोये गए क्षेत्र एवं निबल सिंचित क्षेत्र में निरन्तर गिरावट के कारण निबल राज्य आय में कृषि आय के अंशदान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो कि वर्ष 2006-07 के 19 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2010-11 में 14 प्रतिशत रह गया।

निकास गोष्ठी में सचिव ने वस्तुस्थिति पर आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने और सिंचाई सुविधाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य संबंधित विभागों से तालमेल करने का आश्वासन दिया (नवम्बर 2013)। उपर्युक्त उत्तरदायी कारकों की चर्चा अग्रिम प्रस्तारों में की जा रही है।

1.4.6.2 बंद नहरों के परित्याग में विलम्ब

सिंचाई विभाग को श्रोतों के सूख जाने एवं मरम्मत न की जा सकने वाली क्षति के कारण, अलाभकारी नहरों को निश्चित समयान्तराल के पश्चात चिन्हित एवं घोषित कर परित्याग किये जाने की आवश्यकता है ताकि संबंधित कमान्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नव निर्माण सम्भव हो सके। तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा विभाग को बंद नहरों के परित्याग हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित (जून 2004) किया गया था।

विभाग के 09 चयनित खण्डों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि श्रोतों के सूख जाने और क्षतिग्रस्त होने के कारण कुल 45 नहरें 1,403 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही थी। परित्याग हेतु प्रस्तावित नहरों का विवरण तालिका-1.4.2 में दिया गया है।

तालिका -1.4.2

परित्याग हेतु प्रस्तावित नहरों का विवरण

खण्ड का नाम	परित्याग हेतु नहरों एवं उसके कारकों का विवरण				नहरों के बंद होने का वर्ष
	संख्या	कृष्य कमान्ड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	श्रोतों का सूख जाना		
			संख्या	कृष्य कमान्ड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	07	253	06	132	1988-04
सिंचाई खण्ड, दुगड़डा	06	93	06	93	1987-98
सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	02	64	01	24	1993
सिंचाई खण्ड, नैनीताल	07	194	06	181	1992-95
सिंचाई खण्ड, नरेन्द्र नगर	02	21	02	21	1999-01
सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	04	105	02	40	1980-95
सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	09	329	06	185	1984-02
सिंचाई खण्ड, पुरोला	07	161	00	0	1981-95
सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	01	183	01	183	1983-84
योग	42	1,403	30	859	

(स्रोत: सूचनाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गईं)

⁵⁸ सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के पश्चात की सूचनाएं अभी प्रकाशित की जानी है।

आगे, विश्लेषण में यह पाया गया कि 14 नहरें भूस्खलन और दैवी आपदा के कारण बंद हो गई थीं। जबकि 30 नहरें श्रोतों के सूख जाने के कारण बन्द हो गई थीं। पुनः 30 नहरों में से 15 नहरें⁵⁹ उनके निर्माण के एक वर्ष से तीन वर्ष के अंदर श्रोतों के सूख जाने के कारण निष्क्रिय हो गई थीं। यह भी पाया गया कि खण्डों द्वारा नहरों को परित्याग हेतु प्रस्तावित करने के पूर्व श्रोतों के जलसंवर्धन- हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए थे। इस प्रकार, 1,403 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई आयोजना नहीं की गई। निकास गोष्ठी में, सचिव ने बंद नहरों के परित्याग हेतु त्वरित कार्यवाही करने और प्रभावित क्षेत्रों में नए संसाधनों की खोज का आश्वासन दिया (नवम्बर 2013)।

(अ) नहरों की क्षमता का न्यून उपयोग

सात खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 953 नहरों में से 295 नहरें कृषि क्षेत्र हेतु पर्याप्त सिंच उपलब्ध नहीं करा रहीं थीं जैसा कि तालिका 1.4.3 में देखा जा सकता है।

तालिका - 1.4.3
न्यून उपयोग वाली नहरों का विवरण

क्रम सं०	सिंचाई खण्ड का नाम	कुल नहरें	न्यून उपयोग वाली नहरों का विवरण						वर्ष 2008-13 में अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय (₹ लाख में)
			नहरों की संख्या	कृष्य कमाण्ड क्षेत्र	2008-13 हेतु प्रस्तावित सिंच क्षेत्र		कमी		
					प्रस्तावित	प्राप्त	हेक्टेयर में	%	
1.	रुद्रपुर	114	25	12,723	17,701	9,000	8,701	49	उपलब्ध नहीं
2.	दुगड़ा	126	30	673	760	127	633	83	39.63
3.	अल्मोड़ा	119	19	720	788	186	602	77	49.91
4.	नैनीताल	134	09	1,326	2,517	276	2,241	89	89.72
5.	पिथौरागढ़	179	87	2,663	4,300	1,268	3,032	71	158.48
6.	काशीपुर	112	32	17,85	16,160	7,120	9,040	56	55.56
7.	नरेन्द्र नगर	151	93	1,819	2,215	667	1,548	70	107.45
योग		935	295	37,799	44,441	18,644	25,797	58	500.75

(स्रोत: सूचनाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गईं।)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण ने यह दर्शाया कि वर्ष 2008-13 की अवधि में 295 नहरों के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹ 500.75 लाख व्यय किये जाने के उपरान्त भी कुल 44,441 हेक्टेयर के प्रस्तावित सिंच लक्ष्य के सापेक्ष 25,797 हेक्टेयर कृषि भूमि को असिंचित रखते हुए मात्र 18,644 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इन नहरों द्वारा की जा सकी थी।

निकास गोष्ठी में, सचिव ने अवगत कराया कि नहरों की क्षमता के न्यून उपयोग का मुख्य कारण कृषि भूमि की जमीनी स्तर पर आसामान्य परिस्थितियां, भूमि का असमतल होना, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान, श्रम संसाधनों की कमी और मरम्मत एवं अनुरक्षण के अंतर्गत अपर्याप्त वित्त पोषण है (नवम्बर 2013)। साथ ही, उन्होंने नहरों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि हेतु सुधारात्मक उपाय किये जाने का आश्वासन दिया (नवम्बर 2013)।

1.4.6.3 जल कर की दरों को पुनरीक्षित नहीं किया जाना

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 द्वारा विद्यमान जल संसाधनों की भौतिक एवं वित्तीय धारणीयता पर पर्याप्त ध्यान देने हेतु जोर दिया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग अभी भी वर्ष 1995 में निर्धारित की गई दरों पर जल कर का संग्रहण कर रहा था और वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक जल कर के रूप में ₹ 44.59 करोड़ की वसूली प्रस्तावित की थी। साथ ही यह भी पाया गया कि विभाग ने दरों को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी (अगस्त 2006) और राज्य सरकार को संबंधित प्रस्ताव दो बार (जून 2009 एवं जुलाई 2012) प्रस्तुत किया। परन्तु राज्य सरकार ने प्रस्ताव वापस कर दिया और 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को सम्मिलित करते हुए इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जैसा

⁵⁹ अल्मोड़ा (तीन नहरें), दुगड़ा (पाँच नहरें), नई टिहरी (तीन नहरें) और पिथौरागढ़ (चार नहरें)।

कि राज्य में जल प्रबंधन हेतु ₹ 76 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की यह एक पूर्व शर्त थी। विभाग ने तदुसार जल कर की दरों को पुनरीक्षित करने हेतु एक नया प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया (जनवरी 2013)। प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित है (अगस्त 2013)।

निकास गोष्ठी में सचिव ने अवगत कराया (नवम्बर 2013) कि जल कर की दरों को नियत करने की नीति को लागू करने की प्रक्रिया का सरकार के स्तर से शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

1.4.6.4 अर्द्धसंकरीय क्षेत्र में जल संवर्धन के बिना भूगर्भीय जल का दोहन

राष्ट्रीय जल नीति (रा ज नी) में यह प्राविधानित है कि भूगर्भीय जल का दोहन केवल जल संवर्धन की संभावनाओं की सीमा तक किया जाना चाहिए। यह भी प्राविधानित है कि विभाग को भूगर्भीय जल संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हेतु भूगर्भीय जल संवर्धन की परियोजनाओं का विकास एवं उन्हें लागू करना चाहिए। केन्द्रीय भूगर्भीय जल परिषद (के प ज भू) ने यह पाया (मार्च 2004) कि हरिद्वार जिले के भगवानपुर एवं लक्सर विकास खण्डों में क्रमशः 133.41 एवं 142.53 प्रतिशत तक भूगर्भीय जल का अधिक दोहन किया जा रहा था। के प ज भू, देहरादून ने भगवानपुर एवं लक्सर विकास खण्डों को अर्द्धसंकरीय क्षेत्र के रूप में श्रेणीगत किया था (मार्च 2011)। इसी दरम्यान, राज्य सरकार ने छः वर्षों के विलम्ब से, भूगर्भीय जल संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन हेतु एक समिति का गठन किया (दिसम्बर 2010)। समिति ने राज्य सरकार को संकरीय/अर्द्धसंकरीय क्षेत्रों में भूगर्भीय जल दोहन हेतु संरचनाओं के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने की संस्तुति दी थी (जनवरी 2013)।

नलकूप खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि इस तथ्य के उपरान्त भी कि इन विकास खण्डों में 109 नलकूप पूर्व से ही संचालित हैं, और भगवानपुर विकास खण्ड में जल स्तर के संवेदनशील होने के कारण एक नलकूप असफल हो गया था, विभाग ने के प ज भू के आकलनों को दरकिनार करते हुए, भगवानपुर एवं लक्सर विकास खण्डों में क्रमशः 15 एवं 42 नलकूपों का निर्माण कराया (वर्ष 2005-13)।

निकास गोष्ठी में, संवेदनशील/अर्द्धसंवेदनशील क्षेत्रों में भूगर्भीय जल के दोहन पर ध्यान देने की आवश्यकता से सचिव सहमत थे (नवम्बर 2013)।

1.4.7 वित्तीय प्रबन्धन

राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और केन्द्रीय सहायता पर वृहद रूप से निर्भर था क्योंकि कि वर्ष 2009-13 की अवधि में सकल योजना व्यय में इन दोनों का 73 प्रतिशत (नाबार्ड 37 प्रतिशत और केन्द्रीय सहायता 36 प्रतिशत) हिस्सा था जैसा कि तालिका 1.4.4 में दर्शित है।

तालिका - 1.4.4

(₹ करोड़ में)

खण्ड	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		योग	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
राज्यांश	63.73	27	58.07	28	60.24	29	65.15	25	76.63	26	323.82	27
नाबार्ड	76.02	32	69.06	33	76.47	37	86.52	34	136.41	46	444.48	37
राज्यांश + नाबार्ड*	139.75		127.13		136.71		151.67		213.04		768.30	
केन्द्रीय सहायता	96.18	41	80.46	39	69.55	34	104.93	41	80.63	28	431.75	36
योग	235.93		207.59		206.26		256.60		293.67		12,00.05	

* राज्यांश एवं जिला योजना का योग।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में राज्य बजट एवं केन्द्र पुरोनिधानित परियोजनाओं हेतु निधियों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग के वर्षवार विवरण परिशिष्ट- 1.4.2 (अ) एवं (ब) में दिये गए हैं। निधियों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग के विश्लेषण में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:

- विभाग ने 251 नलकूपों के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹ 13.01 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया (वर्ष 2008-13) जिन्हें पूर्व में ही (वर्ष 2005-13) संचालन, मरम्मत एवं जल कर संग्रहण हेतु ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

- वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु तीन नलकूप खण्डों⁶⁰ को ₹ 15.58 करोड़ अवमुक्त किये गए थे। जबकि इन खण्डों द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु प्रावधान से अधिक व्यय किया गया। ₹ 1.99 करोड़⁶¹ के अधिक व्यय को 'अन्तरण प्रविष्टि' द्वारा पूँजीगत शीर्ष में डाला गया जो कि अनियमित है क्योंकि मरम्मत एवं अनुरक्षण के व्यय की प्रविष्टि केवल राजस्व शीर्ष में की जा सकती है।
- त्वरित सिंचाई लाभ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने पर उन्हें 15 दिन के अंदर अवमुक्त किया जाना चाहिए। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक की अवधि में राज्य सरकार द्वारा 30 से 165 दिन के विलम्ब के साथ कार्यदायी संस्थाओं को निधियाँ निर्गत की गई थीं। 201 परियोजनाओं में से 34 परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण थीं (मार्च 2013)।

निकास गोष्ठी में, सचिव ने अवगत कराया (नवम्बर 2013) की कार्यालयीन कार्यविधि के कारण निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब हुआ। विलम्ब से बचने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

वित्तीय प्रबंधन में प्रकाश में आयी अन्य कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

1.4.7.1 निधियों की प्राप्ति के बिना निक्षेप कार्यों का निष्पादन

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 633 के अनुसार निक्षेप कार्यों का निष्पादन आगणित लागत की प्राप्ति होने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। उक्त वित्तीय नियम का उल्लंघन करते हुए, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा कुम्भ मेला 2010 में 21 निक्षेप कार्यों को निधियों की प्राप्ति के बगैर क्रियान्वित एवं पूर्ण किया गया। ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया था। परिणामतः विभाग पर ₹ 1.22 करोड़ के दायित्वों का सृजन हुआ। उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर, सचिव ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

1.4.7.2 अदत्त लम्बित वसूलियाँ

सिंचाई विभाग के आदेशों की संहिता, विभाग को गैर कृषि कार्यों⁶² हेतु जल कर आरोपित करने के लिए अधिकृत करती है। चार खण्डों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2009-13 की अवधि में जल संस्थान और भारत सरकार के एक उपक्रम एच एम टी लिमिटेड की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली एच एम टी वॉचेज लिमिटेड को ₹ 5.55 करोड़ के किये गए जल की आपूर्ति हेतु जल कर की वसूली नहीं की जा सकी थी। आगे, यह भी पाया गया कि जल संस्थान एवं एच एम टी वॉचेज लिमिटेड को आपूर्ति किये गए जल के सापेक्ष जल कर की वसूली वर्ष 1983-84 से लम्बित थी, जो अद्यतन ₹ 16.39 करोड़⁶³ हो गए थे (मार्च 2013) तथापि खण्डों द्वारा समय-समय पर वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहे हैं।

निकास गोष्ठी में, सचिव ने यह आश्चस्त किया (नवम्बर 2013) कि जल संस्थान एवं एच एम टी वॉचेज लिमिटेड से देयताओं के वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

1.4.7.3 सिंचाई उपलब्ध कराने के बदले जल कर का संग्रहण न किया जाना

ब्रिटिश काल में, कम आबादी वाले तराई भावर⁶⁴ क्षेत्र में आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से नहरों से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। सिंचाई विभाग के पास उक्त क्षेत्र की नहरों का नियंत्रण अगस्त 1956 में आया। तथापि, वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश जल संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के बाद से उक्त नहरों का उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराने से सिंचाई उपलब्ध कराने में परिवर्तित हो गया।

क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रहे चयनित पाँच खण्डों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कुल 146 नहरों (चार नहर प्रणालियों सहित) द्वारा 38,201 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही थी लेकिन नहरों के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु कोई भी जल कर कृषकों से नहीं लिया जा रहा था। पुनः दो खण्डों द्वारा वर्ष

⁶⁰ ₹ 6.03 करोड़ (देहरादून) + ₹ 6.36 करोड़ (रूड़की) + ₹ 3.19 करोड़ (रामनगर) = ₹ 15.58 करोड़।

⁶¹ ₹ 1.44 करोड़ (देहरादून) + ₹ 0.08 करोड़ (रूड़की) + ₹ 0.47 करोड़ (रामनगर) = ₹ 1.99 करोड़।

⁶² पेयजल, शहरी क्षेत्र में जल वितरण, विद्युत उत्पादन एवं उद्योग।

⁶³ जल संस्थान हल्द्वानी, कोटद्वार, रामनगर एवं एच.एम.टी. लिमिटेड नैनीताल - ₹ 15.84 करोड़, ₹ 0.27 करोड़, ₹ 0.05 करोड़ एवं ₹ 0.21 करोड़।

⁶⁴ देहरादून, नैनीताल (हल्द्वानी, चोरगलिया कालाडूंगी एवं रामनगर), पौड़ी गढ़वाल (कोटद्वार क्षेत्र) एवं ऊधमसिंह नगर (बाजपुर एवं खटीमा) में फैला तराई भावर क्षेत्र।

2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में तराई भाबर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही नहरों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹ 2.15 करोड़ व्यय किये गए। विभाग द्वारा कई अवसरों⁶⁵ पर सिंचित क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से जल कर लगाने की संस्तुति की गई लेकिन उसे लागू नहीं कर सका (जनवरी 2013) क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल कर संग्रहण का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था।

निकास गोष्ठी में, सचिव, सिंचाई विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि तराई भाबर क्षेत्र को कर दायरे में लाने का प्रस्ताव जनवरी 2003 से सरकार के पास लंबित है।

1.4.8 योजनाओं का क्रियान्वयन

कुछ विभागीय योजनाओं के प्रदर्शन एवं सम्पादन और उनसे संबंधित अभ्युक्तियों की चर्चा नीचे की गई है।

1.4.8.1 त्वरित सिंचाई लाभ योजना

चालू सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ योजना चालू की गई (वर्ष 1996-97)। राज्य में वर्ष 2008 के पूर्व की 75 अपूर्ण परियोजनाओं सहित कुल 201 परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। यह पाया गया कि वर्ष 2008-13 की अवधि में विभाग ₹ 298.46 करोड़ की लागत से केवल 168 (83 प्रतिशत) परियोजनाएँ पूर्ण कर सका था। 33 परियोजनाएँ अभी भी अपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि 67 परियोजनाएँ एक वर्ष की समयवृद्धि से ग्रसित थीं। योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

(अ) अनुत्पादक व्यय

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सुभाषगढ़ नहर के निर्माण हेतु ₹ 659.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (जून 2011)। इसका उद्देश्य हरिद्वार जिले के लक्सर विकास खण्ड में स्थित 450 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। खण्ड द्वारा पथरी नाला के श्रोत पर मुख्य नहर (2,500 मीटर) के साथ शाखा नहर (2,000 मीटर) और टेलगूलों (1,000 मीटर) का निर्माण कराया जाना था। इसमें नहरों के दोनों तरफ दो हेड रेगुलेटर और नहर के बायें एवं दायें तरफ जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु नहर के निचले प्रवाह में शीर्ष से 20 मीटर की दूरी पर क्रॉस रेगुलेटर बनाये जाने थे।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि खण्ड ने नहर-निर्माण का कार्य 0.025 कि मी से 1.250 कि मी भाग से प्रारम्भ किया (दिसम्बर 2011) और मार्च 2012 के अंत में तीन माह की निर्धारित अवधि में ₹ 66.03 लाख की लागत से मुख्य नहर का केवल 673.20 मीटर भाग टुकड़ों⁶⁶ में निर्मित कराया (मार्च 2012)।

नहर को श्रोत से जोड़ने में खण्ड असफल रहा क्योंकि नहर के शीर्ष एवं रेगुलेटरों हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के मध्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण नहर के हेड रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर के कार्य नहीं कराए जा सके थे जबकि राज्य सरकार द्वारा उक्त हेतु ₹ 12.59 लाख आवंटित किये गए थे। सचिव ने आश्वस्त किया (नवम्बर 2013) कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ब) निरर्थक व्यय

राज्य सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत, तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदनोपरान्त, सरेण्डा नहर के ब्रिक लाईनिंग की योजना, लम्बाई 1.50 कि मी हेतु ₹ 22.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी (दिसम्बर 2002)। योजना का उद्देश्य 68 हेक्टेयर अतिरिक्त कृष्य कमाण्ड क्षेत्र⁶⁷ को तैयार करने के साथ-साथ जल भराव का निराकरण करना था। सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर ने ₹ 22.75 लाख की लागत से वर्ष 2003-04 में परियोजना को पूर्ण किया और 64 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि के तैयार किये जाने का दावा किया। इस परियोजना के पूर्ण

⁶⁵ मई 1973, फरवरी 1982 एवं सितम्बर 1996।

⁶⁶ 0.025 कि.मी. से 0.750 कि.मी. तक एवं 1.000 कि.मी. से 1.250 कि.मी. तक।

⁶⁷ कृष्य कमाण्ड क्षेत्र से तात्पर्य किसी योजना से सिंचित की जाने वाली भूमि से है जो कि कृषि के योग्य हो।

होने के तत्काल बाद, राज्य सरकार ने नहर के 0.00 कि मी से 0.972 कि मी भाग और इससे जुड़ी हुई 1.118 हेक्टेयर क्षेत्र को औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड को निःशुल्क हस्तान्तरित कर दिया (जून 2005)। इस प्रकार राज्य सरकार के सिंचाई एवं औद्योगिक विभागों के मध्य सामन्जस्य में कमी के कारण सरेण्डा नहर के नवीनीकरण पर त्वरित सिंचाई लाभ योजना निधि से किया गया ₹ 22.75 लाख का व्यय दो वर्षों में ही निरर्थक हो गया, परिणामतः योजना के उद्देश्य, जिसके लिए योजना से निधियाँ निर्गत की गई थीं, प्राप्त नहीं हो सके।

निकास गोष्ठी में, सचिव ने अवगत कराया (नवम्बर 2013) कि वास्तविक उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए भविष्य में सिंचाई साधनों का निर्माण कराया जाएगा और सरकार के अन्य विभागों में सरकारी नीतियों के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुए किये जाएंगे।

1.4.8.2 नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) के अन्तर्गत कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार संबंधी परियोजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को ऋण आधारित निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वह वास्तविक क्रियान्वित कार्यों के व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर ऋण राशि वितरित करता है।

वर्ष 2008-13 के दौरान नाबार्ड के अन्तर्गत सरकार ने कुल 231 परियोजनाएँ स्वीकृत की थीं। इसमें वर्ष 2008-09 के पूर्व की 103 स्वीकृत परियोजनाएँ सम्मिलित थीं जो कि पूर्ण होने के लिए लम्बित थीं। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-13 में 231 परियोजनाओं में से केवल 114 परियोजनाओं को विभाग पूर्ण कर सका था और इस प्रकार, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मंद गति के कारण विभाग नाबार्ड से ₹ 454.48 करोड़ में से केवल ₹ 447.52 करोड़ प्राप्त करने में सफल हो सका था। यह भी पाया गया कि विभाग ₹ 447.52 करोड़ में से ₹ 444.48 करोड़ का ही उपयोग करने में सक्षम हुआ था। योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:

(i) नलकूपों के इष्टतम संचालन में असफलता

विभाग चार खण्डों⁶⁸ के माध्यम से 94,806 हेक्टेयर कृषि भूमि को नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। नलकूपों के क्रियाकलापों का विवरण तालिका 1.4.5 में दिया गया है।

तालिका - 1.4.5
नलकूपों का विवरण

क्रम सं.	मर्दे	नलकूप खण्ड का नाम				योग	
		देहरादून	रूड़की	हल्द्वानी	रामनगर		
1.	कुल नलकूप	230	432	469	131	1262	
2.	असंचालित नलकूप	निष्प्रयोज्य नलकूप	09	39	27	शून्य	75
		असफल नलकूप	11	42	46	शून्य	99
		योग	20	81	73	शून्य	174
3.	चलित नलकूप	210	351	396	131	1,088	
4.	ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नलकूप	70	26	47	108	251	
5.	विभाग द्वारा संचालित नलकूप	140	325	349	23	837	
6.	नलकूपों द्वारा आच्छादित कृष्य कमाण्ड क्षेत्र	17,155	30,650	35,175	10,673	93,653	
7.	प्रस्तावित सींच लक्ष्य	12,000	22,988	37,764	10,974	83,726	
8.	प्राप्त सींच	9,241	12,078	21,953	9,300	52,572	
9.	सींच में कमी	2,759	10,910	15,811	1,674	31,154	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ)

इन नलकूपों के क्रियाकलाप में पायी गई कमियाँ निम्नवत हैं:

⁶⁸ नलकूप खण्ड, देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर एवं रूड़की।

(ii) **असंचालित नलकूपों के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में असफलता**

नमूना जाँच के खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 174 नलकूप, दो से 25 वर्ष की अवधि⁶⁹ में असंचालित हो गये। वे या तो परित्याग हेतु प्रस्तावित (संख्या 75) किये गए थे अथवा तकनीकी समस्याओं के कारण निष्क्रिय (संख्या 99) घोषित किये गए थे। परिणामतः 93,653 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 13,050 हेक्टेयर⁷⁰ कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित थी। निकास गोष्ठी में, सचिव ने असिंचित भूमि को पानी उपलब्ध कराने हेतु सुधारात्मक उपाय अपनाने हेतु आश्वस्त किया (नवम्बर 2013)।

(iii) **कम सींच प्राप्त होना**

विभाग द्वारा चलित नलकूपों (1,088 नलकूप), जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 83,726 हेक्टेयर थी, के माध्यम से कम से कम 93,653 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई किये जाने की आवश्यकता थी। जबकि विभाग अपर्याप्त संख्या में जल वितरण प्रणालियों के निर्माण, जैसा कि अग्रिम प्रस्तर में उल्लेख किया गया है, के कारण 52,572 हेक्टेयर सींच प्राप्त कर सका था। सचिव ने सींच वृद्धि हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाने का आश्वासन दिया (नवम्बर 2013)।

(iv) **अपर्याप्त जलवितरण प्रणालियों का निर्माण**

विभाग ने आर आई डी एफ⁷¹-XIII एवं XIV के अन्तर्गत 23 नलकूपों के निर्माण की चार परियोजनाओं हेतु ₹ 14.60 करोड़ की स्वीकृति⁷² प्रदान की थी। नलकूपों के निर्माण में छिद्रण, संयंत्रों का संयोजन और खेतों को जलापूर्ति हेतु जलवितरण प्रणालियों का निर्माण सम्मिलित था।

नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि खण्ड स्वीकृत राशि में 23 नलकूपों के लिए आवश्यक आच्छादित 46.00 कि मी के सापेक्ष केवल 31.16 कि मी (68 प्रतिशत) में जल वितरण प्रणालियों के लिए छिद्रण, उपकरणों के संयोजन एवं निर्माण का कार्य पूर्ण कर सका था। जलवितरण प्रणालियों के अपर्याप्त निर्माण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा पृच्छा में विभाग ने अवगत कराया कि योजनाओं का आगणन वर्ष 2006-07 में तैयार किया गया था जिनका अनुमोदन वर्ष 2008-09 में किया गया जिसके कारण निर्माण लागत में वृद्धि हुई फलस्वरूप जलवितरण प्रणालियों का अपर्याप्त निर्माण हुआ था। इस प्रकार, लागत वृद्धि के कारण मूलतः परिकल्पित लागत के विरुद्ध कार्यों हेतु उपलब्ध निधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विभाग ने आश्वस्त किया कि प्रकरण की जाँच की जायेगी।

1.4.9 लाभार्थी सर्वेक्षण

विभाग द्वारा प्रदत्त सिंचाई सुविधाओं से किसानों को प्राप्त वास्तविक लाभ का आँकलन करने के प्रयास के तहत लेखापरीक्षा ने 6 खण्डों⁷³ के 24 नहरों एवं चार नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र से लाभान्वित 132 कृषकों⁷⁴ का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया। इस उद्देश्य हेतु, कृषकों से चालू परियोजनाओं के बारे में संतुष्टि के स्तर का आँकलन करने के लिए कृषकों को प्रश्नावलियाँ दी गई थी। सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- 41 (30 प्रतिशत) कृषकों ने जलवितरण प्रणालियों की अनुपलब्धता की शिकायत की थी।
- 111 (84 प्रतिशत) कृषकों ने जल उपभोक्ता समूहों का गठन नहीं किये जाने के बारे में अवगत कराया था।
- सात प्रतिशत कृषकों ने नहरों के निष्क्रिय होने के बारे में अवगत कराया।
- 97 (73 प्रतिशत) कृषकों ने गर्मियों में जल प्राप्त नहीं होने के बारे में अवगत कराया जबकि उनमें से 15 (11 प्रतिशत) ने अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की थी।

निकास गोष्ठी में, सचिव ने लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष को स्वीकार किया और लाभार्थी सर्वेक्षण में उठाये गए बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया (नवम्बर 2013)।

⁶⁹ 127 नलकूप (2002-2012), 40 नलकूप (1992-2002) एवं 07 नलकूप (वर्ष 1992 से पूर्व)।

⁷⁰ 174 नलकूप 75 हेक्टेयर प्रति नलकूप 13,050।

⁷¹ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि।

⁷² मार्च 2008 एवं फरवरी 2009।

⁷³ सिंचाई खण्ड दुगड्डा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर नलकूप खण्ड, रामनगर एवं रुडकी।

⁷⁴ प्रत्येक चयनित नहरों/नलकूपों के पाँच उपयोगकर्ताओं का चयन।

1.4.10 बाढ़ सुरक्षा योजना

विभाग, बाढ़, जिससे जीवन और संपदा की क्षति होती है, से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाढ़ नियंत्रण और भू-कटाव रोधी कार्यों को निष्पादित करता है।

लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि विभाग ₹ 170.52 करोड़ की स्वीकृत लागत की 128 परियोजनाओं के सापेक्ष ₹ 67.99 करोड़ की लागत से 107 परियोजनाओं को पूर्ण कर सका था जिसमें वर्ष 2008 के पूर्व की 75 परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। 107 परियोजनाओं में से विभाग केवल 44 (41 प्रतिशत) परियोजनाओं को नियत समय से पूर्ण कर सका था। शेष 63 परियोजनाएँ एक से चार वर्ष की देरी से पूर्ण की गई थीं।

1.4.11 भंडार प्रबंधन

1.4.11.1 निष्प्रयोज्य सामग्रियों का समयोचित निपटान नहीं किया जाना

सामग्रियों की नीलामी उनके निष्प्रयोज्य घोषित होने के तत्काल बाद किया जाना आवश्यक है जिससे उनके और अधिक अवमूल्यन एवं गुणवत्ता में क्षरण तथा भंडारण लागत में वृद्धि से बचा जा सके। साथ ही वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली यह प्राविधानित करती है कि ₹ 5.00 लाख से अधिक मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी हेतु सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। चार खण्डों⁷⁵ के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 68.62 लाख के यंत्र एवं संयंत्र सहित निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निपटान 7 से 50 वर्षों (वर्ष 1963 से) से नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से अधिकतर भंडार सामग्रियाँ जंग सम्भावित थी, खण्डों द्वारा उनकी नीलामी नहीं की गई थी।

नलकूप खण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने यह दर्शाया कि खण्ड में ₹ 99.06 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री पड़ी हुई थी (मार्च 2009), जिसमें से ₹ 15.59 लाख और ₹ 27.53 लाख की सामग्री की क्रमशः चोरी (फरवरी 2011) एवं नीलामी (अक्टूबर-नवम्बर 2012) हो चुकी थी। ₹ 55.94 लाख की सामग्री का निस्तारण अभी भी शेष था। साथ ही जाँच में यह भी पाया गया कि खण्ड ने चोरी की घटना के पश्चात् निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण हेतु मुख्य अभियन्ता (उत्तर) की अनुमति प्राप्त (अगस्त 2012) की थी और ₹ 27.53 लाख के सामग्री की नीलामी दो किस्तों⁷⁶ में की गई थी। जबकि, अपनाई गई प्रक्रिया अनियमित थी क्योंकि विभाग ने सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी जैसा कि ₹ 5.00 लाख से अधिक मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी हेतु आवश्यक था।

निकास गोष्ठी में, सचिव (नवम्बर 2013) ने निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निपटान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया तथा यह भी अवगत कराया था कि निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी के दौरान सरकार की अनुमति नहीं लिये जाने के कारणों की जाँच की जाएगी।

1.4.12 मानव संसाधन प्रबन्धन

मानव संसाधन प्रबन्धन के लिए आवश्यक होता है कि विभागीय क्रियाकलापों पर विचार करते हुए विभाग, स्टाफ आवश्यकताओं का आकलन करे और नियमित अन्तराल पर इनकी समीक्षा करे। विभाग कुल 8,528 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 76 प्रतिशत पदस्थापित पदों के साथ कार्य कर रहा था। 31 मार्च 2013 को वर्गवार स्वीकृत और कार्यरत पदों को नीचे तालिका 1.4.6 में दिया गया है।

तालिका - 1.4.6

वर्गवार स्वीकृत एवं पदस्थापित पदों का विवरण

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	कमी प्रतिशत में
क	143	113	30	21
ख	452	243	209	46
ग	4,417	3,131	1,286	29
घ	3,516	2,968	548	16
योग	8,528	6,455	2,073	24

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ।

⁷⁵ नलकूप खण्ड, हल्द्वानी (₹ 55.94 लाख), रामनगर (₹ 9.45 लाख), सिंचाई खण्ड हल्द्वानी (₹ 0.87 लाख) एवं काशीपुर (₹ 2.36 लाख)।

⁷⁶ ₹ 12.58 लाख (अक्टूबर 2012) + ₹ 14.95 लाख (नवम्बर 2012) = ₹ 27.53 लाख।

विक्षेपण ने दर्शाया कि वर्ग 'क' एवं 'ख' में क्रमशः 21 और 46 प्रतिशत तथा वर्ग 'ग' एवं 'घ' में क्रमशः 29 और 16 प्रतिशत की कमी थी।

निकास गोष्ठी में, सचिव (नवम्बर 2013) ने अवगत कराया कि स्टाफ की कमी एक चिंता का विषय है। यद्यपि उनके द्वारा जोड़ा गया कि विभाग गंभीर वर्गों में कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग करने/संविदा कर्मियों की भर्ती की संभावनाओं का पता लगाएगा।

1.4.13 अनुश्रवण तंत्र और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

1.4.13.1 विभाग द्वारा नियम संग्रहों को नहीं बनाया जाना

विभागीय क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं सामर्थ्य लाने हेतु, विभाग में लागू नियमों और अधिनियमों को अद्यतन किया जाना और नियम संग्रह के रूप में शासनादेशों/नियमों का संग्रह किया जाना तथा विभागीय क्रियाकलापों क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों को उन्हें उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में सचिव द्वारा नॉर्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट, माइजर इरीगेशन एक्ट, स्टेट ट्यूब वेल एक्ट और कुमाऊँ एवं गढ़वाल जल (संग्रह, संचय एवं वितरण) एक्ट में संशोधन करते हुए अधिनियमों एवं नियमों का नियम संग्रह तैयार करने हेतु एक दल का गठन किया गया था (जून 2002)। दल ने संशोधनों का प्रारूप सरकार को प्रस्तुत किया (मई 2003) जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इस प्रकार, सिंचाई विभाग और राज्य सरकार के मध्य अनुसरण और संवाद की कमी के कारण नियम संग्रह नहीं तैयार हो सके थे। विकास गोष्ठी में, सचिव (नवम्बर 2013) ने सूचित किया कि नियम संग्रह तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

1.4.13.2 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक अभिन्न प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु क्रियाकलापों को संचालित करता है। अन्तर्निहित आन्तरिक नियंत्रण और संहिताओं एवं नियमावलियों के अक्षरशः अनुपालन से लागू नियमों का अनुपालन, वित्तीय प्रतिवेदनों को विश्वसनीयता की प्राप्ति, इसके संचालन में प्रभावकारिता एवं सक्षमता उपलब्ध होती है। आन्तरिक नियंत्रण विविध विवरणियों, पंजिकाओं के रख-रखाव और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से कार्य करता है।

विभाग की 24 इकाईयों की वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्वोल्लिखित कमियों के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक नियंत्रण कमजोर था और लेखापरीक्षा अवधि में केवल 14 अन्तर्विभागीय निरीक्षण किये गए थे।

1.4.13.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति

संगठन का आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग उसके क्रियाकलापों के अनुश्रवण हेतु एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह प्रबंधन को, जहाँ कहीं आवश्यक हो सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायता करता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रणाली सुसंगत अच्छा कार्य कर रही है और प्रकरणों के आकलन की प्रक्रिया, राजस्व के शीघ्र संग्रहण, धोखाधड़ी/अनियमितताओं की रोकथाम एवं खोज में कथित उद्देश्य प्राप्त किये जा रहे हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग, वित्त विभाग के अधीन कार्य करता है, जो कि राज्य के विविध विभागों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पन्न करता है।

विभाग को 24 इकाईयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2013 से अगस्त 2013) में यह पाया गया कि इन इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा वित्त विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई थी। यह भी कि विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षा तक गठित नहीं की गई थी।

निष्कर्ष

सिंचाई विभाग के क्रियाकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा में अपर्याप्त नियोजन एवं कमजोर वित्तीय प्रबंधन पाया गया, जिसे बोये गये निबल क्षेत्रफल में कमी, नहरों की क्षमता का न्यून उपयोग, जल कर की दरों को संशोधित नहीं किया जाना, विभागीय नियमावलियों को नहीं बनाया जाना, निधियों की प्राप्ति के बगैर निक्षेप कार्यों का निष्पादन और देयताओं की वसूली नहीं किये जाने के प्रकरणों से देखा जा सकता है। नहर को उसके श्रोत से नहीं जोड़ा जाना, अपर्याप्त

जल वितरण प्रणालियों का निर्माण और गत 25 वर्षों से असंचालित रहे नलकूपों के प्रकरण विभाग द्वारा कार्यक्रमों को लागू करने में त्रुटियों को दर्शाता है। भण्डार प्रबन्धन प्रणाली भी अक्षमता से परिपूर्ण थी जो कि इसके कार्यों के लिए जरूरी है। इस प्रकार, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के क्रम में विभाग के सम्पूर्ण क्रियाकलापों में सुधार की आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करने में विचार कर सकती है:

- उचित नियमावलियों को तैयार करके और उन्हें अंगीकार करके विभाग में नियोजन तंत्र को सुव्यवस्थित करना;
- जल संसाधनों की धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु जल कर की दरों में संशोधन करना; और
- विद्यमान वित्तीय नियमों के अनुपालन के माध्यम से उचित वित्तीय प्रबन्धन को लागू करना।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2013 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2013)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

गृह विभाग

1.5 पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की अधिप्राप्ति

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) का मुख्य उद्देश्य राज्य में परिवहन, संचार एवं हथियारों की भारी कमी के कारण प्राप्त होने से काफी दूर था। भारत-नेपाल सीमा के सुदृढीकरण का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि ₹ 2.13 करोड़ लागत के वाहन एवं उपकरण अधिकृत (सीमावर्ती) जिलों के बजाय अन्य जिलों को प्रदान किये गये। विभाग द्वारा एम पी एफ से एस एस पी/एस पी/डी एस पी के लिए ₹ 64.11 लाख कीमत की 14 कारें भी क्रय की गयीं।

अनुपालन लेखापरीक्षा पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ) के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा की गयी उपकरणों की अधिप्राप्ति पर केन्द्रित थी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), तेरह में से सात⁷⁷ जिलों के एसएसपी/एसपी तथा राज्य में तीन के सापेक्ष कुमायुँ के एक प्रोविंसियल आर्म्ड कॉन्सटेबलरी (पीएसी) बटालियन के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के दौरान संपादित की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न है:

1.5.1 आयोजना

उपकरणों की अधिप्राप्ति पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना का एक प्रमुख घटक है। भारत सरकार ने वर्ष 2000-01 से आगे योजना को प्रारम्भ रखने का अनुमोदन प्रदान करते हुए यह उल्लिखित किया कि राज्य सरकार अपने पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए इंगित विशिष्ट परियोजनाओं को प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित करने हेतु एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना केन्द्रीय गृह मंत्रालय (के गृ म) को प्रस्तुत करें।

परिप्रेक्ष्य योजना (एस पी) एवं वार्षिक कार्य योजनाओं (ए ए पी) को तैयार करने में की गई कमियों को नीचे दर्शाया गया है:

- वर्ष 2000-01 से, राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एस पी) बनाये जाने एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता थी। राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए इंगित विशिष्ट परियोजनाओं को प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित करने हेतु इसे एस पी में सम्मिलित किया जाना था। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि वर्ष 2012-13 के अतिरिक्त ए ए पी, राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एस एल इ सी)⁷⁸ द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था जबकि समिति का गठन जनवरी 2011 में किया गया था।
- विभाग ने वर्ष 2011-16 की अवधि के अतिरिक्त कोई अन्य एस पी नहीं बनायी थी। यद्यपि ए ए पी प्रत्येक वर्ष तैयार किये गये थे परन्तु ये कार्यक्षमता में उन्नयन के लिए भारत सरकार की योजना में परिकल्पित सुसंगत, सुविचारित कार्यक्रम के सापेक्ष अधिप्राप्ति के लिए मर्दों की सूची मात्र थी।
- राज्य सरकार द्वारा के गृ म को ए ए पी प्रस्तुत करने में दो से 10 माह का विलम्ब था। के गृ म द्वारा योजना के अनुमोदन देने में भी डेढ़ से चार माह का विलम्ब था।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ए ए पी तैयार करने की केवल यंत्रवत् औपचारिकता की गयी। परिणामस्वरूप, विभाग दीर्घ-कालीन रणनीति के अभाव में उक्त योजना का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सका।

⁷⁷ गढ़वाल परिक्षेत्र में से चार (देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार) एवं कुमायुँ परिक्षेत्र में से तीन (नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़)।

⁷⁸ राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक एवं गृह सचिव, अन्य दूसरों के साथ सदस्य रूप में, एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी, जो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा योजना की एक प्रति एम एच ए को अग्रेषित करेगी।

1.5.2 वित्तीय पद्धति

योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ए ए पी के आधार पर क्रमशः वर्ष 2008 से 2012 की अवधि में 75:25 एवं 2012-13 में 60:40 के अनुपात में निधिबद्ध थी। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपकरणों की अधिप्राप्ति पर निधियों की कुल प्राप्ति एवं व्यय नीचे तालिका 1.5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका - 1.5.1

उपकरण आदि की अधिप्राप्ति के लिए निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकरणों की खरीद			% बचत
	अवमुक्त	व्यय	बचत	
2008-09	861.33	688.80	172.53	20
2009-10	1,535.87	1,355.68	180.19	12
2010-11	457.16	446.19	10.97	2
2011-12	358.31	228.89	129.42	36
2012-13	582.66	0.00	582.66	100

स्रोत: पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-13 की अवधि में 2 से 100 प्रतिशत तक की कुल बचत थी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निधियों को विलम्ब से अवमुक्त करने के कारण (मार्च 2013) विभाग ने ₹ 5.83 करोड़ व्यक्तिगत लेजर खाते (पी एल ए) में रखे। इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

1.5.3 उपकरणों की अधिप्राप्ति

इस योजना के अन्तर्गत उपकरण की अधिप्राप्ति में आच्छादित प्रमुख घटक वाहन, संचार उपकरण, हथियार एवं फोरेन्सिक लैब की स्थापना थी।

1.5.3.1 वाहनों की कमी (मोटर वाहन)

पुलिस अनुसंधान एवं विभाग के अन्वेषण (बी पी आर एण्ड डी) के मानकों के अनुसार, एक पूर्ण रूप से सुसज्जित पुलिस बल में अपराध के रिस्पांस समय को निर्धारित रूप से कम करने के लिये वाहनों की कमी शून्य होनी चाहिये। मई 2013 को आवश्यक वाहनों की स्थिति व कमी जो कि अपराध के रिस्पांस समय व अन्य आकस्मिकताओं पर प्रभाव डाल सकता था, नीचे तालिका 1.5.2 में प्रदर्शित है।

तालिका - 1.5.2

आवश्यक वाहनों की स्थिति एवं कमी

वाहनों का प्रकार	बी पी आर एण्ड डी मानकों के अनुसार आवश्यकता	योजना 2008-13 में सम्मिलित	2008-13 के दौरान क्रय	मार्च 2013 तक कुल उपलब्धता	कमी/अधिकता	
					संख्या	प्रतिशतता
भारी	208	11	02	154	54	25.96
मध्यम	263	03	03	91	172	65.40
हल्के	491	184	161	462	29	5.91
मोटर साईकिल	991	363	198	455	536	54.09
अन्य वाहन	137	51	51	144		
कुल योग	2090	612	415	1306		

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्तमान में 42 से 66 प्रतिशत⁷⁹ (परिशिष्ट- 1.5.1) वाहनों की कमी थी जिनमें से उपलब्ध वाहनों (मध्यम एवं हल्के) में भी 27 से 52 प्रतिशत⁸⁰ वाहनों का जीवन काल (मानकों⁸¹ के

⁷⁹ देहरादून- 50 प्रतिशत, पौड़ी- 55 प्रतिशत, टिहरी- 66 प्रतिशत, हरिद्वार- 53 प्रतिशत, नैनीताल- 43 प्रतिशत, अल्मोड़ा- 50 प्रतिशत एवं पिथौरागढ़- 42 प्रतिशत।

⁸⁰ देहरादून-28 प्रतिशत, पौड़ी-29 प्रतिशत, टिहरी-35 प्रतिशत, हरिद्वार-52 प्रतिशत, नैनीताल-27 प्रतिशत, अल्मोड़ा-38 प्रतिशत एवं पिथौरागढ़- 35 प्रतिशत।

⁸¹ पर्वतीय क्षेत्र के लिए आठ वर्ष या 1.50 लाख किलोमीटर एवं मैदानी क्षेत्र के लिए 10 वर्ष या 1.75 लाख किलोमीटर मानक है।

अनुसार) समाप्त हो चुका था। अभिलेखों से यह भी पता चला कि छः पुलिस थाने⁸²(छः में से दो पुलिस थानों⁸³ का भौतिक सत्यापन किया गया) व 105 चौकियों⁸⁴ के पास कोई वाहन नहीं था। पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2013) में पाया गया कि विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों⁸⁵का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों/उप पुलिस अधीक्षकों के लिए एम पी एफ निधि से ₹ 64.11 लाख की 14 कारों⁸⁶ खरीदी गयी थीं। विभाग ने पुराने वाहनों, जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण कर लिया था, के प्रतिस्थापन के लिए कोई योजना नहीं बनायी थी। इस प्रकार विभाग में वार्षिक कार्ययोजना में समुचित परिवहन की उपलब्धता व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता के परिप्रेक्ष्य में राज्य पुलिसबल में समुचित वाहनों की कमी को दूर करने पर ध्यान की कमी थी।

1.5.3.2 निष्फल व्यय

पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों में पाया (मई 2013) कि एम पी एफ योजना के तहत अक्टूबर 2008 में विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ₹ 28.25 लाख की लागत से एक बुलेटप्रूफ वाहन टाटा सफारी खरीदा गया था तथा जुलाई 2009 में सतर्कता मुख्यालय (आईएच) को हस्तान्तरित कर दिया गया था। वाहन, तकनीकी दोष के कारण अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था। इस प्रकार, न केवल गाड़ी को खरीदने का उद्देश्य निष्फल हुआ बल्कि इस वाहन का उपयोग न होने पर भी इसके मूल्य में निरन्तर हास हो रहा था।

1.5.3.3 वायरलेस सेटों और बैटरियों की कमी

पुलिस मुख्यालय, देहरादून के अभिलेखों में पाया गया(मई 2013) कि बी पी आर एण्ड डी मानकों के अनुसार अपेक्षित, बैटरी के साथ बहुत उच्च आवृत्ति (वी एच एफ) एवं उच्च आवृत्ति (एच एफ) सेट की उपलब्धता आवश्यकता के सापेक्ष कम थी जैसा कि तालिका 1.5.3 में वर्णित है।

तालिका - 1.5.3

बैटरी के साथ वीएचएफ, एचएफ सेटों की उपलब्धता की स्थिति

श्रेणी	वायरलेस सेट्स			बैटरी		
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत में)	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत में)
एच एफ सेट्स	264	84	180(68)	168(12 वोल्ट)	1152	1794(61)
वी एच एफ सेट्स/मोबाइल सेट्स	2254	1852	402(18)	2778 (12 वोल्ट)		
वी एच एफ हैण्ड हेल्डसेट्स	4644	2663	1981(43)	5326 (7.2-7.5 वोल्ट)	2245	3081(58)

स्रोत: पीएचक्यू अभिलेख

लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि विगत तीन वर्षों में कोई भी वायरलेस सेट नहीं खरीदा गया था जबकि इस योजना के मद (संचार) में विगत पाँच वर्षों में ₹ 2.66 करोड़ की बचत थी, जो कि विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती थी।

1.5.3.4 हथियारों की कमी

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पुलिस मुख्यालय एवं सेनानायक, केन्द्रीय आयुध भंडार, उधमसिंहनगर के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

⁸² पुलिस थाना - थाल, बलुआकोट, पांगला, गुंजी, महिला पुलिस थाना श्रीनगर एवं अल्मोड़ा।

⁸³ महिला पुलिस थाना श्रीनगर एवं अल्मोड़ा।

⁸⁴ देहरादून- 36, पौड़ी- 11, टिहरी- 11, हरिद्वार- 30, नैनीताल-03, अल्मोड़ा- 03 एवं पिथौरागढ़- 11।

⁸⁵ केवल परिचालित वाहन जैसे जीप, मोटरसाइकिल तथा माध्यम/भारी वाहनों को अनुमति प्रदान की गई है। वाहनों जैसे कार आदि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापन पुलिस के लिए सामान्य बजट प्रावधान के अनुरूप किये जा सकते हैं।

⁸⁶ वर्ष 2010-11 में दो कारें एवं 2011-12 में 12 कारें।

- पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों के अनुसार, राज्य में 14,083 सामान्य हथियारों की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 11,586 हथियार उपलब्ध थे जबकि 8,345 मुख्य मारक हथियारों (एम एस डब्ल्यू) की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 5,262 एम एस डब्ल्यू ही उपलब्ध थे। इस प्रकार दोनों श्रेणी के हथियारों में क्रमशः 18 एवं 37 प्रतिशत की कमी थी।
- सेनानायक, केन्द्रीय आयुद्ध भण्डार, उधमसिंहनगर के अभिलेखों से पता चला कि राज्य में उपलब्ध 20,003 हथियारों में से 2,853 (14 प्रतिशत) हथियार वर्ष 1947 के पूर्व के थे।

साथ ही, कानून-व्यवस्था एवं अन्य कार्यवाही में शामिल पुलिस बल की सुरक्षा के लिए पॉली कार्बोनेट शील्ड्स, बेल्ट और हेलमेट जैसे उपकरण आवश्यक थे। इस आवश्यक श्रेणी में 25 प्रतिशत की कमी थी, जैसाकि 16,339 उपकरणों की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 12,274 उपकरण ही उपलब्ध थे।

1.5.3.5 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का सुदृढीकरण

पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों की जाँच (मई 2013) में पाया गया कि राज्य सरकार ने भारत- नेपाल सीमा के पुलिसबल सुदृढीकरण के लिए अनुमोदित एएपीएस के अनुसार ₹ 3.37 करोड़ की धनराशि के वाहन एवं उपकरण क्रय किए। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, विभाग ने इसमें से ₹ 2.13 करोड़ (63 प्रतिशत) मूल्य के वाहन और उपकरण अधिकृत जिलों के अपेक्षा अन्य जिलों को उपलब्ध कराये गये (परिशिष्ट-1.5.2)।

यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उपकरण एवं वाहनों को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीमावर्ती जिलों के अपेक्षा अन्य जिलों को पुलिस कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (पी एस) के लिए क्रय किये गए थे न कि अन्य जिलों के लिए।

उपर्युक्त वर्णित कमियों एवं अल्पताओं को 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया गया था परन्तु इस संबंध में विभाग/सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को सितम्बर 2013 में अग्रेषित कर दी गयी थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2013)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

1.6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये चयन प्रक्रिया

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के यूपीएमटी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वास्तविकता के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी पायी गयी क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के 47 प्रतिशत प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया जाना अभी भी शेष था। फोरेसिक जाँच में विलम्ब के कारण मेडिकल कॉलेजों की 17 एमबीबीएस सीटें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये रिक्त रह गयी थी। ये मेडिकल कॉलेज, 24 अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद या त्रुटिपूर्ण मूलनिवास प्रमाणपत्रों के उपयोग के आधार पर या विपरीत फोरेसिक जाँच आख्या के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम छोड़ दिया था, प्रत्येक से ₹ 30 लाख क्षतिपूर्ति दावा करने में विफल रहे।

उत्तराखण्ड के दो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच मई 2013 से जून 2013 के दौरान की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य में केवल दो राजकीय मेडिकल कॉलेज (रा में कॉ) क्रमशः श्रीनगर एवं हल्द्वानी में हैं, जिसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु सीटों की क्षमता क्रमशः प्रतिवर्ष 100-100 है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तराखण्ड प्री मेडिकल टेस्ट (यूपीएमटी) के माध्यम से 85 सीटें भरी जाती हैं। जबकि, शेष 15 सीटें अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं। इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों

में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक वर्ष यूपीएमटी/एआईपीएमटी की वरीयता सूची और राज्य/केन्द्र के काउंसिलिंग समिति द्वारा आयोजित अनुवर्ती काउंसिलिंग के आधार पर किया जाता है।

यूपीएमटी आयोजन के लिये अभिकरण/संस्थान का चयन प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा बिना इच्छा की अभिव्यक्ति अथवा खुली निविदा आमंत्रित किये किया जाता है। तदुसार, वर्ष 2008 हेतु यूपीएमटी का आयोजन एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा द्वारा जबकि वर्ष 2009 एवं 2010 हेतु यूपीएमटी का आयोजन उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून और वर्ष 2011 एवं 2012 हेतु यूपीएमटी का आयोजन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा किया गया था। परीक्षा आयोजन एजेन्सी द्वारा यूपीएमटी के परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात राज्य स्तरीय काउंसिलिंग बोर्ड⁸⁷ द्वारा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिये यूपीएमटी की वरीयता सूची एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा चुने गये विकल्प के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं सितम्बर माह के मध्य तीन से चार दौर की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है। यूपीएमटी/एआईपीएमटी द्वारा भरी गयी वर्ष 2008 से 2012 की अवधि की एमबीबीएस सीटों का वर्षवार विवरण एवं दोनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लेखापरीक्षा तिथि तक सीटों की सम्पूर्ण स्थिति नीचे तालिका 1.6.1 में दर्शायी गयी है:

तालिका - 1.6.1

यूपीएमटी/एआईपीएमटी के माध्यम से भरी गयी एमबीबीएस सीटों का विवरण

यूपीएमटी वर्ष	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज				हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज			
	भरी गयी सीटों का माध्यम		लेखापरीक्षा तिथि पर सीटों की स्थिति		भरी गयी सीटों का माध्यम		लेखापरीक्षा तिथि पर सीटों की स्थिति	
	यूपीएमटी	एआईपीएमटी	भरी सीट	रिक्त सीट	यूपीएमटी	एआईपीएमटी	भरी सीट	रिक्त सीट
2008	85	15	100	00	85	14 ⁸⁸	93	07
2009	88	12	100	00	85	15	98	02
2010	88	12	99	01	87	12	99	01
2011	88	12	84	16	87	13	99	01
2012	87	13	100	00	87	13	99	01
कुल	436	64	483	17	431	67	488	12

स्रोत: सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में 17 सीटें⁸⁹ तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 12 सीटें⁹⁰ निम्नवत उल्लिखित प्रशासनिक अक्षमता के कारणों से रिक्त रह गयी थी।

1.6.1 प्रमाणपत्रों के सत्यापन में विलम्ब

राज्य सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, यूपीएमटी में शामिल होने के लिये केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र⁹¹ हैं जो या तो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं या जिन्होंने हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की है। साथ ही, अनुसूचित जाति (19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (04 प्रतिशत), अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रतिशत), कश्मीरी विस्थापित (प्रत्येक कालेज में एक सीट) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के प्रावधान हैं और समस्त वर्गों में लड़कियों के लिये 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन आवश्यक है।

⁸⁷ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित।

⁸⁸ वर्ष 2008 में ये सीटें प्रबन्धन/एन आर आई कोटे के लिये आरक्षित थीं।

⁸⁹ फर्जी मूल निवास प्रमाणपत्र/फॉरेसिक जाँच के आधार पर निरस्त अभ्यर्थिता के कारण सीटें रिक्त रह गयीं थीं।

⁹⁰ इसमें से, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक चयनित अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्टिंग न देने के कारण 02 सीटें रिक्त रह गयीं थीं, 07 सीटें फर्जी मूल निवास प्रमाणपत्र/फॉरेसिक जाँच के उपरान्त पात्रता निरस्त होने के कारण रिक्त थीं और 03 सीटें अभ्यर्थियों की अकाल मृत्यु के कारण रिक्त थीं।

⁹¹ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी (पीसीबी-ई) विषयों, के साथ 10+2 की शैक्षिक योग्यता वाले।

विभागीय निर्देशों के अनुसार, प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा काउंसिलिंग के अन्तिम/विस्तारित दौर से पूर्व जो प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर है, पूर्ण होना चाहिये ताकि फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश निरस्तीकरण के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों का उचित प्रतिस्थापन किया जा सके। लेखापरीक्षा जाँच में देखा गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में छः सीटें (वर्ष 2008 बैच की 05 सीटें और वर्ष 2009 बैच की 01 सीट) और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक सीट (वर्ष 2010 बैच) प्रवेश की निर्धारित समय⁹² जो प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर है, की समाप्ति के पश्चात, संबंधित जिला प्रशासन से फर्जी निवास प्रमाणपत्रों की पुष्टि आख्या (एक से तीन माह के विलम्ब से) प्राप्त होने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त होने के कारण रिक्त रह गयी। यद्यपि, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा फर्जी निवासी प्रमाणपत्रों का समय पर सत्यापन/जाँच कर सम्बन्धित यूपीएमटी से अन्तिम/विस्तारित काउंसिलिंग द्वारा उपलब्ध अभ्यर्थियों से उचित प्रतिस्थापन करके एमबीबीएस की अपनी छः सीटों (2008 बैच की 03 सीटें व 2010 बैच की 03 सीटें) को बचाने में सफलता प्राप्त की थी। आगे, वर्ष 2008-09 से 2012-13 में सम्बन्धित यूपीएमटी के द्वारा प्रवेशित कुल 867 अभ्यर्थियों (श्रीनगर में 436 एवं हल्द्वानी में 431) में से 411 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों (श्रीनगर में 220 और हल्द्वानी में 191), जो 47 प्रतिशत हैं, का सत्यापन होना अभी भी शेष था (विवरण परिशिष्ट 1.6.1 के अनुसार)।

इस प्रकार, इन दो मेडिकल कॉलेजों के यूपीएमटी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वास्तविकता के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी पायी गयी, क्योंकि 47 प्रतिशत प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया जाना अभी भी शेष था।

1.6.2 फॉरेंसिक जाँचों में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा यूपीएमटी के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षरों/अंगूठा चिन्हों की फॉरेंसिक जाँच की जिम्मेदारी वर्ष 2010 में परीक्षा आयोजन एजेन्सी (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून) को दी गयी थी जिसे बाद में क्रमशः यूपीएमटी 2011 और 2012 के लिये सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कॉलेजों को (सितम्बर 2011 और अगस्त 2012) सौंपा गया था ताकि फर्जी प्रकरणों को जाँचा जा सके। जाँच, काउंसिलिंग के अन्तिम दौर से पहले समयबद्ध तरीके से पूर्ण होनी थी और राज्य सरकार/राज्य काउंसिलिंग बोर्ड को तदुसार सूचित किया जाना था जिससे कि सभी फर्जी प्रकरणों को पहचाना जा सके और सभी सीटों को अन्तिम/विस्तारित काउंसिलिंग के माध्यम से प्रतिस्थापन द्वारा भरा जा सके।

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्रीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह देखा गया कि वे प्राधिकारी जिन्हें यूपीएमटी 2010 से 2012 के प्रवेशित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षरों/अंगूठा निशानों की फॉरेंसिक जाँच हेतु जिम्मेदार बनाया गया था, जाँच प्रक्रिया को प्रवेश की अन्तिम तिथि (30 सितम्बर) से पहले पूर्ण करने में विफल रहे जैसा कि तालिका 1.6.2. में विवरण दिया गया।

तालिका - 1.6.2.

यूपीएमटी वर्ष	राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम	प्रकरण जिसमें फॉरेंसिक जाँच की आवश्यकता थी	प्रकरण जिसमें फॉरेंसिक जाँच की गई	फॉरेंसिक जाँच आख्याओं की स्थिति				निष्कासित अभ्यर्थियों की संख्या	नयी काउंसिलिंग के माध्यम से प्राप्त प्रतिस्थापन	फॉरेंसिक जाँच के कारण रिक्त सीटों की संख्या
				प्राप्त प्रतिवेदन	मेल	अस्पष्ट/संदिग्ध	बेमेल			
2010	हल्द्वानी	87	02	02	01	-	01	01	01	शून्य
	श्रीनगर	89	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
2011	हल्द्वानी	105	105	105	47	41	17	17	16	01
	श्रीनगर	88	88	88	32	40	16	16	शून्य	16
2012	हल्द्वानी	87	85	82	46	36	-	शून्य	शून्य	शून्य
	श्रीनगर	87	शून्य	-	-	-	-	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदत्त सूचना।

⁹² राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी: वर्ष 2008 के एक और चार अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता क्रमशः दिनांक 14.10.2008 और 16.12.2008 को निरस्त हुयी थी जबकि वर्ष 2009 के एक अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता दिनांक 14.10.2010 को निरस्त हुयी थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एक अभ्यर्थी (वर्ष 2010 बैच) की अभ्यर्थिता दिनांक 22.11.2010 को निरस्त हुयी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय ने वर्ष 2010 में राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के कुल 176 अभ्यर्थियों के सापेक्ष मात्र दो अभ्यर्थियों की फॉरेसिक जाँच/आख्या उपलब्ध करायी। इन दो अभ्यर्थियों में से एक को निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसके हस्ताक्षर/अंगूठा चिह्न परीक्षा के समय लिये गये नमूनों से बेमेल पाये गये थे। निष्कासन के कारण रिक्त सीट अनुवर्ती काउंसिलिंग में भर गयी थी।

वर्ष 2011 में सभी 193 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानों की जाँच की गयी थी और 33 अभ्यर्थियों को उनके नमूना जाँच बेमेल पाये जाने के कारण निष्कासित कर दिया गया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी अनुवर्ती काउंसिलिंग में 17 रिक्त सीटों में से 16 सीटों को भरने में सफल रहा, जबकि कॉलेजों द्वारा प्रकरण के उचित अनुसरण के अभाव में राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर की 16 सीटें और राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी की एक सीट पाँच वर्ष के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु रिक्त रह गई क्योंकि इन अभ्यर्थियों की जाँच आख्याएं प्रवेश की अन्तिम तिथि (30 सितम्बर) के बाद प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2012 में, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में फॉरेसिक जाँच के लिये प्रस्तुत 85 नमूना जाँचों में कोई भी बेमेल नहीं पाये गये, जिससे कोई भी सीट रिक्त नहीं रही। आगे, यह भी देखा गया था कि कॉलेज द्वारा दो अभ्यर्थियों⁹³ का विवरण फॉरेसिक जाँच के लिये उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी दौरान, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर राज्य सरकार के बार-बार निर्देशों (सितम्बर 2011 और अगस्त 2012) के बावजूद सभी 87 अभ्यर्थियों की फॉरेसिक जाँच कराने में असफल रहा।

अतएव, फॉरेसिक जाँच को कराये जाने के मामले में सम्पूर्ण पहल अक्षम पायी गयी जिसके कारण इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों की 17 सीटें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिये रिक्त रह गयी और इस तरह के अन्य अयोग्य अभ्यर्थियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कई अभ्यर्थियों के संबंध में फॉरेसिक जाँच अभी तक की जानी बाकी थी। यदि जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में समय पर कार्यवाही की जाती तो इन रिक्त सीटों को भरा जा सकता था। परिणामस्वरूप, 17 संभावित प्रतिक्षित अभ्यर्थी राज्य सरकार की इस रियायती चिकित्सा शिक्षा का लाभ नहीं प्राप्त कर सके।

1.6.3 क्षतिपूर्ति का दावा न किया जाना

राज्य सरकार द्वारा, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए ₹ 15 हजार वार्षिक शुल्क पर अनुदानित चिकित्सा शिक्षा योजना को इस बात को ध्यान में रखकर आरम्भ (जुलाई 2008) किया गया था कि राज्य के दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी के मद्देनजर राज्य में प्रतिवर्ष 200 चिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त होंगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण होने के बाद यदि ये अभ्यर्थी राज्य में सेवा देने में विफल होते हैं, तो ₹ 6.00 लाख वार्षिक की दर से या उसका भाग अधिकतम ₹ 30 लाख राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे। इस आशय का एक बन्धपत्र⁹⁴ राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थियों और उसके/उसकी पिता/अभिभावक को अनिवार्यतः निष्पादित करना था।

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयनित मेडिकल छात्र द्वारा प्रस्तुत निर्धारित बन्धपत्र यह प्रावधानित करता है कि यदि मेडिकल छात्र एक बार कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेता तो उसे तदोपरान्त निर्धारित बन्धपत्र/क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 30 लाख का भुगतान किये बिना कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किसी मेडिकल छात्र को असंतोषजनक अनुशासनात्मक कृत्य/शैक्षणिक विकास तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज में सही चिकित्सा विवरण देने में विफल होने पर और प्रवेश के समय जानबूझकर गलत विवरण दिये जाने के लिये राजकीय मेडिकल कॉलेज नामावली से निष्कासित किया जा सकता है।

यह पाया गया था कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 07 अभ्यर्थियों और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर द्वारा 17 अभ्यर्थियों को वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्रवेश के समय फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्रों के प्रयोग किये जाने के कारण एवं विपरीत फॉरेसिक आख्या पर, जैसा कि पूर्व प्रस्तर में चर्चा की गयी है, कॉलेज नामावली से निष्कासित किया गया था परन्तु न तो अभ्यर्थियों से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्रभारित की गयी और न ही इन राजकीय

⁹³ अन्तिम काउंसिलिंग द्वारा 29.09.2012 को कॉलेज में प्रवेशित।

⁹⁴ निर्धारित शासनादेश संख्या 596/XXXVIII (i)/2009/यू.ओ./03 दिनांक 07-09-2009।

मेडिकल कॉलेजों द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों से उक्त राशियों की वसूली के लिये कोई कानूनी कार्यवाही की गयी थी। इसी प्रकार, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि एक अभ्यर्थी जिसने कॉलेज में प्रवेश की निर्धारित तिथि के बाद (3 अक्टूबर 2008) अपनी एमबीबीएस सीट छोड़ी, से वांछित क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गयी थी। हालांकि, यह सीट संयोगवश दूसरे अभ्यर्थी से भर गयी थी जिसकी अभ्यर्थिता आरंभ में गलती से निरस्त की गयी थी। इस प्रकार, ये राजकीय मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के अनुदानित चिकित्सा शिक्षा योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को देय निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर ने राज्य सरकार द्वारा बन्धपत्र के लिये निर्धारित प्रारूप के स्थान पर स्वयं के बनाये गये प्रारूप को अपनाया जिसमें कि अपेक्षित बन्धपत्र की राशि ₹ 30 लाख के स्थान पर मात्र पूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क का भुगतान ही अंकित किया गया था। अतः कॉलेज का यह कदम भी निष्कासित अभ्यर्थियों से पूर्ण राशि की वसूली में बाधा पैदा कर सकता है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी ने जवाब में कहा (जून 2013) कि उपर्युक्त इंगित प्रकरणों के सम्बन्ध में बन्धक/जमानत राशि सहित सभी शुल्क जब्त कर ली गयी है और सभी संबंधित अभ्यर्थियों को बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि जमा करने के लिये सूचित कर दिया गया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर ने जवाब में कहा था कि 16 अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीनगर पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई थी और न्यायालय के निर्देशानुसार अन्तिम कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, राजकीय मेडिकल कॉलेज अन्य दो अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को जुलाई 2013 में संदर्भित किए गये थे, उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2013)।

1.7 निष्फल व्यय

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा केवल दो या तीन दिन के निरीक्षण के समय मानकों के अनुरूप कार्यबल प्रदर्शित करने के लिये राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर द्वारा 34 संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर ₹ 1.30 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

प्रत्येक वर्ष बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी (एम बी बी एस) की 100 सीटों के प्रवेश के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से श्रीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज (रा मे कॉ) का संचालन आरम्भ किया गया। भारतीय चिकित्सा परिषद् (भा चि प) अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, पूर्णकालिक संकाय सदस्यों की उपलब्धता, उपकरण, आवास एवं प्रशिक्षण सुविधा सहित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के निर्धारित मापदण्डों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने/उपलब्धता जाँचने के लिए, भा चि प प्रत्येक चिकित्सा संस्थान अथवा महाविद्यालय का आवधिक निरीक्षण करता है।

प्रधानाचार्य रा मे कॉ, श्रीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (मई 2013) में पाया गया कि उक्त संस्थान में शिक्षण संकाय सदस्यों की कमी थी एवं भा चि प द्वारा रा मे कॉ के प्रत्येक निरीक्षण के अवसर पर सलाहकार फर्म के माध्यम से कुछ संकाय सदस्य अस्थायी रूप से नियुक्त किये जा रहे थे। सक्षम अधिकारी⁹⁵ द्वारा ऐसे अस्थायी संकाय सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए विधिवत कार्यग्रहण पत्र भी जारी किये जा रहे थे परन्तु वास्तविक प्रक्रिया में यह पाया गया कि दोनों पक्षों (सलाहकार फर्म एवं रा मे कॉ) में यह आपसी सहमति थी कि कॉलेज सलाहकार फर्म के माध्यम से प्रत्येक संविदा नियुक्ति के सापेक्ष चार माह के वेतन का भुगतान करेगा। इस भुगतान में से तीन माह के वेतन का भुगतान अस्थायी सूची पर लिये गये संकाय सदस्यों को दिया जा रहा था तथा एक माह के वेतन का भुगतान उस सलाहकार फर्म को दिया जा रहा था जिसने भा चि प के निरीक्षण के अवसर पर संकाय सदस्यों की उपलब्धता की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त, भा चि प के निरीक्षण के उद्देश्य से कुछ अन्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति सीधे रा मे कॉ/राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी और ऐसे प्रकरणों में तीन माह के वेतन की अनुमन्यता की गई थी।

⁹⁵ प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा में कों के संकाय सदस्यों की वास्तविक/कम संख्या को छिपाने के लिए उक्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जा रही थी ताकि कॉलेज के निरीक्षणों के दौरान भा चि प के मानदण्डों के अनुसार संकाय सदस्यों के न्यूनतम मापदण्डों को सुनिश्चित किया जा सके। रा में कों के भा चि प निरीक्षणों से सम्बन्धित वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चार अवसरों⁹⁶ पर कुल 34 संकाय सदस्य अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे और इस कार्य के लिए ₹ 1.30 करोड़ व्यय किया गया (परिशिष्ट-1.7.1)। यह भी पाया गया कि वेतन भुगतान प्रक्रमण/पारित करने के लिए सीधे प्रधानाचार्य के स्तर से प्रत्येक माह के लिए एक झूठा समेकित "उपस्थिति प्रमाणपत्र" रा में कों के लेखा शाखा को जारी किया जा रहा था जबकि संविदा नियुक्ति के नियमित प्रकरणों में अनुपस्थिति विवरणिका/छुट्टी का विवरण/उपस्थित के विवरण के साथ उपस्थिति प्रमाणपत्र रा में कों के सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा लेखा शाखा को जारी किया जा रहा था। इन सभी संकाय सदस्यों द्वारा न तो कॉलेज में एक भी शिक्षण सम्बन्धी कक्षाएँ लीं और न ही भा चि प के सम्बन्धित निरीक्षण के उपरान्त कॉलेज में रुके थे।

प्रधानाचार्य, रा में कों श्रीनगर द्वारा उत्तर में बताया गया कि (नवम्बर 2013) संकाय सदस्यों की समस्त नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा की गयी थीं। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड को पूरा करने तथा भा चि प से कॉलेज की मान्यता को बचाने के लिए बाह्य अभिकरण के माध्यम से संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह एक सरकारी संस्थान द्वारा भा चि प को गुमराह करने के लिए किया गया कृत्य था। प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2013), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2013)।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.8 ट्रॉमा केन्द्र का असंचालित रहना

कर्मचारियों/उपकरणों/मशीनरी उपलब्ध न करवाने के कारण ₹ 59.70 लाख की लागत से निर्मित ट्रॉमा केन्द्र संचालित न हो सका जिससे सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी हो गया।

राज्य सरकार ने अल्मोड़ा क्षेत्र में आपातकालीन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने एवं सशक्त करने हेतु गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल, अल्मोड़ा में ट्रॉमा केन्द्र (ट्रॉ के) के निर्माणार्थ ₹ 59.70 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2007)। ट्रॉमा केन्द्र का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि) अल्मोड़ा को सौंपा गया था (अप्रैल 2007) जिसको पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मई 2008 थी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मु चि अ), गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच (अप्रैल 2012) में पाया गया कि निर्माण कार्य ₹ 59.70 लाख के व्यय किये जाने के पश्चात् पूर्ण किया गया था (नवम्बर 2008) लेकिन बाह्य विद्युत कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण उ प्र रा नि नि द्वारा आगामी तीन वर्षों (नवम्बर 2011) तक मु चि अ को हस्तगत नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने इस विलम्ब को विद्युत भार के संवर्धन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध किया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मु चि अ ने आवश्यक उपकरणों, मशीनरी तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाने (अक्टूबर 2007 और मई 2012) और कर्मचारियों की तैनाती (जनवरी 2009 एवं मार्च 2012) हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चि स्वा एवं प क) विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत⁹⁷ किया गया था, लेकिन महानिदेशक (चि स्वा एवं प क) द्वारा जून 2013 तक न तो अपेक्षित कार्मिक (दो नर्सों को छोड़कर) की तैनाती की गयी और न ही ट्रॉमा केन्द्र को आवश्यक उपकरण, मशीनरी और एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी गयी। परिणामस्वरूप, विभाग को सौंपे जाने के डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी कार्मिक तथा आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण यह ट्रॉमा केन्द्र अक्रियाशील रहा। वर्तमान में, ट्रॉमा केन्द्र को गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल के क्षय रोग केन्द्र में अस्थायी रूप से हस्तगत किया गया है।

⁹⁶ 16 एवं 17 मार्च 2010, 15-16 मार्च एवं 23 मई 2011, 24 एवं 25 जनवरी 2012 एवं 22 से 24 जनवरी 2013।

⁹⁷ ट्रॉमा केन्द्र हेतु विशेषज्ञों, अर्द्धचिकित्सा और अन्य सहायक कार्मिक के कुल 33 पद स्वीकृत किये गये थे (जनवरी 2011)।

अल्मोड़ा की परिधि में ट्रॉमा केन्द्र के महत्व को इस तथ्य से जाना जा सकता है कि मई 2007 से मई 2013 के मध्य गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल, अल्मोड़ा में दुर्घटनाग्रस्त 1,012 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से 242 व्यक्तियों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया और सरकारी अभिलेखों के अनुसार अल्मोड़ा क्षेत्र में ट्रॉमा केन्द्र की अनुपलब्धता के कारण 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर मु चि अ ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2012 एवं जून 2013) और बताया कि ट्रॉमा केन्द्र में कार्मिकों की तैनाती एवं उपकरण, मशीनरी एवं एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक, चि स्वा एवं प क से पत्राचार किया जा रहा है।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (मई 2013); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2013)।

पेयजल विभाग

1.9 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत राज्य कुल उपलब्ध निधि का केवल 38 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया और 2009-13 की अवधि में 34 प्रतिशत जरूरतमन्द बस्तियों को ही आच्छादित किया जा सका। जाँच में ₹ 6.04 करोड़ की निधि का व्ययवर्तन, एन आर डी डब्ल्यू पी के आपदा राहत निधि घटक से ₹ 47.50 लाख के अनियमित व्यय तथा ठेकेदारों को ₹ 1.78 करोड़ की व्याज मुक्त अग्रिम धनराशियाँ प्रदान करने के मामले पाए गए।

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एक प्राथमिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का मुख्य स्रोत सामुदायिक खुले कुएं, व्यक्तिगत कुएं, तालाब एवं छोटे जलाशय हैं। इस क्षेत्र में पहल, पहली बार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के रूप में की गयी। यह कार्यक्रम अप्रैल 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के रूप में संशोधित किया गया जिसमें निरन्तरता की समस्या को हल करने, जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं आपूर्ति तथा गुणवत्ता के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना था। उत्तराखण्ड में इस कार्यक्रम को पेयजल विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में उत्तराखण्ड पेयजल निगम (यू पी जे एन) द्वारा लागू किया जा रहा है। यू पी जे एन का मुख्य कार्य स्रोतों से जल को पाईपलाइनों द्वारा ग्रामीणों तक पहुँचाना है।

एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सरकार (राज्य सरकार) व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्य में एन आर डी डब्ल्यू पी के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन पर जनवरी 2013 एवं जून 2013 के मध्य यू पी जे एन के 39 खण्डों में से नौ निर्माण खण्डों⁹⁸ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी। एन आर डी डब्ल्यू पी के अन्तर्गत 74 परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए राशि अवमुक्त की गई थी जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 45 परियोजनाओं/ योजनाओं के अभिलेखों की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नांकित हैं:

1.9.1 अपर्याप्त नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

एन आर डी डब्ल्यू पी के अन्तर्गत जलापूर्ति योजना को लागू करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घटकवार अंश⁹⁹ आधारित निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त निधियाँ तालिका 1.9.1 में दर्शाई गई हैं:

⁹⁸ निर्माण खण्ड चम्पा (यू पी जे एन), हल्द्वानी, हरिद्वार, पौड़ी (2), पिथौरागढ़, रानीखेत, रुद्रप्रयाग व टिहरी।

⁹⁹ 50:50 प्रतिशत हिस्सा आच्छादन, संचालन, अनुरक्षण एवं जल गुणवत्ता हेतु तथा 100 प्रतिशत केन्द्रीय भागीदारी निरन्तरता व सहायक कार्यकलापों के लिए।

तालिका -1.9.1
कुल प्राप्त व प्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त राशियाँ		प्राप्त व्यय	उपलब्ध निधियाँ	प्रयुक्त निधियाँ	अन्तिम शेष
		भारत सरकार	राज्य सरकार				
2009-10	105.80	124.90	89.29	1.22	321.21	64.07	257.14
2010-11	257.14	136.41	136.47	4.87	534.89	55.38	479.51
2011-12	479.51	75.57	91.44	6.85	653.37	96.90	556.47
2012-13	556.47	74.28	107.52	8.72	746.99	147.99	599.00
योग		411.16	424.72	21.66		364.34	

स्रोत: राज्य जलापूर्ति मिशन द्वारा प्रदत्त सूचना।

योजना का केन्द्रांश नोडल एजेन्सी अर्थात् राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस डब्ल्यू एस एम) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेन्सी (यू पी जे एन) को तथा राज्यांश उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सीधे यू पी जे एन को अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार अव्ययित केन्द्रांश स्टेट वाटर एण्ड सैनिटेशन मिशन (एस डब्ल्यू एस एम) व राज्यांश कार्यान्वयन एजेन्सी के पास पड़ा था।

एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशा-निर्देशों के साथ दिए गए प्रावधानों के सन्दर्भ में विभाग के कार्यक्रम/वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण बताता है कि विभाग द्वारा निधियों का अल्प उपयोग हुआ। जिससे राज्य में योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ जैसे कि नीचे दिया गया है:

- राज्य, वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के दौरान कुल उपलब्ध निधि ₹ 963.34 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 364.34 करोड़ (38 प्रतिशत) की राशि का उपयोग कर सका जबकि इसी समयावधि के दौरान चयनित खण्डों द्वारा अवमुक्त राशि (₹ 100.35 करोड़) के 84 प्रतिशत का उपयोग किया गया। ₹ 599 करोड़ के अन्तिम शेष में से ₹ 174.27 करोड़ की केन्द्रीय निधि एस डब्ल्यू एस एम एवं शेष ₹ 424.73 करोड़ प्रबन्ध निदेशक, यू पी जे एन के पास पड़ी थी। निधि के अल्प उपयोग के कारण राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन अत्यधिक प्रभावित हुआ जिससे वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की समयावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा 53 प्रतिशत तक कम निधि का आवंटन किया गया। पुनः, केन्द्र सरकार ने निधियों के शिथिल उपयोग के कारण ₹ 234 करोड़ की राशि को अवमुक्त करना बंद कर दिया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग ने बताया कि राज्य में जलापूर्ति योजनाएँ सैक्टर वाईड एप्रोच (स्वैप) तरीके पर निष्पादित/क्रियान्वित की जा रही थीं/रही हैं, जिसका पंचायती राज संस्थानों के साथ सीधा संबंध है। इसलिए, निर्धारित समय के बजाय पूर्णता में अधिक समय लगता है।
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (जुलाई 2013) से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान एन आर डी डब्ल्यू पी को ₹ 424.72 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी, लेकिन लेखापरीक्षा के बारंबार अनुरोध (जुलाई व अगस्त 2013) के बावजूद भी विभाग द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में कुछ खण्डों¹⁰⁰ की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार ने एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशानिर्देशों (प्रस्तर 16.5) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एस डब्ल्यू एस एम को वास्तविक/आवश्यक राज्यांश अवमुक्त करने के स्थान पर विभिन्न राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर पहले ही व्यय की जा चुकी राशि को एन आर डी डब्ल्यू पी पर प्रभारित किया गया था।
- सरकार द्वारा एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशा-निर्देशों में दिए गए स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी नीतिगत ढाँचा तैयार नहीं किया गया था। साथ ही विभाग द्वारा ग्रामीण जल सुरक्षा योजना भी नहीं बनाई गई थी। यह बताया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण जलापूर्ति मिशन के अनुसार ये योजनाएँ बनाई जा रही थीं/रही हैं जिनका सर्वेक्षण 2003 में किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा योजनाएँ एन आर डी डब्ल्यू पी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जानी थीं।

¹⁰⁰ निर्माण खण्ड, रुद्रप्रयाग व निर्माण खण्ड, पौड़ी।

- iv. राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस एल एस एस सी) लेखापरीक्षा के सभी तीन वर्षों की अवधि के दौरान अपनी बैठक समय से (वर्ष में कम से कम दो बार) कराने में विफल रही। यद्यपि, फरवरी 2010 में कमेटी गठन के बाद निर्धारित सात बैठकों के सापेक्ष पाँच बैठकें हुईं लेकिन अभी तक एस एल एस एस सी के द्वारा इन वर्षों हेतु वार्षिक कार्य योजना (ए ए पी) अनुमोदित करवाने में सात से 17 महीनों तक की देरी हुई।
- v. विभाग राज्य में एन आर डी डब्ल्यू पी के शुरू होने से लेकर वर्ष 2010-11 तक के लिए ए ए पी में 17 चिन्हित बस्तियों में से 15 में जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में कार्य आरम्भ नहीं हो पाया था। इसे इंगित करने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 2013) कि अगस्त 2012 में 17 प्रभावित बस्तियों में से 13 बस्तियाँ जलापूर्ति योजनाओं के लिए स्वीकृत हो चुकी थीं और शेष बस्तियों को वर्ष 2013-14 में आच्छादित कर दिया जायेगा।
- vi. राज्य तकनीकी एजेन्सी (एस टी ए), जो कि नियोजन एवं मजबूत तथा लागत-प्रभावी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एस डब्ल्यू एस एम तथा विभाग की मुख्य सलाहकार होनी थी, का गठन नहीं किया गया था। एस डब्ल्यू एस एम के द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2013) कि एस टी ए के रूप में नियुक्ति हेतु आई आई टी, रुड़की के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है (अगस्त 2013)।
- vii. एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-17(x) के अनुसार एन आर डी डब्ल्यू पी के अन्तर्गत अवमुक्त राशि को विगत वर्षों में योजनाओं की लागत वृद्धि या उनकी अनुमोदित लागत से अधिक व्यय के सापेक्ष प्रयुक्त/समायोजित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यू पी जे एन के नमूना परीक्षित छः निर्माण खण्डों ने सात¹⁰¹ एन आर डी डब्ल्यू पी योजनाओं पर ₹ 6.04 करोड़ का व्यय पाँच अन्य एन आर डी डब्ल्यू पी योजनाओं तथा दो गैर-एन आर डी डब्ल्यू पी योजनाओं से निधियों का व्ययावर्तन कर के किया था जिससे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
- viii. एन आर डी डब्ल्यू पी की आपदा राहत निधि घटक के अन्तर्गत प्राप्त निधि ग्रामीण बस्तियों के लिए थी, जबकि निर्माण खण्ड, यू पी जे एन, हरिद्वार ने इस घटक से विद्यमान 77 नलकूपों के पुर्नस्थापन हेतु रिबोरिंग पर ₹ 47.50 लाख व्यय कर दिए। चूँकि ये नलकूप हरिद्वार शहर के शहरी क्षेत्रों में थे, अतः उन पर इस घटक से व्यय नहीं किया जाना था। इस प्रकार सम्पूर्ण व्यय अनियमित सिद्ध हुआ।
- ix. निर्माण खण्ड, यू पी जे एन, रानीखेत द्वारा ₹ 12.44 लाख ऐसी अतिरिक्त मदों¹⁰² पर खर्च कर दिए जो कि मूल प्राक्कलन के अंग नहीं थे। परन्तु खण्ड ने आश्वासन दिया (मई 2013) कि यह राशि आगामी देयकों में समायोजित कर ली जाएगी।

1.9.2 जरूरतमंद बस्तियों का धीमा आच्छादन

एन आर डी डब्ल्यू पी को लागू करने के लिए निर्धारित रूपरेखा के अनुसार राज्य के लिए आवश्यक था कि नल द्वारा और जल पाईप लाइन बिछा कर प्रत्येक ग्रामवासी तक पेयजल आपूर्ति पहुँचाने को प्राथमिकता दी जाती जिसे निम्नांकित रूप से लागू किया जाना था: (i) अनाच्छादित बस्तियाँ (जिस जनसंख्या को कभी भी आच्छादित नहीं किया गया था); (ii) आंशिक रूप से आच्छादित बस्तियाँ (जिनकी जनसंख्या 0-25 प्रतिशत, 25 से 50 प्रतिशत, 50 से 75 प्रतिशत एवं 75 से 100 प्रतिशत थी); एवं (iii) गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ।

जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत बस्तियों का आच्छादन करने हेतु विभाग (एस डब्ल्यू एस एम) द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एन आर डी डब्ल्यू पी के आरंभ होने पर 2,638 शामिल न की गई बस्तियों में से वर्ष 2009-2010 से 2012-13 की समयावधि के दौरान, राज्य मात्र 888 बस्तियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना बना सका जो कि नियोजन आच्छादन का केवल 34 प्रतिशत था। इस प्रकार, इसी

¹⁰¹ तल्ला नागपुर पी डब्ल्यू एस एस, भीरौखाल पी डब्ल्यू एस एस, डांडा नागराजा ग्राम समूह डब्ल्यू एस, पौन पी डब्ल्यू एस एस, बर्नाकोट ग्राम समूह डब्ल्यू एस एस, घण्टाकर्ण ग्राम समूह पी डब्ल्यू एस एस तथा खीरों घाटी पी डब्ल्यू एस एस।

¹⁰² सर्वेक्षण, अभिकल्पन, आपूर्ति, ढुलान, मुख्य जलारोहण प्रणाली को बिछाना एवं जोड़ना।

समयावधि के दौरान आंशिक रूप से आच्छादित बस्तियों का समग्र आच्छादन मात्र 30 प्रतिशत था जिसमें कि 0-25, 25-50, 50-75 के स्तर में 4 से 83 प्रतिशत की भिन्नता और असंगति थी।

1.9.3 परियोजनाओं का धीमी गति से पूर्ण होना

चयनित खण्डों¹⁰³ के अभिलेखों से प्रदर्शित हुआ कि 45 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएँ उनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में विहित निर्धारित तिथियों के अनुसार दिसम्बर 2007 व दिसम्बर 2012 के बीच पूर्ण होनी थीं। यद्यपि, ये 23 परियोजनाएँ लेखापरीक्षा तिथि (जून 2013) तक पूर्ण नहीं हो सकी थीं और पूर्ण होने में विलम्ब एक वर्ष से पाँच वर्षों का था। इस प्रकार परियोजनाओं को पूर्ण करने की गति अत्यन्त धीमी थी। इसे इंगित करने पर विभाग ने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

1.9.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए डिजाइन के मानकों का पालन न करना

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मैनुअल एवं सरकार के सम्बन्धित आदेशों में प्रावधान है कि पम्पिंग जलापूर्ति परियोजना के लिए परियोजना अभिकल्पन की समयावधि 30 वर्ष होनी चाहिए। चूँकि जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु अधिक राशि निवेश की जाती है अतः नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चार खण्डों¹⁰⁴ में आठ पम्पिंग जलापूर्ति योजनाएं वांछित 30 वर्ष की अवधि के बजाय 15 वर्षों की समयावधि के लिए अभिकल्पित की गई थीं जो कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के तीन खण्डों¹⁰⁵ (खण्डीय प्राधिकारियों के साथ) की भौतिक स्थापना लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्रामीण पेयजल परियोजना की पेयजल पाईप लाईन जो कि अभिकल्पन में 60 सेमी. जमीन के अन्दर होनी आवश्यक थी वह कुछ स्थानों पर खुले में सड़क पर डाली गई थी। यह न केवल अभिकल्पन मापदण्डों का उल्लंघन था अपितु इससे पाईप लाईन की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि ठेकेदारों के साथ, उचित कदम उठाने हेतु, मामला उठाया गया है।

1.9.5 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के पैराग्राफ-48 (1 एवं 2) के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों को अग्रिम राशियाँ ब्याज भुगतान की शर्त के आधार पर दी जानी चाहिए। परन्तु चम्बा एवं रानीखेत निर्माण खण्डों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि एन आर डी डब्ल्यू पी योजना के अन्तर्गत चार¹⁰⁶ जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन हेतु दो ठेकेदारों को ₹ 1.78 करोड़ बिना ब्याज के परिचालन अग्रिम स्वीकृत किया गया था। संविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में परिभाषित बिन्दुओं में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करके, बिना ब्याज के अग्रिम स्वीकृत किए गए। इनकी वसूली सात महीने से एक वर्ष की समयावधि तक लम्बित थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग को ₹ 14.59 लाख¹⁰⁷ के ब्याज की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि कोई ब्याज नहीं लगाया गया क्योंकि संविदा/एग्रीमेन्ट में इस विषय से सम्बन्धित कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था। विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया कि इन ठेकेदारों से अग्रिम वसूली हो चुकी है। परन्तु उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

¹⁰³ निर्माण खण्ड, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी, चम्बा, हल्द्वानी, रानीखेत व निर्माण खण्ड-II, पौड़ी।

¹⁰⁴ निर्माण खण्ड, यू पी जे एन पौड़ी, पिथौरागढ़, चम्बा व रानीखेत।

¹⁰⁵ टोडरा पम्पिंग जलापूर्ति योजना, रानीखेत, बीरोबाल पम्पिंग जलापूर्ति योजना, पौड़ी व सारजूला पम्पिंग जलापूर्ति योजना, नई टिहरी।

¹⁰⁶ निर्माण खण्ड, यू पी जे एन चम्बा के (i) घण्टाकर्ण व (ii) लारूपट्टी ग्राम समूह योजनाएँ तथा निर्माण खण्ड, यू पी जे एन, रानीखेत के (iii) चमडाखान व (iv) खीरौयाटी ग्राम समूह योजनाएँ।

¹⁰⁷ के लो नि वि नियम पुस्तक के अनुसार अग्रिम की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से अग्रिम प्रदत्त करने की तिथि से लेखापरीक्षा तिथि तक संगणित।

1.9.6 अपूर्ण जलापूर्ति योजना का हस्तान्तरण

निर्माण खण्ड यू पी जे एन पौड़ी के अन्तर्गत बीरोंखाल पम्पिंग जलापूर्ति योजना, जिस पर ₹ 4.99 करोड़ का व्यय किया गया था, बिना पूर्ण किए हुए जल संस्थान को हस्तान्तरित की गयी थी (अगस्त 2011) जबकि ₹ 79.10 लाख की राशि के कार्य अभी भी निष्पादित एवं पूर्ण किये जाने शेष थे। आंशिक रूप से पूर्ण इस योजना के लाभ से कई ग्रामीण बस्तियां वंचित रही। इसे इंगित करने पर खण्ड ने अपने उत्तर में कहा कि यह सरकार के अनुदेशों पर किया गया था। यहाँ तक कि हस्तान्तरण के दो वर्षों की समाप्ति पर भी बचे हुए कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था क्योंकि सरकार ने बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्ध नहीं करवाई थी। इस प्रकार, योजना का पूर्ण उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2013 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

लोक निर्माण विभाग

1.10 ठेकेदार को अदेय लाभ

लोक निर्माण विभाग द्वारा एक सड़क निर्माण कार्य में अनियमित/अधिक भुगतान तथा अनुचित व्यय के संदर्भों में एक ठेकेदार को ₹ 65.58 लाख का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

शासन द्वारा (मार्च 2009) 37 कि मी लंबी (04 से 40 तक) चैलुसेन-सिलोगी-घट्टुगाई मोटर मार्ग की बिटुमिनस मैकेडम (बी एम) एवं सैमी डैन्स बिटुमिनस मैकेडम से (एस डी बी सी) परिचालन गुणवत्ता में सुधार हेतु ₹ 1,458.20 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के लिए ₹ 1,440.40 लाख की तकनीकी स्वीकृति (टी एस), मुख्य अभियन्ता (मु अ) गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी द्वारा प्रदान (सितम्बर 2009) की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2013) में पाया गया है कि खण्ड द्वारा कार्य हेतु सक्षम अधिकारी (मु अ) से तकनीकी स्वीकृति (टी एस) मिलने से दो माह पूर्व ही निविदा आमंत्रित कर दी गयी थी (जून 2009), जो कि निविदा प्रक्रिया एवं वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था। विभाग द्वारा चयनित ठेकेदार¹⁰⁸ के साथ ₹ 1,399.63 लाख (खण्ड द्वारा आगणित दर से 19 प्रतिशत अधिक पर) की धनराशि का अनुबंध गठित (सितम्बर 2009) किया गया जिसके अनुसार कार्य सितम्बर 2011 तक पूर्ण होना था।

लेखापरीक्षा जाँच में, सम्पादित कार्य एवं ठेकेदार को किए भुगतान के संबंध में, निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं:

(i) अनुबंध में चार कार्य मदों के संदर्भ में दरें सक्षम अधिकारी द्वारा टी एस में अनुमोदित दरों से अधिक तय¹⁰⁹ की गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 19.92 लाख का अदेय लाभ हुआ जिसका विवरण तालिका 1.10.1 में दिया गया है।

तालिका - 1.10.1

(कीमत ₹ में)

क्रम सं	कार्य मद	टी एस के अनुसार ईकाई दर	देय ईकाई दर /भुगतान	ईकाई दर में अंतर	संपादित मात्रा	अधिक व्यय
1.	डब्लू बी एम के उपर 13.20-19.00 पिसे हुए पत्थर के साथ प्रथम सतह लेपन	121.38 प्रति वर्ग मीटर	130.90 प्रति वर्ग मीटर	9.52 प्रति वर्ग मीटर	19,234.57 वर्ग मीटर	1,83,113
2.	टैंक कोट को बिछाना/उपलब्ध कराना	8.81 प्रति वर्ग मीटर	11.78 प्रति वर्ग मीटर	2.97 प्रति वर्ग मीटर	2,95,521.74 वर्ग मीटर	8,77,699
3.	बिछी हुयी ऊपरी सतह की सफाई	1.72 प्रति वर्ग मीटर	1.79 प्रति वर्ग मीटर	0.07 प्रति वर्ग मीटर	1,47,760.62 वर्ग मीटर	10,343
4.	एस डी बी सी को बिछाना/ उपलब्ध कराना	9,381.96 प्रति घन मीटर	9,630.67 प्रति घन मीटर	248.71 प्रति घन मीटर	3,703.278 प्रति घन मीटर	9,21,042
कुल अधिक व्यय						19,92,197

¹⁰⁸ मेसर्स हिलवैज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ऋषिकेश।

¹⁰⁹ 16.09.2009।

अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया (अप्रैल 2013) कि उच्च दरों का भुगतान ठेकेदार द्वारा उद्धृत निविदित दरों के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा अलग से कोई मद वार दर उद्धृत नहीं की गयी थी अपितु दरें विभागीय आगणन दरों के प्रतिशत (19 प्रतिशत अधिक में) उद्धृत की गयी थीं। अतः यदि खण्ड ने सक्षम अधिकारी द्वारा टी एस में अनुमोदित दरें ली होतीं एवं तदनुसार अनुबंध गठित किया जाता तो ₹ 19.92 लाख के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था।

साथ ही कार्य के विस्तृत आगणन (टी एस) के अनुसार टैक कोट (दो बार) 50 मि मि 'बिटुमिनस मैक्डम (बी एम)' एवं 25 मि मि 'सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस सी बी डी)' का कार्य संपूर्ण मार्ग (37 कि मी) के 3.75 मीटर चौड़ाई में मोड़ों/अतिरिक्त चौड़ाई हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान के साथ आवश्यकतानुसार कराया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सम्पूर्ण मार्ग की लम्बाई में (मोड़ों आदि हेतु अतिरिक्त प्रावधान सहित) टैक कोट द्वारा आच्छादित क्षेत्र की तुलना में बी.एम. की निष्पादित मात्रा ज्यादा थी जैसा कि तालिका 1.10.2 में दिया गया है।

तालिका - 1.10.2

कार्यों के मद	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार मात्राएँ एवं माप					संपादित कार्य की मात्रा
	कि मी की सं	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	मात्रा	
टैक कोट	1x2x37	1,000	3.75	-	2,77,500 वर्ग मीटर	2,95,521.74
	मोड़ों आदि के लिए 10% अतिरिक्त जोड़े				27,750 वर्ग मीटर	
	योग				3,05,250 वर्ग मीटर	
बी एम	1x37	1,000	3.75	0.05	6,937.50 घन मीटर	7,945,118 घन मीटर
	मोड़ों आदि के लिए 10% अतिरिक्त जोड़े				693.75 घन मीटर	
	योग				7,631.25 घन मीटर	
एस डी बी सी	1x37	1,000	3.75	0.025	3,468.75 घन मीटर	3,703,278 घन मीटर
	मोड़ों आदि के लिए 10% अतिरिक्त जोड़े				346.88 घन मीटर	
	योग				3,815.63 घन मीटर	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बी एम कार्य की मात्रा (7,945.118 घन मीटर) मोड़ों के लिए अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत करने के बाद भी टैक कोट किये गए क्षेत्रफल के संगत नहीं है। टैक कोट किये गए क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए बी एम की मात्रा 7,388 घन मीटर¹¹⁰ ही होनी चाहिए थी। अधिकांश अभियन्ता द्वारा जवाब (अप्रैल 2013) में बताया गया कि मात्रा में बदलाव सड़क के असमतल होने एवं गड्ढों को भरने के कारण से हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सड़क के असमतल गड्ढों के भराव के लिए आगणन व मापन पुस्तिका में कोई अतिरिक्त प्रावधान/प्रविष्टियाँ नहीं की गयी थीं। अतः बी एम के 557 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा का इस्तेमाल, जिसकी लागत ₹ 39.94 लाख¹¹¹ थी, अनौचित्यपूर्ण थी।

(ii) एक मुश्त ठेके के अंतर्गत, ठेकेदार तय राशि में एक संपूर्ण कार्य को उसकी सभी आकस्मिकताओं सहित ड्राईंग और विशिष्टियों के अनुरूप संपादित करने के लिए सहमत होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को 6,677 घनमीटर पहाड़ कटान के मलबे के निस्तारण हेतु ₹ 5.72 लाख¹¹² का भुगतान इस तथ्य के बावजूद किया गया कि यह कार्य मद एक मुश्त ठेके का हिस्सा थी। अतः ठेकेदार को ₹ 5.72 लाख का अतिरिक्त भुगतान अनियमित/परिहार्य था।

प्रकरण शासन को भेजा गया (मई 2013)। शासन द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया (दिसम्बर 2013) कि निविदा सलाहकार समिति द्वारा टी एस से उच्च दरें वर्तमान बाजार दर के आधार पर औचित्यपूर्ण पायी गयीं थीं तथा बी एम की अधिक मात्रा का उपयोग प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पी सी सी) किया गया जो कि मोर्थ¹¹³ विशिष्टियों के तहत कार्य के लिए जरूरी था। अतिरिक्त मद के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि यह कार्य स्थल पर घनी आबादी के कारण स्वीकृत की गयी थी।

¹¹⁰ 7,388 घनमीटर = 295521.74 (टैक कोट)/2 × 0.05।

¹¹¹ मात्रा (557 घनमीटर) × दर (₹ 6,026/घनमीटर = ₹ 33,56,482) + 19% निविदा मूल्य (₹ 6,37,731)।

¹¹² ₹ 4.81 लाख + ₹ 0.91 लाख (19: निविदा मूल्य के रूप में)।

¹¹³ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

शासन का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति ठेका प्रदान करने के माह में ही प्रदान कर की गयी थी। खण्ड द्वारा स्वयं भी पी सी सी के संबंध में मोर्थ की विशिष्टियों का पालन नहीं किया गया था। विशिष्टियों के अनुसार यदि किसी दशा में पी सी सी बिछाया जाना था तो इसका विवरण ठेका प्रपत्र में दिया जाना चाहिए था। हालांकि इस प्रकरण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया। मलबे निस्तारण के लिए अतिरिक्त खर्च के संबंध में प्रत्युत्तर भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कार्य एक मुश्त ठेके की तरह कार्योन्वित किया जाना था। इसके अलावा ठेके को अंतिम रूप दिये जाने से पहले ठेकेदार द्वारा कार्य की सभी परिस्थितियाँ अनुमानित की जानी थीं।

अतः खण्ड द्वारा इस कार्य में अनियमित अधिक/भुगतान और अनौचित्यपूर्ण व्यय के तौर पर ठेकेदार को ₹ 65.58 लाख का अदेय लाभ पहुँचाया गया।

ग्रामीण विकास विभाग

1.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता

पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि ₹ 802.37 करोड़ की लागत के कुल 291 सड़क निर्माण कार्यों में से मात्र 64 कार्य (22 प्रतिशत) ₹ 119.89 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए एवं मार्च 2013 तक ₹ 237.58 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 227 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। नमूना जाँच वाले पी आई यू में ₹ 4.16 करोड़ की धनराशि का व्यय अनियमित एवं ₹ 3.73 करोड़ दिशा-निर्देशों के विपरीत योजना पर भारत पाए गए। नौ ठेकेदारों के विरुद्ध ₹ 2.27 करोड़ के मोबलाईजेशन अग्रिम की धनराशि इनकी बैंक गारन्टी कालातीत होने के बावजूद भी अभी तक वसूली हेतु लम्बित थी।

उत्तराखण्ड के 250 व्यक्तियों एवं उससे अधिक जनसंख्या की सभी असंयोजित ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क¹¹⁴ सम्पर्क उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य से दिसम्बर 2000 में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना (सी एस एस) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) प्रारम्भ की गई। राज्य सरकार के प्रस्तावों को चरणबद्ध रूप में भारत सरकार अनुमोदित करती है।

पी एम जी एस वाई कार्यक्रम की लेखापरीक्षा, क्रियान्वयन अवधि 2009-10 से 2012-13 को सम्मिलित करते हुए, यह जानने के लिए की गई कि क्या लक्षित बसावटों को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उद्देशित बारहमासी सड़कें प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त किए गए। मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू आर आर डी ए) एवं राज्य के 13 जनपदों में मार्च 2013 तक राज्य द्वारा व्यय किए गए कुल ₹ 357.47 करोड़ के सापेक्ष सात जनपदों¹¹⁵ की 12 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों (पी आई यू) (₹ 233.30 करोड़ की लागत से 174 सड़क कार्यों को सम्मिलित करते हुए) के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य) की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् है:

1.11.1 कार्यक्रम निष्पादन

1.11.1.1 पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है कि पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत आरम्भ किया जाने वाला प्रत्येक सड़क निर्माण कार्य कोर नेटवर्क का अंग होगा और इसकी प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित होनी चाहिए कि 1,000 एवं अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को वर्ष 2003 तक तथा 250 व अधिक की जनसंख्या वाली बसावटों को वर्ष 2007 तक संयोजित किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सड़क निर्माण सम्बन्धी सभी प्रकरणों में योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्राथमिकता मापदण्ड को नहीं अपनाया।

मार्च 2013 के अन्त तक कोर नेटवर्क के अनुसार 1,000 से अधिक जनसंख्या वाली लक्षित 151 बसावटों के सापेक्ष मात्र 111 बसावटों को ही संयोजित किया गया था। इसी प्रकार, 250 से अधिक जनसंख्या वाली 2,381 लक्षित बसावटों के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत मात्र 562 बसावटों को ही सड़क संयोजन उपलब्ध कराया गया था। लक्षित बसावटों के आच्छादन का विवरण तालिका 1.11.1 में प्रदर्शित है।

¹¹⁴ वर्ष भर सम्पर्क हेतु सुलभ मार्ग बारहमासी मार्ग हैं।

¹¹⁵ वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु अनुमोदित ऑडिट प्लान के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, पौड़ी एवं पिथौरागढ़।

तालिका - 1.11.1

लक्षित बसावटों के आच्छादन का विवरण

आबादी की श्रेणी	कुल बसावटें	कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व संयोजित बसावटें	असंयोजित बसावटें	पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत संयोजित बसावटें				अवशेष असंयोजित बसावटें
				I से III (2000-03)	IV से VI (2004-08)	VII से IX (2009-13)	योग	
1000 व्यक्तियों एवं अधिक	1,092	941	151	71	40	-	111	40
500 से 999	1,964	1,272	692	56	237	79	372	320
250 से 499	3,791	2,102	1,689	53	133	4	190	1,499
250 से कम	9,953	3,871	6,082	75	129	-	204	5,878
योग:	16,800	8,186	8,614	255	539	83	877	7,737

स्रोत: विभाग से प्राप्त की गई सूचना

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन के 12 वर्ष पश्चात् भी 250 से 999 तक की जनसंख्या वाली 76 प्रतिशत बसावटों के असंयोजित रहने के कारण संयोजन की उपलब्धि दयनीय थी। इसी प्रकार, 1,000 से अधिक जनसंख्या की 40 बसावटें लक्षित वर्ष 2003 से नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् भी असंयोजित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा संयोजित दर्शायी गई कुल 877 बसावटों के सापेक्ष 811 बसावटों में बारहमासी सड़कें नहीं थीं क्योंकि उनके स्टेज II के कार्य (काली सतह) सम्पादित किए जाने शेष थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा मात्र 66 बसावटों को ही बारहमासी सड़क उपलब्ध करवायी गई थी।

1.11.1.2 सड़क निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि फेज-VII से IX के अन्तर्गत ₹ 802.37 करोड़ की धनराशि के कुल 291 सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के मध्य अनुमोदित किए गए, जिसमें से मात्र ₹ 119.89 करोड़ की लागत के 64 निर्माण कार्य (22 प्रतिशत) ही पूर्ण किए गए थे। मार्च 2013 तक ₹ 237.58 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 227 निर्माण कार्य (78 प्रतिशत) अपूर्ण थे।

नमूना जाँच वाले जनपदों में 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 522.67 करोड़ की लागत के 174 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत (फेज VII से IX) किए गए थे जिनमें से मार्च 2013 तक ₹ 75.68 करोड़ की लागत से मात्र 35 सड़क निर्माण कार्य ही पूर्ण किए गए थे जैसा कि तालिका 1.11.2 में देखा जा सकता है।

तालिका - 1.11.2

सड़क निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का विवरण

(कार्यों की लागत रुपये करोड़ में)

वर्ष/फेज	स्वीकृत कार्य			पूर्ण कार्य			प्रगतिरत कार्य			अनारम्भ कार्य		
	संख्या	लम्बाई	लागत	संख्या	लम्बाई	व्यय	संख्या	लम्बाई	व्यय	संख्या	लम्बाई	लागत
2009-10 (VII)	71	700.67	254.05	21	169.27	47.81	29	351.49	82.81	21	179.91	68.77
2010-11 (VIII)	86	718.59	245.05	14	131.28	27.87	45	295.53	71.01	27	291.78	102.03
2011-12 (IX)	17	10.50	23.57	00	00	00	13	8.25	3.80	04	2.25	6.94
योग:	174	1,429.76	522.67	35	300.55	75.68	87	655.27	157.62	52	473.94	177.74

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि:

- फेज-VII से IX तक के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार (भा स) द्वारा यू आर आर डी ए को वर्ष 2009-12 के दौरान अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 802.37 करोड़ के सापेक्ष ₹ 400.14 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई। तथापि, विभाग मार्च 2013 तक मात्र ₹ 357.47 करोड़ की धनराशि ही व्यय कर सका तथा शेष ₹ 42.67 करोड़ की धनराशि अनुपयोगी पड़ी रही।
- नमूना जाँच वाले जनपदों में ₹ 177.74 करोड़ की लागत के 52 सड़क निर्माण कार्य वन भूमि पड़ने एवं समरेखण में विवाद के कारण अभी तक आरम्भ ही नहीं किए गए थे। शेष राज्य के कार्यों की प्रगति अत्यन्त बंदतर थी क्योंकि ₹ 278.25 करोड़ की स्वीकृत लागत के कुल 96 सड़क निर्माण कार्य अभी भी आरम्भ होने शेष थे।

1.11.1.3 लक्षित बसावटों का अपूर्ण समावेश

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार नवीन संयोजकता प्रदान करने हेतु पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत कोई भी मार्ग तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह कोर नेटवर्क का हिस्सा न हो तथा नवीन संयोजकता को प्राथमिकता प्रदान न की गई हो। बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ पी आई यू के अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि ₹ 9.66 करोड़ की धनराशि के तीन स्वीकृत कार्य (फेज VII से VIII) द्वारा कुल 2,925 जनसंख्या की सात असंयोजित बसावटों को संयोजित किया गया जबकि वास्तविक रूप से 11 बसावटों (4,836 जनसंख्या) को संयोजित करने की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार, विभाग कुल 1,911 जनसंख्या की चार बसावटों को, कोर नेटवर्क का हिस्सा होने के बावजूद, संयोजकता प्रदान करने में विफल रहा।

विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं सूचित किया (मई 2013) कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय स्थितियों के कारण मार्ग के समरेखण को परिवर्तित करना पड़ा इस कारण, इन बसावटों को संयोजित नहीं किया जा सका। विभाग का स्पष्टीकरण कमजोर आयोजना को उजागर करता है क्योंकि ये जमीनी वास्तविकताएँ कोर नेटवर्क के अन्तिमीकरण के समय ही आंकलित कर लेनी चाहिए थी ताकि पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत इन गाँवों की सड़क संयोजकता की योग्यता को बरकरार रखा जा सके।

1.11.2 कार्यक्रम क्रियान्वयन

नमूना जाँच वाले जनपदों में कार्यक्रम क्रियान्वयन में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियाँ निम्नवत् हैं:

1.11.2.1 प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए क्रियाविधि का पालन न करना

पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य तकनीकी एजेन्सी (एस टी ए) द्वारा संवीक्षित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए सभी कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जायेगी। तथापि, आठ पी आई यू¹¹⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि:-

- पी आई यू द्वारा फेज-VII के ₹ 69.86 करोड़ के आगणित लागत के 23 सड़क निर्माण कार्यों की निविदायें भारत सरकार की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही आमंत्रित कर ली गई थी। पुनः, शीघ्रता दिखाये जाने के बावजूद, अनुबन्धों से सहमत इन कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। मार्च 2013 तक ₹ 34.17 करोड़ की लागत से मात्र 16 कार्य ही पूर्ण किए जा सके एवं सात कार्य ₹ 23.91 करोड़ के व्यय के बावजूद भी 16 से 23 माह तक के विलम्ब से प्रगतिरत थे।
- ₹ 19.25 करोड़¹¹⁷ की लागत के नौ कार्यों (फेज-VII एवं VIII) में एकल निविदा स्वीकृत की गई। इन प्रकरणों में ₹ 10.46 करोड़ के व्यय एवं एकल निविदा स्वीकृत करने के पश्चात् भी ₹ 11.48 करोड़ की लागत के पाँच कार्य सात से 19 माह के विलम्ब से प्रगतिरत थे।

विभाग ने बताया (मई 2013) कि श्रम एवं सामग्री की दरों में सम्भावित वृद्धि की आशंका के कारण प्राप्त एकल निविदाओं के सापेक्ष पुनः निविदायें आमंत्रित नहीं की गईं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकल निविदा का स्वीकृत किया जाना विभाग की निविदा सम्बन्धी मान्य क्रियाविधि के प्रतिकूल था।

1.11.2.2 निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब

पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों में उपबन्धित है कि निष्पादित कराए जाने वाले कार्यों की निविदाओं को भारत सरकार के अनुमोदन की तिथि से 120 दिनों (चार माह) के भीतर अन्तिम रूप दिया जायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नौ पी आई यू के 50 सड़क निर्माण कार्यों हेतु निविदायें एक माह से 24 माह एवं तीन कार्यों हेतु 24 माह से भी अधिक विलम्ब से अंतिमीकृत किए गए।

¹¹⁶ पी आई यू : अल्मोडा, बागेश्वर, डीडीहाट, चम्पावत, कोटद्वार, कर्णपयाग, श्रीनगर एवं पोखरी।

¹¹⁷ राज्य लोक निर्माण विभाग में अंगीकृत क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त एकल निविदा को बिना निविदा खोले निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

उत्तरस्वरूप विभाग ने बताया (मई 2013) कि उपरोक्त निविदायें वन भूमि उपयोग की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं स्थानीय ग्रामीणों के विवाद के कारण निर्धारित समय-सीमा में अंतिमीकृत नहीं की जा सकीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह सारे मुद्दे विस्तृत आगणनों को तैयार करने एवं प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सुलझा लिए जाने चाहिए थे।

1.11.2.3 पूर्व से ही संयोजित बसावटों हेतु अनियमित सड़क निर्माण

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि चयनित जनपदों के दो पी आई यू¹¹⁸ द्वारा 2,384 जनसंख्या वाले तीन बसावटों के संयोजन के लिए पी एम जी एस वाई के दिशा-निर्देशों के विपरीत ₹ 4.16 करोड़ व्यय किए गए जबकि उपरोक्त बसावटें राज्य के कोर नेटवर्क के अनुसार पहले से ही संयोजित थीं।

पी आई यू ने बताया (फरवरी/मार्च 2013) कि मौजूदा सड़कें हल्के वाहनों के लिए थीं और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर बारहमासी नई सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के सड़क निर्माण कार्य दिशा-निर्देशों के प्रावधान (प्रस्तर 4.6) के विपरीत थे जिसके अनुसार उन बसावटों हेतु जो पूर्व से ही आच्छादित थी, सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किये जाने चाहिए।

1.11.2.4 अनियमित लीड प्रभार

पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों में निर्धारित था कि सड़क निर्माण कार्य के आगणनों को तैयार करते समय ब्लैक कॉटन सॉयल को छोड़कर मृदा की ढुलाई के लिए किसी भी प्रकार के लीड प्रभार का प्रावधान नहीं होगा। चयनित जनपदों में सड़क निर्माण कार्य के आगणनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि उक्त प्रावधानों के विपरीत आगणन में प्रावधानित कर 29 कार्यों में 4.95 लाख क्यूबिक मीटर मृदा ढोने पर ₹ 3.73 करोड़ व्यय किए गए।

विभाग ने बताया (मई 2013) कि इस सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मृदा की ढुलाई का प्रावधान निकटवर्ती वन क्षेत्र में सम्भावित हानि को रोकने के लिए मलबा निस्तारण हेतु किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लीड प्रभार को आगणन में शामिल करना पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था। यदि ढुलाई किया जाना आवश्यक भी था तो इस मद में किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा सकता था।

1.11.2.5 वन भूमि उपयोग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्यों को आरम्भ किया जाना

पी एम जी एस वाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार/जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। किसी विवाद से बचने के लिए प्रत्येक सड़क के प्रस्ताव के साथ भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न हो तथा उपलब्ध भूमि का विवरण स्थानीय अभिलेखों में प्रतिबिम्बित हो। यह भी प्रावधानित है कि जब तक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न हो, कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

(i) चयनित पी आई यू की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 7.15 करोड़ की लागत वाले दो सड़क निर्माण कार्यों¹¹⁹ (फरवरी 2010 और दिसम्बर 2011) को वन भूमि उपयोग की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही आरम्भ किया गया। इन पर किया गया ₹ 2.84 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि वर्तमान तक वन भूमि उपयोग की आवश्यक स्वीकृति अप्राप्त थी तथा कार्य रुका हुआ था। पुनः, वन भूमि उपयोग की आवश्यक स्वीकृति प्रतीक्षित होने के बावजूद भी एक प्रकरण में ठेकेदार को ₹ 35.00 लाख का मोबलाईजेशन/मशीनरी अग्रिम दिया गया था (अप्रैल 2010)। ₹ 35.00 लाख में से ₹ 10.50 लाख वसूल किए जा चुके थे और शेष ₹ 24.50 लाख की वसूली निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के कारण लम्बित थी (मई 2013)।

(ii) राज्य के फेज-VI से IX तक से सम्बन्धित 22,438 जनसंख्या वाले 48 लक्षित बसावटों को सड़क संयोजन प्रदान करने वाले कुल 88 सड़क निर्माण कार्यों¹²⁰ विभिन्न स्तरों पर वन भूमि के उपयोग की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त न होने के

¹¹⁸ कपकोट (बागेश्वर) : बसावटें बेड़ा मझेड़ा (जनसंख्या : 940) एवं जारती (जनसंख्या : 935) और चम्पावत: बसावट खतेड़ा (जनसंख्या : 509)।

¹¹⁹ लवाड़ से बंदूण (फेज-VII) एवं तारागटाल से खाला (फेज- VII)।

¹²⁰ भारत सरकार: 13, वन नोडल कार्यालय: 7, प्रभागीय वनाधिकारियों: 23, आपत्ति विचाराधीन: 3, सैद्धान्तिक स्वीकृति: 22, प्रस्ताव स्वयं पर: 10 एवं भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव: 10।

कारण लम्बित थे। वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति हेतु लम्बित 88 मामलों में से 20 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने में 102 से 1,821 दिनों का विलम्ब किया गया था।

1.11.2.6 बैंक गारन्टी का पुनर्वैध न करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि नौ कार्यों, जिसमें मशीनरी एवं मोबलाईजेशन अग्रिम दिया गया था, की बैंक गारन्टी कालातीत हो गई थी। इन कार्यों से सम्बन्धित नौ ठेकेदारों को कुल ₹ 3.82 करोड़ का अग्रिम दिया गया था, जिनकी बैंक गारन्टियाँ अब कालातीत हो चुकी थीं, जिसमें से मात्र ₹ 1.55 करोड़ की वसूली की गई एवं शेष ₹ 2.27 करोड़ की धनराशि अभी भी उन ठेकेदारों के पास वसूली हेतु लम्बित थी।

1.11.2.7 राज्य सरकार द्वारा निधि अवमुक्त किया जाना

पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ निविदा का मूल्य अनुमोदित डी पी आर की लागत से अधिक या 25 मीटर स्पान से ज्यादा के सेतु हेतु या जहाँ भिन्नता अथवा अतिरिक्त मद थे, सम्बन्धित अधिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पी एम जी एस वाई के 30 कार्यों पर स्वीकृत डी पी आर से निविदा की अधिक लागत पर, सेतु स्पान और भिन्नताओं/अतिरिक्त मदों आदि पर व्यय की गई ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि गत एक वर्ष से राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निधियाँ अवमुक्त न करने के कारण ये निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए।

लेखापरीक्षा परिणामों को सितम्बर 2013 में शासन को संदर्भित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2013)।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

1.12 परिहार्य व्यय


इस तथ्य को छिपाते हुये कि एक सरकारी संस्थान हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य लो नि वि द्वारा पहले ही आरम्भ किया गया था, संस्थान तक एक और पहुँच मार्ग निर्माण एजेन्सी (यू पी आर एन एन) द्वारा स्वीकृत करवाना एवं निष्पादित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड शासन (5 शा) ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी सेवकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियाँ हेतु थानी गाँव देहरादून में एक सिविल सेवा संस्थान (सि से सं) के निर्माण का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)। इसके लिए दो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ क्रमशः प्रस्तावित निर्माण स्थल तक ₹ 90.00 लाख (फरवरी 2006) की लागत से एक किलो मीटर लम्बे पहुँच मार्ग हेतु एवं ₹ 7.53 करोड़ (दिसम्बर 2006) की लागत से सि से सं भवन के निर्माण हेतु प्रदान की गयी। 5 शा द्वारा दोनों कार्य क्रमशः फरवरी 2006 एवं दिसम्बर 2006 में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग (नि ख-लो नि वि), देहरादून को सौंपे गये।

जिला खेल अधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, खेल, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर-नवम्बर-2011) में पाया गया कि निर्माण कार्य आरम्भ करने में देरी के कारण सि से सं भवन के निर्माण का कार्य नि ख - लो नि वि से वापस ले लिया गया एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (5 प्र रा नि नि) को दे दिया गया (जनवरी 2008)। तथापि, नि ख- लो नि वि ने पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य, जो दिसम्बर 2009 में आरम्भ किया गया था, को जारी रखा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि यू पी आर एन एन द्वारा सि से सं हेतु ₹ 14.88 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन के साथ मोरवियन स्कूल के समीप से गुजरने वाले पहुँच मार्ग (0.4 कि मी लम्बे) के निर्माण हेतु ₹ 1.18 करोड़ का प्रस्ताव इस तथ्य को छिपाते हुये प्रेषित किया (अगस्त 2010) कि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य नि ख- लो नि वि द्वारा पहले ही (दिसम्बर 2009) आरम्भ किया जा चुका था। तथापि, न तो विभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया कि लो नि वि द्वारा सड़क

का निर्माण किया जा रहा था न ही नि ख- लो नि वि द्वारा इस तथ्य को शासन की जानकारी में लाया गया। उ शा द्वारा पूरे कार्य हेतु ₹ 14.88 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय भी (मार्च 2011) सि से सं हेतु पूर्व में स्वीकृत पहुँच मार्ग को संज्ञान में नहीं लिया गया। नि ख- लो नि वि द्वारा पुराने एक किमी लम्बे पहुँच मार्ग¹²¹ का निर्माण कार्य ₹ 89.75 लाख की लागत से मार्च 2013 में पूर्ण किया गया जबकि यू पी आर एन एन द्वारा उसी स्थल हेतु मोरवियन स्कूल से गुजरने वाले द्वितीय पहुँच मार्ग का निर्माण ₹ 1.16 करोड़ की लागत से मई 2013 में पूर्ण किया गया। इस प्रकार द्वितीय पहुँच मार्ग के निर्माण से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ एवं वित्तीय दूरदर्शिता के हित में इसे टाला जा सकता था।



लेखापरीक्षा में इंगित करने पर निदेशक, खेल द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि द्वितीय पहुँच मार्ग के निर्माण का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2013)।

¹²¹ 0.860 कि मी में पूर्ण।

तकनीकी शिक्षा विभाग

1.13 तकनीकी शिक्षा विभाग में अवस्थापना सुविधायें

विभाग अवस्थापना सुविधाओं के लिए संदार्भित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में असफल रहा। ₹ 227.02 करोड़ की पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के बाद भी यह केवल ₹ 110.79 करोड़ (49 प्रतिशत) व्यय कर सका। संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय पॉलीटेक्निकों में 59 प्रतिशत किराये के भवनों से परिचालित थे तथा कर्मचारी आवासीय भवनों के पूर्ण न होने के कारण सरकारी आवास से वंचित थे। 33 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 28 ट्रेडे यन्त्रों/संयंत्रों के अभाव में चल रही थी जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन सी वी टी) से सम्बद्ध न होने के लिए मुख्य कारणों में से एक था।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई), महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी जी ई एण्ड टी) भारत सरकार द्वारा अनुशंसित मानको, सम्बन्धित केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के निर्देशों तथा राज्य सरकार के अन्य सम्बन्धित आदेशों के प्रकाश में तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, छः में से तीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों¹²² (जी ई सी) 41 राजकीय पॉलीटेक्निकों (जी पी) में से 21 व 110 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (जी आई टी आई) में से 73 के अभिलेखों की नमूना जांच¹²³ के माध्यम से वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए "तकनीकी शिक्षा विभाग में अवस्थापना सुविधाओं" की उपलब्धता पर लेखा परीक्षा निष्पादित की गयी थी। लेखापरीक्षा ए आई सी टी ई एवं डी जी ई एण्ड टी मानकों के अनुसार भवनों, पर्याप्त मशीनरी एवं संयन्त्रों, पर्याप्त विद्युत्भार व स्थान तथा अन्य सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता पर केन्द्रित था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अधोलिखित है-

1.13.1 निधियों का कम उपयोग

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान कुल ₹ 100.32 करोड़ एवं ₹ 126.70 करोड़ क्रमशः राज्य व भारत सरकार द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निकों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध करायी गयी थी। विभाग द्वारा केवल राज्य एवं भारत सरकार की अवमुक्ति के क्रमशः ₹ 87.03 करोड़ (87 प्रतिशत) एवं ₹ 23.76 करोड़ (19 प्रतिशत) व्यय किये थे। निधि का कम उपयोग राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति, भूमि के स्पष्ट स्वामित्व की अनुपलब्धता, राज्य सरकार के तकनीकी ऑडिट सेल द्वारा प्राक्कलनों के अनुमोदन में विलम्बता, स्वयं के भवनों की अनुपलब्धता एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के संदर्भ में औद्योगिक साझेदारी से अपर्याप्त सहयोग के कारण था। यह भी देखा गया कि पूरी लेखापरीक्षा अवधि (2010-13) के दौरान विभाग द्वारा जी आई टी आई एवं जी वी के भवनों की मरम्मत के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

1.13.2 आधारभूत अवस्थापना सुविधायें में कमी

एक बेहतर शिक्षण अध्ययन वातावरण के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु आधारभूत अवस्थापना जैसे-पीने का पानी, शौचालय, फर्नीचर, बिजली, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि की उपलब्धता पूर्व आवश्यक है। चयनित जी ई सी और जी पी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि ये सामान्य अवस्थापना सुविधायें जी ई सी में उपलब्ध थीं। तथापि जी पी एवं जी आई टी आई के प्रकरण में अधिकांश संस्थानों में आवश्यक अवस्थापना नहीं थी। देखी गयी कमियों का विवरण तालिका 1.13.1 में दिया गया है।

¹²² इकाईयाँ अनुमोदित लेखापरीक्षा आयोजना के आधार पर चयनित की गई थीं।

¹²³ जी वी पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज-पॉड़ी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी-पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) और कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज-द्वाराहाट (अल्मोड़ा)।

तालिका - 1.13.1

अपर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं का विवरण :

क्रमांक	सुविधा का प्रकार	चयनित संस्थानों की संख्या		संस्थानों की संख्या जहाँ सुविधा नहीं है		कमी का प्रतिशत	
		जी पी	जी आई टी आई	जी पी	जी आई टी आई	जी पी	जी आई टी आई
1.	पीने का पानी	21	73	02	13	10	18
2.	शौचालय			शून्य	10	शून्य	14
3.	प्राथमिक चिकित्सा सुविधायें			06	52	29	71
4.	पुस्तकालय			02	50	10	68
5.	छात्रावास			11	61	52	84
6.	जेनरेटर			05	54	24	74
7.	दूरभाष			उपलब्ध नहीं	59	शून्य	81

स्रोत- चयनित जी पी एवं जी आई टी आई द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि जी पी व जी आई टी आई दोनों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव था। उत्तर में, विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया था (दिसम्बर 2013) कि कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे थे।

1.13.3 औजार एवं संयंत्रों की अपर्याप्त उपलब्धता

महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी जी ई एण्ड टी) भारत सरकार ने आई टी आई में प्रत्येक ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु विशेष संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों और फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये हैं। संस्थानों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 33 जी आई टी आई में 28 विभिन्न ट्रेडों जैसे- इलेक्ट्रानिक्स, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि में औजारों, संयंत्रों एवं मशीनरी की कमी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभिन्न ट्रेडों¹²⁴ में यंत्रों और उपकरणों की कमी के कारण बहुत से संस्थान राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी बी टी) से सम्बद्ध नहीं हो सके।

पुनश्च, जी आई टी आई गेंडुखाल (पौड़ी) में उसकी स्थापना (2010-11) से लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2013) तक संचालित ट्रेडों को चलाने के लिए संयंत्र व फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराये गये थे, यद्यपि 2010-13 के दौरान 116 छात्र (वेल्डर, कटाई सिलाई ट्रेड व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) इस संस्थान से उत्तीर्ण हो चुके थे।

नमूना जांच जी आई टी आई में, 16 जी आई टी आई¹²⁵ में विद्युत भार क्षमता डी जी ई एण्ड टी द्वारा निर्धारित मानकों से कम थी। संस्थानों द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार, अपर्याप्त विद्युत भार मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, टर्नर, फीटर प्लम्बर आदि ट्रेडों में छात्रों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है, किन्तु यह देखा गया है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थानों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर निदेशक, प्रशिक्षण ने बताया (मई 2013) कि प्रधानाचार्य को विद्युत भार को वांछित सीमा तक बढ़ाने हेतु शक्ति प्रदान की गई थी तथा इसके लिए कोई स्वीकृति अनुरोध निदेशालय स्तर पर लम्बित नहीं था।

1.13.4 जी पी और जी आई टी आई में अवस्थापना हेतु पर्याप्त स्थान की कमी

ए आई सी टी ई/डी जी ई एण्ड टी ने जी पी एवं जी आई टी आई में प्रति विद्यार्थी प्रति ट्रेड के आधार पर आवश्यक स्थान की गणना के लिए स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित किये हैं। फिर भी, लेखापरीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि अनुशंसित मानकों के अनुसार 17 संस्थानों (आठ जी पी¹²⁶ एवं नौ जी आई टी आई¹²⁷) में आवश्यक स्थान उपलब्ध

¹²⁴ संचालित कुल 110 जी आई टी आई में से केवल 11 संस्थानों (10%) की सभी ट्रेड एन सी बी टी से एवं 50 संस्थानों (45%) की सभी ट्रेड एन सी बी टी से सम्बद्ध थी।

¹²⁵ दिनेशपुर, देहरादून (व्यायज), भीमताल, लोअर बाजार-श्रीनगर, पाबो, कठपुडुछीना, ओखलकाण्डा, पैथाणी, जहरीखाल, गदरपुर, मुनि की रेंती, नाकुरी, सितारगंज, बिन्ता, सोमेश्वर एवं मछोड़।

¹²⁶ कालादूँगी, ताकुला, पन्तनगर, मल्लासलम, कोटाबाग, सतपुली, नरेन्द्रनगर व हरिद्वार।

¹²⁷ नाकुरी, कठपुडुछीना, गदरपुर, जसपुर, कौसखेत, पाबौ, बूँगीधार, दौला तथा सोमेश्वर।

नहीं था। स्थान की कमी¹²⁸ जी पी में 234 वर्ग मी और 1,911 वर्ग मी तथा जी आई टी आई में 38 वर्ग मी और 731 वर्ग मी के मध्य विस्तारित थी। 10 जी आई टी आई¹²⁹ में भवन स्थान दूसरे विभागों¹³⁰ को इस तथ्य के बावजूद उपलब्ध कराया गया था कि ये सभी जी आई टी आई केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चयनित थीं। इसने भी जी आई टी आई में केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित किया था।

1.13.5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन में धीमी प्रगति

"सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1,396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन" नामक योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का उद्देश्य स्थापित अवस्थापना सुविधाओं जैसे- कार्यशालाओं का निर्माण, औजार एवं संयंत्रों, किताबों, प्रशिक्षण सामग्री व सॉफ्टवेयर का क्रय इत्यादि की वृद्धि द्वारा जी आई टी आई की समृद्धि के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के स्नातकों के रोजगार अवसरों को बढ़ाना था।

सम्प्रेक्षा संविक्षा में पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य के 43 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ₹ 107.50 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ प्रति चयनित संस्थान) की राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी थी। फिर भी, मार्च 2013 तक संस्थानों द्वारा ₹ 86.00 करोड़ (सीड मनि ₹ 50.00 लाख प्रति संस्थान, को छोड़कर अर्थात् कुल ₹ 21.50 करोड़) में से केवल ₹ 13.87 करोड़ (16 प्रतिशत) व्यय किये जा सके थे। आगे, यह भी संज्ञान में आया कि 11 संस्थानों में कोई भी राशि व्यय नहीं की जा सकी एवं 6 संस्थानों में केवल 1.00 लाख की मामूली राशि व्यय की जा सकी थी। इसीलिए पहल/प्रायास अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं दे सके। उत्तर में विभाग ने बताया (मई 2013) कि सरकारी भवनों की अनुपलब्धता एवं उद्योग पार्टनरों/साझेदारों से आवश्यक समर्थन के अभाव के कारण कार्य योजना के अनुसार योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

1.13.6 भवनों की कमी एवं निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति

जी पी/जी आई टी आई से एकत्रित सूचना का सम्प्रेक्षा विश्लेषण में पाया गया कि कुल संचालित 41 जी पी एवं 110 रा प्र औ संस्थानों में से केवल 21 जी पी एवं 41 रा प्र औ संस्थानों के पास अपने भवन थे तथा शेष जी पी/जी आई टी आई किराये के भवनों से संचालित हो रहे थे। मार्च 2013 तक मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ₹ 140.76 करोड़ की प्राक्कलित राशि के 65 निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत थे। इन संचालित कार्यों में से 106.14 करोड़ की राशि के 45 कार्य (69 प्रतिशत) 5 से 10 वर्षों की अवधि से अपूर्ण थे। इस सच के बावजूद लम्बित कार्यों की पूर्णता को प्राथमिकता देने के बजाय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 14 नये निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया (2010-13) गया था।

1.13.6.1 कार्यों की पूर्णता में अत्यधिक विलम्ब

₹ 29.30 करोड़ के निवेश और अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरणों की लेखापरीक्षा समीक्षा में अन्य कार्यों एवं भवनों के निर्माण में कुप्रबन्धन/अत्यधिक विलम्ब के कारण वांछित उद्देश्यों को प्राप्त न करने और सुविधाओं के सृजन न होने को दर्शाती है-

- (i) जी आई टी आई, जैती के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए शासन द्वारा ₹ 87.17 लाख स्वीकृत (नवम्बर 1987) किये गये थे। सम्पूर्ण धनराशि (मई, 1988 और मई 1991 के मध्य) निर्माण संस्था (पी डी डब्ल्यू अल्मोड़ा) को अवमुक्त कर दी गयी थी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि धन के अभाव में कार्य अभी तक अपूर्ण था। केवल प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण पूर्ण हुआ था एवं वर्ष 2001 में विभाग को हस्तगत कर दिया गया था। शिड्यूल दरों में संशोधन होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए

¹²⁸ स्थान की कमी क्रमशः जी पी/जी आई टी आई के लिए ए आई सी टी ई/डी जी ई एण्ड टी द्वारा तैयार मानकों के आधार पर विशेष संस्थानों के ट्रेड वार छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की स्वीकृत सीटों एवं उनको उपलब्ध वास्तविक स्थान के आधार पर आगणित की गयी है।

¹²⁹ काण्डा, जयन्ती, बोराडी, हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर, बड़कोट, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़।

¹³⁰ राजकीय महाविद्यालय-जयन्ती, राजकीय महाविद्यालय-बोराडी, सेवायाजन अधिकारी हल्द्वानी, सर्किल ऑफिसर-पुलिस-बाजपुर, केन कमिश्नर-काशीपुर, राजकीय महाविद्यालय-बड़कोट, जिला सेवायोजना अधिकारी-हरिद्वार, राजकीय महाविद्यालय-रुद्रप्रयाग और सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ़।

पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया था (अक्टूबर 2003) किन्तु लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2013) तक यह शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु लंबित था। इस प्रकार, विभाग पुनरीक्षित आगणन को अनुमोदित कराने अथवा पूर्व आगणन के अनुसार समयान्तर्गत कार्य कराने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप 22 वर्षों के विलम्ब एवं ₹ 87.17 लाख व्यय करने के उपरान्त भी वांछित अवस्थापना सुविधाओं की अनुपलब्धता रही।

- (ii) जी आई टी आई मासी, जी पी गरूड व जी आई टी आई, द्वारीखाल के भवनों के निर्माण के लिए शासन द्वारा ₹ 6.66 करोड़¹³¹ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं ₹ 2.07 करोड़¹³² अवमुक्त किये गये। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण सम्बन्धित स्वीकृतियों के दो से पाँच वर्षों के उपरान्त भी अवमुक्त धनराशि ₹ 2.07 करोड़ अवरूढ़ थे। इस प्रकार, इन परियोजनाओं का वांछित उद्देश्य अपूर्ण रहा तथा संस्थानों को ₹ 3.64 लाख के वार्षिक किरायों के भवनों में रहने/संचालन करने हेतु मजबूर होना पड़ा।
- (iii) जी पी (बालिका) अल्मोड़ा के आवासीय भवन एवं जी आई टी आई धनिया व रिखणीखाल के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 2.57 करोड़¹³³ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 2.21 करोड़¹³⁴ सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियों को अवमुक्त कर दिये गये थे। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ₹ 2.05 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण¹³⁵ थे (मार्च 2013)। यद्यपि, निरन्तर अन्तराल पर निर्माण एजेन्सियों द्वारा पुनरीक्षित आगणन विभाग को प्रेषित किये गये थे जो सम्प्रेक्षा तिथि तक शासन स्तर पर लंबित थे। इस प्रकार, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि दोनों जी आई टी आई अभी भी किराये के भवनों से संचालित हो रहे थे।

1.13.6.2 असेवित एवं अल्पसेवित जिलों में नए पॉलीटेक्निकों की अस्थापना

तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए असेवित एवं अल्पसेवित जनपदों में नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद/प्रति पॉलीटेक्निक ₹ 12.30 करोड़ (₹ 8.00 करोड़ सिविल कार्यों एवं ₹ 4.30 करोड़ संयंत्र, मशीन एवं फर्नीचर के क्रय हेतु) की राशि उपलब्ध करायी जानी थी। योजना के आच्छादन हेतु केवल एक जनपद पिथौरागढ़ का चयन किया गया था।

तदुसार, भारत सरकार द्वारा (जुलाई 2009) जनपद पिथौरागढ़ के पॉलीटेक्निक (जी पी गनई गंगोली) की स्थापना हेतु ₹ 12.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष ₹ 7.00 करोड़¹³⁶ राज्य सरकार को अवमुक्त किये गये थे (जुलाई 2010 तक)। तथापि राज्य सरकार द्वारा एक के बजाय तीन पॉलीटेक्निकों¹³⁷ के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त ₹ 7.00 करोड़ की राशि में से ₹ 2.87 करोड़ जी पी गनई गंगोली, पिथौरागढ़ को भवन निर्माण हेतु अवमुक्त किए। भवन निर्माण अधूरा था तथा शेष राशि (₹ 4.13 करोड़) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पास व्यर्थ रखी थी क्योंकि विभाग के पास अन्य दोनों प्रस्तावित पॉलीटेक्निकों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि

¹³¹ ₹ 191.46 लाख (अगस्त 2010) जी आई टी आई मासी के लिए, ₹ 297.59 लाख (मार्च 2010) राजकीय पॉलीटेक्निक, गरूड के लिए और ₹ 177.00 लाख (मार्च 2008) जी आई टी आई द्वारीखाल के लिए।

¹³² ₹ 100.00 लाख जी आई टी आई मासी को (₹ 10.00 लाख 2010-11 में और ₹ 90.00 लाख 2011-12 में), ₹ 66.67 लाख जी पी गरूड को (₹ 16.67 और ₹ 50 लाख मई 2011 से पूर्व) और ₹ 40.00 लाख जी आई टी आई द्वारीखाल को (2007-08)।

¹³³ ₹ 88.90 लाख (अक्टूबर 2006) जी पी (बालिका) अल्मोड़ा के लिए, ₹ 52.45 लाख (2004-05) जी आई टी आई धनिया और ₹ 115.57 लाख (मार्च 2007) की जी आई टी आई रिखणीखाल के लिए।

¹³⁴ ₹ 88.90 लाख (नवम्बर 2007 तक (जी पी) (बालिका) अल्मोड़ा के लिए, ₹ 52.45 लाख 2007-08 तक) जी आई टी आई धनिया के लिए और 80.00 लाख (अप्रैल, 2012 तक) जी आई टी आई रिखणीखाल के लिए।

¹³⁶ भौतिक प्रगति : जी आई टी आई धनिया 95 प्रतिशत, जी आई टी आई रिखणीखाल 15 प्रतिशत और जी पी (गर्ल्स) अल्मोड़ा 83 प्रतिशत।
₹ 2.00 करोड़ 2009-10 में और ₹ 5.00 करोड़ 2010-11 में।

¹³⁷ जी पी गनई गंगोली (स्वीकृत लागत : ₹ 286.72 लाख) जी पी-डीडीहाट (आँगणित लागत : ₹ 393.58 लाख) और जी पी-कनालीछीना (आँगणित लागत ₹ 372.29 लाख) जनपद पिथौरागढ़ में।


उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत राज्य सरकार ने दो पॉलीटेक्निक कॉलेजों के लिए भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद तीन पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्वीकृति दी एवं धन को अवरोधित रखा।

1.13.6.3 महिला छात्रावासों के निर्माण की धीमी गति

केन्द्र प्रयोजित इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 50 शय्या वाले महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रति पॉलीटेक्निक ₹ 1 करोड़ तक की राशि उपलब्ध करायी जानी है। केन्द्रीय सहायता उपलब्ध प्रगति के आधार पर किस्तवार अवमुक्त की जानी थी तथा ₹ 1.00 करोड़ से अधिक व्यय सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 25 राजकीय पॉलीटेक्निकों का चयन किया गया था तथा महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु ₹ 12.20 करोड़ की राशि 2008-09 से 2011-12 के दौरान अवमुक्त की गई थी। योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (मार्च 2012) तक पूर्ण होनी थी।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं चयनित संस्थानों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा (मई 2013) में पाया गया कि मई, 2013 तक विभाग ने 25 राजकीय पॉलीटेक्निकों के लक्ष्य के विरुद्ध 21 पॉलीटेक्निकों (2009-10 में 6 जी पी और 2012-13 में 15 जी पी में महिला छात्रावास के कार्य प्रारम्भ किये तथा ₹ 7.14 करोड़ (59 प्रतिशत) की राशि व्यय की थी। योजना अवधि की समाप्ति के उपरान्त (मार्च 2012) भी समस्त निर्माण कार्य अधूरे थे। विभाग द्वारा छात्रावासों के निर्माण कार्यों की धीमी गति के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 तक ₹ 12.80 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त नहीं की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2013 में शासन को प्रेषित किये गये थे। उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2013)।



अध्याय- II

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2012-13 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े तालिका 2.1.1 में दिये गये हैं।

तालिका - 2.1.1
राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	3,044.91	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25
	• करेतर राजस्व	699.44	631.86	678.06	1,136.13	1,602.88
	योग	3,744.35	4,190.90	5,083.54	6,751.75	8,017.13
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश	1,506.59	1,550.01	2,460.07	2,866.04	3,272.88
	• सहायता अनुदान	3,384.03	3,745.22	4,064.56	4,073.45	4,457.21
	योग	4,890.62	5,295.23	6,524.63	6,939.49	7,730.09
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	8,634.97	9,486.13	11,608.17	13,691.24	15,747.22
4.	1 की प्रतिशतता 3 से	43	44	44	49	51

स्रोत : वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 51 प्रतिशत (₹ 8,017.13 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया और प्राप्तियों का शेष 49 प्रतिशत (₹ 7,730.09 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 कर राजस्व

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1.2
उदगृहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 के सापेक्ष 2012-13 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,910.64	2,246.84	2,940.48	3,643.51	4,289.41	(+) 17.73
2.	राज्य आबकारी	528.35	704.64	755.92	843.65	1,117.92	(+) 32.51
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	357.46	398.70	439.50	524.05	648.40	(+) 23.73
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	166.98	184.56	227.26	334.69	304.29	(-) 9.08
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	51.61	2.11	2.16	229.02	2.71	(-) 98.82
6.	भू-राजस्व	17.90	8.80	18.31	10.18	10.59	(+) 4.03
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.87	6.27	12.15	16.52	23.13	(+) 40.01
8.	अन्य	6.10	7.12	9.70	14.00	17.80	(+) 27.14
	योग	3,044.91	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25	(+) 14.22

स्रोत : वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर: वाणिज्य कर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि, नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और विभाग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन में विशेष प्रयासों के कारण हुई।
- स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, विलेख पत्रों¹ के पंजीयन की संख्या में 2,10,501 (2011-12) से बढ़कर 2,25,831 (2012-13) होने के कारण हुई।
- विद्युत पर कर तथा शुल्क: ऊर्जा विभाग ने बताया कि वर्ष 2011-12 में प्राप्ति में वृद्धि उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा ₹ 227.11 करोड़ विद्युत कर बकाये के जमा करने के कारण हुआ जबकि वर्ष 2012-13 में इस प्रकार का भुगतान नहीं किया गया।

निवेदन (सितम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किया (दिसम्बर 2013)।

2.1.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उदगृहित करेतर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1.3
उदगृहित करेतर राजस्व का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	वर्ष 2011-12 के सापेक्ष 2012-13 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	68.49	53.71	53.76	50.62	114.76	(+) 126.70
2.	यानिकी एवं वन्य जीव	207.16	235.70	229.69	234.26	238.20	(+) 1.68
3.	ऊर्जा	171.37	56.13	13.54	41.24	150.04	(+) 263.82
4.	अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग	63.73	74.08	93.62	112.58	109.85	(-) 2.42
5.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	28.66	34.18	47.47	37.14	38.80	(+) 4.47
6.	लोक निर्माण	15.53	19.50	24.83	17.85	18.13	(+) 1.57
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	5.91	5.18	5.10	8.07	7.65	(-) 5.20
8.	पुलिस	7.01	9.62	11.26	11.41	10.98	(-) 3.80
9.	अन्य प्रशासनिक सेवार्य	28.09	21.18	47.15	70.15	38.72	(-) 44.80
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6.84	11.73	29.01	23.20	30.00	(+) 29.31
11.	सहकारिता	3.19	1.78	1.70	2.93	1.38	(-) 52.90
12.	फसल कृषि कर्म	3.62	4.55	3.78	4.54	15.83	(+) 248.68
13.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	27.21	37.43	49.09	448.11	748.65	(+) 67.07
14.	अन्य	62.63	67.09	68.06	74.03	79.89	(+) 7.92
	योग	699.44	631.86	678.06	1,136.13	1,602.88	(+) 41.08

स्रोत : वित्त लेख

करेतर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 467 करोड़ (41.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.18 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान करेतर राजस्व में वृद्धि उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच पहले संयुक्त रूप से तत्कालीन उत्तरप्रदेश राज्य की पेंशन देयता के विभाजन के कारण हुई।

¹ जिला उपनिबन्धकों से प्राप्त विलेख पत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण 2011-12 के विलेख पत्रों की संख्या 2,11,379 (जो पूर्व में सूचित की गई) संशोधित की गयी।

ऊर्जा विभाग में करेतर राजस्व में 263.82 प्रतिशत की वृद्धि जल विद्युत उत्पादन (अन्य प्राप्तियों) के अन्तर्गत उच्चतर प्राप्तियों के कारण थी।

बारम्बार निवेदन (सितम्बर तथा दिसम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों, जिनकी वृद्धि/कमी 20 प्रतिशत से अधिक थी, ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

2.1.4 बजट अनुमानों तथा वास्तविक में भिन्नता

वर्ष 2012-13 के लिए कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएँ निम्न तालिका 2.1.4 में वर्णित हैं:

तालिका - 2.1.4

बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता, वृद्धि (+) /कमी (-)	प्रतिशतता
1.	विक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	4,088.10	4,289.41	(+) 201.31	(+) 4.92
2.	राज्य आबकारी	942.15	1,117.92	(+) 175.77	(+) 18.66
3.	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	573.95	648.40	(+) 74.45	(+) 12.97
4.	वाहनों पर कर	275.00	304.29	(+) 29.29	(+) 10.65
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	60.00	2.71	(-) 57.29	(-) 95.48
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	35.00	114.76	(+) 79.76	(+) 227.89
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	11.82	38.72	(+) 26.90	(+) 227.58
8.	फसल कृषि कर्म	2.71	15.83	(+) 13.12	(+) 484.13
9.	पुलिस	10.11	10.98	(+) 0.87	(+) 8.61
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	23.16	30.00	(+) 6.84	(+) 29.53
11.	सड़कें तथा सेतु	6.20	0.22	(-) 5.98	(-) 96.45
12.	लोक निर्माण	16.16	18.13	(+) 1.97	(+) 12.19
13.	वानिकी एवं वन्य जीव	296.71	238.20	(-) 58.51	(-) 19.72
14.	अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	131.00	109.85	(-) 21.15	(-) 16.15
15.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	25.21	38.80	(+) 13.59	(+) 53.91
16.	ऊर्जा	84.00	150.04	(+) 66.04	(+) 78.62
17.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	512.00	748.65	(+) 236.65	(+) 46.22

स्रोत: प्राप्ति बजट और वित्त लेख।

सम्बन्धित विभाग ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

राज्य आबकारी: राज्य आबकारी विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि राज्य विधानसभा चुनाव के कारण वर्ष 2012-13 के देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अग्रिम अनुज्ञापन शुल्क विलम्ब से जमा किये गये थे (मई 2012) जबकि वर्ष 2013-14 हेतु अनुज्ञापन शुल्क समय से जमा किये जाने (मार्च 2013) के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई।

परिवहन विभाग: परिवहन विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में दिसम्बर 2012 से प्रभावी संशोधित कर संरचना के क्रियान्वयन के कारण वृद्धि हुई।

विद्युत विभाग: विद्युत पर करों तथा शुल्कों की वास्तविक प्राप्ति में कमी वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बकाये के भुगतान न करने के कारण हुई।

बारम्बार निवेदन (सितम्बर तथा दिसम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों ने, जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता थी, भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

2.1.5 राजस्व प्राप्ति के संग्रह की लागत

वर्ष 2011-12 के लिए सकल संग्रह पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, मुख्य राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित सकल संग्रह, संग्रह पर व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता तालिका 2.1.5 में वर्णित है:

तालिका - 2.1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह ²	संग्रह पर व्यय	कुल संग्रह से संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2011-12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री/वाणिज्य कर/वैट	2010-11	2,934.95	33.46	1.14	0.83
		2011-12	3,635.97	35.30	0.97	
		2012-13	4,270.72	39.34	0.92	
2.	राज्य आबकारी	2010-11	755.98	8.57	1.13	2.98
		2011-12	843.57	7.75	0.92	
		2012-13	1,117.80	8.42	0.75	
3.	वाहनों पर कर	2010-11	223.26	13.22	5.92	2.96
		2011-12	329.51	13.47	4.09	
		2012-13	298.17	15.03	5.04	
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2010-11	439.45	11.37	2.58	1.89
		2011-12	524.02	9.40	1.79	
		2012-13	648.36	14.70	2.26	

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकार विभाग।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य आबकारी विभाग के सिवाय सभी शीर्षों में संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

2.1.6 कर राजस्व के संग्रह का विश्लेषण

विगत पाँच वर्षों के दौरान बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रह का, पूर्व निर्धारण चरण तथा नियमित निर्धारण के पश्चात् पृथक-पृथक आँकड़ों, जैसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये थे, तालिका 2.1.6 में इंगित हैं:

तालिका - 2.1.6

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण स्तर पर संग्रहित धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहित धनराशि (अतिरिक्त मांग)	कर और शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई धनराशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रह	स्तम्भ 7 से 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार पर कर/वैट	2008-09	1,896.92	10.40	0.96	9.13	1,899.15	99.88
	2009-10	1,843.75	407.57	1.08	19.83	2,232.57	82.60
	2010-11	2,451.60	502.48	1.36	26.46	2,928.98	83.70
	2011-12	3,509.26	145.40	1.97	26.45	3,630.18	96.66
	2012-13	4,246.41	44.05	2.65	24.38	4,268.72	99.48

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

² वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 हेतु राज्य के विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी चार करों के संग्रह के आँकड़ों तालिका में दिये गये हैं जो कि वित्त लेखों में दर्शित आँकड़ों से मेल नहीं खाते।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाणिज्य कर के अन्तर्गत किया गया संग्रह, पूर्व कर निर्धारण स्तर पर 82.60 एवं 99.48 प्रतिशत के मध्य था, जबकि नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रह बहुत कम था। स्पष्ट है कि कर निर्धारण स्तर पर कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गयी।

2.1.7 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को विभागों द्वारा सूचित ₹ 3,015.84 करोड़ (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर) के राजस्व बकायों में से ₹ 507.70 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.1.7 में वर्णित है।

तालिका - 2.1.7

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बकाये की धनराशि		अभ्युक्तियाँ
		31 मार्च 2013 तक	पाँच वर्षों से अधिक	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	2,563.17	493.20	₹ 276.52 करोड़ (1,764 मामलों) की वसूली न्यायाधीन है। वसूली और द्वितीय वसूली प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं।
2.	वाहनों पर कर	7.08	4.45	सात प्रकरण (₹ 0.05) न्यायाधीन थे (पाँच वर्ष से पुराने तीन थे) एवं शेष प्रकरणों (₹ 7.03 करोड़) के लिए वसूली की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से की जा चुकी थी।
3.	राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 24.66 लाख धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 35.34 लाख) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	421.78	-	विभाग ने बताया कि मामले के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि. से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
5.	मनोरंजन कर	0.71	0.002	₹ 1.56 लाख के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में, ₹ 69.44 लाख के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
6.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	9.01	0.71	₹ 5.24 करोड़ की वसूली न्यायाधीन है शेष प्रकरणों में, ₹ 3.77 करोड़ धनराशि की वसूली हेतु मांग की प्रक्रिया जारी है।
7.	सहकारिता	10.75	8.74	वसूली हेतु मांग की कार्यवाही जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से प्रक्रियागत की जा चुकी है।
8.	गन्ना क्रय पर कर	2.74	-	गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।
योग		3,015.84	507.70	

स्रोत : सम्बन्धित विभाग।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 507.70 करोड़ की वसूली पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी। उनकी वसूली हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2.1.8 करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के मामले, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2012-13 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.8

कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2012 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2012-13 के दौरान पकड़े गये मामले	योग	वर्ष 2012-13 के दौरान मामलों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2013 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	
वाणिज्य कर/वैट	1,523	3,327	4,850	4,635	69.17	215

विभाग द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध की गई वसूली की धनराशि सूचित नहीं की गई थी (दिसम्बर 2013)।

2.1.9 कर वापसी मामलों का निस्तारण

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2012-13 में 80.14 प्रतिशत कर वापसी दावों का निस्तारण किया, जबकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के प्रकरणों में वर्ष के दौरान सभी मामले निस्तारित कर लिए गये, जैसा कि तालिका 2.1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.9

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वाणिज्य कर		स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,194	665.69	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,126	2,851.29	10	274.89
3.	वर्ष के दौरान वापसी	5,065	2,437.83	10	274.89
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,255	1,079.15	शून्य	शून्य

स्रोत: सम्बन्धित राज्य विभाग।

वाणिज्य कर विभाग में अनिस्तारित वापसी मामलों की संख्या में वृद्धि उत्साहवर्धक नहीं थी। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 में व्यापारी को आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर वापस न की गई अतिरिक्त धनराशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और उसके पश्चात् वापस किये जाने तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। ब्याज दायित्व से बचने हेतु वापसी दावों का निस्तारण समय पर किये जाने का प्रयास किया जाये।

2.1.10 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

2.1.10.1 राज्य सरकार के हितों की रक्षा एवं जवाबदेही लागू करने में विभागाध्यक्ष की विफलता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड (म ले) निर्धारित नियमों के अनुसार, लेनदेनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पाई गई तथा स्थान पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को समुचित सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लाई जाती हैं।

दिसम्बर 2012 तक निर्गत 919 निरीक्षण आख्याओं से सम्बन्धित ₹ 178.58 करोड़ के 1,936 प्रस्तर जो जून 2013 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़े तालिका 2.1.10 में दर्शाये गये हैं:

तालिका - 2.1.10

	जून 2011	जून 2012*	जून 2013
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,213	851	919
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	2,432	1,797	1,936
अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)	280.88	151.30	178.58

* विद्युत शुल्क, भू-राजस्व, विभागीय प्राप्ति एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रस्तरों एवं धनराशि को दूसरे खण्डों में स्थानान्तरित कर दिया गया, अतः जून 2012 में शामिल नहीं थी।

30 जून 2013 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण नीचे तालिका 2.1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.11

क्र. स.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्य कर	बिली, व्यापार आदि पर कर/वैट	399	1,038	87.76
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन कर, विलास कर	51	67	10.85
3.	आबकारी	राज्य आबकारी	84	133	33.47
4.	परिवहन	मोटरयानों पर कर	103	273	35.13
5.	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क	282	425	11.37
योग			919	1,936	178.58

निरीक्षण प्रतिवेदनों और सम्प्रेक्षा आपतियों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा में दर्शायी गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा आपतियों के निस्तारण में अत्यधिक देरी, उनका अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा वसूली/कार्यवाही करने के जोखिम को बढ़ाता है।

2.1.10.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व प्राप्तियों के निरीक्षण प्रतिवेदन की बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक वर्ष 2012-13 के दौरान नहीं हुई।

2.1.10.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

स्थानीय निरीक्षण के दौरान देखी गयी गम्भीर एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर) को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है जिन्हें सम्बन्धित विभाग के सचिवों को उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। निर्धारित समयान्तर्गत विभाग/शासन के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्रलेख प्रस्तर के तथ्यों एवं आँकड़ों को विभाग/शासन की स्वीकारोक्ति मानते हुए इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर के अन्त में उल्लिखित कर दिया जाता है।

2.1.10.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। प्रतिवेदन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को सरकार द्वारा समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सरकार/विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की जाती रही है। उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक के राजस्व प्राप्ति प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में 2005-06 से 2012-13 के वर्षों में विवेचित किए गए थे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी/कृत कार्यवाई के 27 प्रकरण, 31 मार्च 2013 तक समिति के समक्ष लम्बित थे।

2.1.11 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 5 वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों एवं उनकी 31 मार्च 2013 तक की स्थिति तालिका 2.1.12 में दर्शायी गई है:

तालिका - 2.1.12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2008-09	233	537	19.30	49	206	21.63	8	69	2.32	274	694	38.61
2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
2011-12	360	877	138.68	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1,023	81.30
2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89

वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में बकाया 233 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 557 प्रस्तरों की संख्या वर्ष 2012-13 के अन्त में बढ़कर 412 प्रतिवेदनों में 1,096 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि 2008-13 की अवधि में 273 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा आयोजना

वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना जोखिमों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किये जाते हैं जिसके लिये अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व एवं कर व्यवस्थापन के गहन मुद्दे जैसे बजट भाषण, वित्त लेखे पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य व केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें एवं पिछले 5 वर्षों की राजस्व कमाई के सांख्यिकी विश्लेषण पूर्व पाँच वर्षों के दौरान कर व्यवस्थापन के तथ्यों, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं इसके प्रभाव इत्यादि का ध्यान रखा जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 239 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में 115 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 104 इकाईयों की लेखापरीक्षा हुयी थी।

2.1.13 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटरवाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की कुल योजना की गई 115 इकाईयों में से 104 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 248 मामलों में ₹ 38.37 करोड़ के कर का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई। विभाग ने 11 प्रकरणों में ₹ 26.00 लाख स्वीकार किया। तथापि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 81 प्रकरणों में ₹ 0.59 करोड़ की वसूली हुई।

2.1.14 इस रिपोर्ट के राजस्व अध्याय के विषय

इस अध्याय में, ₹ 0.85 करोड़ के अन्तर्निहित 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया', 'कर एवं अर्थदण्ड की वसूली न होना' तथा 'स्टाम्प शुल्क के अनारोपण' से सम्बन्धित तीन प्रस्तर शामिल हैं। वाणिज्य कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया

वर्ष 2008-09 (₹ 501.43 करोड़) से वर्ष 2012-13 (₹ 2,563.17 करोड़) की अवधि के दौरान राजस्व बकाये में ₹ 2,061.74 करोड़ की वृद्धि हुई। ₹ 48.03 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण एक माह से आठ वर्ष तक के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.99 करोड़ के स्थगित मामलों में स्थगन खारिज नहीं करवाया गया, ₹ 35.48 करोड़ के एक पक्षीय मामलों का निपटान न किया जाना तथा ₹ 13.54 करोड़ के राजस्व बकाया का अधिनिर्धारण किया गया।

वाणिज्य कर विभाग राज्य के समग्र राजस्व अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका योगदान वर्ष 2012-13 में संग्रहित कुल राजस्व (₹ 6,414 करोड़) का 67 प्रतिशत (4,289 करोड़) है। विभाग की दक्षता एवं प्रभावकारिता, कर निर्धारण मांगों का सृजन एवं उसके बकाये के संग्रहण के सापेक्ष मापी जाती है। उत्तराखण्ड में वाणिज्य कर का उद्ग्रहण, उ प्र व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ प्र व्या कर अधि) के तहत 30 सितम्बर 2005 तक एवं उसके बाद उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शासित है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है, अपने कारोबार की विवरणी विभाग को कर निर्धारण हेतु प्रस्तुत करेगा। जैसे ही सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जाता है, विभाग द्वारा वैसे ही माँग के लिये नोटिस कर निर्धारण आदेश की प्रति के साथ व्यापारी को भेजा जाता है। व्यापारी इस प्रकार निर्धारित कर, साठ दिन की अवधि के भीतर जमा करेगा। व्यापारी यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो इसे भू-राजस्व बकाये की तरह वसूल किया जा सकता है एवं इस सम्बंध में एक वसूली प्रमाणपत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट राशि के संग्रहण हेतु भेजा जायेगा। राजस्व बकाये के कारणों एवं इसे समाप्त करने के लिये विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा परीक्षा द्वारा 70 वाणिज्य कर कार्यालयों (सी टी ओ)³ में से 07 वाणिज्य कर कार्यालयों वर्ष के 2008-09 से 2012-13 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच अपैल से जून 2013 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

2.2.1 राजस्व बकायों की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार राजस्व बकायों की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका 2.2.1 में दी गई है:

³ डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)- देहरादून-V, हरिद्वार-I & II, हल्द्वानी-I, काशीपुर-I, खटीमा और ऋषिकेश।

तालिका - 2.2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष 1 अप्रैल को		सूजित माँग		कर निर्धारण अधिकारी/अपीली प्राधिकारी द्वारा कम की गयी माँग		संग्रहित धनराशि		राजस्व बकायों का अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
2008-09	14,350	631.17	5,027	74.09	1,769	180.89	2,144	22.94	15,464	501.43
2009-10	15,464	501.43	10,450	589.83	2,867	189.66	3,887	20.53	19,160	881.07
2010-11	19,160	881.07	11,751	1,313.62	3,738	1,019.22	4,264	29.28	22,909	1,146.19
2011-12	22,909	1,146.19	8,511	579.35	3,721	443.95	4,237	27.20	23,462	1,254.39
2012-13	23,462	1,254.39	20,931	2,430.39	4,079	1,089.79	4,939	31.82	35,375	2,563.17

स्रोत- विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनायें।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि-

- वर्ष 2009-13 के दौरान बकाया कर राजस्व में 411 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी (₹ 501.43 करोड़ से ₹ 2,563.17 करोड़) जिसका मुख्य कारण वैट अधिनियम लागू होने से (अक्टूबर, 2005) कर अदा करने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि तथा वर्ष-2009-10 से वैट अधिनियम के परिणामों⁴ के कारण थे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में बकाया राजस्व में भारी वृद्धि का कारण विभाग द्वारा एक पक्षीय कर निर्धारण द्वारा माँग में अत्यधिक वृद्धि किया जाना था। जबकि, धारा 31 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा माँग में इसी वर्ष में, 78 से 45 प्रतिशत की कमी की गयी थी।
- ₹ 2,563.17 करोड़ की कुल बकाया माँग 35375 प्रकरणों में से ₹ 273.06 करोड़ (6841 प्रकरणों में) का बकाया 10 वर्ष से अधिक पुरानी थी एवं ₹ 220.14 करोड़ (5,702 प्रकरणों में) की बकाया माँग 5 से 10 वर्ष पुरानी थी, जो कुल बकाया राजस्व का 19.24 प्रतिशत था।

2.2.2 वसूली प्रमाण-पत्रों (आर सी) का विलम्ब से/जारी न किया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम/ उत्तराखण्ड वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित कर, कर निर्धारण एवं माँग नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन (31 मार्च 2008 से 60 दिन) के अन्दर जमा हो जाने चाहिए। निर्धारित समय के अन्दर कर जमा न होने की स्थिति में, कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण आदेश एवं माँग पत्र के प्राप्त होने के 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् (1 अक्टूबर 2005 से 90 दिन) भू-राजस्व की बकाये की तरह वसूली की कार्यवाही हेतु अविलम्ब आर सी जारी करेगा। वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹ 52.88 करोड़ के 55 प्रकरणों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आर सी जारी नहीं की गयी थी। आगे, ₹ 48.03 करोड़ के माँग के 63 प्रकरणों में चूककर्ताओं के विरुद्ध आर सी एक माह से आठ वर्ष तक विलम्ब से जारी की गयी थी।

इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विभाग में स्टाफ की कमी के आधार पर आर सी का विलम्ब से एवं जारी न किये जाने को न्यायोचित ठहराया गया। लेकिन, अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर मान्य नहीं था।

2.2.3 स्थगित प्रकरणों का समाप्त न कराया जाना

जब कभी व्यापारी द्वारा विभाग के कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी/अधिकरण/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/में अपील की जाती है, वहां विभाग के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश (यदि कोई हो) को समाप्त किये जाने के लिये तत्परता से

⁴ वर्ष 2005-06 तथा आगे के प्रकरण 2009-10 में तथा इससे आगे निर्धारित किये गये, विभाग में कर निर्धारण प्रक्रिया तीन वर्ष से अधिक विलम्ब से चल रही है।

कार्यवाही करें। विभाग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपीलीय प्राधिकारी के यहां लम्बित मामलों के जल्द निपटारे के लिये उनसे अनुरोध करें। वाणिज्य कर निर्धारण अधिकारियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल ₹ 26.99 करोड़ के 52 प्रकरणों में (₹ 5.00 लाख एवं उससे ऊपर) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्थगन प्रदान किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश को समाप्त किये जाने के लिये विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.4 एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश का निपटान न किया जाना

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-31 के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, व्यापारी उक्त आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश समाप्त करने और उस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी को समाधान हो जाये कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह प्रयास कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था, तो वह आदेश को समाप्त कर सकता है और ऐसे मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के मध्य ₹ 35.48 करोड़ के राजस्व बकाये के 31 प्रकरणों में विभाग द्वारा एक पक्षीय आदेश निर्धारित किये गये थे। इस तथ्य के बावजूद प्रकरण यथावत थे कि सम्बंधित व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष निर्धारित समय के अन्दर अपील किये गये थे। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा न तो उनके अनुरोध को खारिज किया गया और न ही इन प्रकरणों में एक पक्षीय आदेश समाप्त किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिकतर वाणिज्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे का अश्वासन दिया था।

2.2.5 बकाये राजस्व का अधिनिर्धारण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में धारा 8 (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन का माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को बेचता है, तो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट दर से कर भुगतान का दायी होगा। पुनश्च, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि धारा-8 की उपधारा (1) का उपबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय के किसी भी मामले में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा सम्यक रूप से भरे गए एवं हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र (सी एवं एफ), जिनमें कि विक्रय की विशिष्टियां अंकित हो, प्रस्तुत न कर दें। आगे यह भी प्रावधान है कि उक्त घोषणा निर्धारित समय, या किसी ऐसे अतिरिक्त समय जो कि प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर अनुमन्य कर दे, के अंदर ही प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रपत्र सी एवं एफ के प्रस्तुत न किये जाने के कारण किसी व्यापारी के विरुद्ध कर की किसी मांग को निर्धारण के समय कम करना पड़ेगा यदि व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य समय से प्रपत्र सी एवं एफ प्रस्तुत कर देगा।

वाणिज्य कर कार्यालय, हरिद्वार-1 के नमूना लेखा परीक्षा जाँच में यह पाया गया कि 17 प्रकरणों में कुल ₹ 13.54 करोड़ (वर्ष 2008-09 के 2012-13 के दौरान निर्धारित) की मांग कर निर्धारण के समय फार्म-सी एवं एफ व्यापारी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण बकाया पड़े थे जबकि व्यापारियों द्वारा फार्म सी एवं एफ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के अन्दर प्रस्तुत कर दिये गये थे। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग में कमी नहीं की गयी। परिणामस्वरूप राजस्व बकाये का अधिनिर्धारण हुआ।

उत्तर में विभाग द्वारा उल्लिखित किया गया है कि कार्य की अधिकता एवं कर निर्धारण अधिकारी संवर्ग में (7 प्रतिशत), स्टैनों संवर्ग में (49 प्रतिशत) तथा लेजर कीपर संवर्ग में (41 प्रतिशत) कर्मचारी की कमी के कारण फार्म सी एवं एफ को लेखांकित नहीं किया जा सका।

इन बिन्दुओं को सरकार/विभाग के संज्ञान में लाया गया (अगस्त, 2013) उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

वाणिज्य कर विभाग

2.3 कर एवं अर्थदण्ड का वसूल न होना

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की अनुचित धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 लाख कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.60 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा-25 में पंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण का प्रावधान है जबकि अधिनियम की धारा-26 में कर के लिये उत्तरदायी अपंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण को यह प्राविधानित करता है कि "यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को उनके अधिकार में आई सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यापारी, जो किसी कर अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, अपने को पंजीकृत कराने में असफल रहा है, तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्षों के अवसान के पूर्व ऐसी अवधि और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय कर की धनराशि का स्वविवेकानुसार निर्धारण करेगा और उसको ऐसे कर निर्धारण के फलस्वरूप देय पायी गयी कर की धनराशि के बराबर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिये निर्देश देगा"।

सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (खण्ड-IV), देहरादून के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2013) में पाया गया कि एक अपंजीकृत व्यापारी⁵ का वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में ₹ 64.50 लाख के पके भोजन की आपूर्ति हेतु वैट अधिनियम, 2005 की धारा 25 (6) के अन्तर्गत कर निर्धारण किया गया (मई 2011) तथा ₹ 2.58 लाख कर आरोपित किया गया। यद्यपि कर निर्धारण धारा-26 के अन्तर्गत किया जाना था, क्योंकि कर निर्धारिती एक अपंजीकृत व्यवहारी था तथा वह कर की धनराशि के बराबर धनराशि के अर्थदण्ड का उत्तरदायी था लेकिन विभाग द्वारा उसे आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 19 नवम्बर, 2007 से पके भोजन पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित किये गये कर की बजाय 12.5 प्रतिशत⁶ की दर से करदेयता थी तथा ₹ 1.02 लाख अतिरिक्त कर प्रभारित किया जाना था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई, 2013) कि प्रकरण का पुनर्निर्धारण किया गया है (अप्रैल, 2013) तथा ₹ 3.60 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 4.62 लाख (पूर्व में भुगतान किये गये ₹ 2.58 कर की राशि घटाने के पश्चात्) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। विभाग ने यह भी अवगत कराया(अक्टूबर 2013) कि व्यापारी ने (जून 2013) कर के पुनर्निर्धारण के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की है तथा उसका निर्णय अपेक्षित है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2013), उनका उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2013)।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

2.4 ₹ 79.84 लाख के स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹ 79.84 लाख स्टाम्प शुल्क का अनारोपण।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1ख 5(ख-2) में उल्लिखित है कि भूमि पर भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो भूस्वामी अथवा पट्टेदार से भिन्न हो तथा उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक

⁵ मेसर्स अशोक नदर्स, 1, पार्क रोड, देहरादून।

⁶ अधिसूचना सं० 709/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2007, देहरादून दिनांक 19 नवम्बर 2007।

बेचा जायेगा, तो वही शुल्क जो भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 (ख) के [सं-23 खण्ड (क)] समान देय होगा। पुनः, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 (1) (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि मृत्यु पूर्व प्रभावी अन्य विलेख जो वर्तमान या भविष्य में अचल सम्पत्ति में, या पर, कोई अधिकार, स्वत्व या हित चाहे वह निहित हो या सम्भावित, सृजित घोषित अभ्यर्पित, सीमित या शमित करे या करने का अभिप्राय रखे स्थानीय उप निबन्धक के यहाँ अनिवार्य रूप में पंजीकृत किया जायेगा। चार उप निबन्धक (एस आर) कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008 से 2012 के मध्य तैयार बने फ्लैटों के क्रय हेतु विक्रेताओं एवं क्रेता/क्रेताओं के बीच सात विलेख निष्पादित किये गये थे तथा पाया गया कि विक्रेताओं में से एक भूस्वामी था तथा अन्य विकासक/अनुबन्ध करने वाले समूह थे। तथापि, भूस्वामी/स्वामियों तथा विकासक/विकासकों/सहमतिकर्ता पक्षों के मध्य किसी प्रकार के विकास अनुबन्ध का प्रमाण नहीं था। विवरण तालिका 2.4.1 में दिया गया है:-

तालिका - 2.4.1


क्रम सं०	इकाई का नाम	पुस्तक/जिल्द, अभिलेख सं एवं पंजीकरण की तिथि	कुल प्रोजेक्ट में भूमि का क्षेत्रफल	प्रति वर्ग मी की दर (₹)	बाजारी मूल्य (₹)	स्टाम्प शुल्क की दर ⁷	अनारोपित स्टाम्प शुल्क (₹)
1.	एस आर-1, देहरादून	1/4287/233 10.01.12	4974 वर्ग मी०	5,000	2,48,70,000	10%	24,87,000
2.		1/4275/16 02.01.12	133.78 वर्ग मी०	7,000	9,36,460	06%	56,188
3.	एस आर, देवप्रयाग	1/246/1027 10.12.08	11000 वर्ग मी०	2,040	2,24,40,000	10%	22,44,000
4.		1/241/678 26.06.08	6700 वर्ग मी०	1,200	80,40,000	10%	8,04,000
5.		1/283/1123 01.09.11	3788 वर्ग मी०	1,200	45,45,600	10%	4,54,560
6.	एस आर-1, रुड़की	1/1950/405 11.01.12	11230.95 वर्ग मी०	2,300	2,58,31,185	07%	18,08,183
7.	एस आर, ऋषिकेश	1/1377/4765 15.07.11	259.29 वर्ग मी.	5,000	12,96,000	10%	12,96,000
योग							79,83,531

पंजीकरण अधिकारी द्वारा फ्लैटों के विक्रय पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विचार नहीं किया गया तथा फ्लैटों की बिक्री के समय विक्रेताओं के मध्य विकास अनुबन्ध के लिए भी नहीं कहा गया। इस प्रकार विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹ 79.84 लाख का स्टाम्प शुल्क अनारोपित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर एस आर- देवप्रयाग, एस आर (1)- रुड़की तथा एस आर- ऋषिकेश ने समुचित उत्तर नहीं दिया। तथापि, एस आर (1), देहरादून ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि विक्रेताओं में से एक सहमतिकर्ता पक्ष का था तथा विक्रय पत्र में लाभ के बंटवारे तथा दो विक्रेताओं के मध्य कोई अनुबन्ध का प्रमाण भी उल्लिखित नहीं था। स्टाम्प अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, विलेखों के अभाव में तथा केवल परिकल्पना के आधार पर स्टाम्प शुल्क की कमी नहीं की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, जैसा कि विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि विक्रेताओं में से एक विकासक (सहमतिकर्ता पक्ष) था तथा दूसरा भूमि का स्वामी था तथा उनमें समूह आवासीय परियोजना के विकास एवं निर्माण हेतु सहमति थी। इस प्रकार, इन सभी प्रकरणों में, विकास अनुबन्ध को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1ख 5 (ख-2) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता थी और स्टाम्प शुल्क ₹ 79.84 लाख आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अगस्त 2013); उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2013)।

⁷ आवास विकास शुल्क सहित (जहाँ लागू हो)।



अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति

आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे 3) में 20 विभाग शामिल हैं। इस खण्ड के कुछ मुख्य विभाग उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम हैं। सितम्बर 2013 तक उनके अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य की कार्यरत सा क्षे 3 ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 4,042.00 करोड़ का कारोबार किया (परिशिष्ट 3.1)। राज्य के सा क्षे 3 की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2013 को 24 सा क्षे 3 थे, जिनका विवरण तालिका 3.1.1 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.1

सा क्षे 3 के प्रकार	कार्यरत सा क्षे 3	अकार्यरत सा क्षे 3 ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	18	04 ³	22
सांविधिक निगम	02	-	02
योग	20	04	24

इनमें से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2012-13 में किसी भी कम्पनी का समाप्तन/ परिसमापन नहीं हुआ था।

3.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ब के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मान्य सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य के दो सांविधिक निगम हैं दोनों सांविधिक निगमों में से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा शुरू में नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09

¹ अकार्यरत सा क्षे 3 वे हैं जिनकी प्रचालन कार्यविधियाँ बंद कर दी गई हैं।

² 619-ब कम्पनी शामिल हैं।

³ कुम्हट्रोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल्स फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र 3) में निवेश

31 मार्च 2013 को 24 सा क्षेत्र 3 (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 7,054.25 करोड़ था, जिसका विवरण तालिका 3.1.2 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.2


(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियों		साविधिक निगम	कुल योग
	कार्यरत सा क्षेत्र 3	अकार्यरत सा क्षेत्र 3		
पूँजी	2,240.28	0.38	2,111.59	4,352.25
दीर्घावधि ऋण	2,549.84	-	152.16	2,702.00
योग	4,790.12	0.38	2,263.75	7,054.25

राज्य सा क्षेत्र 3 में सरकारी निवेश के विवरण की सारांशिकृत स्थिति परिशिष्ट 3.2 में दी गयी है।


कुल निवेश जो वर्ष 2008-09 के ₹ 5,476.79 करोड़ 28.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 7,054.25 करोड़ हो गया था जो निम्न चार्ट-1 में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1 (₹ करोड़ में)



31 मार्च 2009 एवं 31 मार्च 2013 के अन्त में अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दृष्टि से निवेश एवं उनके प्रतिशत निम्न बार चार्ट-2 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट - 2



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश पर खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2012-13 के दौरान यद्यपि लगातार मुख्य निवेश का प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र (62.82 प्रतिशत) में जारी रहा, वहीं राज्य के अन्य⁴ क्षेत्रों के निवेश में वृद्धि थी।

3.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

राज्य के सा क्षेत्र 3 से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारण्टी हेतु बजट से बहिर्गमन क्रम का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है। 31 मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों का सार तालिका 3.1.3 में नीचे दिया गया है।


तालिका - 3.1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजी	3	603.71	4	44.00	2	460.02
2.	ऋण	3	65.70	5	458.02	3	252.90
3.	अनुदानों/उपदान	3	33.47	5	76.23	5	83.22
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	702.88	-	578.25	-	796.14
5.	जारी की गई प्रतिभूतियाँ	2	279.98	1	1.35	1	1.51
6.	प्रतिभूति वचनबद्धता	3	289.75	5	1,110.90	4	1,062.93

वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि मुख्यतः उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इक्विटी पूँजी के कारण थी। इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन के क्रम का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न चार्ट-3 में दिया गया है:

चार्ट - 3



राज्य की सा क्षेत्र 3 द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 294.86 करोड़ से ₹ 796.14 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में प्रतिभूति वचनबद्धता की राशि ₹ 289.75 करोड़, (तीन सा क्षेत्र 3) की थी, जो 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 1,110.90 करोड़ (पाँच सा क्षेत्र 3) हो गयी तथा 31 मार्च 2013 को घटकर ₹ 1,062.93 करोड़ (चार सा क्षेत्र 3) तक हो गई जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में वर्णित है।

⁴ कृषि एवं समवर्गी, विनिर्माण, सेवाएं एवं विविध।

राज्य सरकार सभी सा क्षेत्रों से एक प्रतिशत की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षेत्रों से एक प्रतिशत अतिरिक्त की दर से प्रतिभूति शुल्क भारित करती है। तथापि, वर्ष 2012-13 में, केवल एक सा क्षेत्र (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने ₹ 8.47 करोड़ प्रतिभूति शुल्क जो वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित था, का भुगतान किया था। दूसरे सा क्षेत्रों जिनकी प्रतिभूति शुल्क जो मार्च 2013 तक ₹ 10.70 करोड़⁵ राज्य सरकार को देय थी और उत्तराखण्ड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम प्रतिभूति शुल्क भुगतान से मुक्त था।

3.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षेत्रों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रतिभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलाने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षेत्रों एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को इनकी स्थिति तालिका 3.1.4 में दी गई है:

तालिका - 3.1.4

(₹ करोड़ में)

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षेत्रों के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	1,819.24	4,328.63	2,509.39
ऋण	213.31	874.99	661.68
प्रतिभूतियाँ	1,041.40	1,062.93	21.53

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 सा क्षेत्रों के आँकड़ों में अन्तर था और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों, सा क्षेत्रों और वित्त विभाग को प्रत्येक त्रैमासिक में अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करनी थी।

3.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्रों) की कार्यकुशलता

20 कार्यरत सा क्षेत्रों में से जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त हुए थे में से आठ सा क्षेत्रों ने ₹ 102.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 12 सा क्षेत्रों को ₹ 336.73 करोड़ की हानि हुई। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 56.47 करोड़) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) लाभ⁶ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षेत्रों थे। उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 218.68 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 30.94 करोड़) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 25.17 करोड़) एवं पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 7.01 करोड़) हानि⁷ उठाने वाले मुख्य सा क्षेत्रों थे। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कम्पनियों और सावधिक निगमों के लेखे सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत हो चुके हैं, के सारांशिक वित्तीय परिणाम, जिसमें कुल लाभ/हानि, कारोबार, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल *परिशिष्ट 3.1* में दिया गया है।

नि म ले प की पिछले तीन वर्षों (2010-12) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षेत्रों ने ₹ 1,575.20 का व्यय जो नियंत्रित/बचाया सकता था तथा ₹ 16.32 करोड़ वसूले नहीं गए थे तथा ₹ 21.46 करोड़ अलाभकारी निवेश जो बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण जो सा क्षेत्रों की नमूना जांच पर आधारित है तालिका 3.1.5 में नीचे दिया गया है।

तालिका - 3.1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
अवसूलीय व्यय	3.26	10.78	2.28	16.32
नियंत्रित होने/बचाया जा सकने वाला व्यय	1,283.32	175.46	116.42	1,575.20
अलाभकारी निवेश	-	10.63	10.83	21.46
कुल	1,286.58	196.87	129.53	1,612.98

⁵ यू जे वी एन एल = ₹ 7.16 करोड़, यू पी सी एल = ₹ 2.49 करोड़ और पिटकुल = ₹ 1.05 करोड़।

⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2011-12) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12) के वर्ष के दौरान के लेखे।

⁷ उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2011-12) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2011-12) एवं पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12) के वर्ष के दौरान के लेखे।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रतिवेदन में एक समीक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें ₹ 679.31 करोड़ की धनराशि शामिल है और दो अनुपालन लेखपरीक्षा प्रस्तर जिसमें ₹ 4.40 करोड़ की धनराशि है को शामिल किया गया है। तथापि शासन द्वारा प्रतिवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया है (दिसम्बर 2013)।

राज्य सरकार ने सा क्षेत्र के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्तांश पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार आठ सा क्षेत्र ने ₹102.48 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

3.1.7 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं विधायिका को प्रस्तुत करना, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षेत्र के द्वारा संबंधित वर्ष के सितम्बर तक के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण निम्न तालिका 3.1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका - 3.1.6

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत सा क्षेत्र की संख्या	20	20	20	20	20
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	13	12	28	15	10
3.	बकाया लेखों की संख्या	135	143	135	140	150
4.	प्रत्येक सा क्षेत्र के अनुसार औसत बकाया (3/1)	6.75	7.15	6.75	7	7.50
5.	कार्यरत सा क्षेत्र जिनके लेखे बकाया हैं	20	20	19	20	20
6.	बकाए की अवधि	1 से 22 वर्ष	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष	1 से 26 वर्ष

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सा क्षेत्र के लेखाओं को निपटाने में असफल रहा जिस कारण बकाये में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 से 150 के बीच हो गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा क्षेत्र के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाने हेतु बकाया थे। चार अकार्यरत सा क्षेत्र में से, एक उपक्रम जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में था तथा शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्र⁸ के लेखे, 22 से 26 वर्षों से बकाया थे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान नौ सा क्षेत्र में ₹ 1,243.63 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटी: ₹ 524.93 करोड़, ऋण: ₹ 696.26 करोड़ तथा अनुदान ₹ 22.44 करोड़), जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, उनका विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति और बाद में लेखों की लेखापरीक्षा होना यह निश्चित नहीं कर सकती है कि निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया, उद्देश्य जिसके लिए निवेश किया गया था प्राप्त हुए है या नहीं। इस कारण, सरकारी निवेश जो इन सा क्षेत्र में किया गया है, राज्य विधायिका की जाँच से बाहर रहे।

प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन सा क्षेत्र के लेखे को निर्धारित समय-सीमा में अन्तिम रूप दिया जाये तथा स्वीकार किये जायें। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा त्रैमासिक रूप से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग और कर्मचारियों को अ-अन्तिमीकृत बकाया की सूचना प्रेषित की जाती है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। प्रकरण क्रमशः मुख्य सचिव (फरवरी 2013) तथा प्रमुख सचिव, वित्त (मई 2013), उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से संज्ञान में लाया गया जिससे कि लेखाओं के बकाया का शीघ्रता से समयबद्ध तरिके से परिसमापन किया जा सके।

⁸ कुम्हट्टी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड।

3.1.8 अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का समापन

31 मार्च 2013 को चार अकार्यरत सा क्षेत्र 3 थे। इनमें से, एक सा क्षेत्र 3 ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है। अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के बन्द होने के चरणों को तालिका 3.1.7 में दिया गया है:

तालिका - 3.1.7

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या	04 ⁹
2.	उक्त (1) में से निम्न संख्या	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01 ¹⁰
(ब)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03

वर्ष 2012-13 के दौरान, कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड है, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 21 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी।

3.1.9 वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान दस कार्यरत कम्पनियों ने अपने 10 लेखापरीक्षित लेखों को अग्रेषित किया। इसमें से 08 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा दो कम्पनियों को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गये। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.1.8 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.8

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	174.57	3	26.04	4	108.47
2.	हानि में वृद्धि	7	247.12	6	234.81	4	86.07
3.	आर्थिक तथ्यों को उद्धोषित न किया जाना	6	1,251.59	2	11.41	1	28.25

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो कम्पनियों अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यू एस आई डी सी) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2011-12 की लेखों जिनको गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया, को छोड़कर सभी आठ (08) लेखाओं को अर्हता प्रमाण¹¹ पत्र प्रदान किए। सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जिनकी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान की गयी, नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2011-12)

- प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप अन्य अग्रिम/वसूलियाँ ₹ 80.94 करोड़ जो निजी पार्टियों पर 12 वर्ष से अधिक समय से देय थी की वसूली संदेहास्पद थी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण ₹ 4.56 करोड़ पर मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान में चूक के लिए दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया था।

⁹ कुम्ह्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टस लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

¹⁰ कम्पनी जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी।

¹¹ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हता प्रमाणपत्र देने का तात्पर्य है कि वित्तीय विवरण में कुछ अपवाद/ अर्हतायें हैं जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखाकन के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है।

- उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग को 2001 से मार्च 2012 की अवधि के लिए जारी ₹ 10.37 करोड़ के देयक विद्युत शुल्क, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, का प्रावधान नहीं किया गया था।
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11)
- सम्पत्तियों का पूँजीकरण ₹ 7.10 करोड़ एवं हास ₹ 6.02 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।
- ऊर्जा वित्त निगम के लिये ऋण पर ब्याज ₹ 4.05 करोड़ का प्रावधान न किया जाना।
- कम्पनी ने न तो राज्य सरकार को गारन्टी शुल्क दिया न ही एक प्रतिशत दण्डात्मक शुल्क ₹ 1.40 करोड़ का प्रावधान किया।
- स्टेट इण्डस्ट्रियल और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11)**
- उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त अनुदान द्वारा निर्मित ₹ 8.10 करोड़ सम्पत्तियों को लेखों में नहीं दर्शाया गया।
- उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण की अदेयता के कारण दण्डात्मक ब्याज ₹ 1.19 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।
- पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12)**
- उत्तराखण्ड सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क ₹ 3.79 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।
- ठेकेदार को दिए गए आठ वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम ₹ 2.88 करोड़ जिनकी वसूली संदिग्ध है, का प्रावधान नहीं किया गया।

3.1.10 आन्तरिक नियंत्रण / आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। आठ (08) कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण / आंतरिक लेखापरीक्षा में संभावित सुधारों पर की गई मुख्य टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ब्यौरा नीचे तालिका 3.1.9 में दिया गया है:

तालिका - 3.1.9

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गईं	परिशिष्ट-3.2 के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कल्पुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	02	A10, A11
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	07	A1, A5, A10, A13, A14, A16 & A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियों, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य हास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले अभिलेख का रख रखाव न करना	06	A5, A10, A13, A14, A16 & A17

यह प्रतीत होता है कि सा क्षेत्र को अपने आकार एवं व्यवसाय के हिसाब से सेवा निर्गत देयों, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबन्धन इत्यादि के उचित परिणामों के लिए एक उपयुक्त प्रणाली तैयार कर अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

3.1.11 निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पू ले प प्रति) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। नि म ले

द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतीकरण की स्थिति को नीचे तालिका 3.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका - 3.1.10

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए		
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	29 नवम्बर 2012	उपलब्ध नहीं
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	20 जनवरी 2014	उपलब्ध नहीं

3.1.12 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में वे वसूलियाँ भी शामिल हैं, जो सा क्षेत्र के लेखों की नमूना जाँच के दौरान ध्यान में आयी हैं तथा उन्हें सा क्षेत्र / राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा दोबारा जाँच के लिए भेजा जाता है और अधिभुगतान/अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में ₹ 58.89 करोड़ की वसूलियाँ विभिन्न सा क्षेत्र के प्रबन्धकों को इंगित किया था, जो सा क्षेत्र द्वारा स्वीकार की गयी। जिसके सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.92 करोड़ की वसूली की गयी थी।

3.1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों का प्रत्युत्तर

31 मार्च 2013 में भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'वितरण कम्पनी की राजस्व संग्रहण दक्षता (यू पी सी एल)' और दो विषयगत अनुपालन लेखापरीक्षाओं, 'यू पी सी एल द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय समझौता' तथा 'के एम वी एन के पर्यटन विकास कार्य', को अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि उसका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। यद्यपि सम्बन्धित सा क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा उत्तर दिये गये, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

भारत के नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे खातों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण की शुरुआत के साथ जाँच की प्रक्रिया की समाप्ति है। यह इसलिए आवश्यक है कि कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायी जा सके।

यद्यपि 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में मार्च 2011, दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013 को प्रस्तुत किये गये। सभी चारों विभागों ने सभी 14 प्रस्तरो/निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिनकी 30 सितम्बर 2013 तक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी जो तालिका 3.1.11 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	प्रस्तुतीकरण की तिथि	प्रतिवेदन में कुल प्रस्तरो/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तरो/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2009-10	मार्च 2011	6	6
2010-11	दिसम्बर 2012	5	5
2011-12	सितम्बर 2013	3	3
कुल		14	14

विभागानुसार विश्लेषण जो तालिका 3.1.12 में भी दिया गया है।

तालिका - 3.1.12

विभाग का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
ऊर्जा	3	2	2
विनिर्माण	1	-	1
पर्यटन	1	2	-
निर्माण	1	1	-
कुल	06	05	03

ऊर्जा विभाग मुख्य रूप से व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी था जिसने सभी सात प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर कोपू द्वारा संस्वीकृत कार्यवाही टिप्पणी का जवाब देना होता है कोपू बैठकों की स्थिति, प्रस्तरों जिन पर चर्चा हुई और जो अन्तिमीकृत किये तथा कोपू प्रतिवेदन जो वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जुलाई 2011) तक जारी हुए, को तालिका 3.1.13 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.13

अवधि	बैठकों की संख्या	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जो अन्तिमीकृत किये गये	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2009-10	-	-	-	-	-
2010-11	05	06	06	-	-
2011-12 (जुलाई 2011 तक)	02	02	02	02	-

जुलाई 2011 से कोई भी कोपू की बैठक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 34 प्रस्तर चर्चा के लिए बाकी थे जिसमें सबसे पुराना की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का था। 30 सितम्बर 2013 तक कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैरों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और जो उसी समय निस्तारित नहीं हो सकी, को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे 3) के अध्यक्षों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब सा क्षे 3 के विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार करवा कर, एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना होता है। मार्च 2013 तक 20 सा क्षे 3 निरीक्षण प्रतिवेदन जो मार्च 2013 तक 20 सा क्षे 3 को जारी किए गये थे, 344 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1669 प्रस्तर 30 सितम्बर 2013 तक बाकी थे। 30 सितम्बर 2013 को बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों और विभागानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

इसी प्रकार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह में उन पर टिप्पणी तथा दिये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रेषित किया जाता है। अतएव एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और दो विषयगत अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को जुलाई 2013 और सितम्बर 2013 के मध्य दो विभागों¹² को भेजे गये थे।

यह भी संस्तुति की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय सारणी के अनुसार कोपू की संस्तुतियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ब) निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत हानि/अदत अग्रिम/अधिक भुगतान (स) लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रत्युत्तर की प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित कर सकती है।

3.1.15 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षे 3 के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी थी।

¹² ऊर्जा विभाग एवं पर्यटन विभाग।

निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.2 विद्युत वितरण कम्पनी का राजस्व संग्रह

उपभोक्ता को विद्युत प्रदान करने में वितरण प्रणाली विद्युत क्षेत्र की अंतिम कड़ी है। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का गठन कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार 12 फरवरी 2001 को किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे वर्णित किए गए हैं:

मुख्य अंश

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा तय, निर्धारित ऊर्जा नुकसान सीमा के बाद भी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से ₹ 473.78 करोड़ की ऊर्जा लागत की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर 3.2.7.1]
- यू ई आर सी की बिजली आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार 'स्टॉप बिलिंग' मामलों का निस्तारण न किए जाने के कारण ₹ 196.07 करोड़ राजस्व की हानि हुई।
[प्रस्तर 3.2.7.2(i)(अ)]
- उचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग न करने के कारण कम्पनी को ₹ 3.88 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।
[प्रस्तर 3.2.7.6]
- कम्पनी द्वारा 1206 उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान के कारण ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत भार और ₹ 217.39 करोड़ के विलम्ब भुगतान अधिभार की राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर 3.2.8.1(द)]
- 147 बड़े और भारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में ₹ 17.04 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर 3.2.8.1(य)]
- वसूली प्रमाण पत्रों के उचित ढंग से अनुश्रवण न किए जाने के कारण 2,539 दोषी उपभोक्ताओं से ₹ 45.51 करोड़ की प्राप्ति नहीं की गई।
[प्रस्तर 3.2.8.1(ल)]

3.2.1 परिचय

उत्तरांचल राज्य के गठन के परिणामस्वरूप 12 फरवरी 2001 को उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), पूर्व में उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, का गठन कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। यू पी सी एल (कम्पनी) को 1 अप्रैल 2001 से विद्युत पूर्ति के पारेषण और वितरण क्षेत्र में कार्य करने हेतु यू पी पी सी एल (तत्कालीन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से पृथक किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु पारेषण कार्य को अलग करने का आदेश दिया गया। तदनुसार जून 2004 को पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पॉ ट्रा कॉ लि) की स्थापना राज्य में 132 के वी और इससे ऊपर की ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के अनुरक्षण और संचालित करने के लिए की गई थी। परिणामस्वरूप, यू पी सी एल आज 66 के वी और उससे कम के लाइनों के विद्युत वितरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार की राज्य विद्युत वितरण कम्पनी है। कम्पनी उत्तराखण्ड के 13 जिलों में स्थित 16.96 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की सेवा प्रदाता है। इन विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग की प्रकृति

और उद्देश्य के आधार पर घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, सरकारी, हल्के उद्योग आदि के रूप में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल में निहित है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी के दिन-प्रतिदिन का संचालन निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (मानव संसाधन) और मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की सहायता से प्रबंध निदेशक, जो कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, द्वारा किया जाता है। कम्पनी के पास कुल 65 इकाई/खण्ड हैं जिसमें से 30 इकाई/खण्ड प्रत्यक्ष रूप से विद्युत के वितरण और राजस्व उगाही के कार्यों में शामिल हैं।

3.2.3 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या:

- बिलिंग प्रणाली दक्षतापूर्वक किया गया;
- राजस्व का संग्रह कुशल और प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबन्धन यानि राजस्व संग्रह का लेखांकन और उसका बैंक में प्रेषण सही और कुशल था; एवं
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित अनुश्रवण तंत्र सही स्थिति में था और प्रभावी था।

3.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखा परीक्षा में वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान किए गए राजस्व संग्रह को आच्छादित किया गया है। निष्पादन लेखा परीक्षा का कार्य, मुख्यालय और यू पी सी एल की 30 इकाईयों/खण्डों में से 12¹³ खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा, अप्रैल और अगस्त 2013 के मध्य सम्पादित की गयी। इन परिचालन इकाईयों का चुनाव राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार "स्ट्रेटिफाईड रैंडम सैम्पलिंग" के साथ "प्रोबेबिलिटी टू साईज विद् रिप्लेशमेन्ट" (पी पी एस डब्लू आर) के आधार पर किया गया था।

लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्ड और लेखा परीक्षा की पद्धति पर कम्पनी के प्रबंधन के साथ 10 मई 2013 को "प्रवेश गोष्ठी" में विचार-विमर्श किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षों को कम्पनी और राज्य सरकार को सितम्बर 2013 में सूचित किया गया और 23 अक्टूबर 2013 को "निकास गोष्ठी" में इन पर विचार-विमर्श किया गया। निकास गोष्ठी में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), मुख्य अभियन्ता (व्यवसायिक) और कम्पनी के अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा निकास गोष्ठी के दौरान दिए गए विचारों को माना गया और उन्हें उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

3.2.5 लेखा परीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखा परीक्षा के निम्नलिखित मानदंड थे :

- विद्युत अधिनियम, 2003 और विद्युत (संशोधित) अधिनियम, 2007 के प्रावधान;

¹³ वि वि ख श्रीनगर; वि वि ख कोटद्वार; वि वि ख हल्द्वानी (नगरीय); वि वि ख हल्द्वानी (ग्रामीण); वि वि ख हरिद्वार (नगरीय); वि वि ख हरिद्वार (ग्रामीण); वि वि ख देहरादून (उत्तर); वि वि ख देहरादून (दक्षिण); वि वि ख देहरादून (मध्य); वि वि ख ऋषिकेश; वि वि ख रुद्रपुर और वि वि ख काशीपुर।

- कम्पनी की वितरण तंत्र के मानक और योजना तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड;
- तकनीकी और गैर तकनीकी हानि हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए)/यू ई आर सी/यू पी सी एल द्वारा निर्धारित किए गए मानक;
- यू ई आर सी/यू पी सी एल कम्पनी द्वारा बिलिंग शिड्यूल, दर-सूची, वितरण संहिता और यू पी सी एल की व्यावासायिक राजस्व नियम पुस्तिका पर जारी किए गए दिशा निर्देश/अनुदेश/निदेश/विनियम; और
- सरकार/यू ई आर सी /यू पी सी एल द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश एवं निदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 वित्तीय स्थिति

विगत पाँच वर्षों के (2012-13 को समाप्त हुए) लिए कम्पनी की वित्तीय स्थिति को तालिका 3.2.1 में दिखाया गया है।

तालिका - 3.2.1
कम्पनी की वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 ¹⁴
1.	अ. देयता					
2.	प्रदत्त पूँजी	5.00	577.00	577.00	577.00	968.91
3.	आरक्षित एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान को सम्मिलित करते हुए लेकिन आरक्षित ह्रास को छोड़कर)	1,267.08	1,411.43	1,461.39	208.81	325.56
4.	उधार (ऋण निधियाँ)					
4.1	सुरक्षित	321.65	349.44	332.15	311.28	447.53
4.2	असुरक्षित	825.07	850.20	870.15	636.84	269.39
5.	चालू देयता एवं प्रावधान	2,522.74	2,602.47	3,135.38	4,209.31	4,367.72
6.	अन्य गैर-चालू दायित्व एवं आई यू टी शेष	-	-	-	14.59	11.97
7.	कुल	4,941.54	5,790.54	6,376.07	5,957.83	6,391.08
8.	ब. संपत्तियाँ					
9.	सकल ब्लॉक	2,009.29	2,330.18	2,760.30	1,801.26	2,031.76
10.	घटाओ: ह्रास	860.87	936.05	1,025.71	621.26	678.16
11.	शुद्ध अचल संपत्तियाँ	1,148.42	1,394.13	1,734.59	1,180.00	1,353.60
12.	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	814.39	744.23	579.10	543.84	568.23
13.	निवेश	102.77	162.90	128.27	289.58	442.16
14.	चालू संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1,635.56	1,745.23	1,974.00	1,461.43	1,492.38
15.	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	-	-	-	479.96	469.35
16.	संचित हानियाँ	1,240.40	1,744.05	1,960.11	2,003.02	2,065.36
17.	कुल	4,941.54	5,790.54	6,376.07	5,957.83	6,391.08
18.	ऋण : इक्विटी अनुपात ¹⁵	0.90:1	0.60:1	0.59:1	1.20:1	0.55:1
19.	निवल लागत ¹⁶	31.68	244.38	78.28	-1,217.20	-770.89

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना/विवरण एवं बैलेंस शीट के आधार पर समेकित विवरण)

¹⁴ 2012-13 के सम्बन्ध में आँकड़े अनंतिम हैं।

¹⁵ इक्विटी में प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षित और आधिक्य शामिल है।

¹⁶ प्रदत्त पूँजी में आरक्षित और आधिक्य को जोड़कर एवं उसमें से संचित हानियाँ घटाकर।

वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के लेखे बकाया हैं। इसलिए उपरोक्त तालिका में वर्ष 2012-13 के लिए दिखाए गए आँकड़ें अनंतिम हैं। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित) ₹ 1,146.72 करोड़ से घटकर ₹ 716.92 करोड़ हो गए जबकि चालू देयता और प्रावधान अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2,522.74 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,367.72 करोड़ हो गए जो यह दर्शाता है कि कम्पनी, कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण का सहारा ले रही है।
- 2009-10 की अवधि के दौरान इक्विटी में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 572 करोड़ ऊर्जा खरीद बॉन्ड के देयता राशि को इक्विटी में बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 2012-13 में ₹ 8.80 करोड़ दिए गए और असुरक्षित ऋण की राशि ₹ 368.11 करोड़ को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मुक्त विद्युत के सम्बन्ध में ₹ 15 करोड़ की देयता राशि को भी इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।
- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी का ऋण इक्विटी अनुपात 0.90:1 से घटकर 0.55:1 हो गया। कम्पनी की निवल लागत 2008-09 में ₹ 31.68 करोड़ से घटकर 2012-13 में (-) 770.89 करोड़ हो गई जो दर्शाता है कि विस्तारित हुए समय में संचित हानियों के लगातार जमा होने के कारण कम्पनी की देयता सम्पत्ति से अधिक है।
- कम्पनी की संचित हानियाँ में ₹ 824.96 करोड़ (66.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 2008-09 में ₹ 1,240.40 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2,065.36 करोड़ हो गई।
- नई संपत्तियों के पूँजीकरण के कारण अचल संपत्तियों के ग्राँस ब्लॉक 2008-09 में ₹ 2009.29 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,031.76 करोड़ हो गए। कम्पनी द्वारा 2011-12 के दौरान ₹ 1,296.24 करोड़ की संपत्तियाँ भी समायोजित की गई जो सरकारी अनुदानों से सृजित की गई थीं।
- कम्पनी के विविध देनदार ₹ 229.97 करोड़ से बढ़ गए। जो कि 2008-09 के दौरान ₹ 896.73 करोड़ से 2012-13 के दौरान ₹ 1,126.70 करोड़ हो गए थे जो संग्रहण में अक्षमता को इंगित करता है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है:

- अ) छः¹⁷ वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बैंक समाधान विवरण (बैं स वि) मार्च 2013 तक तैयार नहीं किये गये थे। बैंक समाधान विवरण 1 से 17 महीने तक लम्बित थे। मिलान के अभाव में रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक अवशेष एवं अन्तिम अवशेष को प्रमाणित नहीं किया जा सका। प्रबन्धन ने टिप्पणी से अपनी सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2013)।
- ब) यह पाया गया कि हरिद्वार ग्रामीण खण्ड में 08-11-2011 से 17-10-2012 के दौरान खण्ड द्वारा बैंक में ₹ 2.32 करोड़ जमा करवाया गया था जिसे बैंक द्वारा कम्पनी के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया। खण्ड के संज्ञान में यह तथ्य बैं स वि बनाते समय आया। इस प्रकार बैं स वि को तैयार करने में देरी के कारण ₹ 2.32 करोड़ का गबन हुआ। खण्ड ने सम्बन्धित बैंक मैनेजर (पी एन बी) के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई और अब यह मामला न्यायालय में है। प्रबन्धन ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मामला बैंक के निदेशक मंडल के पास लंबित है।

¹⁷ रुद्रपुर (बैं स वि लंबित दिसम्बर 2012 से); हरिद्वार (ग्रामीण) (बैं स वि लंबित फरवरी 2013 से); देहरादून (उत्तर) (बैं स वि लंबित जनवरी 2013 से); देहरादून (दक्षिण) (बैं स वि लंबित सितम्बर 2011 से); काशीपुर (बैं स वि लंबित मार्च 2012 से) और ऋषिकेश (बैं स वि लंबित जुलाई 2012 से)।

स) प्रयोग की गई राजस्व प्राप्ति पुस्तिकाओं की वापसी पर एक रजिस्टर के माध्यम से नजर रखी जा सकती है जिसमें जारी की गई एवं वापस की गई पुस्तिकाओं का विवरण अंकित किया जाता हो। तीन खण्डों¹⁸ में यह पाया गया कि 8042 राजस्व प्राप्ति पुस्तकें जो 2009-10 से 2012-13 तक जारी की गई थीं को अगस्त 2013 तक वापस प्राप्त नहीं किया गया था। प्रबंधन ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि उपयोग की गई राजस्व रसीद पुस्तकों के प्रतिपण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2013 में एकत्रित किए गए।

3.2.7 कम्पनी की बिलिंग और राजस्व संग्रह का तंत्र

कम्पनी विद्युत विविध स्रोतों¹⁹ से खरीदती है और विविध उपभोक्ताओं को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित दर सूची के आधार पर अलग-अलग दरों पर उपलब्ध कराती है। प्रचलित दर-सूची के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता पर विद्युत दर लागू की जाती है। खपत के अनुसार कम्पनी उपभोक्ता को प्रतिमाह/दोमाही बिल प्रस्तुत करती है। बिल राशि के संग्रहण का उत्तरदायित्व कम्पनी के खण्डों पर है। खण्ड द्वारा संग्रहित की गई राशि को कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते²⁰ में नियमित रूप से हस्तान्तरित किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा की बिलिंग की दक्षता कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का अधिक से अधिक मात्रा का उपभोक्ता को विक्रय/वितरण करने, वितरण हानि को न्यूनतम करने और अधिकतम राजस्व की प्राप्ति में निहित है। वितरण प्रक्रिया में बिजली की खरीद, बिजली की आपूर्ति, मीटरिंग और बिलिंग, उपभोक्ताओं से देय की वसूली, राजस्व संग्रहण प्रबंधन, कम्पनी का व्यवसायिक प्रदर्शन और अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण तंत्र सम्मिलित है जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.7.1 विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का क्रय

राज्य में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने हेतु कम्पनी के द्वारा विभिन्न स्रोतों से विद्युत का क्रय किया गया था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान विद्युत क्रय की कुल इकाईयाँ और इसके लिए व्यय की गई राशि को तालिका 3.2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.2

विद्युत के क्रय पर खर्च राशि का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वितरण परिधि पर इकाईयाँ का क्रय (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00
विद्युत क्रय (₹ करोड़ में)	1,964.83	2,308.60	2,713.67	3,096.25	3,680.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सूचना संकलित।)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने 42,253.28 एम यू विद्युत का क्रय लम्बी अवधि के करार से किया था। अन्य 4,826.79 एम यू की व्यवस्था, खुले बाजार से क्रय, अनिर्धारित आदान-प्रदान, छोटी अवधि के करारों और बैंकिंग से की गई थी। ऊर्जा खरीद पर कुल व्यय 2008-09 में ₹ 1,964.83 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,680.00 करोड़ हो गया। इसी अवधि में कुल इकाईयाँ की खरीद 7,631.44 एम यू से बढ़कर 10,867 एम यू हो गई। विद्युत की माँग वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 7,932.60 एम यू से

¹⁸ श्रीनगर (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 415: निर्गत अवधि 5/12 से 01/13), ऋषिकेश (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 5488: निर्गत अवधि 04/09 से 03/13) और कोटद्वार (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 2139: निर्गत अवधि 04/09 से 03/13)।

¹⁹ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, सेन्ट्रल पूल का राज्य अंश (टी एच डी सी और एन एच पी सी), राज्य के आई पी पी, खुला बाजार क्रय और अनिर्धारित आदान-प्रदान (यू आई)।

²⁰ मुख्य प्राप्ति खाता कम्पनी का वह खाता है जिसमें खण्डों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व को हस्तांतरित किया जाता है और यह केवल कॉरपोरेट स्तर पर संचालित किया जा सकता है। कम्पनी के एस बी आई, पी एन बी, बी ओ बी और सी बी आई में चार मुख्य प्राप्ति खाते हैं।

बढ़कर 11,478.09 एम यू हो गई। 2008-09 में लंबी अवधि के करार के माध्यम से राज्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को 96.49 प्रतिशत पूरा किया गया जो 2012-13 में घटकर 77.31 प्रतिशत रह गया। लंबी अवधि के करार के माध्यम से विद्युत अधिप्राप्ति की लागत प्रति इकाई ₹ 1.48 से ₹ 3.64 के मध्य थी जबकि यह अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रति इकाई ₹ 3.43 से ₹ 7.53 के मध्य थी। परिशिष्ट-3.6 से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वितरण हानि यू ई आर सी द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक होने के कारण ₹ 473.78 करोड़²¹ का वितरण लागत वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया कि कम्पनी की हानियों के मुख्य कारण यू ई आर सी के द्वारा स्वीकार्य विद्युत हानि की सीमा से अधिक विद्युत हानि, एच टी एल टी का खराब अनुपात, ई टी एम का प्रतिस्थापन न होना, मापन का 100 प्रतिशत न होना, अनुपयुक्त चालक का प्रयोग, अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और राजस्व प्राप्ति का बकाया का 100 प्रतिशत से कम का वसूली होना था। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

3.2.7.2 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति

33 के वी स्तर पर हानि को उप-पारेषण हानियाँ कहा जाता है जबकि 11 के वी या उससे कम स्तर पर हानि को वितरण हानि कहा जाता है। हानियाँ तकनीकी और वाणिज्यिक कारणों से हो सकता हैं। तकनीकी हानि बिजली के पारेषण और वितरण हेतु प्रयुक्त अंतर्निहित उपकरणों का प्रयोग एवं कंडक्टर की प्रतिरोधक क्षमता, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं पर निर्भर है। दूसरी ओर, वाणिज्यिक हानियों के कारण एच टी/एल टी अनुपात की कम प्रतिशतता, खराब मीटर, बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति और विद्युत की चोरी, इत्यादि हैं। विगत पाँच वर्षों 2008-13 तक ऊर्जा हानि के कारण कम्पनी को हुई कुल इकाईयों की हानि, जिसकी वसूली नहीं हो सकी थी, तालिका-3.2.3 में दी गई है:

तालिका-3.2.3

कम्पनी की ऊर्जा हानि का विवरण

(मिलियन यूनिट्स में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	क्रय की गई ऊर्जा (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00	46,338.59
2.	विक्रय की गई ऊर्जा (एम यू में)	5,493.73	6,249.21	7,250.68	8,252.72	8,802.00	36,048.34
3.	वितरण हानि (1-2) (एम यू में)	2,137.71	2,030.88	1,998.74	2,057.92	2,065.00	10,290.25
4.	ऊर्जा वितरण हानि की प्रतिशतता (प्रतिशत में) $\{(3/1) \times 100\}$	28.01	24.53	21.61	19.96	19.00	-
5.	वितरण हानि की प्रतिशतता यू ई आर सी द्वारा स्वीकार्य (प्रतिशत में)	22.32	20.32	19.00	18.00	17.00	-
6.	अन्तर (4-5)	5.69	4.21	2.61	1.96	2.00	-
7.	अतिरिक्त वितरण हानियाँ (एम यू में)	434.23	348.59	241.41	202.09	217.34	1,443.66
8.	प्रति इकाई औसत क्रय दर (₹ में)	3.78	4.06	3.99	4.53	4.51	-
9.	प्रति इकाई ²² औसत वसूली (₹ में)	2.91	2.89	3.64	3.67	3.86	-
10.	अतिरिक्त वितरण हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) $\{7 \times 9\}$	126.40	100.67	88.58	74.13	84.00	473.78

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित सूचना)

²¹ आधिक्य हानि का मूल्य 2008-09 ₹ 126.40 करोड़; 2009-10 ₹ 100.67 करोड़; 2010-11 ₹ 88.58 करोड़; 2011-12 ₹ 74.13 करोड़ और 2012-13 ₹ 84.00 करोड़ = ₹ 473.78 करोड़।

²² प्रति इकाई औसत वसूली की दर = अनुमानित राजस्व/वर्ष के दौरान किये गये बिलिंग को विक्रय ऊर्जा से विभाजित करके (एम यू में)।

यह देखा गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रय और वसूली की प्रति इकाई औसत दर का अन्तर 0.35 से 1.17 के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप हानियों का संचय हुई।

(i) आपूर्ति की गई विद्युत की मीटरिंग और बिलिंग

यू ई आर सी आदेश (सितम्बर 2003 एवं मई 2012) के अनुसार उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग अनिवार्य है। विद्युत की बिलिंग की कार्य-कुशलता उपभोक्ता को विक्रय की गई विद्युत की 100 प्रतिशत बिलिंग करने पर निर्भर करता है। मीटरों में अभिलिखित विद्युत (मीटर्ड विक्रय) के आधार पर और मूल्यांकन²³ आधार पर कम्पनी उपभोक्ता को बिल प्रस्तुत करती है। गत पाँच वर्षों में कम्पनी द्वारा विक्रय के लिए उपलब्ध कुल विद्युत और बिलिंग की गई विद्युत को नीचे दी गई तालिका-3.2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.2.4

विक्रय की गयी कुल विद्युत और बिल की गई विद्युत का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00
बिल की गई विद्युत (एम यू में)	5,493.73	6,249.21	7,250.68	8,252.72	8,802.00
उपलब्ध विद्युत और बिल की गई विद्युत के मध्य भिन्नता (एम यू में)	2,137.71 (28.01%)	2,030.88 (24.53%)	1,998.74 (21.61%)	2,057.92 (19.96%)	2,065.00 (19.00%)
बिल नहीं की गई विद्युत का वित्तीय मूल्य (करोड़ में)	622.07	586.92	727.54	755.26	797.09
एसेस्ड सेल्स, मीटर्ड सेल्स ²⁴ के प्रतिशतता के रूप में (प्रतिशत में)	2.50	2.45	2.40	2.35	2.25

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित सूचना।)

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपलब्ध विद्युत और बिल की गई विद्युत का अन्तर 1,998.74 एम यू से 2,137.71 एम यू तक था, जिसमें से 2.50 से 2.25 प्रतिशत की बिलिंग वास्तविक उपभोग और लागू दर सूची के अनुसार न करके मूल्यांकन के आधार पर की गयी। मूल्यांकन आधार पर विद्युत विक्रय करने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा वास्तविक उपभोग और लागू दर-सूची के अनुसार राजस्व प्राप्त किये जाने के बजाय औसत आधार पर राजस्व प्राप्त किया जाता रहा।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मीटर्ड विक्रय और अनुमानित विक्रय सीधे अनुपात में हैं। यह भी बताया गया कि कम्पनी द्वारा कार्यवाही किये जाने के कारण ऊर्जा की अनुमानित बिक्री 2008-09 में 2.50 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.25 प्रतिशत हो गई है और भविष्य में यह और भी कम हो जाएगी।

मीटरिंग के मूल्यांकन और विद्युत की बिलिंग की अक्षमताओं के उदाहरण इस प्रकार हैं:

अ) उ वि नि आ की विद्युत आपूर्ति संहिता (अप्रैल 2007) उपबंधित करती है कि कम्पनी ऐसे उपभोक्ता को जो कि देय भुगतान करने में दोषी रहे हों, उन्हें देय राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात् यदि उपभोक्ता द्वारा छः माह के भीतर पूरे देय का भुगतान नहीं किया जाता है तो स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन कर देना चाहिए।

कम्पनी के 17,000 के सी सी²⁵ उपभोक्ताओं के बिलिंग आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के 298 उपभोक्ताओं, जिनका बकाया राशि ₹ 5 लाख से ₹ 17.22 करोड़ था, द्वारा 3 महीने से

²³ मूल्यांकन आधार : जहाँ मीटर नहीं लगने या मीटर खराब होने के कारण उपभोक्ता का वास्तविक उपभोग उपलब्ध न हो वहाँ औसत अनुमानित उपभोग के आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाते हैं।

²⁴ एसेस्ड सेल्स, मीटर्ड सेल्स के प्रतिशतता के रूप में- यह कम्पनी की कल्पना पर आधारित है।

60 महीनों के बीच की अवधि तक अपना बकाया राशि जमा नहीं कराए गए थे। ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन अस्थाई रूप से किया गया था और बिलिंग रोक दी गई थी। मगर कम्पनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन नहीं किया गया और कम्पनी की ज्ञापन दिनांक 2 नवम्बर 2004 के प्रावधान के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी को वसूली हेतु आवश्यक वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी, जो इकट्ठा होकर मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 196.07 करोड़ हो गया, जिसकी वसूली अभी शेष है (अगस्त 2013)।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि वास्तविक राशि और कल्पित राशि को पता करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि दोषी उपभोक्ताओं से कम से कम वास्तविक राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी बताया गया कि खण्ड स्तर पर मानक अनुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने की एवं दोषी उपभोक्ताओं से वसूली करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। तथापि, कम्पनी वसूली करने की कार्यवाही करने में विफल रही थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में बकाए की राशि पड़ी थी।

ब) कम्पनी की दर अनुसूची (मार्च 2008) यह बताती है कि ऐसे उपभोक्ता (घरेलू एवं पी टी डब्लू के अलावा) जो इलेक्ट्रॉनिक ट्राईवेक्टर मीटर वाले नहीं हैं (ई टी एमएस), जिनकी बिलिंग के वी ए एच में नहीं की गई है या जिसके उपयुक्त दर्जा एवं विशिष्टि वाले शण्ट कैपासिटर²⁶ नहीं लगाया है, उनके वर्तमान बिजली के बिल पर 5 प्रतिशत की दर से लो पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना चाहिए। वि वि खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रकट हुआ कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के 42 कनेक्शन 803 के डब्ल्यू. भार के और स्टेट ट्यूबवैल के 69 कनेक्शन 900 के डब्ल्यू. भार के जिसमें कि ई टी एम एवं शण्ट कैपासिटर नहीं लगे थे तथा इनकी बिलिंग के वी ए एच में नहीं की जा रही थी, की वर्तमान बिल पर लो पावर फैक्टर सरचार्ज²⁷ पाँच प्रतिशत की दर से नहीं लिया जा रहा था। जबकि यह केवल के. डब्ल्यू. में बिलिंग की गयी थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि खण्ड द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान को अप्रैल 2010 से जनवरी 2013 तक के अवधि के लिए ₹ 260.11 लाख के तथा स्टेट ट्यूबवैल को अगस्त 2009 से अप्रैल 2013 तक के अवधि के लिए ₹ 67.66 लाख के बिल बिना अधिभार लगाकर जारी किए गए थे। उत्तराखण्ड जल संस्थान के अप्रैल 2008 से मार्च 2010 और स्टेट ट्यूबवैल के अप्रैल 2008 से जुलाई 2009 तक की अवधि के अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा बकाया धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, अधिभार न प्रभावरित करने के परिणामस्वरूप ₹ 16.39 लाख²⁸ की अधिभार कम वसूली हुई।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया गया (अक्टूबर 2013) कि संबंधित उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी कर दिए गए हैं। यह भी बताया गया कि कम वसूली से बचने हेतु कम्पनी अपनी लागत से शण्ट कैपासिटर स्थापित करेगी और इसकी वसूली उपभोक्ता के बिल से करेगी।

²⁵ की कंज्युमर सेल : यह कम्पनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं जिनके संबद्ध प्रभार 50 किलो वॉट से ज्यादा हैं; के अनुश्रवण हेतु बनाया गया है। उपरोक्त उपभोक्ताओं में से अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलिंग ऑफ़िसें मुख्यालय के सर्वर पर उपलब्ध हैं।

²⁶ एक कैपासिटर या कैपासिटर्स का समूह जिसे वोल्टेज में वृद्धि अथवा सर्किट के पावर फैक्टर में सुधार हेतु विद्युत लाइन या विद्युत उपकरण पर स्थापित किया जाता है।

²⁷ पावर फैक्टर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की प्रतिशतता के डब्ल्यू/के वी ए एच में है। यदि उक्त प्रतिशत 0.85 से नीचे है यह लो पावर फैक्टर माना जाता है।

²⁸ उत्तराखण्ड जल संस्थान के संबंध में (₹ 13.01 लाख) और स्टेट ट्यूबवैल के संबंध में (₹ 3.38 लाख)।

3.2.7.3 कम्पनी का एच टी-एल टी अनुपात

उच्च एच टी-एल टी अनुपात विद्युत के पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि को कम से कम होना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। औद्योगिक कार्य प्रणाली के अनुसार एच टी और एल टी लाइन का आदर्श अनुपात 1:1 है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2008-13 के दौरान एच टी और एल टी का अनुपात 1 के सापेक्ष लगभग 0.78 रहा। कम्पनी ने 2008-13 के अवधि के दौरान एच टी और एल टी लाइनों के अपने नेटवर्क में क्रमशः 5,102.62 सी के एम²⁹ और 6,500.95 सी के एम की वृद्धि की। कम्पनी द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान एच टी लाइनों की तुलना में एल टी लाइनों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। कम्पनी को 1:1 अनुपात प्राप्त करने के लिए एच टी और एल टी लाइनों की लम्बाई को समान मात्रा में किये जाने की योजना बनाने की आवश्यकता थी जिससे विद्युत के पारेषण और वितरण तंत्र की कुशलता में सुधार होता और ऊर्जा हानि में कमी आती। हानियों को कम करने का महत्व इस तथ्य से आंका जा सकता है कि एक प्रतिशत हानि को कम करके कम्पनी के राजस्व में ₹ 33.98 करोड़³⁰ जमा किए जा सकते थे।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद कम्पनी के पास एच टी/एल टी अनुपात सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। यह भी बताया गया कि आर ए पी डी आर पी योजना के कार्यान्वयन के बाद एच टी/एल टी अनुपात में उल्लेखनीय सुधार होगा।

3.2.7.4 उपभोक्ताओं की मीटरिंग

यू ई आर सी के आदेश (सितम्बर 2003 और मई 2012) के अनुसार, उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग अनिवार्य थी। इसके अनुसार गैर-मीटर्ड उपभोक्ताओं के मीटर लगाने का कार्य अगस्त 2012 तक समाप्त किया जाना था हालांकि, अभिलेखों से प्रकट हुआ कि मार्च 2013 तक 16.96 लाख उपभोक्ताओं के सापेक्ष केवल 16.70 लाख मीटरों को लगाया गया था।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की गई और कहा गया (अक्टूबर 2013) कि लेखा परीक्षा की टिप्पणी के बाद से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। 1 सितम्बर 2013 तक मात्र 9,679 उपभोक्ता ही गैर-मीटर्ड थे और उनके वहाँ भी दिसम्बर 2013 तक मीटर लगा दिए जाएंगे।

(i) दोषपूर्ण मीटरों के कारण भारी राजस्व की आवर्ती हानि

कम्पनी की दर अनुसूची पर दिनांक 16 फरवरी 2004 के परिपत्र, जो दिनांक 20 सितम्बर 2003 से प्रभावी है, के अनुसार सभी दोषपूर्ण मीटरों को तीन माह के अन्दर प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ऐसा न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता (मीटर) और उप खण्ड अधिकारी (वितरण खण्ड) की समान जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के तय लक्ष्यों के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों की संख्या (आई डी एफ, ए डी एफ और आर डी एफ)³¹ कुल उपभोक्ताओं के चार प्रतिशत और पहुँच से बाहर/ रीडिंग नहीं ली गई मीटरों की संख्या सात प्रतिशत होनी चाहिए।

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु 3 माह की स्वीकार्य सीमा के बाद भी कुल 16.96 लाख उपभोक्ताओं के विरुद्ध 3,57,622 उपभोक्ताओं³² के मीटर एक से 12 माह तक दोषपूर्ण स्थिति में रहे थे। दोनों क्षेत्रों में आई डी एफ दोषों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेखापरीक्षा में ऐसा

²⁹ सर्किट किलो मीटर्स।

³⁰ (विक्रय ऊर्जा 8,802.00 एम यू × 1/100 × ₹ 3.86 = ₹ 33.98 करोड़), 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी के वसूली के औसत दर पर आधारित है।

³¹ आई डी एफ= आईडेन्टीफाइड डिफेक्टिव, ए डी एफ= एपियर्स डिफेक्टिव और आर डी एफ= रीडिंग डिफेक्टिव।

³² गढ़वाल क्षेत्र-97,685 (आई डी एफ) + 7,090 (ए डी एफ) + 8,371 (आर डी एफ) + 74,037 (एन ए/एन आर) = 1,87,543
कुमाऊँ क्षेत्र-98,521 (आई डी एफ) + 4,006 (ए डी एफ) + 4,767 (आर डी एफ) + 62,785 (एन ए/एन आर) = 1,70,079 ।

कोई मामला नहीं पाया गया जहाँ पर मीटरों के प्रतिस्थापन में हुए विलम्ब के कारण अधिशासी अभियन्ता/उप-खण्ड अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की गई थी।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुआ बताया गया (अक्टूबर 2013) कि खण्डों को पर्याप्त संख्या में मीटर्स उपबन्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम समय में दोषपूर्ण मीटर बदल दिए जाएं। हालांकि, तथ्य यह बना हुआ है कि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन में खण्ड विफल रहे थे।

3.2.7.5 यू ई आर सी के आदेशों का अनुपालन न होने के कारण दण्ड

यू ई आर सी के सितम्बर 2003 के आदेश के अनुसार सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत मीटरिंग का कार्य मार्च 2005 तक पूर्ण होना था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी थी। परिणामस्वरूप, यू ई आर सी ने बिना मीटर के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के कारण कम्पनी पर ₹ एक लाख की समेकित दण्ड और ₹ 5,000 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्ड लगाया था (अगस्त 2005)। इसके अतिरिक्त यू ई आर सी द्वारा दिनांक 25 मई 2012 को दिये गये एक अन्य आदेश द्वारा सभी 28,486 बिना मीटर के कनेक्शनों को अगस्त 2012 तक मीटरीकृत करने पर ₹ 5,000 प्रतिदिन की आवर्ती दण्ड को 1 अप्रैल 2011 से माफ करने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 100 प्रतिशत मीटरिंग न होने के कारण मार्च 2011 तक कम्पनी ने ₹ 1.04 करोड़ दण्ड के रूप में दिए थे। यह भी देखा गया कि मार्च 2013 तक 0.26 लाख कनेक्शन बिना मीटर के ही चल रहे थे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि 1 सितम्बर 2013 को केवल 9,679 उपभोक्ता ही बिना मीटर के थे और जिनके यहाँ दिसम्बर 2013 तक मीटर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। यह भी कहा गया कि कम्पनी 100 प्रतिशत मीटरिंग होने के बाद यू ई आर सी से दण्ड के रूप में जमा की गई राशि को वापिस करने हेतु अनुरोध करेगी। यद्यपि, यह तथ्यात्मक है कि दण्ड से बचने हेतु कम्पनी को 100 प्रतिशत मीटरिंग निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

3.2.7.6 अनुपयुक्त विद्युत चालकों का प्रयोग

अतिरिक्त ऊर्जा हानि से बचने हेतु उपयुक्त योग्यता वाले विद्युत चालक का उपयोग किया जाना आवश्यक है। एक विद्युत चालक के विद्युत वाहक क्षमता एक निश्चित तापमान पर काम करने की उसकी बनावट, धातु की क्षमता और उसकी आयु पर निर्भर करती है। विद्युत चालकों की तापिका जो कि आई एस: 398 (1961) पर आधारित है के अनुसार 'डॉंग' विद्युत चालक की विद्युत वाहक क्षमता 45 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान पर 300 एम्पियर तक है।

कम्पनी के दो सब-स्टेशनों ढाकरानी पॉवर हाऊस और सिडकुल की लेखा परीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि कम थर्मल लोडिंग लिमिट³³ वाले विद्युत चालकों के द्वारा धारा का प्रवाह किया जा रहा था। दो फीडर (33 के वी) जो ढाकरानी बिजली घर से निकलकर सेलाकुई और सिडकुल सब-स्टेशनों (11 के वी) पर समाप्त हो रहे थे तथा जिनकी लम्बाई क्रमशः 18.2 और 22.3 किमी थी। ये फीडर्स 'डॉंग' विद्युत चालक पर क्रमशः 320 से 340 और 310 से 320 एम्पियर विद्युत भार क्षमता पर निरंतर कार्य कर रहे थे, जबकि, इस विद्युत भार क्षमता के लिए हाईयर थर्मल लोडिंग लिमिट के विद्युत चालक का प्रयोग किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, अनुपयुक्त क्षमता के विद्युत चालक का प्रयोग करने के कारण, कम्पनी को इन फीडर्स पर मार्च 2010 से

³³ थर्मल लोडिंग लिमिट विद्युत चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता है।

फरवरी 2013 तक की अवधि में स्वीकार्य दो प्रतिशत लाईन लॉस³⁴ के उपरान्त, न्यूनतम दर के आधार पर ₹ 3.88 करोड़³⁵ की अधिक लाईन लॉस हुई।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि भार के बेहतर प्रबन्धन के लिए लाइन पर नए सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं और यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इन फीडरों पर विद्युत चालकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा। इस प्रकार, अनुचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा हानि हुई।

3.2.8 राजस्व संग्रह प्रबन्धन

कम्पनी की राजस्व संग्रह दक्षता बिल की गई ऊर्जा एवं आकलित ऊर्जा के साथ-साथ बकाया राशि को वसूलने में निहित है। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त आय ही कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत है। इसलिए राजस्व का शीघ्र एवं त्वरित संग्रह बहुत महत्व रखता है। वर्ष के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर बकाया आकलित, संग्रहित तथा शेष बकाया प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका 3.2.5 में वर्णित है।

तालिका - 3.2.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष	1,345.18	1,477.26	1,574.84	1,816.75	2,026.35
2.	वर्ष के दौरान बिलिंग/आकलित राजस्व	1,598.39	1,805.24	2,641.72	3,029.02	3,400.00
3.	वसूली हेतु कुल राशि (1+2)	2,943.57	3,282.50	4,216.56	4,845.77	5,426.35
4.	वर्ष के दौरान वसूली राशि	1,466.31	1,707.66	2,399.81	2,819.42	3,280.00
5.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,477.26	1,574.84	1,816.75	2,026.35	2,146.35
6.	वसूली गई राशि की कुल देयता से प्रतिशतता (4/3)	49.81	52.02	56.91	58.18	60.45
7.	महीनों की संख्या के आकलन के संबंध में बकाया (बकाया शेष को आकलित राजस्व से विभाजित (5/2) करने के उपरान्त 12 माह से विभाजित करके)	11.09	10.47	8.25	8.03	7.58

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

बकाया अवशेषों की वृद्धि के कारणों को अनुच्छेद 3.2.7.2 और 3.2.8.1 में बताये गये हैं। इस प्रकार, 31 मार्च 2013 को बकाया देयों की राशि ₹ 2,146.35 करोड़ थी। वास्तविक देयों के सापेक्ष राजस्व वसूली का प्रतिशत 60.45 था। कम्पनी के वर्ष 2012-13 के उधार (सुरक्षित एवं असुरक्षित) कम्पनी के वर्ष 2012-13 के अन्त के बकाया देयों के 33.40 प्रतिशत के बराबर थे।

प्रबन्धन ने लेखा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2013)।

3.2.8.1 उपभोक्ताओं से वसूली

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (1) एवं कम्पनी द्वारा नवम्बर 2004 में निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 4,421 के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बिल की देय तिथि से 15 दिन के भीतर विद्युत बकाया जमा नहीं करता है तो उसका कनेक्शन विच्छेदन कर दिया जाना चाहिए तथा 30 दिनों के भीतर धारा 3 के अन्तर्गत उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत बकाया की वसूली को जमा किये जाने हेतु एक डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर बकाया जमा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जिला प्राधिकारियों

³⁴ यू ई आर सी द्वारा पारेषण हेतु अनुमत लाईन लॉस।

³⁵ आगत ऊर्जा: 450.70 एम यू से घटाया प्राप्त ऊर्जा: 423.66 एम यू = 27.04 एम यू से घटाया दो प्रतिशत स्वीकार्य ऊर्जा हानि: 9.01 एम यू = 18.03 एम यू। प्राप्त ऊर्जा में आई शुद्ध कमी = 18.03 एम यू × 10⁶ × ₹ 2.15 (आर टी एस-1 उपभोक्ताओं पर लागू दर) = ₹ 3.88 करोड़।

के माध्यम से धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाणपत्र (आर सी) जारी किये जायेंगे। विद्युत बकाया की वसूली सम्बन्धी सभी कार्यवाही छः माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। उक्त मानदण्डों के पालन न कर पाने से कम्पनी की बकाया दावों की वसूली की अक्षमता के उदाहरणों पर चर्चा नीचे की गई है:

अ) दस खण्डों में गैर घरेलू/वाणिज्यिक (आर टी एस-2) श्रेणी के 16,195 दोषी उपभोक्ताओं के सापेक्ष केवल 2,023 कनेक्शनो का विच्छेदन किया गया। फरवरी 2013 तक दर्शाये गये उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 93.41 करोड़ विद्युत देय बकाया था। इसके अतिरिक्त, यह बकाया 01 से 03 वर्ष तक पुराने थे।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया गया (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी के पश्चात कम्पनी द्वारा ₹ 15.02 करोड़ विद्युत देय की वसूली कर ली गई है और जितनी जल्दी हो सके शेष धनराशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

ब) कम्पनी के 7 खण्डों में, राजकीय सिंचाई प्रणाली और एल टी एवं एच टी औद्योगिक उपभोक्ता (आर टी एस 5 एवं 7) श्रेणी के अन्तर्गत 76 उपभोक्ताओं के पास ₹ एक लाख से ज्यादा राशि के बकाया 7 माह से 52 माह के दौरान थे। मगर, नियमों के अनुसार उनकी आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, परिणामस्वरूप, संचित बकाया ₹ 19.80 करोड़ हो गए (मार्च 2013)।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के पश्चात प्रभावी कदम उठाए गए हैं और ₹ 3.83 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली योग्य धनराशि हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

स) वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के दौरान आर टी एस-4 के अन्तर्गत प्राईवेट ट्यूबवेल (पी टी डब्ल्यू) एवं आर टी एस-1 के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के बकायों में ₹ 69.73 करोड़ की वृद्धि हो गई जिसे तालिका 3.2.6 में दिया गया है।

तालिका-3.2.6

(₹ लाख में)

उपभोक्ताओं की श्रेणी का नाम	वर्ष 2008-09 के लिए विवरण					वर्ष 2012-13 के लिए विवरण				
	कनेक्शनों की संख्या	कनेक्टड भार (के. डब्ल्यू)	विद्युत प्रभार	अधिभार	कुल	कनेक्शनों की संख्या	कनेक्टड भार (के. डब्ल्यू)	विद्युत प्रभार	अधिभार	कुल
पी टी डब्ल्यू	20,624	1,06,615	2,541.35	1,380.39	3,921.74	25,313	1,40,568	4,972.74	1,658.29	6,631.03
घरेलू	11,74,867	13,13,196	22,421.30	9,599.86	32,021.16	12,11,122	17,49,962	22,686.25	13,599.10	36,285.35

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों से संकलित सूचना)

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समीक्षा अवधि के दौरान पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में केवल 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बकायों में 69.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में उपभोक्ताओं की संख्या में 3.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बकायों में 13.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि आर टी एस-1 श्रेणी के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और प्राईवेट ट्यूबवेल उपभोक्ताओं (आर टी एस-4) से रबी/खरीफ की ऋतु में वसूली में बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश में बकाया रहे दावों की वसूली हेतु कैम्प लगाए जा रहे हैं एवं दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा-5 के अन्तर्गत आर सी जारी की जा रही है।

द) यू ई आर सी द्वारा जारी दर सूची मार्च 2008 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार यदि बिलों का पूर्ण भुगतान देय तिथि के उपरान्त 15 दिनों की रियायत अवधि के दौरान नहीं किया जाता है तो 1.25 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार लागू किया जाएगा। यदि सन्दर्भित अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओ द्वारा अधिभार भुगतान नहीं किया जाता है, तो कम्पनी के पास विद्युत आपूर्ति विच्छेदन

का अधिकार है। 12 खण्डों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2013 तक नगरपालिका/नगर निगम, जल निगम, स्टेट ट्यूबवेल, जल संस्थान तथा सार्वजनिक जल निर्माण सहित 1,206 उपभोक्ताओं के विरूद्ध मार्च 2013 तक के ₹ 217.39 करोड़ विलम्ब भुगतान अधिकार के वसूली हेतु लंबित पड़े थे (परिशिष्ट 3.7/1) यह भी पाया गया था कि संदर्भित उपभोक्ता ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत देय राशि अदा करने में असफल रहे थे। प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि संबंधित सरकारी विभागों में बजट का प्रावधान बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। कम्पनी का शीर्ष प्रबंधन बकायों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से इस मामले का अनुशीलन कर रहा है। आगे यह भी कहा गया था कि जल संस्थान से ₹ 55 करोड़ की वसूली माह अक्टूबर 2013 में हो गई है तथा सिंचाई विभाग से ₹ 26 करोड़ की प्राप्ति माह नवम्बर 2013 में हो जाएगी।

य) यू पी एस ई बी अधिसूचना मार्च 1994 और अप्रैल 2007 से प्रभावी यू ई आर सी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियमन, 2007 में उपबन्धित है कि उन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जिनको विद्युत आपूर्ति हेतु संयोजन दिया गया है के द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त प्रतिभूति का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए, प्रतिभूति 2 माह के औसत उपभोग के बराबर होनी चाहिए। यदि मूल्यांकन की गई प्रतिभूति प्रारम्भिक जमा प्रतिभूति से अधिक है तो दोनों के अन्तर की धनराशि उपभोक्ता से 45 दिन के भीतर नोटिस देकर मांगी जानी चाहिए यदि निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है तो उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है। आठ खण्डों के बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के बिल अभिलेखों सम्बन्धित पत्रावली की नमूना जाँच में पाया गया कि 147 उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 17.04 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति, वसूली हेतु लंबित (मार्च 2013) थी लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि अतिरिक्त प्रतिभूति की बकाया में से ₹ 3.38 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

(र) यू पी एस ई बी अधिसूचना मार्च 1994 और यू ई आर सी (नये एच टी एवं ई एच टी कनेक्शन को जारी करना, भार की वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007 के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के लिए (घरेलू एवं पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं³⁶ को छोड़ कर) प्रारम्भिक प्रतिभूति को ₹ 1,000 प्रति किलो वाट तक संशोधित करना था। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन के भीतर प्रतिभूति जमा करने के लिए नोटिस दिया जाना था जिसमें असफल रहने पर उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती थी। 10 वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2013 तक 1,049 उपभोक्ताओं (सभी सरकारी श्रेणियों) के विरूद्ध ₹ 4.46 करोड़ की प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूली हेतु लंबित पड़ी थी और इसकी प्राप्ति अगस्त 2013 तक नहीं हो सकी थी। प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि सरकारी विभागों को जारी किए गए अधिकतर कनेक्शन काफी पुराने हैं और यू पी एस ई बी के समय का है इन संयोजनों पर प्रारंभिक प्रतिभूति नहीं ली गई थी, और अब कम्पनी प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता से प्रारंभिक प्रतिभूति का प्रभार ले रही है। प्रबंधन का उतर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यू ई आर सी के आदेशानुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रारंभिक प्रतिभूति संग्रह की जानी है और पुराने और नए सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट नहीं दी जानी है। इस प्रकार प्रारंभिक प्रतिभूति की प्राप्ति की जानी चाहिए थी।

(ल) 8 खण्डों के अभिलेखों में पाया गया कि जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) के माध्यम से ₹ 45.51 करोड़ की वसूली हेतु 2,539 दोषी उपभोक्ताओं के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आर सी) जारी किये गए थे। यह पाया गया

³⁶ घरेलू और पी टी डब्ल्यू के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति क्रमशः ₹ 400 प्रति किलोवाट और ₹ 100 प्रति किलोवाट है।

कि इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली 1 से 7 वर्षों तक लंबित थी (अगस्त 2013)। इसके अतिरिक्त, खण्डों द्वारा जिलाधिकारियों से न तो पत्राचार किया गया और न ही शीघ्र वसूली हेतु कोई प्रयास किए गए।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि सितम्बर 2013 तक ₹ 1.90 करोड़ की वसूली कर ली गई है और खण्डों द्वारा शेष धनराशि की शीघ्र वसूली/उगाही हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि चूंकि वसूली जिला प्राधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा, प्रबंधन इस विषय को राज्य सरकार के पास शीघ्र वसूली हेतु ले जाएगा।

(व) कम्पनी के कार्यालय आदेश (दिसम्बर 2003) के अनुसार बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के मामले में उनके निर्धारित प्रभार पर 20 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2012-13 के दौरान 1,645 बिना मीटर वाले प्राइवेट ट्यूबवेल उपभोक्ता³⁷, जिनका संयोजन भार 8,898 किलोवाट था, पर 20 प्रतिशत की दर से ₹ 0.70 करोड़ विद्युत शुल्क नहीं लगाया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 के अनुसार प्राइवेट ट्यूबवेल उपभोक्ताओं पर विद्युत शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त कार्यालय आदेश में दिए गए निर्देशों का वर्ष 2012-13 में पालन नहीं किया गया, जबकि पिछले वर्षों (2008-09 से 2011-12) में विद्युत शुल्क लगाया गया।

(श) कोटद्वार खण्ड में नौ बड़े और भारी/एच टी औद्योगिक उपभोक्ताओं के विरुद्ध न्यूनतम उपभोग गारंटी (एम सी जी), स्वतन्त्र फीडर अधिभार, पर्वतीय विकास झूट (एच डी आर) पर विलम्बित भुगतान अधिभार (एल पी एस) तथा 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी दर-सूची में अन्तर से सम्बन्धित ₹ 41.91 करोड़ की विद्युत देय मार्च 2013 तक वसूली हेतु लंबित रहे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि वर्तमान में यह मामला प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी के पास है और उनके द्वारा निर्धारित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

3.2.9 यू ई आर सी के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) को प्रस्तुत करना

यू ई आर सी के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) पर यदि आपत्तियाँ हो, तो कम्पनी की दर-सूची संरचना में यू ई आर सी द्वारा संशोधन एवं अनुमोदन किया जाता है। कम्पनी को प्रत्येक वर्ष का ए आर आर संबंधित-वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 120 दिन पूर्व दायर करना होता है। यू ई आर सी जनता एवं अन्य हितधारक के सुझाव एवं आपत्तियों पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को उन संशोधनों/शर्तों के साथ स्वीकार करती है। कम्पनी पाँच वर्षों में से एक³⁸ वर्ष में नियत तिथि को ए आर आर प्रस्तुत करने में असफल रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा 2008-09 का ए आर आर दायर करने में असफल रहने पर आयोग द्वारा स्वयं ही दर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। अतएव, वर्ष 2008-09 के लिए कम्पनी बड़ी हुई दर-सूची का लाभ लेने से वंचित रह गई। लेखा परीक्षा द्वारा दर आदेशों की जाँच में पाया गया कि यू ई आर सी ने 2008-09 से 2012-13 तक विभिन्न खर्चों की राशि को स्वीकृत नहीं किया जैसा कि तालिका 3.2.7 में वर्णन किया गया है:

³⁷ गढ़वाल मण्डल 1,473 उपभोक्ता संबद्ध भार 8,031 किलोवाट सहित और कुमाऊँ मण्डल 172 उपभोक्ता संबद्ध भार 867 किलो वाट सहित।

³⁸ 2009-10 के दौरान।

तालिका - 3.2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	अस्वीकृत व्यय
1.	ह्रास	145.22
2.	ऊर्जा खरीद	1,958.31
3.	कार्यशील पूँजी पर ब्याज	70.27
4.	ब्याज प्रभार	32.75
5.	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान	969.28
6.	ओ एण्ड एम	128.63
	कुल	3,304.46

कम्पनी द्वारा उचित औचित्य न दिये जाने के कारण यू ई आर सी ने उपरोक्त खर्चों को अनुमति नहीं दी। कम्पनी यू ई आर सी के समक्ष अंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए अनंतिम ड्र-अप एवं वर्ष 2012-13 के लिए अनंतिम ड्र-अप दिसम्बर 2013 तक दायर करने का विचार कर रही है।

3.2.10 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसका आशय संचालन दक्षता, समय से वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव एवं अद्यतन तथा प्रभावी नियमों तथा विधियों के अनुपालन में उचित विश्वास दिलाना है। एक सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण तंत्र गलतियों तथा अनियमितताओं के खतरे को कम करता है। मजबूत प्रबंधन सूचना तंत्र (एम आई एस) भी कम्पनी की गतिविधियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने की एक महत्वपूर्ण साधन है जो उच्च प्रबंधन को कम्पनी के कार्यचालन के विषय पर अद्यतन रखते हैं। यह सुधार के क्षेत्र को चिन्हित करने में भी मददगार है। ऐसे विशाल संगठन को अपना संचालन मितव्ययी रूप से दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए एक दक्ष एवं प्रभावी एम आई एस होनी चाहिए। एम आई एस कमियों की पहचान करने एवं बचाव में भी उपयोगी है तथा कम्पनी के भीतर सुगम संवाद को सुनिश्चित करती है।

3.2.10.1 अनुपयुक्त नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:-

- कम्पनी के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे वह अपने बकाया देय राशि का आयुवार विश्लेषण कर सके। परिणामस्वरूप, यह अपने बकायों की समय पर वसूली हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाई।
- कम्पनी निर्धारित समय में स्टॉप बिलिंग/अस्थाई विच्छेदन को अंतिम विच्छेदन में नहीं बदल सकी।
- निगरानी संबंधी कोई प्रणाली न बनाए जाने के कारण एवं सभी उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत मीटरिंग और अतिरिक्त/प्रारम्भिक जमा प्रतिभूति की वसूली करने में असमर्थता के कारण कम्पनी लाइन लॉस को रोकने में असफल रही।
- वर्ष 1987 से मार्च 2013 तक राजस्व संग्रहण से संबंधित ₹ 393.63 करोड़ के 482 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। संगठित रूप से मामलों को आगे बढ़ाने एवं अनुसरण करने के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली के स्थान पर संबंधित खण्डों के प्रमुखों द्वारा बिना किसी मार्गदर्शन के उनके खुद के पहल पर आगे बढ़ाया गया।

प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी एक ऐसी प्रणाली को तैयार करने के लिए प्रयासरत है जो कि बकाया राशि की अवधि, स्टॉप बिलिंग मामले तथा अस्थाई विच्छेदन मामलों की पहचान कर सके जिससे की काल्पनिक बकायों राशि को निकाला जा सके। यह भी कहा गया कि सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए दिसम्बर 2013 की समय सीमा निर्धारित की गई है। आगे यह भी कहा गया

कि आर-ए पी डी आर सी योजना के क्रियान्वयन के पश्चात लाईन लॉस इत्यादि में सुधार होगा। यह कहा गया कि कम्पनी विभिन्न न्यायालयों में ₹ 393.63 करोड़ के लंबित मामलों के अनुकरण के लिए एक वरिष्ठ कानून अधिकारी को नियुक्त करने की योजना बना रही है।

v. यू ई आर सी के आदेश (जुलाई 2004) के अनुसार कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने की, ऊर्जा की मीटरिंग एवं रिडींग सुविधा प्रदान करनी होती है। आयोग ने कम्पनी को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं के परिसर से सुविधाजनक दूरी पर संग्रहण केन्द्र का होना सुनिश्चित करे और उन्हे शहरी क्षेत्र में नवम्बर 2004 तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में दिसम्बर 2004 तक चेक द्वारा बिजली का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करे। कम्पनी के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि आयोग के आदेश के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए दिसम्बर 2004 में आयोग का एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया (सितम्बर 2005) कि कम्पनी बिलिंग, संग्रहण और दूसरी सुविधाओं के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। आयोग ने कम्पनी पर आदेशों का पालन न करने के लिए ₹ 1.00 लाख का समेकित दण्ड लगाया तथा सितम्बर 2005 से प्रतिदिन ₹ 2,500 का आवर्ती दण्ड भी लगाया जिस पर कम्पनी द्वारा मार्च 2011 तक ₹ 0.52 करोड़ राशि का भुगतान किया गया जबकि मार्च 2013 तक ₹ 0.70 करोड़ का भुगतान देय था।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए ऑन लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और दण्ड को माफ करने हेतु आयोग (यू ई आर सी) से अनुरोध कर रही है। तथापि, तथ्य यह है कि यू ई आर सी द्वारा अभी तक दण्ड को माफ नहीं किया गया है।

vi. विद्युत देयों के बड़े बकायों के केन्द्रीय अनुश्रवण के अभाव में तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण मैसर्स आई डी पी एल³⁹ के विरुद्ध विद्युत देय बकाया मई 1990 से अक्टूबर 2012 के दौरान ₹ 250.28 करोड़ हो गया था। कम्पनी ने बकाया देय राशि को वसूल करने हेतु (फरवरी 2013) बी आई एफ आर⁴⁰, नई दिल्ली से सम्पर्क किया लेकिन बकाया देय-लम्बित हैं (अक्टूबर 2013)। प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि आई डी पी एल से बकाया राशि ₹ 250.28 करोड़ की वसूली के मामले के अनुशीलन हेतु एक समर्पित दल को लगाया जाएगा।

3.2.10.2 निष्प्रभावी सतर्कता व्यवस्था

चोरी/ऊर्जा की हानि के मामलों को कम करने हेतु, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, उपभोक्ता के परिसर में निरीक्षण और उपकरणों के परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और विद्युत अधिनियम (संशोधित), 2007 के अनुसार, ऊर्जा की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। कम्पनी के पास विद्युत के दुरुपयोग/चोरी का पता लगाने और रोकने के लिए अलग सतर्कता खण्ड है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी द्वारा निरीक्षण और उपकरणों के परीक्षण हेतु किसी भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया था। चयनित की गई 12 इकाईयों में से 8⁴¹ में चोरी से संबंधित मामलों के ऑफ़कों का रख-रखाव नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार⁴² खण्डों द्वारा ऑफ़कों का रख-रखाव सुव्यवस्थित

³⁹ इण्डियन इग्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश।

⁴⁰ बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्सट्रक्शन।

⁴¹ देहरादून (उत्तर); देहरादून (मध्य); ऋषिकेश; श्रीनगर; कोटद्वार; हल्द्वानी (ग्रामीण); हल्द्वानी (नगरीय); और हरिद्वार (नगरीय)।

⁴² रुद्रपुर; काशीपुर; देहरादून (दक्षिण) और हरिद्वार (ग्रामीण)।

तरीके से नहीं किया गया था और 2009-11 की अवधि तक के निरीक्षण और मूल्यांकन का विवरण लेखापरीक्षा को विश्लेषण करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। 2011-13 की अवधि के दौरान कम्पनी के चार खण्डों द्वारा चोरी के मामलों का विश्लेषण और मूल्यांकन तालिका 3.2.8 में विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका - 3.2.8

चोरी के मामले व मूल्यांकन का विवरण

(₹ लाख में)

खण्ड का नाम	जाँच वर्ष	कुल उपभोक्ताओं की संख्या	जाँचों की संख्या	पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से की गई चोरी	यू यू ई ⁴³ /शण्ट डिटेक्टड	प्राथमिकी दर्ज की गई	आकलित धनराशि	वसूल की गई राशि	शेष
वि वि ख, रुद्रपुर	2011-12	77,353	उपलब्ध नहीं	135	58	77	उपलब्ध नहीं	174.22	38.36	135.86
वि वि ख, काशीपुर	2011-12 और 2012-13	62,588	उपलब्ध नहीं	370	306	64	306	320.47	169.60	150.87
वि वि ख, (दक्षिण), देहरादून	2012-13	64,598	463	222	222	उपलब्ध नहीं	140	135.63	108.65	26.98
वि वि ख, (ग्रामीण), हरिद्वार	2011-12 और 2012-13	49,966	1,076	1,076	561	515	561	284.75	144.26	140.49
कुल	-	2,54,505	1,539	1,803	1,147	656	1,007	915.07	460.87	454.20

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

जाँच की गई (दक्षिण देहरादून और ग्रामीण हरिद्वार) कुल संख्या कुल उपभोक्ताओं की संख्याओं के एक प्रतिशत से भी कम था। यह देखा गया कि हरिद्वार ग्रामीण खण्ड द्वारा की गई निर्धारित जाँच के दौरान चोरी के मामले 100 प्रतिशत पाए गए थे। कुल पकड़े गए 1,803 यू यू ई/शण्ट और प्रत्यक्ष चोरी के मामलों⁴⁴ में से केवल 1,007 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और ₹ 915.07 लाख के आकलित धनराशि के विरुद्ध मात्र ₹ 460.87 लाख ही कम्पनी द्वारा दोषी उपभोक्ताओं से वसूल (अगस्त 2013) किए गए थे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि श्रमशक्ति की कमी के कारण खण्डों द्वारा की गई जाँच पर्याप्त नहीं थी तथा कम्पनी चोरी प्रभावित क्षेत्रों की पहचान का प्रयास कर रही है तथा आर ए पी डी आर पी कार्यक्रम के अंतर्गत ए बी सी⁴⁵ विद्युत चालक लगाए जाएंगे तथा क्षेत्र की बेहतर जाँच के लिए दोहरी मीटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। दोषी उपभोक्ताओं से कम वसूली होने के सन्दर्भ में यह कहा गया कि संबंधित उपभोक्ताओं के न्यायालय में अपील करने के कारण वसूली लम्बित रही।

निष्कर्ष

कम्पनी की जमा हुए हानि वर्ष-प्रति वर्ष बढ़ती रही। बिलिंग और संग्रह की प्रक्रियाएं अप्रभावी थीं क्योंकि कम्पनी ऊर्जा की लागत तक लाईन हानियों को कम करके वसूल नहीं कर सकी थी जो कि चोरी, बिना मीटर के आपूर्ति, मीटरों की सत्यता न सुनिश्चित किया जाना और चोरी प्रकरण क्षेत्रों की पहचान न किया जाना था। कम्पनी सरकारी उपभोक्ताओं से प्रारंभिक प्रतिभूति को वसूल नहीं कर सकी थी। यू ई आर सी ने कम्पनी द्वारा उचित औचित्य न दे पाने के कारण व्यय की विभिन्न राशियों को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने वर्तमान एवं पुराने बकाया राजस्व की वसूली हेतु लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण कम हुआ। कम्पनी दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध समय पर एवं उचित कार्यवाही नहीं कर सकी

⁴³ अनआथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।

⁴⁴ प्रत्यक्ष रूप से की गई चोरी -1,147 एवं यू यू ई/विजली की अनाधिकृत उपभोग शण्ट डिटेक्टड मामले-656 ।

⁴⁵ एरियल बन्च कन्डक्टर।

जिसके कारण बकायों में वृद्धि हुई। कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही और कम्पनी कुल आपूर्ति की गई ऊर्जा की बिलिंग करने में असफल रही।

अनुशंसाएं

कम्पनी विचार कर सकती है कि:

- दुर्विनियोजन से बचने के लिए बैंक समाधान विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करना;
- राजस्व हानि से बचने हेतु सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग, नियमित अन्तराल पर मीटर की शुद्धता की जाँच और समय से दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना;
- एच टी लाइन के कवरेज को बढ़ाकर डिस्ट्रीब्युसन नेटवर्क के एच टी/एल टी अनुपात में सुधार करना;
- वास्तविक पुराने बकाया देयों का स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने एवं उसकी वसूली हेतु तुरन्त उपयुक्त कदम उठाये जाने के लिए अवधिवार पुराने बकाया देयों की पहचान करना;
- वसूल की गई धनराशि में से चालू वर्ष और पुरानी बकाया देयों को अलग करना सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली की स्थापना करना;
- अनियमितताओं/त्रुटियों के जोखिम को कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सुदृढकरण; एवं
- बिजली की चोरी से बचने हेतु चोरी आशंकित वाले क्षेत्रों में एरियल बन्च केबल लगाना।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2013 में सरकार को भेजे गए। जवाब प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम

3.3 कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन

निगम राज्य के कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसकी सुविधाओं को उपयोग करने वाले पर्यटकों का प्रतिशत (5.29 प्रतिशत) नगण्य था। निगम के पास प्राचार के लिए कोई रणनीति नहीं थी। अपर्याप्त योजनाओं के कारण ही ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 2.12 करोड़ के व्यय से 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के) का निर्माण कराया जिसमें से ₹ 0.97 करोड़ से निर्मित 9 प सू के बेकार अवस्था में थे। इसके अलावा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के बिना ₹ 1.42 करोड़ की लागत से निर्मित एक पर्यटक विश्राम गृह बेकार अवस्था में था।

3.3.1 प्रस्तावना

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (निगम) को कुमाँऊ क्षेत्र के सभी छः जिलों⁴⁶ में पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित (अगस्त 1976) किया गया था। निगम की पर्यटन संबंधी गतिविधियों को विस्तृत रूप से दो श्रेणियों, प्रोत्साहन (प्रोमोशनल) गतिविधियों और ढांचागत गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। निगम, 47 पर्यटक

⁴⁶ नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर तथा चम्पावत।

विश्राम गृह (प वि गृ) और कैन्टीन, जिनमें से पाँच⁴⁷ अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं, 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के), जिला नैनीताल के पदमपुरी और आदि कैलाश में पर्यटन गाँवों के विकास, टनकपुर (जिला चम्पावत) में पर्यटन उन्मुख हस्तकला उद्योग एवं दीनापानी (जिला अल्मोड़ा) में शिल्प केन्द्र के विकास, संवर्धन, विपणन और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह साहसिक पर्यटन संबंधी गतिविधियों जैसे जल क्रीडाओं, शीतकालीन खेलों, पैराग्लाइडिंग आदि एवं स्थानीय और पर्यटकों के प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान निगम द्वारा कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढाँचा और अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान और संचालित की गई थी, के आकलन के लिए लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई थी। अप्रैल 2013 से जून 2013 के मध्य लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा में जिला नैनीताल में स्थित प्रधान कार्यालय के साथ-साथ 47 प वि गृ में से 13 प वि गृ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी, जिनका चयन प्रतिस्थापना नमूना तकनीकी के साथ सरल यादृच्छिकता के आधार पर किया गया था।

3.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2.1 पर्यटक विश्राम गृह (प वि गृ) में न्यून अधिभोग

निगम ने कुमाँऊ क्षेत्र में 47 प वि गृ संचालित किए तथा उनको लाभ प्रदता, स्थिति और अधिभोग के आधार पर तीन श्रेणियों 'अ', 'ब' और 'स' में विभक्त किया गया है। वर्ष 2008-12 की अवधि के दौरान कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 14.52 लाख से बढ़कर 19.11 लाख (31.61 प्रतिशत) हो गई। तथापि, निगम पर्यटकों के बढ़े हुए अन्तर्वाह से लाभ नहीं उठा सका। वर्षवार विवरण तालिका 3.3.1 में दिया गया है:

तालिका- 3.3.1
बढ़ी हुई पर्यटक अन्तर्वाह का विवरण

(पर्यटकों की संख्या लाख में)

कैलेंडर वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012
कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन	14.52	16.77	17.45	17.76	19.11
प वि गृ का अंश	1.10	1.13	1.11	1.08	1.01 ⁴⁸
निगम का अंश (प्रतिशत में)	7.58	6.74	6.36	6.08	5.29

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान कुमाँऊ क्षेत्र में 85.61 लाख अन्तर्वाह पर्यटकों की संख्या के विरुद्ध प वि गृ में 5.43 लाख (6.34 प्रतिशत) पर्यटक ही आए। श्रेणी 'अ' के प वि गृ की कुल औसत अधिभोग 30.30 से 37.88 प्रतिशत, श्रेणी 'ब' के प वि गृ की 25.78 से 31.84 प्रतिशत तथा श्रेणी 'स' के प वि गृ की 17.56 से 20.81 प्रतिशत के मध्य थी। न्यून अधिभोग के कारण निम्न थे:

- दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, जैसे कार पार्किंग, पहुँच मार्ग आदि का अभाव;
- ऐसी सुविधाओं का अभाव जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करती जैसे बिजली की निरन्तर आपूर्ति के लिए जनरेटर, स्वास्थ्य क्लब, इन्टरनेट, इन्डोर खेल आदि;
- कक्षाओं का दयनीय रखरखाव सहित सेवाओं की गुणवत्ता में कमी (जैसे सीवेज समस्या, समुचित सफाई की कमी आदि); और

⁴⁷ कोसी, कालाढ़ंगी, मनीला, मोनाल और पूर्णागिरी।

⁴⁸ अक्टूबर 2012 तक।

- प्रचार के अप्रचलित तरीके (रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड जैसे स्थानों पर साइन बोर्डों का न होना), विज्ञापनों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित न करवाना।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2013)।

3.3.2.2 पर्यटक विश्राम गृहों (प वि गृ) की कार्य प्रणाली

निगम द्वारा सभी प वि गृ को उनकी लाभ प्रदता, स्थिति और अधिभोग के आधार पर तीन श्रेणियों (अ, ब और स) में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान प वि गृ के निष्पादन का श्रेणीबद्ध विश्लेषण तालिका 3.3.2 में दिया गया है।

तालिका - 3.3.2

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	प वि गृ की श्रेणी		
		अ	ब	स
1.	प वि गृ की संख्या ⁴⁹	8	13	21
2.	वास्तविक टर्नओवर	22.75	16.93	6.38
3.	अन्य आय	0.97	0.38	0.36
4.	कुल व्यय	14.85	14.54	9.18
5.	स्थापना व्यय	7.76	8.17	5.83
6.	परिचालन बिक्री स्थापना व्यय को छोड़कर (2+3-5)	15.96	9.13	0.92
7.	लाभ/(-) हानि (2+3-4)	8.87	2.77	(-) 2.44
8.	टर्नओवर पर स्थापना व्यय का प्रतिशतता	34.11	48.27	91.28

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान श्रेणी 'स' के प वि गृ ने कुल ₹ 2.44 करोड़ की हानि उठाई। 'अ', 'ब' और 'स' श्रेणी के प वि गृ की परिचालन बिक्री स्थापना व्यय को छोड़कर क्रमशः ₹ 1,596.91 लाख, ₹ 913.91 लाख और ₹ 91.69 लाख थी। 'ब' एवं 'स' दोनों श्रेणी के प वि गृ में स्थापना व्यय उच्च थे जो टर्नओवर का क्रमशः 48.27 तथा 91.28 प्रतिशत थे। आगे, यह पाया गया कि निगम ने हानि उठाने वाले प वि गृ के कायाकल्प हेतु कोई रणनीति नहीं बनाई और इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। 'स' श्रेणी के प वि गृ में लाभ अर्जित करने के लिए, बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं और प्रचार में सुधार करके स्तर को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह इंगित करने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2013) कि प वि गृ की बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.3.2.3 पर्यटक विश्राम गृहों (प वि गृ) के संचालन में परिहार्य नुकसान

निगम मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रदर्शित है कि 'स' श्रेणी के छः प वि गृ⁵⁰ में अन्तिम पांच वर्षों, अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि के लाभ-हानि में निरन्तर हानि थी जिसे तालिका 3.3.3 में दिखाया गया है।

⁴⁹ 5 प वि गृ को छोड़कर, जो किराये पर थी।

⁵⁰ चयनित प वि गृ के अलावा।

तालिका - 3.3.3

(₹ लाख में)

प वि गृ के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अल्मोड़ा	- 4.59	- 4.30	- 12.76	- 21.97	- 9.35	- 52.97
बागेश्वर	- 1.39	- 4.31	- 5.28	- 10.52	- 6.41	- 27.91
चम्पावत	- 3.38	- 6.87	- 9.75	- 7.61	- 9.02	- 36.63
दीनापानी	- 0.69	- 0.41	- 3.59	- 4.31	- 6.23	- 15.23
खैरना	- 5.57	- 2.01	- 2.02	- 5.70	- 4.12	- 19.42
लोहाघाट	- 5.03	- 1.14	- 4.67	- 5.60	- 6.13	- 22.57
योग	- 20.65	- 19.04	- 38.07	- 55.71	- 41.26	- 174.73

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि निगम को उपर्युक्त उल्लेखित प वि गृ के संचालन में ₹ 1.75 करोड़ की हानि हुई। यह भी देखा गया कि निगम ने आगे की हानियों से बचने के लिए पाँच⁵¹ अन्य हानि उठानेवाली प वि गृ को अनुबंध के आधार पर दे दिया था। अनुबंध के अनुसार, प वि गृ के संचालन व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किये जाने हैं और निगम को एक निश्चित धनराशि देनी है। यह विकल्प इन छः प वि गृ के ₹ 1.75 करोड़ की हानि को बचाने के लिए भी लागू किया जा सकता था।

यह इंगित करने पर, निगम ने बताया (जून 2013) कि इन प वि गृ को लाभ पर संचालित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और यदि वे लाभ अर्जित करने में विफल रहते हैं, तब वे भी अनुबंध के आधार पर संचालित की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केवल प वि गृ की अधिभोगिता में वृद्धि के साथ ही हानि को कम किया जा सकता था।

3.3.2.4 प्रचार और पर्यटन विपणन

पर्यटन व्यवसाय किफायती और आरामदायक सुविधाएं/सेवाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त पूर्णतः प्रचार पर भी निर्भर करता है। प वि गृ में पर्यटकों के अन्तर्वाह में वृद्धि हेतु प्रचार के लिए एक प्रोत्साहन नीति तैयार करने की आवश्यकता थी। इसमें, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और राज्य के अन्य प्रवेश बिन्दुओं पर साइन बोर्ड, महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापक प्रचार शामिल किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निगम द्वारा अपनी प वि गृ के प्रचार के लिए कोई रणनीति नहीं सुनिश्चित की गयी थी। यह आरक्षण केन्द्रों और प वि गृ पर पर्चों के वितरण तक ही सीमित रही। वर्ष 2008-13 के दौरान सिर्फ स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन पर ₹ 51.78 लाख का व्यय किया गया। आगे, अभिलेखों के विश्लेषण में यह पाया गया कि कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों के कुल अन्तर्वाह के सम्बन्ध में प वि गृ में की प्रतिशतता और संख्या दोनों ही मामलों में 2008-09 में 7.58 प्रतिशत (1.10 लाख पर्यटक) से वर्ष 2012-13 में 5.29 प्रतिशत (1.01 लाख पर्यटक) तक घट गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उपरोक्त वर्णित गतिविधियों को शुरू करने के लिए निगम द्वारा योजनात्मक रणनीति के साथ सरकार से कभी भी सम्पर्क नहीं किया गया। इस प्रकार, निगम अपर्याप्त प्रचार के कारण कुमाँऊ क्षेत्र की पूर्ण पर्यटन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका था।

इंगित किए जाने पर, निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2013) और कहा कि मौजूदा प्रचार और विपणन पर्याप्त नहीं थे।

⁵¹ कोसी, कालाढूंगी, मनीला, मोनाल और पूर्णागिरी।

3.3.2.5 साहसिक पर्यटन

कुमाँऊ क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए निगम विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आयोजन करता है जैसे राफ्टिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो स्केटिंग इत्यादि और पर्यटकों एवं स्थानीय गावों के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण भी देता है जैसा तालिका 3.3.4 में दिखाया गया है:

तालिका - 3.3.4

(₹ लाख में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम व्यवसाय (साहसिक पर्यटन)	5.32	5.65	7.13	6.86	6.70
निगम का लाभ	2.64	1.26	2.09	1.02	1.43
प्रशिक्षित की गई प्रतिभागी (संख्या में)	408	242	755	504	225

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम ने वर्ष 2008-13 के दौरान ₹ 23.22 लाख व्यय के सापेक्ष ₹ 8.44 लाख का लाभ अर्जित किया। निगम ने कुल 2,134 प्रतिभागियों⁵² के सापेक्ष 1,622 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया। हालांकि अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिवर राफ्टिंग के अतिरिक्त निगम पैराग्लाइडिंग और स्नो स्केटिंग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित नहीं कर सका था तथा निगम द्वारा वर्ष 2011-12 से रॉक क्लाइम्बिंग नहीं कराई गई। रिवर राफ्टिंग में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को छोड़कर, अन्य गतिविधियों में उच्च जोखिम तत्व के शामिल होने के उपरान्त भी प्रतिभागियों का बीमा नहीं कराया गया था। आगे, निगम ने प्रबन्धक (साहसिक पर्यटन) को वर्ष 2012-13 में ₹ 7.22 लाख का अग्रिम रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि के संचालन हेतु दिया। यह अग्रिम पूर्व में उसी उद्देश्य के लिए वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान दिए गये अग्रिम⁵³ ₹ 19.99 लाख को समायोजित किए बिना दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक ₹ 27.21 लाख का समायोजन नहीं हुआ जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के विरुद्ध था।

निगम ने कहा (मई 2013) कि पैराग्लाइडिंग का आयोजन भूमि की अनुपलब्धता के कारण एक निजी संगठन (हिमालयन एडवेंचर) के साथ संयुक्त रूप से किया गया और स्नो स्केटिंग का प्रशिक्षण अपर्याप्त बर्फबारी और निगम में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण आयोजित नहीं किया जा सका। यह भी आश्वासन दिया गया था कि साहसिक गतिविधियों के सभी प्रतिभागियों का बीमा आगे से किया जाएगा। प्रबन्धन द्वारा (जून 2013) बताया गया कि ₹ 27.21 लाख के प्रमाणक प्राप्त हो चुके थे जो कि समायोजन प्रक्रिया में हैं।

3.3.2.6 ग्रामीण पर्यटन

जिला नैनीताल के पदमपुरी और आदि- कैलाश में पर्यटन गांवों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निगम को ₹ 100 लाख की स्वीकृति (दिसम्बर 2006) प्रदान की गई। स्वीकृति अनुसार, निगम द्वारा हार्डवेयर के कार्य जैसे लॉग हट्स, सामुदायिक भवन, शिल्प केन्द्र के निर्माण, गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) से लिखित वचनबद्धता प्राप्त करने के बाद शुरू होना था, जो कि गांवों (लॉग हट्स) का संचालन करेंगे राज्य सरकार आदेश (26 मार्च 2007)। आगे, लॉग हट्स संचालन हेतु अधिकृत एन जी ओ⁵⁴ को सौंपने थे जैसा कि सरकारी आदेश (24 अप्रैल 2009) में दिया गया था जिनके द्वारा ग्रामीणों को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और शिल्प कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करना था।

⁵² 512 पर्यटक + 1,622 स्थानीय बेरोजगार युवा।

⁵³ ₹ 4.35 लाख (2007-08), ₹ 1.43 लाख (2008-09), ₹ 6.33 लाख (2009-10), ₹ 2.74 लाख (2010-11) एवं ₹ 5.14 लाख (2011-12)।

⁵⁴ समर फाउंडेशन, नई दिल्ली।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने ₹ 100 लाख के व्यय से पदमपुरी और आदि कैलाश में हाईवेयर/लॉग हट्स का निर्माण (दिसम्बर 2008) एक गैर सरकारी संगठन से इन पर्यटन गांवों के संचालन के लिए अपेक्षित वचनबद्धता प्राप्त किए बिना ही कर दिया जो कि स्वीकृति आदेश के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, इन लॉग हट्स को दिसम्बर 2008 से पदमपुरी और आदि कैलाश के ग्रामीणों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन जी ओ को हस्तान्तरित नहीं किया जा सका था। ये लॉग हट्स बेकार अवस्था में थे और इनके मूल्य में भी ह्रास हो रहा था।

इंगित किए जाने पर, निगम ने बताया (जून 2013) कि इन हाईवेयर के संचालन और रखरखाव के लिए कोई भी दिशा निर्देश अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हाईवेयर का निर्माण, एन जी ओ से इसके संचालन के लिए लिखित वचनबद्धता लेने के पश्चात ही शुरू होना था, जिसको नजर अंदाज किया गया था। इस प्रकार अपर्याप्त नियोजन के कारण ही, ₹ 100 लाख व्यय के बाद भी ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

3.3.2.7 पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग का प्रोत्साहन

पर्यटन नीति के अनुसार, पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग प्रोत्साहन के लिए क्षेत्र की पारम्परिक हस्तकलाओं और शिल्प पर आधारित पर्यटन चिह्न का विस्तृत पैमाने पर उत्पादन प्रोत्साहन और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। निगम ने प वि गृ टनकपुर में एक शिल्प केन्द्र के विकास के लिए दस दुकानों के निर्माण (जुलाई 2006) और प वि गृ के उन्नयन का प्रस्ताव दिया। भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए ₹ 84.17 लाख की राशि स्वीकृत (फरवरी 2007) की गई।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दुकानों का निर्माण कार्य सितम्बर 2008 में ₹ 60.92 लाख की लागत से पूरा किया गया था। तथापि, आवंटि द्वारा इन दुकानों को शिल्प केन्द्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। दस दुकानों में से, पाँच दुकानें जीवन बीमा निगम को 9 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी और शेष अन्य को आवंटित थी जो परिसर से कोई भी शिल्प सम्बन्धी गतिविधि का संचालन नहीं कर रही थी, जैसा कि स्वीकृति में प्रारम्भ में परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार, पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग प्रोत्साहन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। यह इंगित किए जाने पर, निगम ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (जून 2013) कि शिल्प केन्द्र के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी लेकिन प्रतिउत्तर में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई।

आगे, कुमाऊँनी शिल्प एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने निगम को प वि गृ, दीनापानी (अल्मोड़ा) में शिल्प केन्द्र के विकास के लिए 15 दुकानें, बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं, बुकिंग काउन्टर और कार पार्किंग के निर्माण के लिए ₹ 35.44 लाख की राशि स्वीकृत किए (दिसम्बर 2006), जिसमें केवल 5 दुकानों का निर्माण अप्रैल 2008 में किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान ये शिल्प केन्द्र और संबद्ध सुविधाएं (मई 2013 तक) बेकार अवस्था में थीं और निगम द्वारा इन परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

यह इंगित किए जाने पर, निगम ने बताया कि शिल्प केन्द्रों को स्थानीय लोगों में आवंटित करने के प्रयास किए गए थे लेकिन कोई भी व्यक्ति वर्णित उद्देश्यों के लिए इन दुकानों को किराए पर लेने के लिए इच्छुक नहीं था।

3.3.3 ढांचागत गतिविधियाँ

3.3.3.1 असंचालित पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के)


कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए, पर्यटकों के गंतव्य स्थानों के मार्ग पर बुनियादी सुविधाएं जैसे: विश्राम गृह, मनोरंजन, शौचालय, स्नान और पी सी ओ प्रदान करने के लिए प सू के का निर्माण किया जाना था। अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड के कुमाँऊ क्षेत्र में 21 प सू के के निर्माण के लिए ₹ 215.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति (10 फरवरी 2004) प्रदान की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 212.49 लाख के व्यय से 20 प सू के का निर्माण कराया। तथापि, 20 प सू के में से केवल 11 किराए पर दी गई थी और ₹ 96.64 लाख से बने 9 प सू के⁵⁵ बेकार अवस्था में थे। परिणामस्वरूप, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं/सूचनाएं प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर, निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2013)।

3.3.3.2 पर्यटक विश्राम गृह (प वि गृ) में निष्प्रयोज्य निवेश

राज्य सरकार द्वारा ₹ 82.35 लाख की लागत से काकड़ीघाट, अल्मोड़ा प वि गृ के निर्माण की स्वीकृति (मार्च 2006) प्रदान की गई जिसे निगम द्वारा अक्टूबर 2008 में स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया। हालांकि प वि गृ तक पहुँच मार्ग नहीं था, जो अभी तक (मई 2013) संचालन में नहीं थी। यद्यपि प वि गृ पूर्ण होने की तिथि से चार से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आगे, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ₹ 59.77 लाख की लागत से कटारमल, अल्मोड़ा प वि गृ के निर्माण की स्वीकृति (सितम्बर 2005) प्रदान की गई, जिसे निगम द्वारा मार्च 2008 में स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प वि गृ पीने का पानी, बिजली, फर्नीचर और पहुँच मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ही असंचालित (मई 2013) थी।

निगम ने कहा (जून 2013) कि प वि गृ निर्माण के लिए स्थल चयन के समय वहाँ पर कोई पहुँच मार्ग नहीं था, इस प्रकार यह संज्ञान लिया गया था कि पर्यटक नदी पार करके प वि गृ तक जायेंगे। कटारमल, अल्मोड़ा के सम्बन्ध में निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2013) कि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर था। इस प्रकार, प वि गृ त्रुटिपूर्ण नियोजन के परिणामस्वरूप धन अवरुद्ध हुआ जो कि अन्यत्र उपयोग किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2013 में शासन को सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।



प वि गृ काकड़ीघाट, अल्मोड़ा

⁵⁵ 1. विजयपुर 2. फटगली 3. गिंगरटोला 4. आमपड़ाव 5. काकड़ीघाट 6. चौखुटिया 7. द्वारहाट 8. मूलीगांव 9. घुनाघाट।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.4 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

यू पी सी एल ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2793.45 एम यू अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। अल्पकालीन ऊर्जा क्रय वर्ष 2009-10 में 138.92 एम यू से आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1696.08 एम यू हो गयी। यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक ओवरड्रॉल करता रहा जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड असंतुलित हुआ।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) उत्तराखण्ड राज्य में एक मात्र विद्युत वितरण कम्पनी है। यू पी सी एल उपभोक्ता माँग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों⁵⁶ से विद्युत प्राप्त करती है जहाँ से राज्य को विद्युत का आवंटन किया जाता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (के सा के उ) में उपलब्ध केन्द्रीय गैर-आवंटित कोटे⁵⁷ तथा अन्य बाह्य स्रोतों⁵⁸ से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किये जाते हैं। लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए आरम्भ की गयी कि क्या विद्युत वितरण कम्पनी ऊर्जा आपूर्ति की विद्यमानता एवं उपभोक्ता हितों के मध्य संतुलन प्राप्त करने हेतु अपने ऊर्जा क्रय अनुबंधों (उ क्र अ) के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्षम थी। लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2013 के मध्य शुरू की गयी। इसके अन्तर्गत यू पी सी एल द्वारा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (स्व ऊ उ) के साथ यू पी सी एल मुख्यालय पर हुए उ क्र अ एवं नौ वितरण खण्ड जो उनसे सीधे तौर पर यू पी सी एल की तरफ से विद्युत क्रय कर रहे थे, में से पाँच वितरण खण्डों⁵⁹ की विस्तृत जाँच शामिल थी। उ क्र अ पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी प्रस्तारों में दिये गये हैं।

3.4.1 ऊर्जा क्रय प्रबन्धन

बेहतर ऊर्जा क्रय प्रबन्धन हेतु, कम्पनी को ऊर्जा मितव्ययी रूप से क्रय करनी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी सर्वकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि ऊर्जा की मांग एवं क्रय के मध्य अंतर वर्ष 2008-09 में 78.38 एम यू से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 629.89 एम यू हो गया जैसा कि *परिशिष्ट 3.8* में वर्णित है। पुनश्च, यू पी सी एल चार प्राथमिक स्रोतों⁶⁰ से ऊर्जा क्रय करता है। यू पी सी एल ने दूसरे राज्यों की कम्पनियों के साथ 'बैंकिंग व्यवस्था'⁶¹ की है तथा यह अल्प-कालीन आधार पर ट्रेडिंग अनुज्ञापी/ऊर्जा बाजार आदि के द्वारा भी ऊर्जा क्रय करता है। यू पी सी एल ने मार्च 2013 तक 89 दीर्घ अवधि के उ क्र अ किये। इन वर्षों के दौरान, यू पी सी एल द्वारा विभिन्न स्रोतों से क्रय की गई ऊर्जा को नीचे तालिका 3.4.1 में दर्शाया गया है।

⁵⁶ केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन ऐसी कम्पनियों के उत्पादन स्टेशन हैं जिनका स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार करती है।

⁵⁷ ऊर्जा आवंटन राज्यों और संघ शासित प्रदेश को दो हिस्सों में आवंटित की जाती है जैसे स्थाई आवंटन 85 प्रतिशत और गैर-आवंटित ऊर्जा 15 प्रतिशत जो कि सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण/पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होता है।

⁵⁸ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन टी पी सी) नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (एन एच पी सी) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन (एन पी सी) इत्यादि।

⁵⁹ विद्युत वितरण खण्डों - बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूड़की (ग्रामीण), नई टिहरी और उत्तरकाशी।

⁶⁰ सी पी एस यू, यू जे वी एन एल और मुफ्त ऊर्जा, यू आई ओवरड्रॉल/अंडर ड्रॉल/अल्पकालिक अनुबंध/बैंकिंग और आई पी पी।

⁶¹ बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत ऊर्जा का समतुल्य विनिमय यूटिलिटी के बीच होता है। यह व्यवस्था ऊर्जा विनिमय के रूप में ही होती है तथा नकद लेन देन नहीं होता।

तालिका - 3.4.1

(एम यू में)

क्र.स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,715.12	2,970.93	3,488.52	3,400.13	2,966.00
2.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) व निःशुल्क ऊर्जा	4,850.61	4,372.47	5,145.18	5,666.31	5,401.82
3.	यू आई ओवरड्रॉल/अण्डर ड्रॉल/अल्पकालीन अनुबंध/बैंकिंग	199.90	956.64	585.06	1,103.70	1,974.86
4.	स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक	88.59	151.83	231.47	298.77	505.52
योग		7,854.22	8,451.87	9,450.23	10,468.91	10,848.20

स्रोत:उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

पुनश्च, यू पी सी एल किसी भी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज⁶² (यू आई) भी कर सकता है। तथापि, यह ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए एक नियमित साधन नहीं है तथा अन्तिम उपाय का साधन मात्र ही होना चाहिए। निरन्तर यू आई ओवरड्रॉल अतिव्ययी होने के अतिरिक्त ग्रिड के असंतुलन को भी बढ़ाता है। ऊर्जा की कमी को यू आई ओवरड्रॉल, अल्पकालीन ऊर्जा क्रय तथा विद्युत कटौती के द्वारा पूरा करने में यू पी सी एल की स्थिति *परिशिष्ट- 3.8* में दी गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू पी सी एल ने पिछले पांच वर्षों में ग्रिड से ऊर्जा के ओवरड्रॉल को बढ़ाकर ऊर्जा की कमी को पूरा किया। कम्पनी ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2,793.45 एम यूज अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा लेकर ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। साथ ही, अल्पकालीन ऊर्जा क्रय 2009-10 में 138.92 एम यू से आश्चर्यजनक रूप से 2012-13 में 1,696.08 एम यू हो गयी। विद्युत कटौती 2008-09 में 78.38 एम यू से बढ़कर 2012-13 में 629.89 एम यू हो गई जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को अवरूद्ध करती है। समग्र रूप से, यू पी सी एल को पिछले पांच वर्षों के दौरान, अपनी ऊर्जा मांगों का 15 प्रतिशत से अधिक अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज, अल्पकालीन ऊर्जा एवं ऊर्जा कटौती के माध्यम से प्रति इकाई औसत लागत से उच्च लागत पर पूरा करना पड़ा जो वर्ष 2012-13 में चिन्ताजनक रूप से बढ़कर 26.53 प्रतिशत हो गया जिससे बचा जा सकता था यदि दीर्घ अवधि ऊर्जा क्रय प्रबन्ध किये गये होते।

इसे प्रकाश में लाने पर प्रबन्धन ने कहा (जून 2013) कि यू जे वी एन एल की जल विद्युत उत्पादन की उपलब्धता, जो कि जल एवं वर्षा के अनिश्चित निकास पर ही निर्भर है, की अनिश्चितता के कारण ऊर्जा की प्रतिदिन की सटीक मांग का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। यह भी कहा कि दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय हेतु निविदाएँ सितम्बर वर्ष 2009 में अगले 25 वर्षों हेतु आमन्त्रित की गयी थीं, जो 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी होना था। निविदा का सबसे न्यूनतम मूल्य ₹ 4.68 प्रति के डब्ल्यू एच था जो कि अमितव्ययी था। प्रबन्धन का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि यू आई ओवरड्रॉल निरन्तर रूप से वर्ष 2008-09 में 392.67 एम यू से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 552.21 एम यू हो गया। इसके अतिरिक्त, अल्पकालीन अनुबंधों द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा की प्रति इकाई औसत लागत न केवल यू पी सी एल द्वारा वास्तविक ऊर्जा क्रय की प्रति इकाई लागत से अधिक थी बल्कि सी ई आर सी की, भारत के अल्पकालीन ऊर्जा बाजार, वर्ष 2012-13 पर प्रतिवेदन में दिये गये प्रति इकाई दर से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में, यू पी सी एल ने दीर्घकालीन अवधि के ऊर्जा क्रय अनुबंध हेतु मात्र एक बार सितम्बर वर्ष 2009 में ही निविदाएँ आमन्त्रित की। इस प्रकार निगम ने ऊर्जा क्रय के लिए अधिक मितव्ययी दरों को प्राप्त करने हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किए। यू पी सी एल की अल्पकालीन अनुबंधों पर निर्भरता पिछले पांच वर्षों में बढ़ी जिसकी औसत लागत प्रति इकाई⁶³ की सीमा प्रति इकाई ₹ 4.02 से से ₹ 7.72 के मध्य रही।

⁶² एक समय सीमा के अन्दर, उत्पादन स्टेशनों या विक्रेता के लिये, यू आई का तात्पर्य है कुल वास्तविक उत्पादन में से कुल निर्धारित उत्पादन को घटाना एवं विक्रेता या लाभार्थी के लिये कुल वास्तविक आहरण में से कुल निर्धारित आहरण को घटाना।

⁶³ ₹ 4.02 से ₹ 7.72 प्रति इकाई की सीमा की गणना प्रतिवर्ष औसत लागत पर की गई है। हालांकि, वास्तविक समय क्रय में लागत की सीमा ₹ 3.68 प्रति इकाई से ₹ 11.98 प्रति इकाई वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक रही है।

3.4.2 निर्धारित सीमा से अधिक ऊर्जा का ओवरड्रॉल

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) ने अनशैडयूल्ड इन्टरचेन्ज प्रभार एवं सम्बन्धित प्रकरण विनियम, 2009 का नियमन किया जो 1 अप्रैल 2009 को प्रभावी हुआ था, जिसमें कहा गया कि सी ई आर सी के यू आई विनियमों के अन्तर्गत 1 अगस्त 2009 से उस अवधि के दौरान जब ग्रिड आवृत्ति 49.2 हर्ट्ज से नीचे हो, कम्पनियों पर लगाए गए यू आई प्रभार, वितरण कम्पनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) में मान्य नहीं होंगे। इसके अनुसार यू ई आर सी प्रति वर्ष आवृत्ति तय करता है जैसा कि तालिका 3.4.2 में दिया है जो यू पी सी एल को निर्धारित सीमा से बाहर ऊर्जा ओवरड्रॉल करने से रोकता है।

तालिका -3.4.2

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
यू ई आर सी द्वारा यू आई ओवरड्रॉल हेतु तय की गयी आवृत्ति जिससे बाहर होने पर यू आई अधिभार यू पी सी एल द्वारा वहन किए जाएंगे।	49.5 हर्ट्ज	49.2 हर्ट्ज	49.2 हर्ट्ज	49.7 हर्ट्ज	49.8 हर्ट्ज

स्रोत: उताखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

राज्य भार निस्तारण केन्द्र (एस एल डी सी) पर रखी जाने वाली दैनिक लॉग बुक⁶⁴ की जाँच के दौरान, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित आवृत्ति की 49.8 हर्ट्ज से अधिक कम आवृत्ति पर ऊर्जा का ओवरड्रॉल की घटनाएं दर्ज की गईं जो दर्शाती हैं कि यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ओवरड्रॉल कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड का असंतुलन हुआ। आगे यह भी देखा गया कि यू ई आर सी ने यू पी सी एल से ओवरड्रॉल की गयी ऊर्जा की विवरण तथा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु क्रमशः 49.2 हर्ट्ज तथा 49.7 हर्ट्ज से नीचे की प्रणाली आवृत्ति पर यू पी सी एल पर भारित किये गये यू आई अधिभार की सूचना मांगी थी। यही सूचना, लेखापरीक्षा में भी पिछले पाँच वर्षों में मांगी गयी थी किन्तु निर्धारित आवृत्ति से नीचे के ओवरड्रॉल का वितरण अभी तक, न तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया और न ही यू ई आर सी को।

यह तथ्य प्रकाश में लाने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2013) कि कुल यू आई अधिभार, ए आर आर में सम्मिलित किए जा रहे हैं तथा अभी तक, यू ई आर सी द्वारा कोई भी यू आई अधिभार अमान्य नहीं किया गया है। उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यू पी सी एल ने निर्धारित आवृत्ति से बाहर भुगतान किए गए यू आई अधिभार का कोई भी विवरण यू ई आर सी को उपलब्ध नहीं कराया है। सिवाय इसके कि नियमित रूप से सीमा से अधिक ओवरड्रॉल किया जिससे ग्रिड असंतुलन हुआ।

3.4.3 ऊर्जा संचालन प्रबन्धन

ऊर्जा के संचालन प्रबन्धन में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

3.4.3.1 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (स्व ऊ उ) द्वारा आयात की गयी ऊर्जा का बिलिंग न करना

स्व ऊ उ को अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या शुरुआत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि यू पी सी एल से क्रय की जाती है (ऊर्जा का आगम)। स्व ऊ उ के साथ किये गये अनुबंधों के अनुसार, यू पी सी एल, स्व ऊ उ द्वारा खरीदी गई ऊर्जा के लिए मासिक बिलों की, अपने सामान्य बिलिंग चक्र के द्वारा ऐसे तरीके से जैसा कि आयोग ने अपने नियमों में बताया है के अनुसार मांग करेगा। पुनश्च, यू ई आर सी अपने नियमों (जुलाई 2010) में कहता है कि उत्पादन केन्द्र द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा, आयोग द्वारा अस्थायी आपूर्ति के लिए निर्धारित दरों के अनुसार प्रभारित की जाएगी। विद्युत वितरण खण्ड (ई डी डी) बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के अन्तर्गत आई पी पी के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि:

- ई डी डी बागेश्वर अपने मासिक ऊर्जा खाते में, स्व ऊ उ (पर्वतीय पावर लिमिटेड) द्वारा फरवरी 2008, इसके ऊर्जाकरण की तिथि से जुलाई 2012 तक किये गये ऊर्जा के आयात को ऊर्जा के निर्यात (यू पी सी एल द्वारा क्रय की गई ऊर्जा) से समायोजित कर रही थी। यद्यपि, उत्पादन के विद्युतिकरण की तिथि के सम्बन्ध में सीलिंग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनश्च, ऊर्जा को समायोजित

⁶⁴ दिनांक 27.02.2012 से 29.07.2012।

करने के स्थान पर, यू ई आर सी निर्देशों के अनुपालन में ऊर्जा के आगम के लिए पृथक मासिक बिलों को निर्गत किया जाना चाहिए था। स्व ऊ उ को एक उद्योग समझा जाना चाहिए था तथा मासिक स्थायी प्रभार भी लगाये जाने चाहिए थे। ऐसा करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 5.39 लाख की हानि हुई;

- ई डी डी पिथौरागढ़ की स्थिति में, स्वा ऊ उ के विद्युतिकरण (मई 2011) से मई 2013 तक मात्र एक बिल (फरवरी 2012 तक) दिया गया; और
- ई डी डी, उत्तकाशी की स्थिति में, स्व ऊ उ⁶⁵ (हनुमान गंगा हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट) के ऊर्जाकरण अर्थात् अप्रैल 2004 (अभिलेख मांगे गये किन्तु अभी भी प्रतीक्षित) से न तो कोई बिल दिया गया और न ही ऊर्जा के आयात का ऊर्जा के निर्यात से कोई समायोजन किया गया।

3.4.3.2 क्षमता, परिशुद्धता व ऊर्जा मीटरिंग की माप

स्व ऊ उ के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार, यू पी सी एल, उत्पादक कम्पनी के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि उत्पादन कम्पनी ऐसा चुनती है तो, सभी मीटरिंग उपकरणों की परिशुद्धता की जाँच, अनुबंध के चालू रहने के दौरान, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार करेगी।

वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि पाँच स्व ऊ उ में से, दो स्व ऊ उ⁶⁶ में मीटर जाँच नियमित रूप से नहीं हुई थी जबकि तीन स्व ऊ उ⁶⁷ की स्थिति में उनके विद्युतिकरण से मार्च 2013 तक कोई भी मीटर जाँच नहीं हुई जो कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। उचित व नियमित मीटर चैकिंग व जाँच के अभाव में, आई पी पी द्वारा निर्गत ऊर्जा की बिलिंग की परिशुद्धता संदेहजनक है। परिणामस्वरूप, ऊर्जा निगम के सम्बन्ध में भुगतान की गई राशि की प्रमाणिकता के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2013 में सरकार को भेज दिया गया। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

देहरादून

दिनांक 25 अप्रैल 2014

(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 30 अप्रैल 2014


(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

65 प्राकृतिक आपदा (3 अगस्त 2012) में आई पी पी ध्वस्त हो जाने की सूचना दी गई।

66 स्वास्ति पॉवर लिमिटेड और गुनसोला हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली।

67 हिम हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, मोतीगढ़, पिथौरागढ़, उत्तम शुगर मिल, जे एस टेक्नोलोजीज और मेट्रो फ्रोजन, रुड़की।




परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 7)

रा ग्रा स्वा मि का संगठनात्मक ढाँचा



परिशिष्ट-1.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.8.2 (ii); पृष्ठ 13)

संस्थागत प्रसव

वर्ष	जनपद	कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	प्रसवों की संख्या		
			संस्थागत प्रसव	घरेलू प्रसव	कुल प्रसव
2008-09	पौड़ी	16580	6138 (37%)	466(3%)	6604(40%)
	चमोली	8982	2325(26%)	00(0%)	2325(26%)
	अल्मोड़ा	12447	5183(42%)	7402(59%)	12585(101%)
	हरिद्वार	51489	7044(14%)	18456(36%)	25500(50%)
	ऊधम सिंह नगर	42975	12495(29%)	18420(42%)	30915(72%)
2009-10	पौड़ी	13279	6990 (53%)	344(3%)	7334(55%)
	चमोली	8091	2458(30%)	00(0%)	2458(30%)
	अल्मोड़ा	11725	6005(51%)	5557(47%)	11562(99%)
	हरिद्वार	37460	8166(22%)	12848(34%)	21014(56%)
	ऊधम सिंह नगर	39981	16889(42%)	13658(34%)	30547(76%)
2010-11	पौड़ी	13859	6999 (51%)	283(2%)	7282(53%)
	चमोली	7732	2937(38%)	156(2%)	3093(40%)
	अल्मोड़ा	10944	5832(53%)	4531(41%)	10363(95%)
	हरिद्वार	33017	7475(23%)	13737(42%)	21212(64%)
	ऊधम सिंह नगर	37904	19759(52%)	9731(26%)	29490(78%)
2011-12	पौड़ी	7766	7399 (95%)	211(3%)	7610(98%)
	चमोली	7940	3565(45%)	110(1%)	3675(46%)
	अल्मोड़ा	10298	6573(64%)	4115(40%)	10688(104%)
	हरिद्वार	32799	10029(31%)	11744(36%)	21773(66%)
	ऊधम सिंह नगर	40458	19951(49%)	8862(22%)	28813(71%)
2012-13	पौड़ी	9096	7666 (84%)	00(0%)	7666(84%)
	चमोली	7144	3570(50 %)	67(1%)	3637(51%)
	अल्मोड़ा	9757	5986(61%)	3392(35%)	9378(96%)
	हरिद्वार	32694	7947(24%)	9990(31%)	17937(55%)
	ऊधम सिंह नगर	37646	22420(60%)	8871(24%)	31291(83%)
कुल योग		542063	211801	152951	364752

परिशिष्ट-1.2.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.11.1; पृष्ठ 20)

जनपद स्तर पर पदों की स्थिति

जनपद का नाम	पद	वर्ग I	वर्ग II	संविदा चिकित्सा अधिकारी	तकनीशियनएल/ एच वीफार्मासिस्ट/	संविदा स्टॉफ नर्सए/ एन एम
पौड़ी	स्वीकृत	13	196	36	505	33
	कार्यरत	05	45	36	261	16
	रिक्तियों	08	151	शून्य	244	17
	रिक्तियों (% में)	62	77	00	48	52
चमोली	स्वीकृत	22	140	लागू नहीं	383	लागू नहीं
	कार्यरत	07	31	19	291	32
	रिक्तियों	15	109	लागू नहीं	92	लागू नहीं
	रिक्तियों (% में)	68	78	लागू नहीं	24	लागू नहीं
अल्मोड़ा	स्वीकृत	42	251	लागू नहीं	543	97
	कार्यरत	32	127	17	412	57
	रिक्तियों	10	124	लागू नहीं	131	40
	रिक्तियों (% में)	24	49	लागू नहीं	24	41
कुल (पर्वतीय जनपद)	स्वीकृत	77	587	लागू नहीं	1431	130
	कार्यरत	44	203	72	964	73
	रिक्तियों	33	384	लागू नहीं	467	57
	रिक्तियों (% में)	43	65		33	44
हरिद्वार	स्वीकृत	34	142	लागू नहीं	394	70
	कार्यरत	19	63	24	350	52
	रिक्तियों	15	79	लागू नहीं	44	18
	रिक्तियों (% में)	44	54	लागू नहीं	11	26
ऊधम सिंह नगर	स्वीकृत	15	156	लागू नहीं	399	53
	कार्यरत	15	105	36	380	31
	रिक्तियों	00	51	लागू नहीं	19	22
	रिक्तियों (% में)	00	33	लागू नहीं	05	42
कुल (मैदानी जनपद)	स्वीकृत	49	298	लागू नहीं	793	123
	कार्यरत	34	168	60	730	83
	रिक्तियों	15	130	लागू नहीं	63	40
	रिक्तियों (% में)	31	44		08	33
कुल योग (पर्वतीय + मैदानी)	स्वीकृत	126	885	लागू नहीं	2224	253
	कार्यरत	78	371	132	1694	156
	रिक्तियों	48	514	लागू नहीं	530	97
	रिक्तियों (% में)	38	58		24	38

परिशिष्ट-1.2.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.12.1; पृष्ठ 21)

स्वा प्र सू प्र (टीकाकरण)

विषयवस्तु	वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
डी पी टी	मा प्र प्र	206869	207249	202702	203223	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	190376	201066	182047	185064	160767
	अन्तर	16493	6183	20655	18159	
पोलियो	मा प्र प्र	205434	204620	202034	202221	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	192661	194584	176023	182580	160434
	अन्तर	12773	10036	26011	19641	
मीजल्स	मा प्र प्र	200311	200545	198841	197263	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	171828	181577	172996	174859	172645
	अन्तर	28483	18968	25845	22404	
टी टी	मा प्र प्र	220149	211156	204309	214084	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	209578	194789	179278	189984	158528
	अन्तर	10571	16367	25031	24100	
बी सी जी	मा प्र प्र	211703	207356	204250	207696	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	201903	198703	187416	192886	176723
	अन्तर	9800	8653	16834	14810	

स्वा प्र सू प्र (परिवार नियोजन)

विषयवस्तु	वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पुरुष नसबन्दी	मा प्र प्र	2985	2752	2625	2474	1356
	स्वा प्र सू प्र	3763	2912	3742	1923	1632
	अन्तर	778	160	1117	551	276
महिला नसबन्दी	मा प्र प्र	33861	31370	30951	29778	25200
	स्वा प्र सू प्र	24802	18885	26543	17610	19333
	अन्तर	9059	12485	4408	12168	5867
एम टी पी (चिकित्सा गर्भ का समापन)	मा प्र प्र	9062	8320	6888	8061	मा प्र प्र तैयार नहीं
	स्वा प्र सू प्र	10892	8540	8300	6857	6456
	अन्तर	1830	220	1412	1204	

परिशिष्ट-1.2.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.12.2; पृष्ठ 21)

ए एन सी में असमानता

जनपद का नाम	उप केन्द्र का नाम	वर्ष 2012-13	
		ए एन सी पंजिका के अनुसार ए एन सी	स्वा प्र सू प्र में दिखाई गई ए एन सी
ऊधम सिंह नगर	केशोवाला	210	238
	बरहैनी	120	238
	महेशपुरा	283	291
	राम नगर	173	163
	सूर्या नगर	52	58
	गोकुल नगर	139	111
	जाफरपुर	214	241
	मोहनपुर	377	412
हरिद्वार	बेलडा	137	215
	खन्जरपुर	79	66
	मुण्डलाना	83	261
	मण्डावली	रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गए	74
	खुब्बनपुर	रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गए	182
	रुहालकी	129	104
	भेदकी	रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गए	87
	दिल्ली माजरा	रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गए	79
पौड़ी	पोखरी	17	19
	धारखोला	07	12
	भैन्ती	15	16
	कलजीखाल	08	14
	फरसारी	32	34
	भगवती तलिया	40	49
	लक्ष्मण झूला	15	48
	धारीखाल	0	17
चमोली	पगना	0	25
	कण्डई	12	24
	तलवाडी	19	49
	विजयपुर	0	51
	बछुवाबान	101	104
	आदि बट्टी	52	54
	चोरडा	18	133
	सैन्जी	79	72
अल्मोड़ा	सुनोली	40	42
	बसोली	27	31
	सनडा	32	35
	भतरौजखान	100	55
	बिन्ता	195	76
	कामा	46	56
	मासी	48	69
	धनाड	27	29

परिशिष्ट- 1.3.1

(सन्दर्भ प्रस्तर 1.3.7.1; पृष्ठ 29)

राज्य सरकार द्वारा अपने अंश का विलम्ब से जारी किया जाना

जिले का नाम	वर्ष	प्रथम किश्त					द्वितीय किश्त					विलम्ब की अवधि (दिन में)
		केन्द्रांश		राज्यांश		विलम्ब (दिन में)	केन्द्रांश		राज्यांश		विलम्ब (दिन में)	
		अभ्युक्ति की तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	अभ्युक्ति की तिथि	धनराशि (₹ लाख में)		अभ्युक्ति की तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	अभ्युक्ति की तिथि	धनराशि (₹ लाख में)		
टिहरी	2008-09	04.04.08	24.08	27.05.08	8.03	22	20.01.09	72.24	28.01.09	24.08	-	03 से 228 दिन
		22.05.08	48.16	06.06.08	16.05	-						
	2009-10	02.04.09	86.986	04.09.09	28.99	125	09.12.09	108.71	20.02.10	36.24	42	
		10.08.09	21.742	01.12.09	7.25	82						
	2010-11	12.04.11	62.14	29.06.10	17.56	47	03.02.11	124.28	29.03.11	41.43	24	
		25.05.10	62.14	27.12.10	20.71	185						
	2011-12	15.04.11	121.40	29.07.11	40.47	74	04.11.11	105.35	15.02.12	35.12	69	
							23.11.11	16.05	13.03.12	5.35	80	
	2012-13	10.05.12	134.51	06.11.12	44.84	149	27.02.13	134.51	30.03.13	44.84	03	
	ऊधमसिंह नगर	2008-09	04.04.08	199.77	27.05.08	66.59	22	28.01.09	599.32	28.01.09	143.59	
26.05.08			399.55	06.06.08	36.38	-	-	-	30.03.09	56.18	31	
				02.12.08	96.80	159						
2009-10		02.04.09	721.54	04.09.09	240.51	124	-	-	-	-	-	
		10.08.09	180.39	01.12.09	60.13	112	-	-	-	-	-	
2010-11		24.06.10	1003.53	27.12.10	334.50	152	25.02.11	669.71	29.03.11	373.33	02	
2011-12		15.04.11	1007.24	29.07.11	335.74	74	13.12.11	1007.24	13.03.12	335.74	60	
2012-13	10.05.12	1116.01	06.11.12	372.00	179	-	-	-	-	-		
नैनीताल	2008-09	04.04.08	67.12	22.05.08	22.37	18	-	-	-	-	-	02 से 258 दिन
		22.05.08	134.23	25.10.08	44.75	125	-	-	-	-	-	
	2009-10	31.08.09	303.02	01.12.09	52.25	91	09.12.09	303.02	20.02.10	101.01	42	
		-	-	20.02.10	48.76	172	-	-	-	-	-	
	2010-11	12.04.10	173.21	29.06.10	44.64	77	25.02.11	207.85	29.03.11	69.29	02	
		-	-	27.12.10	13.09	258	-	-	-	-	-	
	21.05.11	173.21	27.12.11	57.73	219	-	-	-	-	-		
2011-12	15.04.11	338.40	29.07.11	112.80	74	13.12.11	312.20	13.03.12	104.07	60		
2012-13	10.05.12	374.94	06.11.12	124.98	149	-	-	-	-	-		
हरिद्वार	2008-09	04.04.08	86.762	27.05.08	28.92	22	27.01.09	260.285	28.01.09	86.76	-	06 से 228 दिन
		22.05.08	173.523	06.06.08	57.84	-	-	-	-	-	-	
	2009-10	02.04.09	313.368	04.09.09	104.46	125	03.02.10	379.726	11.03.10	126.58	06	
		10.08.09	78.342	01.12.09	26.11	82	-	-	-	-	-	
	2010-11	12.04.10	223.91	29.06.10	57.7	47	18.02.11	342.233	29.03.11	114.08	07	
		-	-	27.12.10	16.94	228	-	-	-	-	-	
	21.05.10	223.91	27.12.10	74.64	181	-	-	-	-	-		
2011-12	15.04.11	437.44	29.07.11	145.81	74	28.12.11	437.44	13.03.12	145.81	45		
2012-13	10.05.12	484.69	06.11.12	161.562	149	13.03.13	154.22	19.06.13	51.41	67		
देहरादून	2008-09	04.04.08	42.747	27.05.08	14.25	22	05.03.09	22.217	28.03.09	30.72	-	22 से 266 दिन
		22.05.08	85.493	25.10.08	28.50	-	19.03.09	106.023	24.03.09	13.39	-	
	2009-10	02.04.09	154.39	04.09.09	51.46	125	05.03.10	192.99	29.06.10	22.47	85	
		10.08.09	38.598	01.12.09	12.86	82			27.12.10	3.19	266	
	2010-11	12.04.10	110.318	29.06.10	32.72	47	18.03.11	176.51	29.07.11	58.84	102	
		-	-	27.12.10	4.05	228	-	-	-	-	-	
	21.05.10	110.317	27.12.10	36.77	181	-	-	-	-	-		
	2011-12	15.04.11	215.53	29.07.11	71.84	74	27.02.12	215.53	06.09.12	71.84	161	
2012-13	06.06.12	238.80	06.11.12	79.60	122	-	-	-	-	-		

स्रोत: भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश।

परिशिष्ट-1.3.2

(सन्दर्भ प्रस्तर 1.3.8.1; पृष्ठ 31)

राज्य में इं आ यो आवासों की भौतिक स्थिति

वर्ष	लक्ष्य	लाभार्थियों की संख्या जिनको आवास स्वीकृत किये गये	पूर्ण किए जाने वाले आवासों की संख्या (पिछले वर्ष के अपूर्ण आवासों सहित)	पूर्ण आवास (पिछले वर्ष के अपूर्ण आवासों सहित)	अपूर्ण आवास
1 अप्रैल 2008 को अपूर्ण आवास					1353
2008-09	11610	11067	12420	10941	1479
2009-10	22476	22326	23805	20373	3432
2010-11	15856	16827	20259	15924	4335
2011-12	15488	16048	20383	15508	4875
2012-13	17785	13887	18762	13802	4960
	83215	80155 (96)		76548 (95)	

स्रोत: आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ें
(नोट: कोष्ठक में दिखाये गये संख्या प्रतिशत दर्शाते हैं)

परिशिष्ट-1.3.3

(सन्दर्भ प्रस्तर 1.3.8.5; पृष्ठ 33)

इं आ यो लाभार्थियों का विवरण जो राज्य आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित थे

जिले का नाम	क्र.सं.	इं आ यो के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि (₹ में)	ब्लॉक	गा पं	बी पी एल आई डी	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	इं आ यो आवंटन का वर्ष	दीन दयाल आवंटन का वर्ष	अटल आवास आवंटन का वर्ष
नैनीताल	1	38500	कोटाबाग	जलना	8574	आशादेवी	खीम सिंह	सामान्य	2009-10	2008-09	
	2	38500	कोटाबाग	बाघनी	8789	आनन्दी देवी	मोहनचन्द्र	सामान्य	2009-10	2008-09	
	3	38500	कोटाबाग	जलना	8590	खष्टी देवी	पानसिंह	सामान्य	2009-10	2009-10	
	4	38500	बैतालघाट	जिनौली	3758	पूरन सिंह	दीवानसिंह	सामान्य	2009-10	2009-10	
	5	44000	ओखलखण्डा	डालकन्या	1278	चन्द्रबल्लभ	गणेश दत्त	सामान्य	2010-11	2008-09	
	6	44000	ओखलखण्डा	डालकन्या	1178	गंगादत्त	टीका राम	सामान्य	2011-12	2008-09	
	7	44000	रामनगर	मोगलार भगुवाबाँगर	11799	शोभादेवी	जीवननाथ	पिछड़ी जाति	2012-13	2010-11	
	8	48500	रामनगर	चन्द्र नगर	11097	कमलेश	फूल सिंह	अनु.जाति	2010-11		2010-11
हरिद्वार	9	45000	बहादुराबाद	इब्राहिमपुर	49887	मोमिना	महमूदहान	अल्पसंख्यक	2010-11	2007-08	
	10	30000	बहादुराबाद	डालवालकला	27636	संगीता	देशराज	अनु.जाति	2009-10	2007-08	
	11	35000	रूडकी	भरापुर	7329	रिहाना	नवाब	सामान्य	2008-09	2007-08	
	12	41000	भगवानपुर	सिकरौड़ा	21086	सुशील सैनी	नकली	सामान्य	2012-13	2007-08	
	13	30000	भगवानपुर	सिकरौड़ा	22179	रुकसाना	रेशमा	सामान्य	2009-10	2007-08	
	14	40000	भगवानपुर	हसनावाला	8337	हसीबा	अब्दुल सलमान	सामान्य	2011-12	2007-08	
	15	40000	भगवानपुर	लामग्रान्ट	27517	गफूरी	रफीक	सामान्य	2011-12	2007-08	
देहरादून	16	41000	भगवानपुर	लालवाला खालसा	26999	चाँदबीबी	आफताब	सामान्य	2012-13	2007-08	
	17	40000	भगवानपुर	कुंजाबहादुरपुर	26959	सुलोचना	सुरेन्द्र	अनु.जाति	2012-13	2007-08	
	18	35000	भगवानपुर	धीरमाजरा	14014	फुतलू	नन्दू	सामान्य	2009-10	2009-10	
	19	40000	नारसन	गदरजूडा	14172	शिया	नरेश	अनु.जाति	2012-13	2007-08	
	20	41000	खानपुर	प्रहलादपुर	7080	पूनम	बाली	अनु.जाति	2012-13	2007-08	
	21	41000	लक्सर	अकौड़ा खुर्द	183	मीनू	राजू	अनु.जाति	2012-13	2010-11	
देहरादून	22	35000	चकराता	सैज	2176	श्रीमती देवेन्द्र	श्री जोगनन राणा	अनु.जनजाति	2009-10	2009-10	
	23	32000	सहसपुर	कण्डोली	6380	श्रीमती सुनीता	सोनु	अनु.जाति	2009-10	2007-08	
	24	35000	सहसपुर	पौडवाला	8342	श्री सुन्दरलाल	स्व. हरिराम	अनु.जाति	2009-10	2007-08	
	25	32000	सहसपुर	पेलियो नत्थुवाला	7982	श्रीमती मुनेश	श्री विनोद कुमार	अनु.जाति	2009-10	2007-08	
	26	35000	विकासनगर	जीवनगढ़	7184	प्रेमी देवी	ब्रह्मदत्त	सामान्य	2009-10	2009-10	
	27	35000	विकासनगर	तिमलीमानसिंह	14071	श्रीमती सलमा	श्री दिलशाद	पिछड़ी जाति	2009-10	2009-10	
	28	35000	विकासनगर	फतेहपुर	4892	श्रीमती विमलादेवी	स्व. मदन सिंह	सामान्य	2009-10	2009-10	


	29	44000	चकराता	पुरटाड	2720	रक्षा देवी	गोविन्द राम	अनु.जाति/ अनु.जनजाति	2010-11	2009-10	
	30	32000	सहसपुर	पालियो नाथुवाला	7985	सविता	दिलीप कुमार	सामान्य	2010-11	2007-08	
	31	32000	सहसपुर	पालियो नाथुवाला	7981	सुशीला	संजय	सामान्य	2010-11	2007-08	
	32	41000	विकासनगर	जीवनगढ	7338	श्रीमती नूरजहाँ	श्री जरीफ/पीरबक्श	अल्पसंख्यक	2010-11	2009-10	
	33	32000	विकासनगर	लखनवाला	9619	उर्मिला	राधेश्याम	सामान्य	2010-11	2009-10	
	34	48500	रायपुर	तिमलीमानसिंह	2886	श्रीमती कमला देवी	श्री गोबर सिंह	सामान्य	2011-12	2010-11	
	35	41000	विकासनगर	बालुवाला	1800	श्रीमती सरोज	मूकेश	सामान्य	2011-12	2009-10	
	36	41000	विकासनगर	उदियाबाग	4638	श्रीमती रीता	श्री अजय	पिछड़ी जाति	2011-12	2009-10	
	37	41000	विकासनगर	ढकरानी	3399	श्रीमती कमलेश	सतपाल	पिछड़ी जाति	2011-12	2009-10	
	38	41000	विकासनगर	ढकरानी	3277	श्रीमती सुनीता	श्री सुरेश	सामान्य	2012-13	2009-10	
	39	35000	चकराता	जाडी	1129	सन्तो देवी	वीरू	अनु.जाति	2010-11		2010-11
	40	48500	चकराता	बुरास्वा	2480	रतनसिंह	जीतराम	अनु.जाति/ अनु.जनजाति	2010-11		2010-11
	41	42000	विकासनगर	लांघा	9816	श्रीमती गुल्लोदेवी	श्री भोपालसिंह	अनु.जाति/ अनु.जनजाति	2010-11		2009-10
	42	32000	सहसपुर	मिश्रसपट्टी	1963	महादेई	मगनसिंह	अनु.जाति	2010-11		2009-10
	43	45000	डोईवाला	रैनापुर	7245	सुशील कुमार	रोशनलाल	सामान्य	2011-12		2011-12
	44	45000	विकासनगर	लांघा	9780	सुमित्रा	बलराम	सामान्य	2011-12		2009-10
	45	44000	चकराता	दौधा	5944	श्रीमती सोसु देवी	श्री दसीया	अनु.जाति	2012-13		2010-11
	योग	1757500				योग			45	37	8

स्रोत: चयनित जिले और नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून के जिला विकास अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी से संग्रहित लाभार्थियों की सूची।

परिशिष्ट-1.4.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.2; पृष्ठ 40)

सिंचाई विभाग का संगठनात्मक ढांचा



परिशिष्ट-1.4.2 - (अ)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.7; पृष्ठ 44)

निधियों के स्रोत

(₹ करोड़ में)

बजट से प्राप्तियों के शीर्ष	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		योग		
	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	बजटीय आगणन	बजट आवंटन	
राज्य बजट													
अ. आयोजनेतर													
स्थापना	वेतन एवं मजदूरी	175.20	175.20	174.30	174.30	201.11	201.09	224.18	224.18	232.37	232.36	1007.16	1007.13
	अन्य	8.13	8.06	5.89	5.81	6.30	6.27	5.76	5.76	7.88	7.75	33.96	33.65
	वेतन एवं मजदूरी एवं अन्य का योग	183.33	183.26	180.19	180.11	207.41	207.36	229.94	229.94	240.25	240.11	1041.12	1040.78
कार्य	मरम्मत एवं अनुरक्षण	53.24	53.24	54.11	54.11	59.88	59.54	72.75	47.91	86.68	67.33	326.66	282.13
आयोजनेतर का योग		236.57	236.50	234.30	234.22	267.29	266.90	302.69	277.85	326.93	307.44	1367.78	1322.91
ब. आयोजनागत													
राज्य योजनाएं	नाबाई	76.32	76.32	75.99	69.05	76.50	76.47	86.52	86.52	139.15	139.15	454.48	447.51
	सामान्य	28.40	28.39	19.59	16.64	23.54	15.22	27.34	19.45	82.03	55.04	180.90	134.74
	अनुसूचित जाति उपयोजना	1.85	1.85	2.75	2.25	7.75	2.65	6.75	2.68	8.51	2.21	27.61	11.64
	ट्राइबल उपयोजना	0.00	0.00	1.75	1.32	0.25	0.25	2.15	0.00	2.87	0.00	7.02	1.57
राज्य योजनाओं का योग		106.57	106.56	100.08	89.26	108.04	94.59	122.76	108.65	232.56	196.40	670.01	595.46
जिला योजना	सामान्य	24.45	24.45	34.67	34.67	34.67	33.49	34.96	34.96	24.93	24.93	153.68	152.50
	अनुसूचित जाति उपयोजना	6.54	6.54	8.51	8.50	7.89	7.89	7.89	6.97	5.68	5.48	36.51	35.38
	ट्राइबल उपयोजना	3.52	3.52	2.91	2.91	3.84	3.84	3.91	2.70	2.43	2.08	16.61	15.05
जिला योजनाओं का योग		34.51	34.51	46.09	46.08	46.40	45.22	46.76	44.63	33.04	32.49	206.80	202.93
राज्य बजट का योग		377.65	377.57	380.47	369.56	421.73	406.71	472.21	431.13	592.53	536.33	2244.59	2121.30
(केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं)	सी.ए.ई.पी.	4.84	1.50	10.06	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	6.78
	ए.आई.बी.पी.	164.72	84.91	120.00	77.06	78.31	54.05	155.02	95.44	190.89	91.93	708.94	403.39
	एफ.सी.पी.	23.39	12.61	16.25	2.15	37.50	22.31	75.99	10.41	80.00	16.73	233.13	64.21
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का योग		192.95	99.02	146.31	84.49	115.81	76.36	231.01	105.85	270.89	108.66	956.97	474.38
महायोग		570.60	476.59	526.78	454.05	537.54	483.07	703.22	536.98	863.42	644.99	3201.56	2595.68

स्रोत :- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं।

नोट :- सी.ए.ई.पी.- कम्पाउंड एरिया एक्स्पेंस प्रोग्राम, ए.आई.बी.पी.- एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एफ.सी.पी. - फूड कंट्रोल प्रोग्राम

परिशिष्ट -1.4.2 (ब)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.7; पृष्ठ 44)

निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
राज्य बजट							
अ. आयोजनेतर							
स्थापना	वेतन एवं मजदूरी	138.77	167.28	197.16	212.81	215.49	931.51
	अन्य	6.62	5.44	5.89	5.48	7.06	30.49
कार्य	मरम्मत एवं अनुरक्षण	50.35	53.97	59.53	47.43	67.32	278.60
आयोजनेतर का योग		195.74	226.69	262.58	265.72	289.87	1240.60
ब. आयोजना गत							
राज्य योजनाएं	नाबाई	76.02	69.06	76.47	86.52	136.41	444.48
	सामान्य	27.60	16.32	15.19	18.50	46.35	123.96
	अनुसूचित जाति उपयोजना	1.85	0.77	2.65	2.50	1.37	9.14
	ट्राइबल उपयोजना	0.00	1.12	0.25	0.00	0.00	1.37
राज्य योजनाओं का योग		105.47	87.27	94.56	107.52	184.13	578.95
जिला योजना	सामान्य	24.42	29.78	31.13	34.62	22.14	142.09
	अनुसूचित जाति उपयोजना	6.53	7.20	7.18	6.97	4.69	32.57
	ट्राइबल उपयोजना	3.33	2.88	3.84	2.56	2.08	14.69
	जिला योजनाओं का योग	34.28	39.86	42.15	44.15	28.91	189.35
राज्य बजट का योग		335.49	353.82	399.29	417.39	502.91	2008.90
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	सी.ए.ई.पी.	1.50	4.19	0.00	0.00	0.00	5.69
	ए.आई.बी.पी.	84.23	74.12	53.14	93.90	65.11	370.50
	एफ.सी.पी.	10.45	2.15	16.41	11.03	15.52	55.56
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का योग		96.18	80.46	69.55	104.93	80.63	431.75
महायोग		431.67	434.28	468.84	522.32	583.54	2440.65

स्रोत :- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं।

नोट :- सी.ए.ई.पी.- कम्पाउंड एरिया एक्स्पेंस प्रोग्राम, ए.आई.बी.पी.- एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एफ.सी.पी. - फूड कन्ट्रोल प्रोग्राम

परिशिष्ट-1.5.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.5.3.1; पृष्ठ 53)

वाहनों का विवरण

जनपद	कुल पुलिस बल की संख्या		वाहन	आवश्यकता*	उपलब्धता	कमी /अधिकता	प्रतिशत में
	स्वीकृत	तैनात					
देहरादून	2918	2738	भारी वाहन	27	08	19	70
			मध्यम वाहन	27	15	12	44
			हल्के वाहन	137	77	60	44
			मोटर साईकिल	137	63	74	54
			उप-योग	328	163	165	50
पौड़ी	1181	1008	भारी वाहन	10	-	10	100
			मध्यम वाहन	10	06	04	40
			हल्के वाहन	50	25	25	50
			मोटर साईकिल	50	16	34	68
			उप-योग	120	47	73	61
टिहरी	959	850	भारी वाहन	08	-	08	100
			मध्यम वाहन	08	06	02	25
			हल्के वाहन	41	17	24	59
			मोटर साईकिल	41	10	31	76
			उप-योग	98	33	65	66
हरिद्वार	2714	2713	भारी वाहन	27	17	10	37
			मध्यम वाहन	27	11	16	59
			हल्के वाहन	135	50	85	63
			मोटर साईकिल	135	63	72	53
			उप-योग	324	141	183	56
नैनीताल	1605	1535	भारी वाहन	15	05	10	67
			मध्यम वाहन	15	08	07	47
			हल्के वाहन	77	43	34	44
			मोटर साईकिल	77	48	29	38
			उप-योग	184	104	80	43
अल्मोड़ा	809	795	भारी वाहन	08	01	07	88
			मध्यम वाहन	08	07	01	13
			हल्के वाहन	40	17	23	58
			मोटर साईकिल	40	23	17	43
			उप-योग	96	48	48	50
पिथौरागढ़	923	789	भारी वाहन	08	01	07	88
			मध्यम वाहन	08	10	(-)02	--
			हल्के वाहन	39	16	23	59
			मोटर साईकिल	39	37	02	05
			उप-योग	94	64	30	32

* बीपीआरएण्डडी मानकों के अनुसार 100 पुलिस कर्मियों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक भारी, एक मध्यम, पाँच हल्के वाहन एवं पाँच मोटरसाईकिलों की आवश्यकता निर्धारित की गयी थी।

परिशिष्ट- 1.5.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.5.3.5; पृष्ठ 55)

सीमावर्ती जिलो को छोड़कर अन्य जिलो को उपलब्ध कराये गये वाहन और उपकरण
(पिथौरागढ़, चम्पावत और उधमसिंह नगर)

क्रम सं	सीमावर्ती जिलो के लिए घटक/मद	मात्रा	व्यय	आवटन-जिले/इकाई	मात्रा	धनराशि ₹ में
वर्ष 2011-12 के लिए वाहन						
1.	मध्यम वाहन ऊधम सिंह नगर	3	2191425	आई आरबी-1 रामनगर	1	730475
				31 वाहिनी पी ए सी ऊधम सिंह नगर	1	730475
				46 वाहिनी पी ए सी ऊधम सिंह नगर	1	730475
2.	मध्यम वाहन चम्पावत	2	1462078	अल्मोडा	1	731039
3.	मध्यम वाहन पिथौरागढ़	3	2191425	चमोली	1	730475
वर्ष 2010-11 के लिए वाहन						
1.	मध्यम वाहन चम्पावत	3	1521465	पु अधी शिकायत प्रकोष्ठ	1	507155
				पु अधी मानवाधिकार	1	507155
				हरिद्वार	1	507155
2.	मध्यम वाहन ऊधम सिंह नगर	3	1521465	पौडी	1	507155
				नैनीताल	1	507155
				टिहरी	1	507155
3.	मध्यम वाहन पिथौरागढ़	3	1521465	देहरादून	1	507155
				गृहविभाग	1	507155
				पीटीसी नरेन्द्रनगर	1	507155
4.	मोटर साईकिल	15	683651	पुलिस मुख्यालय	2	91153
वर्ष -2009-10 के लिए वाहन						
1.	ट्रूप कैरियर	8	10242739	उत्तरकाशी	1	1280342
				चमोली	2	2560685
				टिहरी	2	2560685
				आई आरबी-1 रामनगर	1	1280342
				31वाहिनी पीएसी ऊधम सिंह नगर	1	1280342
				46वाहिनी पीएसी ऊधम सिंह नगर	1	1280342
वर्ष-2011-12 में बी डी एस के लिए सुरक्षा उपकरण						
1.	लेटरगार्ड	2	59994	हरिद्वार	1	29997
2.	आरएसपी टूल किट	1	199125	देहरादून	1	199125
3.	जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस वायरलेस संचार के लिए 80 किटसेल्फ सपोर्ट टावर	1	366000	पुलिस मुख्यालय देहरादून	1	366000
वर्ष-2010-11 में बी डी एस के लिए सुरक्षा उपकरण						
1.	टेलिस्कोपिक एक्सटेंशन मिरर	3	10125	नैनीताल	1	3375
				चमोली	1	3375
2.	रिमोट ऑपरेटर वायर कटर	2	85500	हरिद्वार	1	42750
3.	बम इनहिबिटर	6	1500000	नैनीताल	2	500000
				चमोली	2	500000

4.	सर्च मिरर	15	74250	नैनीताल	5	24750
				चमोली	5	24750
5.	प्रोडर	20	65250	नैनीताल	7	22838
				चमोली	6	19575
6.	डीप सर्च मेटलडिटेक्टर	3	384000	नैनीताल	1	128000
				चमोली	1	128000
7.	नान लीनियर जंक्शन डिटेक्टर	1	540000	देहरादून	1	540000
वर्ष-2009-10 में बीडीएस के लिए सुरक्षा उपकरण						
1.	बी पी हेल्मेट	15	81000	एटीएस हरिद्वार	15	81000
2.	रेडियो सेट	15	158985	रेडियो मुख्यालय देहरादून	15	158985
महायोग			24859942			21323745

परिशिष्ट-1.6.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.6.1; पृष्ठ 57)

लम्बित प्रमाण पत्रों के सत्यापन की वर्ष वार स्थिति

दस्तावेजों का विवरण	लेखापरीक्षा की तिथि की स्थिति										योग
	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज					हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज					
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
निवास प्रमाणपत्र	38	39	18	38	35	36	25	13	38	26	306
अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र	05	07	02	03	01	08	04	01	05	05	41
अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र	01	शून्य	01	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	03
पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र	05	09	03	06	08	09	05	02	09	05	61
योग	49	55	24	47	45	53	34	16	52	36	411

स्रोत: सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदत्त सूचना।

परिशिष्ट-1.7.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7; पृष्ठ 60)

भा चि प निरीक्षण के लिए नियुक्त किए गए संकाय सदस्यों का विवरण

भा चि प निरीक्षण का दिनांक	नियुक्त संकाय सदस्यों की संख्या	पद	वेतन भुगतान का विवरण (राशि ₹ में)			कुल व्यय
			दरप्रतिमाह/	तीन महीने का	कन्सल्टेन्सी फर्म को, यदि कोई हो	
16 एवं 17 मार्च 2010	06	प्रोफेसर	1,10,000	19,80,000	4,29,000	33,00,000
	03	एशोसिएट प्रोफेसर	99,000	8,91,000		
15, 16 मार्च एवं 23 मई 2011	02	प्रोफेसर	1,10,000	6,60,000	--	12,54,000
	02	एशोसिएट प्रोफेसर	99,000	5,94,000		
24 एवं 25 जनवरी 2012	02	प्रोफेसर	1,10,000	6,60,000	6,64,000	26,56,000
	02	एशोसिएट प्रोफेसर	99,000	5,94,000		
	03	सहायक प्रोफेसर	82,000	7,38,000		
22, 23 एवं 24 जनवरी 2013	05	प्रोफेसर	1,25,000	18,75,000	12,15,000	57,45,000 [#]
	04	एशोसिएट प्रोफेसर	1,15,000	13,80,000		
	05	सहायक प्रोफेसर	85,000	12,75,000		
कुल	34			1,06,47,000	23,08,000	1,29,55,000

₹ 57.45 लाख में से तीन संकाय सदस्यों का माह मार्च एवं अप्रैल 2013 का ₹ 4,88,065 का भुगतान सम्मोक्षा तिथि (मई 2013) तक लम्बित था।

परिशिष्ट- 3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.1 एवं 3.1.6; पृष्ठ 93 एवं 96)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे
(स्तम्भ 5 (अ) से (6) एवं (8) से (10) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल ³	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत
				व्याज व हस्त से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	हस्त	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													(5b-5d)	11/10
कृषि एवं समवर्गी														
1.	उत्तराखण्ड सीह एंव तरई डेवलपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12	4.28	1.08	0.70	2.50	105.76	गैर समीक्षा	4.08	8.43	50.50	3.58	7.09%
क्षेत्रवार योग				4.28	1.08	0.70	2.50	105.76		4.08	8.43	50.50	3.58	7.09%
वित्त														
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1993-94	2012-13	0.10	0.03	-	0.07	0.54	(-)0.39	0.50	(-) 0.63	1.09	0.10	9.17%
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	1986-87	2002-03	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	0.10	-	0.50	(-) 0.04	0.46	(-) 0.02	-
4.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2013-14	0.12	0.25	0.04	(-) 0.17	-	(-) 0.02	5.94	(-) 0.11	42.32	0.08	0.19%
क्षेत्रवार योग				0.20	0.28	0.04	(-) 0.12	0.64	(-)0.41	6.94	(-) 0.78	43.87	0.16	0.36%

¹ लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव शामिल है और लाभ में वृद्धि तथा हानि में कमी को (+) से तथा लाभ में कमी तथा हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।
² वित्तीय कम्पनियों/निगमों के प्रकरण में जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त निधि, बंधपत्र, जमा तथा उधारी (पुनः वित्त पोषक सम्मिलित) के अन्तिम तथा शुरुआती शेषों के औसत के रूप में की जाती है, को छोड़कर नियोजित पूँजी शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति सम्मिलित हैं) जमा कार्यरत पूँजी को दर्शाती हैं।
³ नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना लाभ-हानि खाते के आरोपित व्याज और लाभ को जोड़कर की गई है।

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत
				व्याज व हास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अवसंरचना														
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2010-11	2013-14	30.70	0.48	0.21	30.01	2.87	(-) 7.04	28.50	235.17	273.44	30.49	11.15%
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-) 0.11	-	0.04	(-) 0.15	6.74	गैर समीक्षा	4.00	(-) 4.17	1.83	(-) 0.15	-
क्षेत्रवार योग				30.59	0.48	0.25	29.86	9.61	(-) 7.04	32.50	231.00	275.27	30.34	11.02%
विनिर्माण														
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1999-2000	2002-03	(-) 0.84	-	-	(-) 0.84	2.80	-	1.63	(-) 5.80	2.90	(-) 0.84	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लि (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1996-97	1997-98	(-) 1.19	-	-	(-) 1.19	0.29	-	0.35	(-) 6.95	0.35	(-) 1.19	-
9.	उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लिमिटेड फॉर्मली नोस्टर्न इलेक्ट्रिकल इन्वियमेंट इन्डस्ट्री लि (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	2000-01	2008-09	0.01	-	-	0.01	0.05	0.72	3.25	(-) 0.14	8.25	0.01	0.12%
10.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि	1997-98	2011-12	(-) 0.29	-	0.02	(-) 0.31	1.61	(-) 4.42	8.95	(-) 1.17	4.99	(-) 0.31	-
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-) 14.60	10.29	0.28	(-) 25.17	69.97	गैर- समीक्षा	17.99	(-) 84.56	(-) 66.41	(-) 14.88	-
12.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-) 18.91	11.77	0.26	(-) 30.94	52.90	(-) 0.18	6.00	(-) 125.82	(-) 99.47	(-) 19.17	-
क्षेत्रवार योग				(-) 35.82	22.06	0.56	(-) 58.44	127.62	(-) 3.88	38.17	(-) 224.44	(-) 149.39	(-) 36.38	-
ऊर्जा														
13.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2012-13	(-) 30.62	80.31	107.75	(-) 218.68	2641.71	(-) 79.20	577.00	(-) 1948.23	1652.58	(-) 138.37	-
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	257.36	127.60	73.29	56.47	486.96	(-) 98.38	624.18	225.99	2660.08	184.07	6.92%
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2011-12	2012-13	56.45	36.87	26.59	(-) 7.01	132.93	(-) 6.67	223.80	(-) 103.87	927.74	29.86	3.22%
क्षेत्रवार योग				283.19	244.78	207.63	(-) 169.22	3261.60	(-) 184.25	1424.98	(-) 1826.11	5240.40	75.56	1.44%

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत
				व्याज व हास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएं														
16.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	1.66	1.09	0.31	0.26	104.19	(-) 0.04	13.42	0.33	30.32	1.35	4.45%
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2013-14	10.75	1.60	1.56	7.59	128.56	(-) 2.95	5.76	(-) 0.36	36.08	9.19	25.47%
क्षेत्रवार योग				12.41	2.69	1.87	7.85	232.75	(-) 2.99	19.18	(-) 0.03	66.40	10.54	15.87%
प्रकीर्ण														
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2009-10	2011-12	5.66	-	0.09	5.57	77.20	गैर समीक्षा	0.05	19.08	19.97	5.57	27.89%
क्षेत्रवार योग				5.66		0.09	5.57	77.20		0.05	19.08	19.97	5.57	27.89%
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)				300.51	271.37	211.14	(-) 182.00	3815.18	(-) 198.57	1525.90	(-) 1792.85	5547.02	89.37	1.61%
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
अवसंरचना														
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2010-11	2012-13	(-) 31.19	5.56	0.83	(-) 37.58	38.01	(-) 24.11	2253.82	(-) 51.35	1675.74	(-) 32.03	-
क्षेत्रवार योग				(-) 31.19	5.56	0.83	(-) 37.58	38.01	(-) 24.11	2253.82	(-) 51.35	1675.74	(-) 32.03	-
सेवा														
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2008-09	2010-11	0.10	-	14.77	(-) 14.67	188.81	(-) 0.56	79.74	(-) 237.22	(-) 35.14	(-) 14.67	-
क्षेत्रवार योग				0.10	-	14.77	(-) 14.67	188.81	(-) 0.56	79.74	(-) 237.22	(-) 35.14	(-) 14.67	-
योग 'ख' (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				(-) 31.09	5.56	15.60	(-) 52.25	226.82	(-) 24.67	2333.56	(-) 288.57	1640.60	(-) 46.70	-
कुल योग (क + ख)				269.42	276.93	226.74	(-) 234.25	4042.00	(-) 223.24	3859.46	(-) 2081.42	7187.62	42.67	0.59%
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियों														
कृषि एवं सम्मयर्ता														
1.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड ⁴	1988-89	1999-2000	(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियों				(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-

⁴ दिनांक 31.03.1991 से कम्पनी परिसमापन में है।

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)		कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत
				शुद्ध लाभ व हानि से व्याज पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्षेत्रवार योग				(-) 0.01	-	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-
चिनिर्माण												
2.	कुम्हट्टीन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90	1990-91	(-) 0.02	-	-	-	0.18	(-) 0.02	0.12	(-) 0.02	-
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लि० (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				(-) 0.02				0.18	(-) 0.02	0.12	(-) 0.02	
योग ग. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)				(-) 0.03				0.35	(-) 0.07	0.22	(-) 0.03	
कुल योग (क +ख +ग)				269.39	276.93	226.74	(-)223.24	3859.81	(-) 2081.42	7187.84	42.64	0.59%

परिशिष्ट-3.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.3; पृष्ठ 94)

31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 5 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी*				2012-13 के अंत में बकाया ऋण*				2012-13 का ऋण इक्यिटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्ती													
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ⁷	कृषि	फरवरी 1969	1.70	0.84	3.77	6.31	5.50	-	-	5.50	0.87:1 (1.11:1)	464
क्षेत्रवार योग				1.70	0.84	3.77	6.31	5.50	-	-	5.50	1.11:1	464
वित्त													
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1974	0.20	-	0.30	0.50	1.17	0.04	1.64	2.85	5.7:1 (5.7:1)	21
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1975	0.22	-	0.28	0.50	-	-	-	-	-	शून्य
4.	उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	अक्टूबर 2001	14.23	3.88	-	18.11	-	-	-	-	-	86
क्षेत्रवार योग				14.65	3.88	0.58	19.11	1.17	0.04	1.64	2.85	0.15:1	107
अवसंरचना													
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	वित्त	जुलाई 2002	26.00	-	2.50	28.50	6.00	-	-	6.00	0.21:1 (0.21:1)	15
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	मार्च 2008	4.00	-	-	4.00	4.00	-	-	4.00	1:1 (0.50:1)	58
क्षेत्रवार योग				30.00	-	2.50	32.50	10.00	-	-	10.00	0.25:1	73

* प्रदत्त पूँजी में आवेदित अंश पूँजी सम्मिलित है।

* वर्ष 2010-11 के बकाया ऋण में दीर्घावधि ऋण को प्रदर्शित करता है।

* उपरोक्त में 619 - ब की कम्पनी सम्मिलित है जो कि क्रम संख्या - 01 है।

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
विनिर्माण													
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	नवम्बर 1973	-	-	1.63	1.63	2.75			2.75	1.69:1 (1.69:1)	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लि० (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	मार्च 1978	-	-	0.35	0.35	-	-	-	-	-	78
9.	उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लिमिटेड फॉर्मली नॉरदर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्री लि० (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	जनवरी 1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन लि०	पर्वतीय विकास	जून 1985	8.95	-	-	8.95	-	-	-	-	-	102
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	फरवरी 1972	17.54	-	0.45	17.99	56.46	-	-	56.46	3.14:1 (1.88:1)	746
12.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	दिसम्बर 2001	6.00	-	-	6.00	76.32	-	3.15	79.47	13.25:1 (9.26:1)	615
क्षेत्रवार योग				32.49	-	2.43	34.92	135.53	-	3.15	138.68	3.97:1	1541
ऊर्जा													
13.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	968.91	-	-	968.91	142.29	447.52	127.10	716.91	0.74:1 (1.64:1)	3952
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	873.57	-	-	873.57	254.80	-	774.55	1029.35	1.18:1 (1.37:1)	2244
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	ऊर्जा	मई 2004	283.74	-	-	283.74	87.61	-	471.37	558.98	1.97:1 (2.25:1)	831
क्षेत्रवार योग				2126.22	-	-	2126.22	484.70	447.52	1373.02	2305.24	1.08:1	7027
सेवाएं													
16.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1971	13.42	-	-	13.42	43.47	-	-	43.47	3.24:1 (2.25:1)	1004
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1976	6.80	-	-	6.80	44.10	-	-	44.10	6.49:1 (6.20:1)	877
क्षेत्रवार योग				20.22	-	-	20.22	87.57	-	-	87.57	4.33:1	1881

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
प्रकीर्ण													
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	सैनिक कल्याण	मार्च 2004	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
योग क (सभी क्षेत्रवार-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				2226.28	4.72	9.28	2240.28	724.47	447.56	1377.81	2549.84		11093
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
अयसरचना													
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	पेयजल	नवम्बर 2002	2031.85	-	-	2031.85	-	-	1.64	1.64	0.01:1 (0.01:1)	2728
क्षेत्रवार योग				2031.85	-	-	2031.85	-	-	1.64	1.64		2728
सेवा													
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	यातायात	अक्टूबर 2003	70.50	9.24	-	79.74	150.52	-	-	150.52	1.89:1 (1.57:1)	3930
क्षेत्रवार योग				70.50	9.24	-	79.74	150.52	-	-	150.52	1.89:1	3930
योग ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				2102.35	9.24	-	2111.59	150.52	-	1.64	152.16		6658
कुल योग (क + ख)				4328.63	13.96		4351.87	874.99	447.56	1379.45	2702		17751
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
													कृषि एवं समवर्ती
1.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड	कृषि	अप्रैल 1977	0.15	-	0.02	0.17	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				0.15	-	0.02	0.17	-	-	-	-	-	-
													विनिर्माण
2.	कुम्हट्टी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विभाग	अप्रैल 1987	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1987	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर्ज लि0 (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.21	0.21	-	-	-	-	-	-
योग 'ग' (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				0.15	-	0.23	0.38	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क + ख + ग)				4328.78	13.96	9.51	4352.25	874.99	447.56	1379.45	2702	0.62:1	17751

परिशिष्ट- 3.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.4: पृष्ठ 95)

मार्च 2013 के अन्त में वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्धता को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 3 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट से बाहर इक्विटी / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टी और वर्ष के अन्त में उसकी वचनबद्धता ⁸				वर्ष में बकायों की माफी			कुल
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण/पुनर्भुगतान अपलेखन	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	व्याज/ दंडात्मक व्याज माफी	6(अ)	6(ब)	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	6(द)	
(अ) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	15.51	-	-	15.51	-	-	-	-	-	-	-	
2.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	10.13	-	10.13	15.51	3.54	-	-	-	-	-	
3.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	-	-	34.31	-	-	34.31	-	-	-	-	-	-	-	
4.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	391.91	171.28	16.69	-	-	16.69	-	237.87	-	-	-	-	-	
5.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	68.11	57.71	-	6.49	0.09	6.58	-	716.61	-	-	-	-	-	
6.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	104.91	-	-	-	-	-	
7.	डोईवाला थुगर कम्पनी लिमिटेड	-	23.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	460.02	252.90	66.51	16.62	0.09	83.22	-	1062.93	-	-	-	-	-	

⁸ आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल बकाया गारन्टी को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट - 3.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.7; पृष्ठ 97)

राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों में किया गया निवेश जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत हुए, को दर्शाती विवरणी (स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकरण के लिए लम्बित लेखाओं की अवधि	इक्विटी	ऋण	अनुदान	अन्य का उल्लेख (उपदान)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ								
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	4.08	2011-12 2012-13	-	-	-	11.35
2.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05	5.94	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	0.76 4.22 1.22 -	-	-	-
3.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	28.50	2011-12 2012-13	1.22 1.11	1.35	3.36	1.48
							4.53	5.60
								59.62

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश		
					अंश पूंजी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	4.00	2012-13	-	2.00	-
5.	डोईवाला शूगर कम्पनी लिमिटेड	2011-12	6.00	2012-13	-	23.91	-
6.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	577.00	2011-12	-	299.16	0.14
				2012-13	391.91	171.28	-
7	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2011-12	624.18	2012-13	68.11	57.71	6.58
8	पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2011-12	223.80	2012-13	56.33	15.74	-
योग क. (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			1473.50		524.93	571.15	22.44
ख. कार्यरत सांविधिक निगम							
उत्तराखण्ड परिवहन निगम		2008-09	79.74	2009-10	-	-	-
				2010-11	-	-	-
				2011-12	-	100.11	-
				2012-13	-	25.00	-
योग ख		-	79.74	-	-	125.11	-
कुल योग (क +ख)		-	1553.24	-	524.93	696.26	22.44
							78.05

परिशिष्ट-3.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.14; पृष्ठ 101)

विभागानुसार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों का विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	सा क्षे 3 की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से बकाया है
1.	कृषि	1	4	18	2005-06
2.	वित्त	3	6	52	2004-05
3.	अवसंरचना	3	4	50	2005-06
4.	पर्यटन	2	8	65	2004-05
5.	ऊर्जा	3	301	1387	2004-05
6.	परिवहन	1	7	30	2006-07
7.	विनिर्माण	6	13	59	2004-05
8.	विविध	1	1	8	2010-11
	कुल	20	344	1669	

परिशिष्ट- 3.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.7.1; पृष्ठ 107)

2008-09 से 2012-13 के दौरान आवश्यक, खरीदी गई, विक्रय की गयी तथा कम्पनी की वितरण हानि की स्थिति

क्र.स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	ऊर्जा की आवश्यकता (एम यूज)	7932.60	9032.29	10010.53	10769.97	11478.09
2.	वितरण सीमा के अन्तर्गत क्रय की गयी ऊर्जा (एम यूज)	7631.44	8280.09	9249.42	10310.64	10867.00
3.	क्रय की गयी ऊर्जा की लागत (₹ करोड़ में)	1675.24	2063.48	2305.33	3064.52	3231.06
4.	खरीदी गयी ऊर्जा की कुल लागत* (₹ करोड़ में)	2080.48	2535.00	2895.69	3737.33	3971.06
5.	क्रय की गयी ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत लागत (₹ में) (4/6)	3.78	4.06	3.99	4.53	4.51
6.	विक्रय की गयी ऊर्जा (एम यूज)	5493.73	6249.21	7250.68	8252.72	8802.00
7.	ऊर्जा की हानि (एम यूज) (2-6)	2137.71	2030.88	1998.74	2057.92	2065.00
8.	ऊर्जा का विक्रय (₹ करोड़ में)	1598.39	1805.24	2641.72	3029.02	3400.00
9.	प्रति किलो वॉट ऊर्जा का विक्रय (₹ में) (9/7)	2.91	2.89	3.64	3.67	3.86
10.	वर्ष के दौरान वसूल की गयी रकम (₹ करोड़ में)	1466.31	1707.66	2399.81	2819.42	3280.00
11.	ऊर्जा की हानि का मूल्य (₹ करोड़ में)(8x10)	622.07	586.92	727.54	755.26	797.09
12.	वितरण हानि का प्रतिशत (8/3x100)	28.01%	24.53%	21.61%	19.96%	19.00%
13.	यू ई आर सी द्वारा निर्धारित वितरण हानि का प्रतिशत	22.32%	20.32%	19.00%	18.00%	17.00%
14.	यू ईआर सी द्वारा निर्धारित नियमों से आधिक्य वितरण हानि का प्रतिशत	5.69%	4.21%	2.61%	1.96%	2.00%
15.	आधिक्य हानि (एम यूज)	434.37	348.37	241.35	202.00	217.61
16.	आधिक्य वितरण हानि के कारण ऊर्जा हानि का मूल्य (₹ करोड़ में)	126.40	100.67	88.58	74.13	84.00

⁹ ऊर्जा की खरीद, मरम्मत तथा रख-रखाव पर खर्च, कर्मचारियों पर प्रशासनिक खर्च, सामान्य तथा अन्य खर्च, विमूल्यन, ब्याज तथा वित्त शुल्क, प्रावधानों, प्रारम्भिक व्ययों का विवरण तथा पारेषण शुल्क।

परिशिष्ट- 3.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.8.1 (द); पृष्ठ 114)

विद्युत शुल्क तथा अधिभार के देरी से भुगतान के बकाए वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.स.	विभाग का नाम	उपभोक्ता का नाम	कनेक्शनों की संख्या	सम्बद्धभार (कि वाॅ)	विद्युत शुल्क	देरी से भुगतान का अधिभार 1.25 प्रतिशत की दर से	कुल
1.	देहरादून (उत्तर)	नगर निगम/नगरपालिका	12	3795	468.36	1459.15	1927.51
		जल संस्थान	39	3253	960.75	1715.06	2675.81
2.	देहरादून (दक्षिण)	राज्य ट्यूब वैल	05	166	11.47	132.82	144.29
		नगर निगम/नगरपालिका	126	2111	694.09	683.62	1377.71
		जल संस्थान	68	2860	2170.50	1390.61	3561.10
3.	देहरादून (केन्द्रीय)	नगर निगम/नगरपालिका	124	195	677.31	946.43	1623.74
		जल संस्थान	62	2803	1679.89	2062.42	3742.31
4.	रूद्रपुर	नगर निगम/नगरपालिका	23	1696	492.45	112.78	605.23
		जल संस्थान	41	491	465.71	292.39	758.10
5.	काशीपुर	नगर निगम/नगरपालिका	06	340	234.70	381.00	615.70
		जल संस्थान	42	803	698.06	563.34	1261.40
		राज्य ट्यूब वैल	69	900	315.89	74.43	390.32
6.	ऋषिकेश	नगर निगम/नगरपालिका	2	614	369.53	427.00	796.53
		जल संस्थान	49	1346	600.94	648.90	1249.84
7.	हरिद्वार (शहरी)	नगर निगम/नगरपालिका	71	929	1202.35	2085.65	3288.00
		राज्य ट्यूब वैल	13	494	57.51	203.46	260.97
		जल संस्थान/जल निगम	86	3648	2305.13	1741.89	4047.03
8.	हरिद्वार (ग्रामीण)	राज्य ट्यूब वैल	58	945	785.49	775.15	1560.64
		नगर निगम/नगरपालिका	15	695	27.40	9.58	36.98
		सार्वजनिक जलकल	20	1093	415.94	270.18	686.12

9.	हल्द्वानी (शहरी)	नगर निगम/नगरपालिका	99	452	180.79	634.83	815.62
		जल संस्थान	24	1434	513.43	363.62	877.05
10.	हल्द्वानी (ग्रामीण)	नगर निगम/नगरपालिका	07	36	4.46	30.68	35.14
		जल संस्थान	27	1978	763.51	542.10	1305.61
11.	श्रीनगर	जल निगम	01	1285	375.48	1863.54	2239.02
		जल संस्थान	24	3508	768.45	1067.46	1835.91
12.	कोटद्वार	नगरपालिका	08	100	21.00	32.54	53.54
		जल निगम	01	27	243.20	587.06	830.26
		जल संस्थान	84	3121	379.41	641.89	1021.30
कुल			1206	41118	17883.20	21739.58	39622.78

परिशिष्ट- 3.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.4.1; पृष्ठ 127)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की यू आई ओवरड्रॉल, अल्प अवधिक ऊर्जा क्रय तथा पावर कट के द्वारा ऊर्जा की कमी को पूरा करने की स्थिति

वर्ष	यू पी सी एल द्वारा मूल्यांकन	वास्तविक ऊर्जा क्रय (एम यूज)	औसत लागत प्रति यूनिट (₹)	यू आई ओवरड्रॉल (एम यूज)	दर प्रति यूनिट (₹)	अन्तर (6-4) (₹)	कुल अन्तर (5x7) (₹ करोड़ में)	अल्प अवधिक क्रय (एस टी पी) (एम यूज)	दर प्रति यूनिट (₹)	पावर कट (एम यूज)	कुल (5+9+11) (एम यूज)	यू आई/एस टी पी/पावर कट का वास्तविक क्रय में प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008-09	7932.60	7854.22	2.65	392.67	5.37	2.72	106.81	उपलब्ध नहीं	-	78.38	471.05	-
2009-10	9032.29	8451.87	3.00	731.78	4.41	1.41	103.18	138.92	7.72	580.42	1451.12	17.17
2010-11	10010.53	9450.23	3.06	617.36	3.71	0.65	40.13	239.52	4.84	560.30	1417.18	15.00
2011-12	10769.97	10468.91	3.57	499.43	3.87	0.30	14.98	980.72	4.69	301.06	1781.21	17.01
2012-13	11478.09	10848.20	3.66	552.21	3.43	(0.23)	(12.70)	1696.08	4.02	629.89	2878.18	26.53
कुल	49223.48	47073.43	-	2793.45	-	-	252.40	3055.24	-	2150.05	7998.74	16.98